KGS Publications

UPSC करेंट अफेयर्स

फरवरी 2024

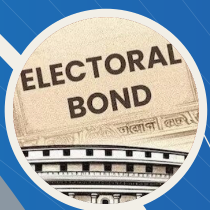

चुनावी बॉन्ड योजना पर निर्णय

अंतरिम बजट 2024

भारत - संयुक्त अरब अमीरात संबंध

IPCC की सातवीं जलवायु मूल्यांकन रिपोर्ट

वरिष्ठ नागरिक देखभाल

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KGS IAS

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

GET IN ON Google Play

Download on the App Store

Download the Khan Global Studies App

विषय सूची

1. राज्यव्यवस्था एवं शासन 1-21

1.1. चुनावी बॉन्ड पर फैसला 1
1.2. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी विवाद पर निर्वाचन आयोग का फैसला 3
1.3. प्रस्तावना पर बहस 5
1.4. पंचायती राज संस्थानों के वित्त 6
1.5. लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग 8
1.6. राजकोषीय संघवाद का क्षरण 10
1.7. न्यायिक प्रक्रिया और उनके सुधारों पर रिपोर्ट 11
1.8. उपमुख्यमंत्री 12
1.9. सीबीआई और इसकी कार्यप्रणाली 13
1.10. स्मार्ट सिटी मिशन पर रिपोर्ट 15
1.11. लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) विधेयक-2024 17
1.12. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 18
1.13. स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यक्रम 19
1.14. किलकारी कार्यक्रम 19
1.15. महिलाओं हेतु विज्ञान-एक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (स्वाति) पोर्टल 20
1.16. घर पोर्टल 21

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 22-37

2.1. भारत-बांग्लादेश संबंध 22
2.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध 24
2.3. भारत और ग्रीस 26
2.4. म्यांमार का गृह युद्ध के कारण भारत के हित प्रभावित 28
2.5. हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ता सैन्यीकरण 30
2.6. कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ता तनाव 32
2.7. समुद्री डकैती 33
2.8. वाइमर त्रिकोण 35
2.9. विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 36
2.10. उत्तर कोरिया का जापान सागर में क्रूज मिसाइल परीक्षण 36

3. अर्थव्यवस्था 38-58

3.1. अंतरिम बजट 2024 38
3.2. राजकोषीय समेकन 42
3.3. विनिर्माण क्षेत्र पर रिपोर्ट 44
3.4. फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 (किसान आंदोलन 2.0) 46
3.5. वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 47
3.6. स्थानीय फिनटेक क्षेत्र 49
3.7. पेटीएम पेमेंट्स बैंक 51
3.8. सरकार ने गैर-यूरिया उर्वरकों को मूल्य नियंत्रण के अधीन किया 52
3.9. आईबीबीआई का विशेषज्ञ पैनल ने आईबीसी के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता की सिफारिश की 53
3.10. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 54
3.11. बीमा क्षेत्र पर रिपोर्ट 55
3.12. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग 56
3.13. चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर वैश्विक गठबंधन (GACERE) 57

4. कला एवं संस्कृति 59-64

4.1. भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 59
4.2. ऑरोविले अनुभव यात्रा 59
4.3. सुबिका चित्रकला 60
4.4. ज्ञानवापी मस्जिद 61
4.5. श्रील प्रभुपाद 61
4.6. महर्षि दयानंद सरस्वती 62
4.7. ढोकरा शिल्पकला 63
4.8. बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था [BAPS] मंदिर 63
4.9. राष्ट्रीय पुरस्कारों में 'इंदिरा' और 'नरगिस' के नाम में परिवर्तन किये 64

5. पर्यावरण 65-83

5.1. वन की परिभाषा से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्देश 65
5.2. मानव-पशु संघर्ष 66
5.3. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की सातवीं जलवायु मूल्यांकन रिपोर्ट 68
5.4. भारतीय हिम तेंदुआ 70
5.5. थानथाई पेरियार अभयारण्य और वनवासियों के अधिकार 71
5.6. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 72
5.7. रामसर स्थलों में पाँच नई आर्द्रभूमियाँ शामिल 73
5.8. हिमालयन ग्रिफ़ॉन गिद्ध 74
5.9. ब्लैक नेक्ड क्रेन 75
5.10. नाइट्रोजन प्रदूषण 76
5.11. पृथ्वी प्रणाली मॉडल 77
5.12. जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन 78
5.13. संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप 79
5.14. पिन्टेल और प्लोवर्स 80
5.15. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण पर लोक लेखा समिति 81
5.16. ग्रो पोर्टल 83

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 1 3/27/2024 1:14:01 PM

6. भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 84-88

6.1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 84
6.2. वायुमंडलीय नदियां 85
6.3. वायु गुणवत्ता पर ला नीना का प्रभाव 86
6.4. समुद्री हीट वेव 87

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 89-100

7.1. केंद्रीय बजट में डीप-टेक और अनुसंधान वित्तपोषण की योजना 89
7.2. भारत की सीएआर टी-सेल थेरेपी 91
7.3. विधि आयोग की रिपोर्ट में महामारी से निपटने के लिए एक योजना का सुझाव 92
7.4. एमक्यू-9 बी ड्रोन 93
7.5. अभ्यास वायु शक्ति-24 94
7.6. न्यूरालिंक मस्तिष्क प्रत्यारोपण 95
7.7. इनट्रांस कार्यक्रम 95
7.8. घूर्णनशील कृष्ण विवर 96
7.9. भारत की पहली हाइपरवेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा 97
7.10. हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) 97
7.11. लसीका फाइलेरिया 98
7.12. क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (KFD) 100

8. आंतरिक सुरक्षा 101-102

8.1. वोल्ट टाइफून 102
8.2. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के सीमा रक्षा गांव 101

9. सामाजिक मुद्दे 103-115

9.1. बाल अश्लीलता 103
9.2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण 105
9.3. ग्रामीण भारत में स्वच्छता चमत्कार 107
9.4. मानसिक स्वास्थ्य 108
9.5. वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट, 2023 110
9.6. WHO ने अकेलेपन को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में मान्यता दी 112
9.7. वरिष्ठ नागरिक देखभाल 113

10. बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न 116-121

उत्तरमाला 121

11. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 122-126

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 2 3/27/2024 1:14:05 PM

1.1. चुनावी बॉन्ड पर फैसला

संदर्भ

हाल ही में, एक ऐतिहासिक फैसले में **उच्चतम न्यायालय (SC)** ने **चुनावी बॉन्ड योजना (EBS) को 'असंवैधानिक'** घोषित कर दिया है।

फैसले की मुख्य बातें

- आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को **असंवैधानिक, एकपक्षीय और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला** घोषित कर दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने इस **योजना को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों** के साथ-साथ **सूचना के अधिकार का उल्लंघन** माना।
- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी मतदाता को वोट देने की अपनी स्वतंत्रता का प्रभावी तरीके से उपयोग करने हेतु, किसी राजनीतिक दल को मिलने वाली वित्तीय सहायता की जानकारी आवश्यक है।
- चुनावी बॉन्ड योजना के साथ, उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C(1), कंपनी अधिनियम की धारा 182(3) और आयकर अधिनियम की धारा 13A(B) के प्रावधानों को **अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन माना और इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया।**
- न्यायालय ने योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का भी निर्देश दिया।
  - ✓ उपर्युक्त जानकारी प्राप्ति के पश्चात चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उक्त जानकारी प्रकाशित करेगा।

चुनावी बॉन्ड योजना क्या है?

- चुनावी बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट के समान **ब्याज मुक्त धारक इंस्ट्रूमेंट** हैं। इन्हें 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किया जाता है।
- **पात्रता:** भारतीय नागरिक या भारत में निगमित निकाय भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं से इन बॉन्डों को खरीद कर सकते हैं।
- **शर्त:** चुनावी बॉन्ड की अवधि 15 दिन होती है और इसका उपयोग केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों (जिन्होंने लोक सभा या विधान सभा के **पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल** किए हों) को अनुदान देने हेतु किया जा सकता है।

चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत

- चुनावी बॉन्ड योजना को वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, आयकर अधिनियम, 1961 और कंपनी अधिनियम, 2013 में कई संशोधन किए जाने के बाद पेश किया गया था। इन संशोधनों ने चुनावी बॉन्ड द्वारा राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के संबंध में राजनीतिक दलों को कई प्रतिबंधो से छूट प्रदान की। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्न हैं:
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
  - ✓ **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C:** इसमें राजनीतिक दलों को एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक के सभी अनुदानों का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। इस रिपोर्ट में व्यक्तियों और कंपनियों के अनुदानों को अलग-अलग दर्ज करना होता हैं।
  - ✓ **वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधन:** इसने धारा 29C में एक

चुनावी बॉन्ड मामले में घटनाओं का कालक्रम

- **2017:** वित्त विधेयक में चुनावी बांड योजना पेश की गई
- **2017 Sept. 14:** मुख्य याचिकाकर्ता एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ने इस योजना को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया
- **2017 Oct. 03:** उच्चतम न्यायालय ने एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
- **2018 Jan. 02:** केंद्र सरकार ने चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया
- **2022 Nov. 07:** चुनावी बॉन्ड योजना में वर्ष में बिक्री के दिनों की संख्या को 70 से बढ़ाकर 85 करने हेतु संशोधन किया गया, जहां कोई भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हो सकता है।
- **2023 Oct. 16:** मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया
- **2023 Oct. 31:** मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की
- **2023 Nov. 02:** उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
- **2024 Feb. 15:** उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को 'असंवैधानिक' बताते हुए इसे रद्द करने का सर्वसम्मति से फैसला सुनाया

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 1 3/27/2024 1:14:05 PM

अपवाद शामिल किया, जिसके अनुसार 20,000 रुपये से अधिक के सभी दान का खुलासा करने का प्रावधान, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त अनुदान पर लागू नहीं होगा।

- ✓ **उच्चतम न्यायालय का निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने संशोधन को खारिज कर दिया और कहा कि मूल प्रावधान मतदाताओं के सूचना के अधिकार और दानदाताओं के निजता के अधिकार को प्रभावी ढंग से संतुलित करता है।

- कंपनी अधिनियम, 2013
  - ✓ **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182:** इसने प्रारंभ में **किसी कंपनी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अनुदान की जाने वाली धनराशि की सीमा निश्चित की** और इसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के %7.5 तक सीमित कर दिया।
  - ✓ **वित्त अधिनियम, 2017 संशोधन:** इसने अनु**दान की सीमा को हटा दिया** और इस प्रकार कंपनियां अब अनुदान की जाने वाली राशि तक सीमित नहीं रहीं और उन्हें राजनीतिक दल या राशि का खुलासा किए बिना केवल कुल योगदान का खुलासा करना था।
  - ✓ **उच्चतम न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2017 संशोधन को रद्द कर दिया:** इसमें कहा गया कि असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति चुनावी प्रक्रिया में कंपनियों के हस्तक्षेप को दर्शाती है, इस प्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का उल्लंघन होगा।
- आयकर अधिनियम, 1961
  - ✓ **आयकर अधिनियम, 1961:** धारा 13A(b) ने राजनीतिक दलों को अपनी कुल आय से स्वैच्छिक योगदान को बाहर करने और 20,000 रुपये से अधिक के अनुदान हेतु दानकर्ता के नाम और पते सहित रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रावधान किया।
  - ✓ **वित्त अधिनियम, 2017 संशोधन:** इसने 'चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान के अलावा' शब्दों को शामिल करने के लिए धारा 13A(b) में संशोधन किया। इसके अतिरिक्त, एक नई धारा 13A(d) के अनुसार 2,000 रुपये से अधिक का सभी दान कुछ निश्चित तरीकों से दिया जाना चाहिए, जिसमें चुनावी बॉन्ड भी शामिल हैं।
  - ✓ **उच्चतम न्यायालय का फैसला:** उच्चतम न्यायालय ने धारा 13A(b) और नई धारा 13A(d) में संशोधन को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त अनुदान का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होना, संविधान के अनुच्छेद 1)19)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का आधार

1. **चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है:**

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a)** में उल्लिखित **सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।**
- उच्चतम न्यायालय ने धन और राजनीति के बीच 'गहरे संबंध' पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे बदले में कुछ प्राप्त करने या प्रतिदान व्यवस्था (quid pro quo) की संभावना को बढ़ाकर राजनीतिक असमानता में योगदान करती है।

2. **अनुदानकर्ता की निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं**

- उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **राजनीतिक संबद्धता में गोपनीयता का अधिकार** केवल राजनीतिक समर्थन के वास्तविक रूपों के रूप में किए गए योगदान तक ही सीमित है, **न कि पार्टी की नीतियों को प्रभावित करने के इरादे से किए गए योगदान तक।**

3. **कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान असंवैधानिक**

- न्यायालय ने कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान के बीच (यह देखते हुए कि **कंपनी के योगदान बदले में लाभ हासिल करने हेतु व्यावसायिक लेनदेन थे**) अंतर बताया।
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि असीमित कॉर्पोरेट योगदान अनियंत्रित प्रभाव की अनुमति देता है, जिससे **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का उल्लंघन होता है।**
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि **बिना सीमा के, घाटे में चल रही कंपनियां सरकार के साथ बदले में समझौते में शामिल हो सकती हैं।** परिणामस्वरूप, इसने **कंपनी अधिनियम की धारा 182** में संशोधन को रद्द कर दिया, जिससे कंपनियों से राजनीतिक योगदान की सीमा बहाल हो गई।

अनुपातिकता का परीक्षण

- यह एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वैधानिक दृष्टिकोण है, जिसे आम तौर पर वैश्विक स्तर पर संवैधानिक न्यायालयों द्वारा, दो अधिकारों के दावों के बीच या एक अधिकार और एक वैध सरकारी हित के बीच विवाद को हल करने हेतु लागू किया जाता है।
- परीक्षण को औपचारिक रूप से वर्ष 2017 के पुट्टास्वामी वाद में सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में निर्धारित किया गया था।
- भारतीय न्यायालयों में आनुपातिकता का निर्धारण आम तौर पर निम्न चार-आयामी दृष्टिकोण का पालन करता है:
  1. कार्रवाई को कानून द्वारा मंजूरी दी गई हो।
  2. कानून वैध राज्य हित प्रदर्शित करने वाला हो।
  3. मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण इच्छित उद्देश्य के लिए आनुपातिक है।
  4. इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा होनी चाहिए।

प्रतिबंध काले धन के प्रसार पर अंकुश लगाने के घोषित लक्ष्य से असंगत हैं

- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि **सूचना के अधिकार पर प्रतिबंधों को केवल अनुच्छेद 19(2)** (जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की रूपरेखा प्रदान करता है) के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। **काले धन पर अंकुश लगाना अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुमेय प्रतिबंध के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।**
- न्यायालय ने माना कि भले ही काले धन पर अंकुश लगाना एक वैध उद्देश्य है, लेकिन योजना द्वारा लगाए गए प्रतिबंध इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आनुपातिक नहीं हैं।
- न्यायालय ने निजता के अधिकार पर **केएस पुट्टास्वामी मामले** में अपने वर्ष 2017 के फैसले के आधार पर **आनुपातिकता परीक्षण** लागू किया।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 2 3/27/2024 1:14:10 PM

आगे की राह

- **राजनीतिक दलों को राज्य द्वारा वितपोषण: वर्ष 1998 की इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट** ने राज्य वित्तपोषण पर चर्चा शुरू करते हुए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों को राज्य निधि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। समिति ने राज्य के वित्तपोषण को संवैधानिक और कानूनी रूप से उचित ठहराया और चुनाव खर्चों के लिए एक अलग चुनाव कोष स्थापित करने की सिफारिश की।
- **राजनीतिक दलों को RTE के अंतर्गत शामिल करना:** राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTE) के अधीन लाने से उन्हें अनुदानकर्ता विवरण और व्यय स्वरूप सहित अपने धन के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा। इससे जन भागीदारी में वृद्धि होगी और राजनीतिक दल अपने वित्तपोषण स्रोतों के लिए जवाबदेह होंगे।
- **वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र का उपयोग:** छोटे व्यक्तिगत अनुदान के सरकारी मिलान, व्यक्तिगत योगदान के लिए कर लाभ और कॉर्पोरेट दान पर सख्त नियमों जैसे विकल्पों के उपयोग से सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ सकती है और राजनीतिक वित्तपोषण में अनुचित प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- **चुनावी सुधार:** वित्त विनियमों को बढ़ाकर और पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने से उतरदायी वित्तीय तरीकों को सुनिश्चित किया जा सकता है और राजनीतिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, टीएस कृष्णमूर्ति** ने विकल्प के रूप में **"राष्ट्रीय चुनाव कोष"** की स्थापना की सिफारिश की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निगम और व्यक्तिगत दानदाताओं के लिए 100% कर छूट के साथ एक ऐसे कोष का गठन किया जाना चाहिए, जिससे चुनावों के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण संभव हो सकेगा।

1.2. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विवाद पर निर्वाचन आयोग का फैसला

प्रसंग

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के गुट को आधिकारिक तौर पर **वैध या वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता** दी है। इस प्रकार, उन्हें पार्टी के मूल नाम और **'घड़ी'** चिन्ह पर नियंत्रण मिल गया।

विवरण

- हाल के एक फैसले में, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व विवाद को सुलझा दिया और **अजीत पवार गुट को "वास्तविक" राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी** के रूप में मान्यता दी।
- निर्वाचन आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए **पार्टी के विधायक दल में बहुमत के परीक्षण को आधार बनाया।**
  - ✓ निर्वाचन आयोग के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुल 81 (सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों सहित) में से **57 ने अजीत पवार का समर्थन किया, 28 ने शरद पवार का समर्थन किया** और 6 सदस्यों ने दोनों पक्षों का समर्थन किया।
  - ✓ इस तरह उन 6 सदस्यों को छोड़कर भी अजित पवार के गुट के पास बहुमत था।
- निर्वाचन आयोग ने आंतरिक चुनावों में मूलभूत आधार की कमी का हवाला देते हुए **पार्टी के संगठनात्मक विंग में बहुमत के परीक्षण को खारिज कर दिया।**
  - ✓ निर्वाचन आयोग ने माना कि कार्य समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा शरद पवार ने की थी।
- हालाँकि, शरद पवार गुट ने तर्क दिया कि विधानसभा में बहुमत का परीक्षण एकमात्र निर्धारक कारक नहीं हो सकता क्योंकि नौ विधायक अयोग्यता का सामना कर रहे थे।
- अंतरिम उपाय के रूप में, निर्वाचन आयोग ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को आधिकारिक नाम "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार" आवंटित किया है।
- चूंकि राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, केवल पार्टी के नाम की आवश्यकता होती है, इसलिए शरद पवार गुट को या तो इस नाम को जारी रखने के लिए या अपने गुट के लिए किसी अन्य नाम और प्रतीक के लिए निर्वाचन आयोग में नए सिरे से आवेदन करना होगा।

वर्ष 1968 से पहले की व्यवस्था

- वर्ष 1968 से पहले निर्वाचन आयोग चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत अधिसूचनाएं और कार्यकारी आदेश जारी करता था।
- वर्ष 1968 से पहले की इस प्रक्रिया की मिसाल देने वाला एक उल्लेखनीय मामला वर्ष 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) में विभाजन था।
- निर्वाचन आयोग ने इस गुट को सीपीआई (एम) के रूप में मान्यता दी, क्योंकि उसने पाया कि अलग हुए समूह का समर्थन करनेवाले सांसदों और विधायकों द्वारा प्राप्त वोट 3 राज्यों में 4% से अधिक हो गए।

कानून क्या है?

- **चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चिह्न आवंटित करने का अधिकार देता है।
- **आदेश के पैराग्राफ 15** के तहत, निर्वाचन आयोग अपने नाम और चिह्न पर दावा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है। निर्वाचन आयोग का निर्णय इसमें शामिल **सभी प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों पर बाध्यकारी** है।
- उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1971 में **सादिक अली और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मामले में पैराग्राफ 15 की वैधता को बरकरार रखा।**
- यह पद्धति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के विवादों पर लागू होता है। पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन के लिए, चुनाव आयोग आमतौर पर संघर्षरत गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से सुलझाने या अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह देता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 3 3/27/2024 1:14:14 PM

चुनाव आयोग कैसे तय करता है कि चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलेगा?

निर्वाचन आयोग द्वारा विचार किए गए तथ्य

- निर्वाचन आयोग ने पैराग्राफ 15 के तहत **विवादों को हल करने के लिए एक "त्रि-परीक्षण सिद्धांत" तैयार किया है जिसे वर्ष 1971 में सादिक अली और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग में बरकरार रखा गया है।**
- **संगठनात्मक समर्थन का आंकलन करने हेतु** निर्वाचन आयोग संबंधित राजनीतिक दल के संविधान और दल के एकजुट होने पर प्रस्तुत पदाधिकारियों की सूची की गहन जांच करता है।
  - ✓ निर्वाचन आयोग संगठन में शीर्ष समिति की पहचान करता है और पता लगाता है कि कितने पदाधिकारी, सदस्य या प्रतिनिधि प्रतिद्वंद्वी दावेदारों का समर्थन करते हैं।
- **विधायी समर्थन के लिए,** निर्वाचन आयोग प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी दावेदार के साथ जुड़े संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) की संख्या का मूल्यांकन करता है।

तीन परीक्षण सिद्धांत

1 पार्टी संविधान का परीक्षण

यह विश्लेषण करना कि क्या पार्टी के मामले उसके संविधान के अनुसार चल रहे थे और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को प्रतिबिंबित करते थे।

2 पार्टी संविधान के लक्ष्य एवं उद्देश्य का परीक्षण

यह आंकलन करना कि दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों में से कौन सा पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का पालन करता है।

3 बहुमत का परीक्षण

यह मूल्यांकन करना कि दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों में से किसको दोनों में बहुमत प्राप्त है।

- यदि एक **गुट को संगठनात्मक और विधायी दोनों विंगों के भीतर बहुमत का समर्थन प्राप्त है तो** निर्वाचन आयोग **उस गुट को मान्यता प्राप्त पार्टी के नाम और प्रतीक का अधिकार प्रदान कर सकता है।**
- जब निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से यह निर्धारित करने में असमर्थ होता है कि किस समूह को बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तो वह पार्टी के प्रतीक को रोककर रखने (फ्रीज करने) का विकल्प चुन सकता है।
- ऐसी स्थितियों में, निर्वाचन आयोग समूहों को **नए पार्टी नामों के साथ खुद को पंजीकृत करने या पार्टी के मौजूदा नामों में आगे (उपसर्ग) या पीछे (प्रत्यय) नए शब्द जोड़ने की अनुमति दे सकता है।**

निर्वाचन आयोग के आदेश से संबंधित विवाद

- निर्वाचन आयोग ने विवाद का फैसला करने के लिए **पूरी तरह से पार्टी के विधायी विंग में बहुमत के परीक्षण पर भरोसा किया** और पार्टी के संगठनात्मक विंग में बहुमत के परीक्षण को खारिज कर दिया।
- निर्वाचन आयोग ने माना कि पार्टी के संगठनात्मक विंग में बहुमत के परीक्षण को एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि संगठनात्मक चुनाव अक्सर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होते हैं।
- हालाँकि, निर्वाचन आयोग के फैसले की आलोचना हो रही है क्योंकि 'त्रि-परीक्षण सिद्धांत' को **एक आयामी परीक्षण** यानी विधायी विंग की संख्यात्मक ताकत तक सीमित कर दिया गया है।
- इसके अलावा, निर्वाचन आयोग का आदेश विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित कई विधायकों के खिलाफ **अयोग्यता याचिकाओं को ध्यान में नहीं रखता है।**

भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज से संबंधित व्यापक चुनौतियाँ

- **पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव:** अधिकांश राजनीतिक दलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर केंद्रीकृत होती है जो पार्टी के भीतर असंतोष को दबा देती है और नई आवाज़ों और विचारों के उभरने के अवसरों को सीमित कर देती है।
- **वंशवादी राजनीति:** अधिकांश राजनीतिक दलों में, नेतृत्व के पद अक्सर योग्यता या लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर अर्जित किए जाने के बजाय विरासत में मिलते हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की भावना को कमजोर करती है और पार्टी ढांचे के भीतर जवाबदेही की कमी पैदा करती है।
- **बड़े पैमाने पर दल-बदल: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law-ADL)** की शुरूआत दल-बदल की व्यापकता को रोकने में विफल रही है, जिससे अक्सर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** एडीआर रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दल अक्सर भीड़ को आकर्षित करने वाले और धन जुटाने की क्षमता रखने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट देते हैं।
- **राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में नहीं:** भले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CIC) ने वर्ष 2013 में फैसला सुनाया था कि राजनीतिक दल आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल ने आदेश का पालन नहीं किया है।

आगे की राह

- **नियमित चुनावों की आवश्यकता:** राजनीतिक दलों को पार्टी संविधान के अनुरूप नियमित संगठनात्मक चुनाव कराने और निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वेच्छा से इसका प्रकटीकरण खुलासा करना चाहिए।
- **एनसीआरडब्ल्यूसी रिपोर्ट:** इसमें भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और कामकाज को विनियमित करने वाले व्यापक कानून बनाने की अनुशंसा की गई है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 4 3/27/2024 1:14:14 PM

- **भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट:** इसमें राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र से संबंधित कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- बड़े पैमाने पर दलबदल को रोकने और चुनावी जनादेश की रक्षा हेतु **दल-बदल विरोधी कानून को सुदृढ़ करने की जरूरत है।**

निष्कर्ष

- इस प्रकार, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था होने की अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग को ऐसे मामलों पर कानूनों और परम्परा की व्याख्या करने में और अधिक तर्कसंगत होने की आवश्यकता है।

1.3. प्रस्तावना पर बहस

संदर्भ

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई की।

विवरण

- उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि क्या संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर, 1949 को अपनाने की तारीख को बदले बिना संशोधित किया जा सकता था।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने निम्न को स्पष्ट किया:
  - ✓ न्यायालय के कहने का मतलब यह नहीं था कि प्रस्तावना में बिल्कुल भी संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन
  - ✓ सवाल यह उठा कि क्या इसमें बदलाव किया जा सकता था जब संविधान को अपनाने की तारीख भी प्रस्तावना का हिस्सा थी।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,**
समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज
तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला
सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा**
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना में संशोधन

- अबतक, प्रस्तावना को वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से केवल एक बार संशोधित किया गया है।
- इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में **'समाजवादी'**, **'पंथनिरपेक्ष'** और 'अखंडता' शब्द शामिल किए।
  - ✓ 'संप्रभु' और 'लोकतांत्रिक' के बीच 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' को जोड़ा गया।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, 'राष्ट्र की एकता' वाक्यांश को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदल दिया गया था।
- **वर्ष 1973 के केशवानंद भारती मामले** (जिसने प्रस्तावना को संविधान के हिस्से के रूप में स्थापित किया) के बाद 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना की स्थिति फिर से स्पष्ट की।
- **अनुच्छेद 368** के तहत, प्रस्तावना में संशोधन की अनुमति है, लेकिन संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में प्रस्तावना का स्थान

भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना की स्थिति कानूनी बहस का विषय रही है। 1950 एके गोपालन मामला:

1950 — एके गोपालन मामला:
एके गोपालन मामले में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना लागू करने योग्य नहीं थी, क्योंकि इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था।

1960 — बेरुबारी यूनियन मामला:
बेरुबारी यूनियन मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मंशा को समझने में प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया लेकिन इसे संविधान के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया।

1973 — केशवानंद भारती मामला:
ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले रुख को पलट दिया और घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि संविधान और प्रस्तावना की व्याख्या सामंजस्य के साथ की जानी चाहिए।

1995 — एलआईसी ऑफ इंडिया मामला:
इसके बाद, एलआईसी ऑफ इंडिया मामले में, उच्चतम न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 5 3/27/2024 1:14:14 PM

प्रस्तावना में किये गये बदलाव के विरुद्ध तर्क

- प्रस्तावना में ये परिवर्तन इंदिरा गांधी के शासनकाल में **"आपातकाल"** के दौरान हुए। यह लोगों की **आम सहमति** का प्रतिनिधित्व नहीं करते।
- डॉ. भीम राव अंबेडकर ने तर्क दिया था कि ये शर्तें अनावश्यक थीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की अवधारणाएं पहले से ही मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के प्रावधानों में शामिल थीं।

पक्ष में तर्क

- 'पंथनिरपेक्षता' शब्द सभी धर्मों और पंथो के साथ समान व्यवहार करने और धार्मिक स्वतंत्रता और गैर-भेदभाव सिद्धांतों को बनाए रखने की **राज्य की प्रतिबद्धता** की पुष्टि करता है।
- प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" जोड़ने से **अल्पसंख्यकों का मनोबल बढ़ेगा**। यह अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपनेपन और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देते हुए, समावेशिता और सहिष्णुता का एक मजबूत संदेश प्रेषित करता है।
- प्रस्तावना में "समाजवादी" शब्द को शामिल करने से **सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने**, हाशिए पर रहने वाले समूहों को सामाजिक-आर्थिक उन्नति के अवसर और सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी पर जोर पड़ता है।

प्रस्तावना की संशोधनशीलता

- **बेरुबारी यूनियन केस (1960):** इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना (अपने महत्व के बावजूद) संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- **केशवानंद भारती मामला (1973):** इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इस प्रकार, यह संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है (बशर्ते कि मूल संरचना में कोई परिवर्तन न हो)।
- इस प्रकार, निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि प्रस्तावना एक मूलभूत घटक है, क्योंकि यह संविधान के दर्शन और भावना को प्रतिबिंबित करता है। केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया था, और संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना इसे संशोधित किया जा सकता है।

1.4. पंचायती राज संस्थानों के वित्त

संदर्भ

हाल ही में, **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थानों के वित्त"** पर अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि **पंचायतों ने अपने कुल राजस्व का केवल 1% अर्जित किया** जबकि शेष राजस्व राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में जुटाया।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

राजस्व संरचना

- पंचायतों ने **अपने राजस्व का** केवल 1% अपने स्रोतों से अर्जित किया और शेष **राज्य सरकार अनुदान (15%)** और **केंद्र सरकार अनुदान (80%) से आया।**
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में, प्रति पंचायत राजस्व सृजन में कर राजस्व के रूप में ₹21,000 और गैर-कर राजस्व के रूप में ₹73,000 शामिल थे।
- इसके विपरीत, प्रत्येक पंचायत ने केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में लगभग ₹17 लाख और राज्य सरकारों से अनुदान के रूप में ₹3.25 लाख से अधिक अर्जित किया।
- इस प्रकार, पंचायतों का केवल 1% राजस्व ही उनके स्वयं के कर राजस्व से आता है।

राज्यवार प्रदर्शन

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व के मामले में राज्यों के आंकड़े अलग-अलग हैं।
- जहां **केरल** में प्रत्येक पंचायत का औसत राजस्व ₹60 लाख से अधिक था, वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पंजाब और उत्तराखंड में प्रति पंचायत औसत राजस्व ₹6 लाख से कम था।
- प्रति पंचायत ₹57 लाख के औसत राजस्व के साथ पश्चिम बंगाल केरल के बाद दूसरे स्थान पर है।
- असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रति पंचायत ₹30 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त/अर्जित किया गया।

राज्य के राजस्व में हिस्सेदारी

- राजस्व बढ़ाने की क्षमता कम होने के कारण, अपने-अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी कम थी।
- जबकि उत्तर प्रदेश में, पंचायतों का राजस्व राज्य के स्वयं के राजस्व का 2.5% था, आंध्र प्रदेश में यह राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% था।

पंचायतों के कम राजस्व की वजह

- **राज्य सरकार द्वारा वित्तीय शक्ति** (जैसे- कर लगाने, कर एकत्र करने और उचित कर लगाने हेतु अधिकृत करने की शक्ति) का सीमित हस्तांतरण।
- इसके अलावा, राज्य अपने राजस्व में कमी के डर के कारण पंचायतों को कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति हस्तांतरित करने में अनिच्छुक रहते हैं।
- चुनावों में **जनता के विरोध** के डर से पंचायतें संपत्ति कर वसूलने में अनिच्छुक होती हैं।
- राजस्व संग्रह के लिए खराब बुनियादी ढांचा, जैसे **पदाधिकारियों, पंचायत भवन की कमी** (पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अभी भी **18% ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है**)।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 6 3/27/2024 1:14:14 PM

- वित्त और राजस्व सृजन के बारे में पंचायत पदाधिकारियों के सीमित प्रशिक्षण और जागरूकता में कमी के कारण अक्सर कम राजस्व संग्रह होता है।

पंचायती राज संस्थानों के वित्त से संबंधित अन्य समस्याएं

- **राज्य वित्त आयोग (SFC):** इन आयोगों का गठन संवैधानिक आवश्यकताओं (प्रत्येक पाँच वर्ष) के अनुसार नहीं किया जाता है।
  - ✓ उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 तक केवल एक राज्य (जम्मू-कश्मीर) ने वित्त आयोग का गठन किया।
- **डेटा विश्वसनीयता की समस्या:** केंद्रीय वित्त आयोग के विपरीत, राज्य वित्त आयोग को विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय सरकारों की अपर्याप्त बजटीय प्रणालियाँ राज्य वित्त आयोग के लिए डेटा एकत्र करना और वित्तीय स्थिति का प्रभावी ढंग से आंकलन करना चुनौतीपूर्ण बना देती हैं।
- **सरकारी अनुदान पर भारी निर्भरता:** पंचायतों के कुल राजस्व का 80% हिस्सा केंद्र सरकार से और 15% से अधिक हिस्सा संबंधित राज्य सरकार से आता है।

राज्यों द्वारा अब तक गठित राज्य वित्त आयोगों की संख्या

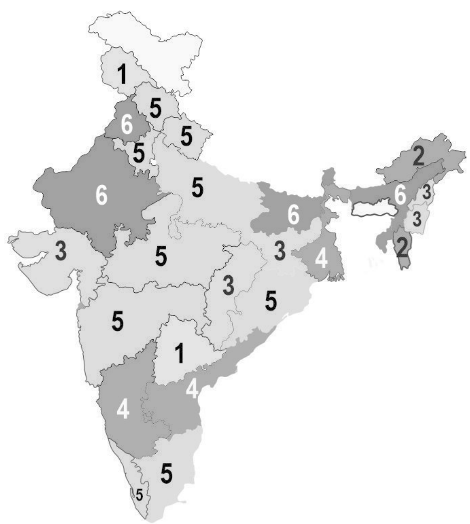

नोट : तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था।
छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को 2000 में राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय को राज्य वित्त आयोगों के गठन से छूट दी गई है। हालाँकि, नागालैंड और मिजोरम ने राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है।

स्रोत: XV केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट

- **कोष की गैर-लोचशील बंधी हुई प्रकृति:** अनुदान का एक बड़ा हिस्सा योजना-संबंधित है, जो इसे स्थानीय जरूरतों के प्रति गैर-लचीला बनाता है।
- **नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण:** कुछ राज्यों में, ग्राम पंचायतें नौकरशाही के अधीन हैं, जिसके परिणामस्वरूप धन जारी करने में अत्यधिक देरी होती है।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सरकारी उपाय

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA): यह सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRIs) की शासन क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य हेतु योजना है।

पंचायत सशक्तिकरण अभियान (CB-PSA): इसका उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना है। यह उन्हें विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन सहित अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने में सक्षम बनाएगा।

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993: यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है और सरकार द्वारा धन के अनिवार्य हस्तांतरण का आदेश देता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP): अनुच्छेद 243-जी के तहत, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपीडीपी तैयार करने की शक्ति प्राप्त है।

पंचायत वित्त का महत्व

- **विकेंद्रीकृत विकास:** पंचायतें जनता के सबसे करीब होती हैं जो उन्हें विशेष रूप से जागरूक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती हैं।
- **सुशासन:** पंचायतें लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है।
- **लोकतांत्रिक विकास:** स्थानीय कराधान प्रणाली की उपस्थिति विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिसके परिणामस्वरूप विकास का लोकतंत्रीकरण होता है।
- **सशक्त पंचायती राज संस्थान (PRIs):** वित्तीय और कार्यात्मक रूप से सशक्त पीआरआई समुदायों से निकटता और पर्यावरण के बारे में मूल्यवान स्थानीय ज्ञान के कारण जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन में दृढ़ता से योगदान दे सकते हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 7 3/27/2024 1:14:15 PM

- **पारदर्शिता:** नियमित वित्तीय लेखा परीक्षण न होने से धन का दुरुपयोग और अप्रभावी उपयोग होता है।
- **भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण:** मणिशंकर अय्यर समिति (2013) ने स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि स्थानीय निकायों ने भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है।

पंचायतों के लिए धन के स्रोत

- **केंद्र सरकार: केंद्रीय वित्त आयोग** (अनुच्छेद 280) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।
  - ✓ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लक्ष्य-विशिष्ट सहायता और केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता।
- **राज्य सरकार: राज्य वित्त आयोग** (अनुच्छेद 243-I) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा धन का हस्तांतरण।
  - ✓ राज्य सरकार द्वारा **ऋण एवं अनुदान** भी उपलब्ध कराया जाता है।
- संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर पंचायतों द्वारा आंतरिक संसाधन सृजन (कर एवं गैर-कर)।

आगे की राह

- भारतीय रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट कर और शुल्क दरों में सुधार, संग्रह दक्षता बढ़ाने और राजस्व स्थिरता हेतु वित्तपोषण तंत्र में विविधता लाने का सुझाव देती है।
- प्रत्येक स्तर पर सरकार के कामकाज और धन के स्पष्ट विभाजन हेतु **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)** की 6वीं रिपोर्ट को लागू करने की जरूरत है।
- **संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** ने पंचायतों हेतु लेखांकन मानक निर्धारित करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सशक्त बनाने की सिफारिश की है।
  - ✓ इसने स्थानीय अधिकारियों को राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की सुविधा देने की भी सिफारिश की है।
- पंचायतों को बढ़े हुए हस्तांतरण के **केरल मॉडल** को अन्य राज्य भी अपना सकते हैं।

1.5. लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह और कारगिल में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

पृष्ठभूमि

- अगस्त 2019 में, भारतीय संसद ने **अनुच्छेद 370 के तहत पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर (J&K) की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, जिससे इसका विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर (विधानमंडल के साथ) और लद्दाख (विधानमंडल के बिना)** में हो गया।
- लद्दाख (दो जिलों- लेह और कारगिल) के निवासियों ने भूमि सुरक्षा, विशिष्ट पहचान की हानि और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं।
- **इन चिंताओं के जवाब में, वर्ष 2020 में मुस्लिम-बहुल कारगिल और बौद्ध-बहुल लेह जिलों के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाली नई राजनीतिक संस्थाएँ उभरीं:**

  - ✓ लेह के राजनीतिक और धार्मिक निकायों ने **लेह एपेक्स बॉडी (LAB)** का गठन किया।
  - ✓ कारगिल जिले में, मौजूदा राजनीतिक दलों और शिया मुस्लिम-संबद्ध मदरसों ने **कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) बनाने के लिए एक साथ मिल गए।**

राज्यों के गठन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को निम्न कानून बनाने का अधिकार देता है–
- किसी भी मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करके, दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके या किसी भी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र को एकजुट करके एक नया राज्य बनाना।
- मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलना।

छठी अनुसूची

- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत उल्लिखित है।
- यह अनुसूची आदिवासी लोगों की रक्षा करती है और स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के माध्यम से समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है।
- परिषदों को भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विवाह और तलाक आदि के मुद्दों पर विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।
- वर्तमान में, छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होती है।

प्रमुख मांगें

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के समक्ष निम्न चार सूत्री मांगें प्रस्तुत की हैं-

1. लद्दाख को राज्य का दर्जा देना।
2. क्षेत्र की भूमि, संस्कृति, भाषा और पर्यावरण की रक्षा करने हेतु **छठी अनुसूची** के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 8 3/27/2024 1:14:15 PM

3. **दो अलग-अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों** (कारगिल और लेह के लिए एक-एक) का निर्माण।
4. लोक सेवा आयोग की स्थापना और लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार आरक्षित करना।
   - ✓ विशेष रूप से, जबसे लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना है, इस क्षेत्र में कोई राजपत्रित नौकरी के अवसर नहीं आए हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर में दो बैच पहले ही चालू हो चुके हैं।

सरकार के कदम

- गृह मंत्रालय ने लद्दाख की मांगों की वकालत करनेवाले प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने के लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
- सरकार ने दावा किया है कि केंद्रशासित क्षेत्र प्रशासन पहले से ही समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास का ध्यान रख रहा है, और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है।

मांगों की वजह

- **विकास संबंधी चिंताएँ:** विकासात्मक क्षमता को अधिकतम करने, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने एवं विकास योजना और कार्यान्वयन में अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु राज्य का दर्जा होना महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **सुरक्षा और सीमा प्रबंधन:** लद्दाख की सामरिक स्थिति को देखते हुए, राज्य का दर्जा बेहतर सीमा सुरक्षा प्रबंधन के लिए स्थानीय शासन तंत्र को मजबूत कर सकता है।
- **आवासीय और भूमि अधिकार:** आवासीय अधिकारों (जैसा कि पहले अनुच्छेद 35ए के तहत प्रदान किया गया था), शोषण को रोकने और सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु भूमि का स्वामित्व और उपयोग, नाजुक पर्यावरण की रक्षा का विनियमन।
- **शासन में स्वायत्तता: छठी अनुसूची** के तहत भूमि, वन और जल प्रबंधन कानूनों के प्रशासन में स्वशासन के माध्यम से स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण।
  - ✓ अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चार और विधान परिषद में दो सदस्यों द्वारा लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया जाता था। हालाँकि, अब इसका प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है, जिन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

अनुच्छेद 35A
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A (जिसे 5 अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया गया था) ने जम्मू-कश्मीर विधायिका को राज्य के "स्थायी निवासियों" को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया।
स्थायी निवासियों के लिए विशेषाधिकार
• जम्मू-कश्मीर में केवल स्थायी निवासियों को ही संपत्ति रखने की अनुमति थी। • वे राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र थे। • वे जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला ले सकते थे।
गैर-स्थायी निवासियों के लिए प्रतिबंध
• गैर-स्थायी निवासियों को संपत्ति रखने, राज्य सरकार की नौकरियां प्राप्त करने और जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था।

- **सांस्कृतिक संरक्षण: छठी अनुसूची** द्वारा प्रदान की गई स्वायत्तता और विधायी शक्तियों के माध्यम से लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
  - ✓ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की सिफारिश यह कहते हुए की है कि लद्दाख की कुल आबादी का 97% से अधिक लोग मुख्य रूप से आदिवासी थे।

लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की वजह

- **ऐतिहासिक उपेक्षा:** लद्दाख के बौद्ध लोगों द्वारा अक्सर पूर्व राज्य जम्मू-कश्मीर की मुस्लिम-बहुसंख्यक आबादी द्वारा हाशिए पर रखा महसूस किया जाता था और वे अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर अधिक स्वायत्तता के लिए तर्क देते थे।
  - ✓ वर्ष 1930 के दशक से ही कश्मीर सरकार द्वारा कथित उपेक्षा के कारण लद्दाख के निवासी लद्दाख को अलग राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं।
- **प्रशासनिक दक्षता:** सरकार ने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखा।
  - ✓ अपने स्वयं के केंद्रशासित प्रदेश के दर्जे के साथ, लद्दाख को अपनी विकास प्राथमिकताओं के संबंध में निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता मिल सकती है।
- **सामरिक महत्व:** लद्दाख की सीमा पाकिस्तान और चीन के साथ लगती है, जिससे यह सुरक्षा की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत सरकार का मानना था कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण और बेहतर सुरक्षा उपायों की अनुमति देगा।
- **सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण:** लद्दाख की एक अद्वितीय सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संरचना है, जो जम्मू-कश्मीर के बाकी हिस्सों से अलग है। इस प्रकार, इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा देने से इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

आगे की राह

- केंद्र सरकार को स्थानीय लोगों के बीच विश्वास की कमी को कम करने हेतु विश्वास-निर्माण के कुछ निम्न उपाय करने की आवश्यकता है:
- जम्मू-कश्मीर और दिल्ली की तर्ज पर केंद्रशासित प्रदेश वाली विधायिका स्थापित करना।
- वर्तमान में, केंद्रशासित प्रदेश में लेह और कारगिल में दो हिल काउंसिल हैं, लेकिन कोई भी छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। इस प्रकार, सरकार स्थानीय लोगों की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची की तर्ज पर समान सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकती है।
- वर्तमान में, 90% से अधिक धनराशि उप-राज्यपाल (एक गैर-निर्वाचित व्यक्ति) की व्यवस्था पर है। इस प्रकार, हिल काउंसिलों को अधिक शक्तियां और धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 9 3/27/2024 1:14:15 PM

1.6. राजकोषीय संघवाद का क्षरण

संदर्भ

हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर राजकोषीय संघवाद को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

विवरण

- केंद्र सरकार ने **शुद्ध उधार सीमा** (Net Borrowing Ceiling-NBC) की गणना के लिए राज्यों के सार्वजनिक खाते से ऋण को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, इसमें शुद्ध उधार सीमा की गणना में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा कर्ज लेने (जहां मूलधन और/या ब्याज का भुगतान बजट या किसी अन्य राज्य राजस्व से किया जाता है) को भी शामिल किया गया है।
- केरल ने यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य पर शुद्ध उधार सीमा (NBC) लगाना संविधान के अनुच्छेद 293 का उल्लंघन है।
- केरल विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए ऋण को राज्य के अपने ऋण के रूप में शामिल किए जाने से खफा है। इससे विशेष रूप से केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (जो अतिरिक्त-बजटीय उधार के माध्यम से प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है) प्रभावित है। केरल का तर्क है कि वह केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के ऋण को शुद्ध उधार सीमा में शामिल करने की वजह से पेंशन और कल्याण योजनाओं का वित्तपोषण नहीं कर सकता।

शुद्ध उधार सीमा (NBC)

- **उद्देश्य:** शुद्ध उधार सीमा खुले बाजार उधार सहित सभी स्रोतों से राज्यों की उधारी को सीमित करता है।
- **अनुच्छेद 293:** संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 'पिछले ऋण का कोई हिस्सा' बकाया है तो राज्य को 'कोई भी ऋण' जुटाने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करनी होगी। शुद्ध उधार सीमा को अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र की शक्तियों का उपयोग करके लागू किया जाता है।
- **केंद्र सरकार का दृष्टिकोण:** केंद्रीय वित्त मंत्री ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्णय को उचित ठहराया, जिसमें कहा गया है कि "सभी स्तरों पर सरकारें ऑफ-बजट लेनदेन और आकस्मिक देनदारियों (जो राजकोषीय पारदर्शिता के मानदंड के विपरीत और राजकोषीय स्थिरता के लिए हानिकारक है) के स्टॉक में किसी भी अतिरिक्त वृद्धि का विरोध करके सख्त अनुशासन का पालन कर सकती हैं"।
  - ✓ जबकि वित्त आयोग राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर देता है, यह खुले तौर पर शुद्ध उधार सीमा में ऐसे ऋणों को शामिल करने पर जोर नहीं देता है।
- **केरल सरकार का दृष्टिकोण:**
  - ✓ संसद के पास **'राज्य के सार्वजनिक ऋण'** पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान की **राज्य सूची की प्रविष्टि 43** में किया गया है। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल के पास राज्य के सार्वजनिक ऋण को प्रशासित करने की शक्ति है।
  - ✓ राज्य ने तर्क दिया कि संविधान का **अनुच्छेद 266(2)** इंगित करता है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन (जो समेकित निधि से असंबंधित है) को **'लोक निधि'** के शीर्षक के तहत लाया जा सकता है।
  - ✓ लघु बचत, सुरक्षा जमा, भविष्य निधि, आरक्षित निधि और अन्य राजकोष जमा मिलकर 'लोक निधि' का गठन करते हैं। लोक निधियों से संबंधित सभी गतिविधियाँ राज्य विधानमंडल के क्षेत्र में आती हैं और केंद्र के पास लोक निधि से निकासी को शुद्ध उधार सीमा में शामिल करने की कोई शक्ति नहीं है।

राजकोषीय संघवाद के साधन

- **शक्तियों का संवैधानिक आवंटन:** भारत का संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित करते हुए, सरकार के विभिन्न स्तरों को कराधान और व्यय की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- **वित्त आयोग:** यह एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) है जो कर राजस्व वितरण की सिफारिश करता है, राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के तरीके सुझाता है और राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** यह वस्तुओं और सेवाओं पर कई केंद्रीय और राज्य करों की जगह लेने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ जीएसटी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है।

- **केरल राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2003,** राज्य के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि केरल राजकोषीय घाटे को वर्ष 2025-2026 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3% तक कम कर लेगा।
  - ✓ केरल का राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-2024 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.44% तक काफी कम हो गया। केंद्र का राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8% है।

राजकोषीय संघवाद

- राजकोषीय संघवाद का अर्थ है, **'सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्त और जिम्मेदारियाँ कैसे विभाजित की जाए'**।
- इसमें यह तय करना शामिल है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को क्या सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और उनके लिए उन्हें कैसे भुगतान करना चाहिए।
- इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि सरकार के इन स्तरों के बीच शुद्ध कर-राजस्व कैसे साझा किया जाना चाहिए और निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जानी चाहिए।

राजकोषीय संघवाद के क्षरण के कारण

- **राज्य की स्वायत्तता पर जीएसटी का प्रभाव:** पेट्रोलियम उत्पादों,

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 10 3/27/2024 1:14:15 PM

बिजली और शराब को छोड़कर, जीएसटी के तहत अप्रत्यक्ष कर अधिकारों में कटौती के कारण राज्य कर राजस्व नहीं बढ़ा सकते हैं।

- **गैर-विभाजनकारी उपकर और अधिभार:** वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार, हस्तांतरण में 32% से 41% की वृद्धि के बावजूद, **गैर-विभाजनकारी उपकर और अधिभार** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह राज्यों को स्थानांतरण के लिए उपलब्ध संसाधनों को कम कर देता है।
- **विभेदक ब्याज का मुद्दा:** राज्य केंद्र सरकार की लगभग 7% की उधार दर की तुलना में **उच्च ब्याज दरों (लगभग 10%) पर उधार लेते हैं।** ब्याज दर में अंतर से केंद्र सरकार को लाभ (राज्यों की कीमत पर लाभ) होता है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS):** बड़ी संख्या में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अस्तित्व के कारण राज्यों को अपनी लागत साझा करने की आवश्यकता होती है। राज्य मिलान अनुदान के रूप में महत्वपूर्ण भाग **(25% से 40%)** आवंटित करते हैं, जिससे उनकी प्राथमिकताएँ प्रभावित होती हैं।
  - ✓ केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एक-आकार-सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अक्सर राज्य-विशिष्ट योजनाओं को खत्म कर देता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता से समझौता होता है।
- **कॉर्पोरेट टैक्स में कमी:** केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स दरों को 35% से घटाकर 25% कर दिया।

आगे की राह

- **पंद्रहवें वित्त आयोग** और **केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग** ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तीय युक्तिकरण और विवेकाधीन हस्तांतरण (विशेष रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित) को कम करने की सिफारिश की।
- केंद्र से राज्यों को स्थानांतरण (जो वित्त आयोग की सिफारिशों के बाहर आते हैं) को आदर्श रूप से **अंतर-राज्य परिषद के दायरे में प्रशासित किया जाना चाहिए।**
- नीति, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आकांक्षाओं में बदलाव के अनुरूप **7वीं अनुसूची में सूची I और सूची III प्रविष्टियों** की पुन: जांच करने की आवश्यकता है।
- राजकोषीय मामलों की सतत एवं प्रभावी समीक्षा हेतु वित्त आयोग को **स्थायी दर्जा** प्रदान करना।
- राज्य की विभिन्न वित्तीय स्थितियों को समायोजित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) कानून में राजकोषीय घाटे के लिए **राज्य-विशिष्ट लक्ष्यों** को शामिल करना।

1.7. न्यायिक प्रक्रिया और उनके सुधारों पर रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में, कार्मिक, शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने **"न्यायिक प्रक्रिया और उनके सुधार"** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रमुख सिफ़ारिशें

- **उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ**
  - ✓ समिति ने एक ऐसी चुनौती पर प्रकाश डाला, जिसमें दिल्ली में केंद्रित उच्चतम न्यायालय देश के दूर-दराज के हिस्सों के वादियों के लिए कठिनाइयां पैदा करता है।
  - ✓ इसने संविधान के अनुच्छेद 130 का हवाला देते हुए न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश के चार या पांच स्थानों पर उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ की स्थापना की सिफारिश की है।

नोट: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार: *उच्चतम न्यायालय दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ नियत कर सकते हैं।*

- **न्यायाधीश नियुक्तियों में सामाजिक विविधता**
  - ✓ समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व वाले उच्च न्यायपालिका में विविधता की कमी पर ध्यान दिया है।
  - ✓ मौजूदा लैंगिक असमानता, जहां पंजीकृत अधिवक्ताओं में केवल 15% ही महिलाएँ हैं।
  - ✓ समिति ने सुझाव दिया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा हाशिए पर रहनेवाले समुदायों से अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश की जाय और इसने सेवारत न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर डेटा एकत्र करने का प्रस्ताव भी दिया।
- **न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु**
  - ✓ समिति ने चिकित्सा प्रगति और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के अनुरूप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का सुझाव दिया।
  - ✓ इसने न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने से पहले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन और स्वास्थ्य मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की।
- **संपत्ति की अनिवार्य घोषणा**
  - ✓ न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति का उद्घाटित करने की आवश्यक व्यवस्था न होने को ध्यान में रखते हुए, समिति ने उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को उचित प्राधिकारी के समक्ष वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने हेतु अनिवार्य करनेवाले एक नए कानून की सिफारिश की है।
  - ✓ समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायपालिका में विश्वास और विश्वसनीयता बनाने के लिए यह प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है।
- **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अवकाश**
  - ✓ समिति ने एक साथ अवकाश के मामले (जिसके कारण उच्च न्यायपालिका कई महीनों तक बंद रहती है) पर विचार किया।
  - ✓ इसमें लंबित मामलों को निपटाने और वादियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए अलग-अलग न्यायाधीशों को साल भर में अलग-अलग समय पर अवकाश लेने का प्रस्ताव दिया गया है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 11 3/27/2024 1:14:16 PM

- **उच्च न्यायालयों की वार्षिक रिपोर्ट**
  - ✓ संस्थागत प्रदर्शन के आंकलन के लिए वार्षिक रिपोर्ट के महत्व पर जोर देते हुए, समिति ने सिफारिश की कि सभी उच्च न्यायालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करें।

भारतीय न्यायपालिका में अन्य समस्या

भारतीय न्यायपालिका में समस्या	विवरण
अपर्याप्त भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचा अवसंरचना	• अदालत कक्षों, बुनियादी सुविधाओं और पार्किंग स्थानों की कमी के कारण भीड़भाड़ और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी होती है। • आभासी सुनवाई के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, विशेष रूप से इसे कोविड-19 महामारी के दौरान महसूस किया गया। • विशिष्ट मामलों की श्रेणियों को छोड़कर, अदालती कार्यवाही का सीमित सीधा प्रसारण (live streaming)।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का सीमित उपयोग	• मध्यस्थता और विवाचन जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करने से अदालतों पर कार्यभार बढ़ जाता है।
नियुक्ति में देरी	• न्यायिक रिक्तियों को भरने की धीमी प्रक्रिया के कारण न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात अपर्याप्त हो जाता है। • उच्च न्यायालयों में लगभग 400 रिक्तियाँ हैं और लगभग 35% रिक्तियाँ निचली न्यायपालिका में हैं।

सुधार की जरूरत

सुधार की जरूरत	विवरण
ई-कोर्ट प्रणाली की मजबूती	सुनवाई के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन फाइलिंग, ई-समन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक मजबूत ई-कोर्ट प्रणाली लागू करना।
नियुक्ति प्रणाली का रूपांतरण	न्यायिक रिक्तियों को समय पर भरना सुनिश्चित करना, स्पष्ट नियुक्ति समयसीमा निर्धारित करना और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को लागू करने की संभावना तलाशना।
मामला प्रबंधन सॉफ्टवेयर	मामलों की प्रगति की निगरानी करने, कार्यों को स्वचालित करने और कानूनी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करना।
डेटा एनालिटिक्स और मामलों की भविष्यवाणी	मामले के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, न्यायाधीशों को सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता करना।
सार्वजनिक कानूनी शिक्षा	नागरिकों को कानूनी मामलों के बारे में शिक्षित करने, उन्हें ज्ञान के साथ सशक्त बनाने और संभावित रूप से अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने हेतु जागरुकता कार्यक्रम शुरु करना।
नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र	न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सार्वजनिक संतुष्टि बढ़ाने के लिए नागरिकों से प्रतिक्रिया (feedback) प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

- इस प्रकार, एक निष्पक्ष, कुशल और सुलभ कानूनी प्रणाली के लिए न्यायिक सुधार सर्वोपरि है। यह पारदर्शिता, समय पर न्याय और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करता है। संरचनात्मक कमियों को दूर करके, प्रौद्योगिकी को अपनाकर और विविधता को बढ़ावा देकर, न्यायिक सुधार न केवल कानून के शासन को कायम रखता है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है एवं एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देता है।

1.8. उपमुख्यमंत्री

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली एक याचिका खारिज कर दी।

मुख्य विवरण

- तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बताया कि **उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Ministers) अनिवार्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं।**
- पीठ ने पाया कि **उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से कोई नुकसान नहीं है** क्योंकि **वे अंततः राज्यों की विधान सभा के सदस्य और सरकारों के मंत्री होते हैं।**
- उपमुख्यमंत्री के रूप में उन्हें **राज्य सरकार के किसी भी अन्य मंत्री की तुलना में अधिक वेतन नहीं मिलता है** और वे दूसरों की तुलना में अधिक वरिष्ठ हो सकते हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 12 3/27/2024 1:14:16 PM

याचिका के मुख्य बिंदु

- इसमें तर्क दिया गया है कि, उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति **सांप्रदायिक, धार्मिक या राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी।**
- ऐसी नियुक्तियाँ **अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15** (राज्य को नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए) के विरुद्ध थीं।
- हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि इसमें पर्याप्त तथ्य शामिल नहीं थे।

उपमुख्यमंत्री का महत्व

- **राजनीतिक स्थिरता:** उपमुख्यमंत्री सत्तारूढ़ दलों और सहयोगियों के बीच दूरियों को पाटकर, दल-बदल विरोधी घटनाओं को कम करके गठबंधन सरकार की स्थिरता में योगदान देते हैं।
- **प्रतिनिधित्व और विश्वास:** सरकार में उनकी मौजूदगी समुदायों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, शासन में जनता के विश्वास को बढ़ाती है।
- **उत्तराधिकार और जवाबदेही:** उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।

चिंताएँ और सुझाव

- **संवैधानिक समर्थन का अभाव:** उपमुख्यमंत्री पद की भूमिका की अस्पष्टता और मुख्यमंत्री द्वारा संभावित शोषण के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **नियुक्तियों की बहुलता:** उपमुख्यमंत्री पद की संख्या पर कोई सीमा नहीं होने से तुष्टिकरण और शासन संबंधी जटिलताएँ हो सकती हैं।
- **शासन में जटिलता:** कैबिनेट मंत्रियों के साथ अतिव्यापी भूमिकाएं शासन और प्रशासन को जटिल बना सकती हैं।

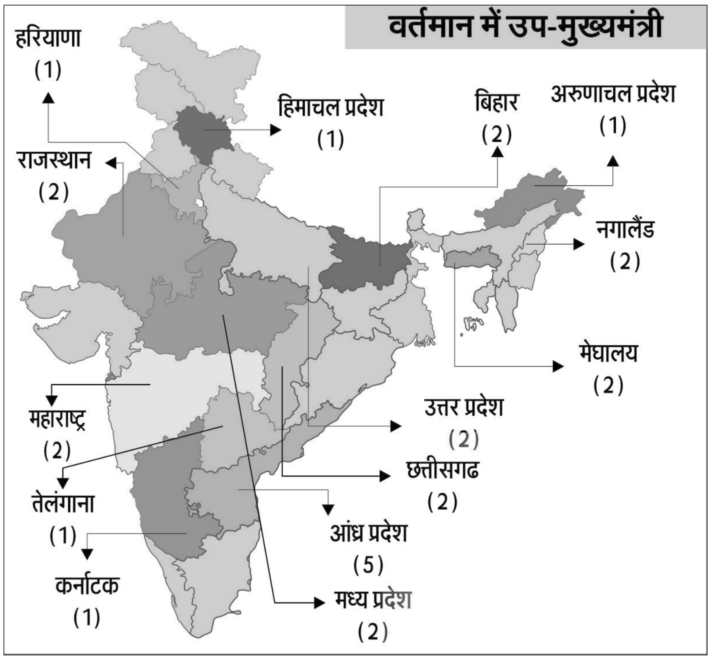

आगे की राह

- **स्पष्टता और सीमाएँ:** शासन संरचनाओं को सरल बनाने के लिए उपमुख्यमंत्री हेतु एक परिभाषित भूमिका और सीमाओं की आवश्यकता है।
- **राजनीतिक साक्षरता:** उचित शासन के लिए उपमुख्यमंत्री की भूमिका और कार्य के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

1.9. सीबीआई और इसकी कार्यप्रणाली

संदर्भ

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की वार्षिक रिपोर्ट (2022-23) के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को कर्मचारियों की भारी कमी (जो उसकी स्वीकृत क्षमता का 23% तक है) का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य तथ्य

- **यह कमी मामलों के लंबित रहने** के संदर्भ में सामने आई, जिसके अनुसार 31 दिसंबर, 2022 तक कुल 1,025 मामले (943 पंजीकृत मामले और 82 प्रारंभिक पूछताछ) लंबित थे।
- 31 दिसंबर, 2022 तक सीबीआई की कुल स्वीकृत पदों की संख्या 7,295 पद थी। हालाँकि, उस समय केवल 5,600 अधिकारी कार्यरत थे, जिससे 1,695 पद खाली रह गए। रिक्तियाँ विभिन्न रैंकों में थी, जिनमें महत्वपूर्ण पद जैसे एक विशेष/अतिरिक्त निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, 11 डीआइजी, 9 एसएसपी, और विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर कई अन्य भूमिकाएँ सहित तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं।
- 943 पंजीकृत मामलों में से, 447 एक वर्ष से अधिक समय से जांच के तहत लंबित थे। इसी तरह, 82 लंबित जांचों में से 60 जांचें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। इसके अलावा, 23 लोकपाल संदर्भ लंबित थे।
- वर्ष 2022 में, अदालतों ने सीबीआई के 557 अदालती मामलों में फैसले सुनाए। इनमें से 364 मामलों में दोषसिद्धि हुई, 111 मामलों में दोषमुक्ति हुई, 13 मामलों में आरोपमुक्त कर दिया गया और 69 मामलों का अन्य कारणों से निपटारा कर दिया गया। सजा की दर 74.59% थी। इनकी विभिन्न अदालतों में लगभग 10,732 अदालती मामले विचाराधीन थे।

सीबीआई की संरचना

- सीबीआई की संरचना सीधे भर्ती किए गए कर्मियों और प्रतिनियुक्ति पर रखे गए राज्य पुलिस कर्मियों से बनी है, जबकि सभी उच्च पदों पर पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 13 3/27/2024 1:14:16 PM

भारत में सीबीआई की कार्यप्रणाली

पूर्व अनुमति

- **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6ए** के तहत, केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों में **संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों** द्वारा किए गए अपराधों की जांच या जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को केंद्र सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी।
- वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने **सुब्रमण्यन स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में धारा 6ए को अवैध** घोषित कर दिया था।
  - ✓ संविधान पीठ ने धारा 6ए को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन पाया, क्योंकि इसकी सुरक्षा केवल लोकसेवकों के एक वर्ग तक ही थी, सभी के लिए नहीं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासनिक अखंडता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल की भी सहायता करता है।
- यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
- सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन उसे जांच करने की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती है।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। सीबीआई को आईसीपीओ-इंटरपोल हेतु भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (1946) में संशोधन किया और निम्नलिखित बदलाव किए:**
  - ✓ यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिशों पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।
  - ✓ केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष), सतर्कता आयुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर सीबीआई में एसपी और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
- सीवीसी अधिनियम, 2003 के तहत, सीबीआई के निदेशक को दो साल के कार्यकाल हेतु नियुक्त किया जाता है।
- हालाँकि, **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2021** निदेशक के कार्यकाल को मूल दो वर्षों से बढ़ाकर **अधिकतम पाँच वर्ष** (एक समय में एक वर्ष तक के अधिकतम तीन वार्षिक विस्तार) का प्रावधान करता है।

- **धारा 17ए** को सम्मिलित करने के लिए वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसने किसी भी लोकसेवक द्वारा किए गए निर्णयों या सिफारिशों की जांच शुरू करने से पहले सरकार की पिछली मंजूरी को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में फिर से पेश किया।
  - ✓ हालाँकि, धारा 6ए के विपरीत, धारा 17ए श्रेणी, वर्ग या स्तर के आधार पर किसी भी वर्गीकरण के बिना लोक सेवकों की सुरक्षा प्रदान करती है।

विशिष्ट सहमति और सामान्य सहमति

- **सामान्य सहमति राज्य सरकार द्वारा दिया गया** एक व्यापक प्रावधान है, जो सीबीआई को प्रत्येक जांच के लिए विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता के बिना अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले की जांच करने की अनुमति देता है।
  - ✓ **पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु** सहित कई राज्यों ने अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो **विशिष्ट सहमति** की आवश्यकता होती है और सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए मामले के अनुसार सहमति लेने की आवश्यकता होती है।

भारत में सीबीआई की कार्यप्रणाली से संबंधित समस्या

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** सीबीआई पर केंद्र में सत्तारूढ़ दल से प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए कहा जाता है कि चयनात्मक जांच की जा रही है और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है।
- वर्ष 2013 में, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को "पिंजरे में बंद तोता जो अपने मालिक की आवाज़ पर बोल रहा है" के रूप में वर्णित किया।
- **पारदर्शिता की कमी:** आंतरिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने के बारे में जानकारी तक सीमित पहुंच जवाबदेही के बारे में चिंता पैदा करती है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- **एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला, 1970** – जैसा कि जनरल क्लॉज एक्ट में निहित है, 'राज्य' की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश (UTs) भी शामिल हैं और इसलिए, वर्ष 1946 के डीएसपीई अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त के रूप में केंद्र शासित प्रदेश के लिए गठित एक बल होने के नाते, सीबीआई राज्यों के क्षेत्रों की जांच केवल उनकी सहमति से कर सकती है।
- **काजी लेंडुप दोरजी बनाम सीबीआई, 1994** - सामान्य सहमति वापस लेने से लंबित जांच या दूसरे राज्य में दर्ज मामलों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके बारे में जांच उस राज्य के क्षेत्र में होती है जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है। साथ ही, इसे वापस लेने से क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच का आदेश देने की शक्ति सीमित नहीं हो जाती है।

सीमित स्रोत

- **बजट की कमी:** अपर्याप्त वित्तपोषण प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी सीबीआई की क्षमता को प्रतिबंधित करती है।
- **कर्मियों की कमी:** सीबीआई में कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण बड़ी

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 14 3/27/2024 1:14:16 PM

संख्या में मामले लंबित हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है।

- **शक्ति का दुरुपयोग:** जांच हेतु मामले के चयन और जांच प्रक्रियाओं पर स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव व्यक्तिपरक व्याख्या और संभावित दुरुपयोग की गुंजाइश छोड़ देता है।
- **प्रतिबंधित पहुंच:** लोक सेवकों के खिलाफ जांच या जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी सीबीआई के सुचारू कामकाज में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है।
- वर्ष 2017 और वर्ष 2019 के बीच सीबीआई द्वारा मामलों के पंजीकरण में 40% से अधिक की गिरावट आई है।

आगे की राह

- **विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ, 1997:** सीबीआई की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए, न्यायालय ने इसकी निगरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग (जो कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र एक सरकारी एजेंसी है) द्वारा करने का निर्देश दिया।
- **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति:** इस समिति ने सीबीआई को नियंत्रित करने वाला मौजूदा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की सीमाओं के कारण, इसकी स्थिति, कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु एक नया कानून बनाने की सिफारिश की।
- समिति ने मामले के विवरण तक सार्वजनिक पहुंच पर जोर दिया एवं बढ़ी हुई जवाबदेही और दक्षता हेतु एक केंद्रीकृत मामला प्रबंधन प्रणाली का प्रस्ताव रखा।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007)** ने भी सीबीआई के कामकाज को नियंत्रित करने हेतु एक नए कानून की सिफारिश की।

निष्कर्ष

- इन प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दों को सुलझा कर और सुझाई गई सिफारिशों को लागू करके, सीबीआई अपनी प्रभावशीलता, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वसनीयता विश्वास में सुधार कर सकती है, जिससे वह भारत में कानून को बनाए रखने और भ्रष्टाचार से निपटने की अपनी शक्तियों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम हो सकेगी।

1.10. स्मार्ट सिटी मिशन पर रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में, आवासन और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने **स्मार्ट सिटीज मिशन: एक मूल्यांकन ("Smart Cities Mission: An Evaluation")** विषय पर एक रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य

- रिपोर्ट में राज्य की राजधानियों के 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित टियर-2 शहरों पर जोर देने के साथ स्मार्ट सिटीज मिशन के अगले चरण को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत बनाए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए, निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को साइबर हमलों से सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
- समिति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय/राज्य मिशनों/योजनाओं के धन के माध्यम से परियोजनाओं के निष्पादन में समन्वय एवं सुचारू और सामंजस्यपूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत तंत्र की कमी है।
- छह शहरों (भोपाल, हुबली-धारवाड़, कोच्चि, विशाखापत्तनम, चंडीगढ़ और श्रीनगर) को छोड़कर कोई भी शहर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए ऋण के माध्यम से धन सृजित नहीं कर सका। प्रस्तावित 9,844 करोड़ रुपये में से, शहरों ने ऋण के माध्यम से 5,298 करोड़ रुपये (प्रस्तावित निधि का 54%) का प्रबंधन किया।
- **समग्र प्रगति**
  - ✓ **शुरू हुई कुल परियोजनाएं:** 1,70,400 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 7,970 परियोजनाएं।
  - ✓ **पूर्ण परियोजनाएँ:** 1,25,105 करोड़ रुपये की लागत वाली 6,419 परियोजनाएँ।
  - ✓ **कार्य आदेश चरण में परियोजनाएं:** 45,295 करोड़ रुपये की 1,551 परियोजनाएं।
- **शहर दर शहर प्रगति**
  - ✓ अपनी 100% परियोजनाओं को पूरा करने वाला एकमात्र शहर **मदुरै** है।
  - ✓ 56 शहरों ने अपनी 80% से अधिक परियोजनाएं पूरी कर ली हैं।
  - ✓ हालाँकि, 14 शहरों ने धीमी प्रगति दिखाई है, जिनकी पूर्णता दर 50% से कम है।
  - ✓ कार्य प्रगति में निम्न शहर पीछे चल रहे हैं जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, केंद्रशासित प्रदेशों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं: गंगटोक, अटल नगर, शिलांग, सिलवासा, ईटानगर, पुडुचेरी, सहारनपुर और पोर्ट ब्लेयर।

स्मार्ट सिटी मिशन का अवलोकन

- **शुरुआत और उद्देश्य**
  - ✓ इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ माहौल प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को "स्मार्ट समाधान" के माध्यम से जीवन की उपयुक्त गुणवत्ता प्रदान करते हैं।
  - ✓ 100 शहरों को एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था और इन शहरों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 15 3/27/2024 1:14:16 PM

हेतु उनके चयन की तिथि से पांच साल की समय सीमा दी गई थी।
- ✓ मिशन को मूल रूप से 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन लंबित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अवधि को जून 2024 तक का विस्तार दिया गया था।

- **कार्यान्वयन:** मिशन का कार्यन्वयन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है।
- **वित्तपोषण**
  - ✓ 100 स्मार्ट शहरों के विकास में सहायता करने के लिए पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
  - ✓ हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 13 राज्यों को केंद्र सरकार से 90% धन प्राप्त हुआ, शेष 10% धन का राज्य और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा योगदान दिया गया।
  - ✓ संयोजन के माध्यम से जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों में शहरी स्थानीय निकायों की निधि, वित्त आयोग से अनुदान, नगरपालिका बांड जैसे नवीन वित्त तंत्र, अन्य सरकारी कार्यक्रमों से निधि और उधार शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन रणनीति

- **क्षेत्र-आधारित विकास**
  - ✓ इसके घटकों में शहर सुधार (retrofitting), शहर नवीनीकरण (redevelopment), शहर विस्तार (greenfield development) और पूर्ण-शहर पहल शामिल हैं।
  - ✓ ग्रीनफ़ील्ड परियोजनाएँ बढ़ती शहरी आबादी को समायोजित करने हेतु नए शहरी क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
  - ✓ पूर्ण-शहर विकास में मौजूदा शहर-व्यापी बुनियादी ढांचे में स्मार्ट समाधान लागू करना शामिल है।
- **प्रशासनिक संरचना**
  - ✓ **राष्ट्रीय स्तर:** प्रस्तावों को मंजूरी देने, प्रगति की निगरानी करने और धन जारी करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति।
  - ✓ **राज्य स्तर:** स्मार्ट सिटी मिशन की देखरेख राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (HPSC) करती है।
  - ✓ **शहर स्तर:** एक स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच जिसमें जिला कलेक्टर, विशेष प्रयोजन इकाई (Special Purpose Vehicle-SPV) के सीईओ, निर्वाचित प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और स्थानीय हितधारक शामिल हैं, जो सहयोग की सुविधा प्रदान करते हुए परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी चुनौतियाँ

- **मिशन की समय सीमा का विस्तार**
  - ✓ शुरुआत में जून 2023 तक मिशन के पूरा होने की योजना थी, लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई है।
- **वित्तीय चुनौतियाँ**
  - ✓ केंद्रीय निधियों का असमान वितरण, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, पुदुचेरी और पोर्ट ब्लेयर जैसे क्षेत्रों को निर्धारित धनराशि का 50% से कम रकम प्राप्त हुई।
- **वित्त सृजन तंत्र में विफलता**
  - ✓ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जैसे वित्तीय तंत्र का उपयोग करने में सीमित सफलता, अनुशंसित 21% के बजाय केवल 6% परियोजनाओं को पीपीपी के माध्यम से वित्तपोषित किया गया।
- **क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ**
  - ✓ मजबूत समन्वय और निगरानी तंत्र के अभाव की वजह से परियोजना क्रियान्वयन में देरी होती है।
  - ✓ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के बार-बार स्थानांतरण और स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी भी परियोजना में देरी का कारण बनती है।
- **सलाहकार मंच की अप्रभावी बैठकें**
  - ✓ राज्य-स्तरीय सलाहकार मंच की अनियमित बैठकें, सहयोग और निर्णय लेने में बाधा डालती हैं।
  - ✓ अमरावती और इंफाल जैसे कुछ शहरों में कोई बैठक नहीं हुई, जिससे परियोजना नजरअंदाज होती हैं।
- **मास्टर प्लान का अभाव**
  - ✓ नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश मान्यता प्राप्त शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास हेतु अपेक्षित मास्टर प्लान का अभाव है।
  - ✓ 65% शहरी क्षेत्रों में प्रभावी मास्टर प्लान की कमी प्रभावी भूमि और बुनियादी ढांचे की योजना में बाधा डालती है।

रिपोर्ट की सिफ़ारिशें

- **द्वितीय चरण का शुभारंभ:** राज्य की राजधानियों के पास टियर2-शहरों को प्राथमिकता देते हुए स्मार्ट सिटी मिशन का अगला चरण शुरू करना। प्रभावी शहरी विकास हेतु विशेष प्रयोजन इकाई द्वारा प्राप्त विशेषज्ञता का उपयोग करना।
- **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की भूमिका का विस्तार:** समिति ने स्वास्थ्य, आंतरिक सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ई-गवर्नेंस आदि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने हेतु एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (Integrated Command and Control Centres-ICCCs) की भूमिका को बढ़ाने की सिफारिश की।
- **सरकारी कार्यक्रमों का उपयोग:** व्यापक और दीर्घकालिक शहरी विकास हेतु राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (NMSH), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U), दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनयूएलएम और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) जैसी मौजूदा सरकारी पहलों का लाभ उठाना।
- **छोटे शहरों के लिए अनुकूलित योजनाएँ:** छोटे शहरों की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित योजनाएँ विकसित करना, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व जैसे क्षेत्रों में, स्मार्ट सिटीज़ मिशन से लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 16 3/27/2024 1:14:16 PM

- **आईटी सुरक्षा उपाय:** साइबर चुनौतियों से डिजिटल प्लेटफार्मों को बचाने और आईसीसीसी अनुप्रयोगों द्वारा सृजित संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मजबूत आईटी रणनीतियों और गोपनीयता सुरक्षा उपायों को लागू करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** दुनिया भर में दीर्घकालिक शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु भूटान में गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसी वैश्विक परियोजनाओं पर सहयोग करना।

1.11. लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) विधेयक-2024

संदर्भ

हाल ही में, लोकसभा ने लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) विधेयक-2024 [The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024] पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है।

पृष्ठभूमि

- यह विधेयक निम्न जैसी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के बार-बार लीक होने और बाद में उन परीक्षाओं के रद्द होने के संदर्भ में पेश किया गया था:
  - ✓ राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा
  - ✓ हरियाणा में ग्रुप-डी के पदों हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा (CET)
  - ✓ गुजरात में कनिष्ठ लिपिकों हेतु भर्ती परीक्षा
  - ✓ प्रश्नपत्र लीक होने के बाद बिहार में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा
- **प्रश्नपत्र लीक का आँकड़ा**
  - ✓ विगत कुछ वर्षों में इससे संबंधित घटनाओं से यह **अनुमान लगाया गया है कि 15 मिलियन से अधिक छात्रों को विभिन्न राज्यों में होने वाले प्रश्नपत्र लीक होने के कई मामलों का सामना** करना पड़ा है।
  - ✓ **विगत वर्षों में देश में प्रश्नपत्र लीक होने की 70 से अधिक घटनाएँ सामने आईं हैं,** जिससे सैकड़ों हजारों छात्रों के भविष्य पर बहुत अधिक असर पड़ा है।
- **किसी विशिष्ट कानून का अभाव:** वर्तमान में, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा कई प्रकार की परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों या अपराधों पर रोक लगाने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

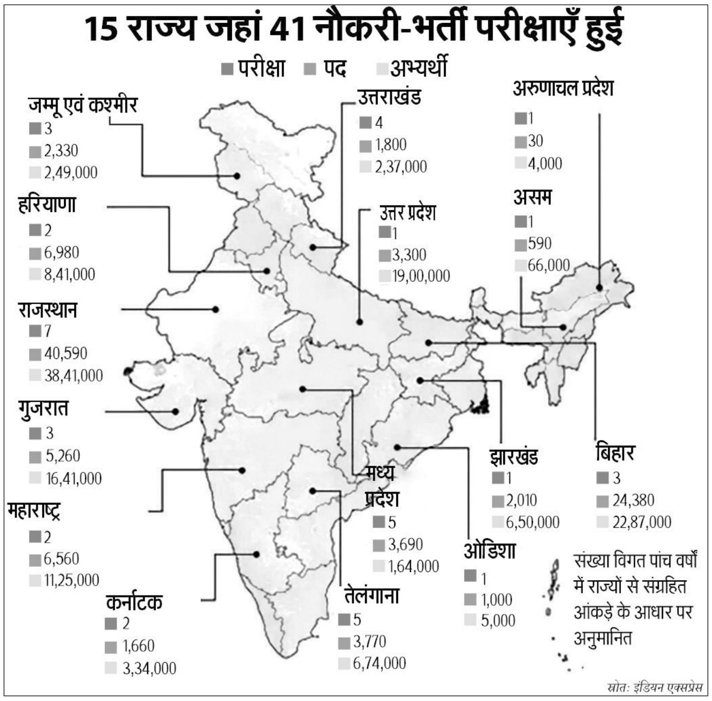

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- इस विधेयक का उद्देश्य **लोक परीक्षाओं में होने वाले कदाचार को रोकना** है।
- लोक परीक्षाओं का तात्पर्य **विधेयक की अनुसूची के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निम्न परीक्षाओं** से है:
  - ✓ संघ लोक सेवा आयोग
  - ✓ कर्मचारी चयन आयोग
  - ✓ रेलवे भर्ती बोर्ड
  - ✓ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
  - ✓ इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन
  - ✓ केंद्र सरकार के विभाग और इससे संबद्ध भर्ती कार्यालय

लोक परीक्षाओं से संबंधित कदाचार

- यह **किसी भी अनुचित तरीके से लिप्तता को सुविधाजनक बनाने हेतु मिलीभगत या साजिश को प्रतिबंधित** करता है। इसमें **कदाचार के निम्नलिखित तरीके** को शामिल किया गया है:
  - ✓ प्रश्न पत्र या उत्तर कुँजी तक अनधिकृत पहुँच या लीक करना
  - ✓ लोक परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार की सहायता करना
  - ✓ कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करना
  - ✓ योग्यता सूची या रैंक को अल्पसूचीगत (shortlist) करने या अंतिम रूप देने हेतु दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना
  - ✓ आर्थिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षाएँ आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना या धोखाधड़ी के लिए प्रश्नपत्र की पेशकश करना
- **निम्नलिखित भी प्रतिबंधित**
  - ✓ परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना
  - ✓ व्यवधान डालने वाले अनधिकृत लोगों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश देना
- इस विधेयक में उपर्युक्त अपराधों के लिए **तीन से पाँच साल तक की कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने** का प्रावधान किया गया है।

परीक्षा आयोजकों की जिम्मेदारियाँ

- इस विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में, **परीक्षा आयोजित**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 17 3/27/2024 1:14:17 PM

करनेवाली एजेंसियो को पुलिस और इससे संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट न करना भी अपराध होगा।

- यदि **परीक्षा आयोजित करनेवाली एजेंसियों द्वारा स्वयं ही किसी प्रकार का कदाचार किया जाता हैं, तो परीक्षा प्राधिकरण को इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी।** यह विधेयक **परीक्षा आयोजित करनेवाली एजेंसियों को परीक्षा प्राधिकरण की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र स्थानांतरित करने से रोकता है।**
- यदि **परीक्षा आयोजित करनेवाली एजेंसियों द्वारा किसी प्रकार का कदाचार किया जाता है तो उनपर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।** साथ ही, ऐसे परीक्षा करनेवाली एजेंसियों से परीक्षा की आनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें चार साल तक लोक परीक्षा आयोजित करने से भी रोक दिया जाएगा।
  - ✓ यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि **परीक्षा आयोजित करनेवाली एजेंसियों से जुड़े अपराध** किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या परीक्षा आयोजित करनेवाली एजेंसियों के प्रभारी व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से किए गए थे, तो **ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।**
  - ✓ ऐसे मामले में उस व्यक्ति को **3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये जुर्माने की सजा** होगी।

संगठित अपराध

- इस विधेयक में संगठित अपराधों के लिए अधिकतम सज़ा का प्रावधान किया गया है।
- इसमें **संगठित अपराध** करनेवाले व्यक्तियों को 5 साल से 10 साल तक की सजा के अलावा **कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने** का प्रावधान किया गया है।
- यदि किसी संस्था को संगठित अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क और ज़ब्त कर ली जाएगी, तथा इससे परीक्षा की आनुपातिक लागत भी वसूली जाएगी।

पूछताछ और जाँच

- इस विधेयक के तहत सभी अपराध **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य** होंगे।
- यदि यह साबित हो जाए कि अभियुक्त ने यथोचित कार्य किया था तो कोई भी कार्रवाई अपराध नहीं मानी जाएगी।
- विधेयक के अनुसार, इससे जुड़े हुए अपराधों की जाँच वही अधिकारी करेगा जो उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे न हो।
- **केंद्र सरकार इससे संबंधित जाँच को किसी भी केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी को स्थानांतरित कर सकती है।**

1.12. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023

संदर्भ

हाल ही में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2023 का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक Corruption Perceptions Index-CPI) जारी किया गया।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के मुख्य तथ्य

- **रैंकिंग और स्कोर**
  - ✓ यह 180 देशों को उनके कथित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
- **भारत की रैंकिंग और प्राप्तांक 2023**
  - ✓ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में कज़ाकस्तान, लेसोथो और मालदीव के साथ भारत 180 देशों की सूची में से 93वें स्थान पर है।
  - ✓ भारत के कुल **अंक 39** है, जो वर्ष 2022 के 40 अंकों के मुकाबले मामूली कमी है।
  - ✓ वर्ष 2022 में, भारत सूची में 85वें स्थान पर था, जो 2023 में भ्रष्टाचार में मामूली वृद्धि का संकेत दर्शाता है।
- **भारत की भ्रष्टाचार धारणा में स्थिरता**
  - ✓ भारत के अंको में उतार-चढ़ाव बहुत कम है, जिससे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में ठोस निष्कर्ष ज्ञात करना कठिन है।
  - ✓ यह रिपोर्ट भारत में नागरिक अधिकारों के लिए जगह (सिविक स्पेस) के संकीर्ण होने के बारे में चिंता पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से **दूरसंचार अधिनियम, 2023** के पारित होने के उपरांत (जो मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है)।

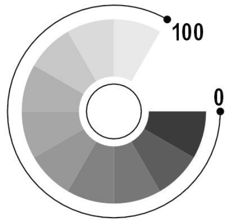

सीपीआई 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग करता है।

100 बहुत ईमानदार है और 0 अत्यधिक भ्रष्ट है।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में वैश्विक स्थिति

- **भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष जगह पाए देश**
  - ✓ न्यूजीलैंड (3) और सिंगापुर (5) भ्रष्टाचार नियंत्रण में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं।
  - ✓ मजबूत भ्रष्टाचार नियंत्रण तंत्र वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया (14), हांगकांग (14), जापान (16), भूटान (26), ताइवान (28) और दक्षिण कोरिया (32) शामिल हैं।
- **सबसे खराब प्रदर्शन**
  - ✓ सूचकांक में सबसे नीचे सत्तावादी शासन वाले दुर्बल राज्य शामिल हैं, जिनमें उत्तर कोरिया (172), म्यांमार (162) और अफगानिस्तान (162) प्रमुख हैं।
- **दक्षिण एशियाई देश**
  - ✓ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में पाकिस्तान 133वें और श्रीलंका 115वें स्थान पर है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 18 3/27/2024 1:14:17 PM

✓ दोनों देश कर्ज के बोझ और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, लेकिन मजबूत न्यायिक निगरानी सरकार को नियंत्रण में रखने में सहायक रही है।
- **बांग्लादेश की स्थिति**
  ✓ बांग्लादेश 149वें स्थान पर है और सबसे कम विकसित देश है। आर्थिक विकास ने गरीबी कम कर दी, लेकिन मीडिया पर कार्रवाई ने सार्वजनिक जानकारी को बाधित कर दिया।
- **एशिया प्रशांत क्षेत्र का स्थान**
  ✓ वर्ष 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनाव को देखते हुए यहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत कम प्रगति हुई है।
  ✓ इस क्षेत्र का औसत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) स्कोर लगातार पांच वर्षों से 45 पर स्थिर है।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक

✓ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक एक साधन है जिसका उपयोग विभिन्न देशों और क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों का आंकलन और तुलना करने के लिए किया जाता है।
✓ यह प्रतिवर्ष वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने पर केंद्रित गैर-सरकारी संगठन **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

1.13. स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यक्रम

संदर्भ

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बिहार के बेगुसराय जिले में 'स्मार्ट ग्राम पंचायत' नामक एक प्रारंभिक परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं।

मुख्य अंश

- केंद्र सरकार ने **बेगुसराय जिले (बिहार) में ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक प्रारंभिक कार्यक्रम शुरू किया है जो इन ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम-वाणी (PM-WANI-Prime Minister's Wi-Fi Access Network Interface) सेवाओं का विस्तार करता है।**
- बेगुसराय देश का पहला जिला होगा जहां सभी ग्राम पंचायतें पीएम-वाणी योजना के तहत वाई-फाई सेवाओं से लैस होंगी।
- इसका लक्ष्य **वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के बेगुसराय और रोहतास जिलों के 37 ब्लॉकों में 455 ग्राम पंचायतों तक पीएम-वाणी सेवा का विस्तार करना है।**
- बीएसएनएल के सहयोग से पंचायती राज विभाग (बिहार), परियोजना के कुशल कार्यान्वयन और संचालन को सुनिश्चित करेगा एवं प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा भी करेगा।

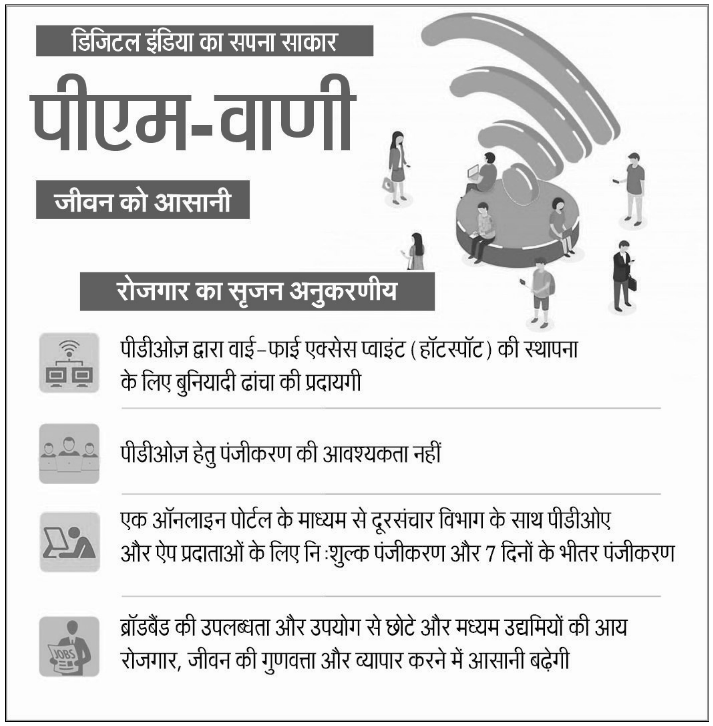

पीएम-वाणी (PM-WANI-Prime Minister's Wi-Fi Access Network Interface)

- यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है।
- उद्देश्य: सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाना और देश में (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यक्रम-ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की ओर

- इस पहल को पंचायती राज मंत्रालय के अधीन **संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** के तहत वित्तपोषित किया गया है।
- **उद्देश्य**
  ✓ यह **ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने और स्थानीय स्वशासन में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।**
  ✓ समावेशी एवं **सशक्त ग्रामीण भारत** के दृष्टिकोण को हासिल करना।
  ✓ स्थानीय स्वशासन में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना।

1.14. किलकारी कार्यक्रम

संदर्भ

हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से **महाराष्ट्र और गुजरात** में स्थानीय भाषा में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा **'किलकारी'** और **मोबाइल अकादमी** की शुरुआत की है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 19 3/27/2024 1:14:17 PM

कार्यक्रम का विवरण

- "किलकारी" शब्द का अनुवाद किसी बच्चे की जोरदार हंसी (a baby's gurgle) है, जो शिशुओं की मासूमियत और जीवन शक्ति को दर्शाता है।
- किलकारी कार्यक्रम (एक मोबाइल आधारित सेवा) अब 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है।
- इसे डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 15 जनवरी, 2016 को शुरू किया गया था।
- कार्यक्रम का उद्देश्य नई और गर्भवती माताओं को गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की देखभाल के बारे में सीधे उनके मोबाइल फोन पर संदेश पहुंचाकर सहायता करना है।

प्रमुख विशेषताऐं

- केंद्रीकृत इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा।
- इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा केंद्रीय रूप से आयोजित किया गया है और इससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अतिरिक्त प्रौद्योगिकी और परिचालन लागत की जरूरत नहीं रही।
- यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीकृत प्रजनन बाल स्वास्थ्य (Reproductive Child Health-RCH) पोर्टल के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत है।
- ये गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में 72 साप्ताहिक और समय-उपयुक्त ऑडियो संदेश प्रसारित करता है।
- इनमें गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक संदेश उपलब्ध कराए जाते हैं।
- प्रजनन मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करता है।
- गर्भावस्था और शिशु देखभाल के संबंध में माताओं और परिवारों को शिक्षित करता है।
- इनके द्वारा वर्ष 2022-23 में 7.71 करोड़ से अधिक कॉल और वर्ष 2021-22 में 4.75 करोड़ कॉल की गईं।
- साप्ताहिक संदेश स्वस्थ परिणामों को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक सप्ताह के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों पर बल देता है।
- राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और लाभार्थियों के लिए निःशुल्क।
- लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने में मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के काम का पूरक की तरह कार्य करता है।
- इससे व्यवहार में बदलाव आया है और सेवा उपयोग में सुधार हुआ है।

1.15. महिलाओं हेतु विज्ञान-एक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (स्वाति) पोर्टल

संदर्भ

हाल ही में, **विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस (International Women and Girls in Science Day)** के अवसर पर भारत सरकार के **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने "महिलाओं हेतु विज्ञान-एक प्रौद्योगिकी और नवाचार (SWATI)" पोर्टल की शुरुआत की।**

स्वाति पोर्टल क्या है?

- स्वाति (SWATI) पोर्टल **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine-STEMM) क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय महिलाओं और लड़कियों के लिए एक समेकित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करता है।
- इस पोर्टल को **राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (NIPGR)** द्वारा विकसित किया गया है।

उद्देश्य

- शिक्षा और उद्योग क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को शामिल करने हेतु एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्रों में** समानता, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएँ

- महिलाओं के करियर के सभी चरणों में उनका योगदान शामिल।
- वैज्ञानिक समुदाय में निर्णय लेनेवाली भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी हेतु दीर्घकालिक अनुसंधान पहलों का समर्थन।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (STEMM) के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के उपयोग के महत्व पर जोर।
- इसमें एक पारस्परिक डेटाबेस भी शामिल है, जो विभिन्न श्रेणियों, जैसे- प्रेरणादायक व्यक्ति, संकाय सदस्यों, अनुसंधान अध्येताओं, छात्रों, उद्यमियों और वैकल्पिक करियर में पेशेवरों को शामिल किया जाता है।

प्रभाव

- यह पोर्टल महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहती हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 20 3/27/2024 1:14:17 PM

- यह STEMM में महिलाओं को स्थान मिलने और पहचान को बढ़ावा देता है।
- भारत और उसके बाहर विज्ञान और नवाचार को आगे बढ़ाता है।
- संक्षेप में, स्वाति पोर्टल विज्ञान में महिलाओं की क्षमता का दोहन करने, सामाजिक सुधार के लिए उनके योगदान का लाभ उठाने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में लिंग अंतर चुनौतियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1.16. घर पोर्टल

संदर्भ

हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा घर (GHAR) पोर्टल को विकसित और शुरू किया गया है।

घर पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

- इसका उद्देश्य किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों के कल्याण और उनकी घर वापसी (प्रत्यावर्तन) की व्यवस्था में सुधार और निगरानी करना है।
- यह घर वापसी हेतु किशोर न्याय व्यवस्था में बच्चों को डिजिटल रूप से पता लगाने और निगरानी करने में सक्षम है।
- यह आवश्यकता पड़ने पर अनुवादकों/दुभाषियों/विशेषज्ञों से अनुरोध करने हेतु एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है।
- यह बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को डिजिटल रूप से बच्चों की निगरानी करने के साथ-साथ बच्चों के उद्धार और उनकी घर वापसी सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इसमें मुआवजे या अन्य लाभों से संबंधित चुनौतीपूर्ण मामलों और समस्याओं की पहचान करने के लिए एक जांच सूची (checklist) प्रारूप शामिल है।
- यह घर वापसी की प्रक्रिया के दौरान बच्चों को सहायता प्रणालियों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की एक सूची प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के आँकड़ों के अनुसार, घर (GHAR) पोर्टल पर घर वापसी के लिए कुल 5175 बच्चों की पंजीकृत किया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का संक्षिप्त विवरण

- **किशोर की परिभाषा:** किशोर वह व्यक्ति है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- **अपराधों में अंतर:** यह "कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा" (एक किशोर जिसने अपराध किया है) और "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा" (एक किशोर जिसे अनाथ, परित्यक्त या दुर्व्यवहार या शोषण के अधीन होने के कारण देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है) के बीच अंतर करता है।
- **विशेष किशोर पुलिस इकाई:** कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से जुड़े मामलों की देखरेख हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना की शक्ति देता है।
- **किशोर न्याय बोर्ड:** यह कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से जुड़े मामलों की देखरेख हेतु जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करता है।
- **बाल कल्याण समितियाँ:** यह देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों से निपटने हेतु जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियों का गठन करती है।
- **प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय:** यह किशोरों के साथ उचित व्यवहार और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की शुरुआत करता है।
- **निगरानी और समीक्षा:** यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा प्रदान करता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 21 3/27/2024 1:14:17 PM

2.1. भारत-बांग्लादेश संबंध

संदर्भ

हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और 'भारत-बांग्लादेश मैत्री' को आगे बढ़ाने में उनके मार्गदर्शन की सराहना की।

विवरण

- जनवरी में रिकॉर्ड पांचवें कार्यकाल हेतु चयनित प्रधानमंत्री हसीना के साथ भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली मुलाकात थी।
- दोनों नेता प्रतिष्ठित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है) से इतर मुलाकात कर रहे थे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत ने वर्ष 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश की स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला देश था।
- भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता को हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारत में "विजय दिवस" के रूप में भी जाना जाता है।

सहयोग के क्षेत्र

आर्थिक संबंध

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.9 बिलियन डॉलर रहा।
- दोनों देश व्यापार के लिए शुल्क व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले एशिया प्रशांत व्यापार समझौते (APTA), सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) पर समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के सदस्य हैं।
- दोनों देशों ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थानीय व्यवसायों और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सीमा पर 10 **सीमा हाट (बाजार) को मंजूरी** दी है।
- **भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम** की शुरुआत द्विपक्षीय व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

- दोनों देश थल सेना के लिए अभ्यास संप्रीति और नौसेना के लिए अभ्यास मिलान जैसे संयुक्त अभ्यास आयोजित करते हैं।
- भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 2018 में एक वार्षिक रक्षा संवाद स्थापित किया गया था।
  - ✓ 5वां वार्षिक रक्षा संवाद और चौथा त्रि-सेवा संवाद अगस्त 2023 को ढाका में सम्पन्न हुआ, जिसका उद्देश्य चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा करना था।

सीमा प्रबंधन

- भारत और बांग्लादेश लगभग 4096.7 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जो **असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों** तक फैली हुई है। यह सबसे लंबी भूमि सीमा है जो भारत अपने किसी पड़ोसी देश के साथ साझा करता है।

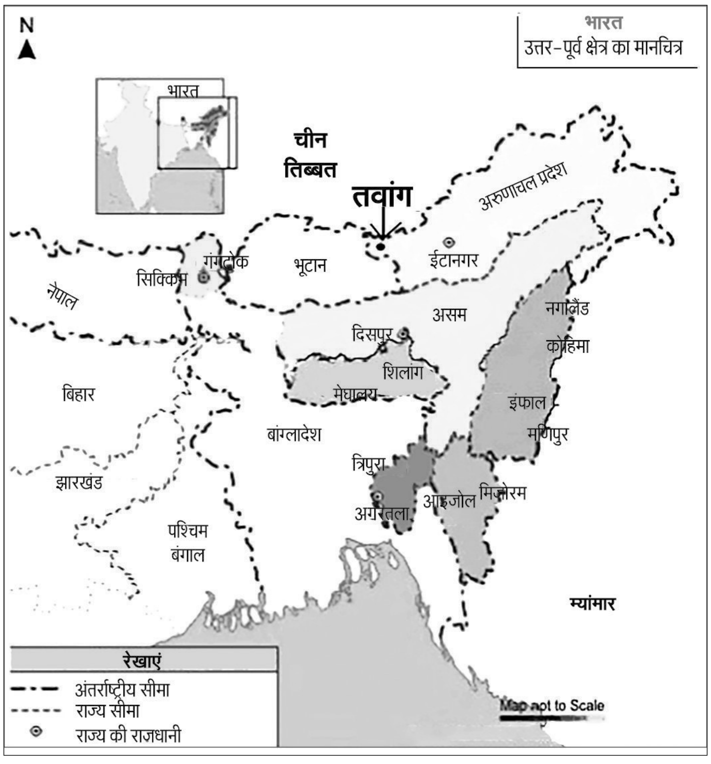

- भारत-बांग्लादेश **भूमि सीमा समझौता (LBA) (परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान) (2015) (100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम)** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- सीमापार अवैध गतिविधियों से निपटने में सीमा सुरक्षा बलों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु **समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP)** पर हस्ताक्षर किए गए।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 22 3/27/2024 1:14:22 PM

- दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समुद्री सीमा विवाद को वर्ष 2014 में मध्यस्थता के माध्यम से हल किया गया, जिससे समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिला।

जल सहयोग

- साझा नदी प्रणालियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (JRC) की स्थापना की गई थी।
- **गंगा जल संधि** 1 जनवरी से 31 मई तक (जल का स्तर कम होने के दौरान) दोनों देशों के बीच गंगा नदी जल के बंटवारे की सुविधा प्रदान करती है।
- दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए **कुशियारा संधि** पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सम्पर्क सुविधा

- अगरतला और पेट्रापोल में विभिन्न भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCSs) और एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) के माध्यम से माल की सड़क से आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - ✓ पेट्रापोल-बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से बांग्लादेश के साथ भारत के लगभग 37% व्यापार किए जाते हैं।
  - ✓ नदी प्रणालियों के माध्यम से माल की आवाजाही की अनुमति **अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन पर प्रोटोकॉल (PIWTT)** के द्वारा दी जा रही है।
  - ✓ भारत-बांग्लादेश के बीच तटीय शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग से माल की सीधी आवाजाही को सक्षम बनाता है।
  - ✓ चार बड़ी लाईन **अंतर-देशीय रेल लिंक** चालू हैं और अगरतला और अखौरा के बीच एक नए रेल लिंक का हाल ही में उद्घाटन किया गया है।

ऊर्जा सहयोग

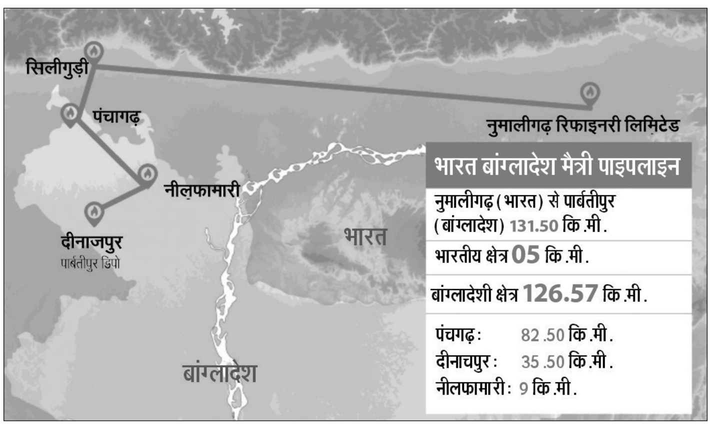

- पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को दिनाजपुर जिले के पारबतीपुर से जोड़ने वाली **भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन,** बांग्लादेश को प्रतिवर्ष दस लाख मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल (MMTP) के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी।
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करती रही है।
- भारत और रूस के सहयोग से बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

विकास और क्षमता निर्माण

- **लाइन ऑफ क्रेडिट (LOCs):** भारत ने बांग्लादेश को कुल 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तीन क्रेडिट लाइन (LOCs) प्रदान की हैं।
- **उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (HICDPs):** भारत ने बांग्लादेश में 68 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, जिनमें छात्रावास, शैक्षणिक भवन, कौशल विकास संस्थान आदि शामिल हैं।
- **क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास:** भारत मसूरी में बांग्लादेश सिविल सेवा के 1800 अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

सांस्कृतिक संबंध

- रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जिसे बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया।
- अनुमान है कि लगभग 10,000 सुदृढ़ भारतीय समुदाय के लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। लगभग 3000 भारतीय छात्र बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।
- भारतीय उच्चायोग अत्यधिक लोकप्रिय बांग्ला साहित्यिक मासिक पत्रिका 'भारत बिचित्र' प्रकाशित कर रहा है।

बांग्लादेश का सामरिक महत्व

- **सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकल्प:** भारत का लक्ष्य बांग्लादेश के माध्यम से अपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सम्पर्क मार्गों में विविधता लाना है, जिससे असुरक्षित सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम हो सके।
- **पड़ोसी प्रथम नीति:** भारत क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है।
- **एक्ट ईस्ट नीति का प्रवेश द्वार:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान समस्या

- **सीमा पार नदी जल विवाद:** जल के विभाजन हेतु तीस्ता और फेनी नदियों पर बातचीत अभी भी लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हैं।
- **फरक्का बैराज:** फरक्का बैराज के माध्यम से गंगा से हुगली नदी तक पानी का मोड़ लंबे समय से विवाद का एक विषय रहा है।
- **रोहिंग्या शरणार्थी संकट:** बांग्लादेश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है और इनके प्रति भारत के सतर्क दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होता है।
- **सीमा सुरक्षा:** भारत-बांग्लादेश के बीच खुली सीमाएँ **जमात - उल - मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB)** जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए एक आसान पारगमन बिंदु और सुरक्षित ठिकाना बन गई हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 23
3/27/2024 1:14:26 PM

- **बढ़ता चीनी प्रभाव:** ऊर्जा परियोजनाओं के लिए चीन का व्यापक वित्तपोषण और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में बांग्लादेश की भागीदारी भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करती हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार के उपाय

- **तीस्ता विवाद का समाधान:** तीस्ता नदी जल बंटवारे का समाधान करना और समयबद्ध आपसी समझौते पर पहुंचने हेतु आम सहमति तैयार करना।
- **फरक्का बैराज संबंधी चिंताओं का हल निकालना:** जल मार्ग परिवर्तन के संबंध में बांग्लादेश की चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत की जरूरत।
- **सीमा सुरक्षा को मजबूत करना:** सीमापार आतंकवाद से निपटने और निगरानी प्रौद्योगिकी में सुधार हेतु सहयोग बढ़ाना।
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ता:** भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने हेतु व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ता (CEPA) को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **चीनी प्रभाव का मुकाबला:** चीन के प्रभाव को संतुलित करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु बांग्लादेश को महत्वपूर्ण तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **शरणार्थी संकट पर सहयोग:** सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने हेतु मिलकर काम करना। म्यांमार में उनकी सुरक्षित वापसी का समर्थन करने के लिए राजनयिक समाधान तलाशना।

2.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध

वर्तमान

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में मुलाकात हुई।

मुख्य विवरण

- **प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर (बीएपीएस मंदिर)** का उद्घाटन किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने **"अहलान मोदी"** नामक एक विशेष कार्यक्रम में **भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया।**
- इस यात्रा के दौरान निम्न कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए -
  - ✓ **ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU):** इसमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार, दोनों देशों के लिए अवसर पैदा करने और अपने ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मिलकर काम करने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।
  - ✓ **भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे** पर **भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक अंतर सरकारी रूपरेखा समझौता:** यह समझौता सहयोग को मजबूत करेगा, क्षेत्रीय सम्पर्क सुविधा को बढ़ावा देगा और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।
  - ✓ **डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** यह निवेश सहयोग सहित व्यापक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा और तकनीकी ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
  - ✓ **विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन:** इससे दोनों देशों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा जिसका उद्देश्य गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर की सहायता करना है।
  - ✓ **यूपीआई (भारत) और एएएनआई (यूएई) के इंटरलिंकिंग पर समझौता:** प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा (2023) के दौरान भुगतान प्रणालियों को इंटरलिंक करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद हुए इस समझौते से दोनों देशों के बीच **सुचारू सीमापार लेनदेन की सुविधा** मिलेगी।
  - ✓ **अंतर्देशीय डेबिट/क्रेडिट कार्डों - RuPay (भारत) और JAYWAN (यूएई) के इंटरलिंकिंग पर समझौता:** इसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में रुपे (RuPay) की सार्वभौमिक स्वीकृति को बढ़ावा देना और इस प्रकार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भुगतान प्रणालियों के घनिष्ठ एकीकरण पर जोर देना है।

द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र

राजनीतिक	• भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच **राजनयिक संबंध वर्ष 1972** में **स्थापित** हुए थे। संयुक्त अरब अमीरात ने **वर्ष 1972** में भारत में अपना दूतावास खोला, जबकि भारत ने **वर्ष 1973** में संयुक्त अरब अमीरात में अपना दूतावास खोला। • **34 साल के अंतराल** पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 की यात्रा ने एक नई व्यापक और रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। • **बहुपक्षीय सहयोग** • भारत और संयुक्त अरब अमीरात **ब्रिक्स, I2U2 (भारत-इज़राइल-यूएई-यूएसए), और UFI (यूएई-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय** जैसे कई बहु-पक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी साझा करते हैं। • भारत की अध्यक्षता में आयोजित **जी20 शिखर सम्मेलन** के दौरान यूएई को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था।
रक्षा	• भारतीय वायु सेना संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित **"डेजर्ट फ्लैग"** नामक एक महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में शामिल हुई। • हाल ही में, भारत-यूएई सैन्य अभ्यास **"डेजर्ट साइक्लोन"** का पहला सत्र शुरु हुआ। • यूएई ब्रह्मोस और स्वदेशी आकाश मिसाइल प्राप्त करने में रुचि व्यक्त करने वाले शुरुआती खाड़ी देशों में से एक था।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 24 3/27/2024 1:14:30 PM

आर्थिक एवं वाणिज्यिक	• वर्तमान में, वर्ष 2022-23 में भारत-यूएई के बीच 85 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, **जिससे यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।** • वर्ष 2023 में, संयुक्त अरब अमीरात भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक और कुल मिलाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सातवां सबसे बड़ा स्रोत था। • संयुक्त अरब अमीरात **भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता** और एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। • वर्ष 2023 में, भारतीय रिज़र्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक ने द्विपक्षीय रुप से रुपये और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। • भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। • व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से पांच वर्षों के भीतर माल में कुल द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर से अधिक और सेवाओं में व्यापार को 15 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ाने की उम्मीद है।
सांस्कृतिक संबंध	• महत्वपूर्ण पड़ाव को चिह्नित करने हेतु वर्ष 2022 में निम्न अवसर पर एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था: भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, संयुक्त अरब अमीरात के गठन के 50 वर्ष और भारत-यूएई राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष। • वर्ष 2022 में, 14वीं संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान **भारत-यूएई सांस्कृतिक परिषद फोरम के गठन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।**
शिक्षा	• यूएई में सीबीएसई और केरल बोर्ड पाठ्यक्रम का पालन करने वाले **100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्कूल चलते हैं**, जो भारतीय प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। • **भारत के शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग** (ADEK) के बीच वर्ष 2023 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन ने अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के एक विदेशी परिसर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
भारतीय प्रवासी	• **3.5 मिलियन** का भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, **जिसमें संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का लगभग 35% शामिल है।** • संयुक्त अरब अमीरात के 17 प्रतिष्ठित भारतीयों और एक भारतीय समुदाय संघ को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। • दूतावास की सामुदायिक मामलों की शाखा, दुबई स्थित प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) के साथ मिलकर 24x7 हेल्पलाइन और एक पीबीएसके मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय प्रवासियों की सहायता के लिए काम करती है।

भारत में यूएई की रुचि की वजह

- 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला भारत एक विशाल और बढ़ता हुआ बाज़ार है। यह यूएई के व्यवसायों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और बड़े उपभोक्ता आधार तक पहुंचने के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
- यूएई और भारत को हिंद महासागर क्षेत्र और खाड़ी क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता है। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध यूएई को इस प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं।
- दोनों देश **आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं,** और निकट सहयोग से इन खतरों से निपटने में मदद मिल सकती है।
- भारत अपने तेल आयात की एक महत्वपूर्ण मात्रा हेतु मध्य पूर्व पर निर्भर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात अपने ऊर्जा निर्यात के लिए नए बाजार तलाश रहा है। इससे परस्पर लाभकारी संबंध बनता है।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना होर्मुज जलडमरूमध्य को दरकिनार करते हुए **व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकती है।**
- हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक है जो संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक विकास में रुचि रखता है।

यूएई में भारत की रुचि की वजह

- **यूएई के संप्रभु धन कोष** भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं।
- यूएई व्यापार और ऊर्जा आयात के लिए भारत को **मध्य पूर्व का प्रवेश द्वार** प्रदान करता है।
  - ✓ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) का उद्देश्य भारत को संयुक्त अरब अमीरात सहित मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है।
- यूएई के साथ सहयोग करने से क्षेत्र में **भारत की सुरक्षा स्थिति को मजबूती** मिलती है।
- **भारत और यूएई** दोनों ग्लोबल साउथ में प्रमुख भूमिका रखते हैं और इनके करीबी रिश्ते वैश्विक मंच पर उनकी आवाज को मजबूत कर सकते हैं।

भारत-यूएई संबंधों में चुनौतियाँ

- संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए **कम वेतन, खराब जीवन स्थितियां और न्याय तक सीमित पहुंच** की समस्या रही है, विशेष रूप से निर्माण और सेवा क्षेत्र में।
- **मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति:** उदाहरण के लिए इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष, जिसमें ईरान के साथ यूएई का तनाव एवं यमन और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों में संघर्ष में शामिल होना, जो भारत और यूएई के बीच संबंध संतुलन में चुनौतियां पैदा करते हैं।
- **लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती** से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री व्यापार को खतरा रहता है।
- दोनों देश **आतंकवाद के खतरे का सामना** कर रहे हैं, जिसके लिए खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी उपायों पर करीबी सहयोग की आवश्यकता है।
- जबकि, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन **संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार घाटा** बना हुआ है (भारत निर्यात की तुलना में संयुक्त अरब अमीरात से अधिक आयात कर रहा है)।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 25 3/27/2024 1:14:30 PM

आगे की राह

- **साझा समृद्धि:** आपसी आर्थिक स्थिरता के लिए तेल से परे पर्यटन, प्रौद्योगिकी और वित्त पर जोर देकर विविधीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **सहयोगात्मक समाधान:** खुले संचार और हितधारक जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु श्रम अधिकारों, कौशल में कमी और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
- **गहरी साझेदारी:** आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, जन-जन के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए रक्षा व्यापार और चिकित्सा पर्यटन सहित सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में बढ़ावा देना।
- **रणनीतिक संतुलन:** कूटनीति और सहयोग के साथ क्षेत्रीय जटिलताओं को सुलझाते हुए, विभिन्न क्षेत्रों के साथ बहुआयामी संबंध बनाए रखना।

निष्कर्ष

- इन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत और संयुक्त अरब अमीरात एक बेहतर मजबूत, पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी (जो क्षेत्रीय समृद्धि और स्थिरता में योगदान देती हो) बना सकते हैं।

2.3. भारत और ग्रीस

संदर्भ

21-22 फरवरी को ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध बनाने की चल रही प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विवरण

- **वार्षिक रायसीना डायलॉग** में बोलते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य पूर्व में चुनौतियों के बावजूद, **भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे (IMEC) के पीछे की मंशा सुदृढ़ बनी हुई है** और इसके प्रयासों में देरी नहीं होनी चाहिए।
- **उन्होंने ग्रीस को यूरोप के लिए भारत का प्राकृतिक प्रवेश द्वार** कहा और भारत के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंध ग्रीस को एशिया के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता है।
- भारत और ग्रीस **रक्षा विनिर्माण** और **व्यापार से लेकर सम्पर्क सुविधा तक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने एवं प्रवसन और गतिशीलता समझौते को शीघ्रता से अंतिम रूप देने पर सहमत हुए।**
- ग्रीस के प्रधानमंत्री ने **"शांति परियोजना"** के महत्व पर जोर दिया।
- मित्सोटाकिस ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार को दोगुना करना और **सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन और सह-विकास पर सहयोग करना** शामिल है।

रायसीना डायलॉग

- **वर्ष 2016 में इसे शुरू किया गया था जो भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विषयों पर चर्चा के लिए भारत का अग्रणी मंच बन गया है।**
- भारत की राजधानी नई दिल्ली में **विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF)** द्वारा **रायसीना डायलॉग** नामक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- इसका नाम रायसीना हिल के नाम पर रखा गया है, **जो नई दिल्ली का एक प्रमुख स्थान है और जहां संसद भवन और राष्ट्रपति भवन स्थित हैं।**
- इसे **सिंगापुर के प्रसिद्ध शांगरी-ला डायलॉग** के अनुरूप तैयार किया गया है।

- भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि **ग्रीस ने भारत की भारत-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने का निर्णय लिया है।**

भारत-ग्रीस द्विपक्षीय संबंध

ऐतिहासिक

- **प्राचीन काल में, सिकंदर महान के अभियान** में पौरव के राजा (राजा पुरु) के साथ युद्ध हुआ था, संबंधित **सिक्कों और पुस्तकों से मौर्य राजाओं और ग्रीस के बीच व्यापार संबंधों का पता चलता था।**
- यूनानी राजदूत **मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी।**
- **गांधार कला** भारतीय और यूनानी प्रभावों के मिश्रण को दर्शाती है।

राजनीतिक

- **वर्ष 1950 में दोनों देशों के बीच** राजनयिक संबंध ग्रीस द्वारा दिल्ली में अपना दूतावास खोलने से शुरू हुआ था और भारत ने भी वर्ष **1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला।**
- ग्रीस ने परमाणु निरस्त्रीकरण और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)/ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC), जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और राम जन्मभूमि फैसले जैसे आंतरिक मामलों पर भारत के रुख का समर्थन किया है।
- दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए समर्थन का वादा किया है और ग्रीस लगातार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (2008 में), एमटीसीआर (2016 में), वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह और अन्य संगठनों में भारत का समर्थन किया है।
- वर्ष 2021 में विदेश मंत्री की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **वर्ष 2022-2026 के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम** पर समझौता ज्ञापन (MoU) एवं **प्रवसन और गतिशीलता पर इरादे की घोषणा** पर हस्ताक्षर किए गए।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 26 3/27/2024 1:14:30 PM

- वर्ष 2023 में भारत-ग्रीक संबंधों को **"रणनीतिक साझेदारी"** तक बढ़ाया गया।

आर्थिक

- वर्ष 2022-23 में भारत-ग्रीस द्विपक्षीय व्यापार **लगभग 2 बिलियन डॉलर** था, जिसमें भारत का निर्यात **785.72 मिलियन डॉलर और आयात 1.16 बिलियन डॉलर था।**
- भारत मुख्य रूप से ग्रीस को एल्यूमीनियम, कार्बनिक रसायन, मछली, क्रस्टेशियंस, लोहा और इस्पात का निर्यात करता है।
- ग्रीस द्वारा भारत को किए जानेवाले शीर्ष **निर्यात वस्तुओं** में खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, सल्फर और एल्यूमीनियम फॉएल शामिल हैं।
- **वर्ष 2019 में भारत ने 84वें थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला** (जो ग्रीस और दक्षिणपूर्व यूरोप में सबसे बड़ा वार्षिक वाणिज्यिक प्रदर्शनी है) में **'सम्मानित देश'** के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत और ग्रीस ने **वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना** करने की योजना बनाई है।

रक्षा

- रक्षा क्षेत्र में औपचारिक सहयोग की शुरुआत **वर्ष 1998 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** के साथ हुई थी।
- ब्लू फ्लैग जैसे रक्षा विनिर्माण और नीति विनिमय जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार।
- भारतीय वायु सेना ने वर्ष 2023 में ग्रीस में **INIOCHOS-23 बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास** में भाग लिया एवं आईएनएस चेन्नई नौसैनिक जहाज ने **वर्ष 2023 में सौदा खाड़ी का दौरा किया** और एजियन सागर में **हेलेनिक नौसेना जहाज निकिफोरोस फोकस** के साथ एक पैसेज अभ्यास का संचालन किया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- **प्रमुख लक्षित क्षेत्र:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), नैनोटेक, जीवन विज्ञान, भूकंप विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा।
- एथेंस में **अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR) की बैठक में संभावित अंतरिक्ष सहयोग का पता लगाया गया।**

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारतीय प्रवासी

- भारत के प्रोफेसर भरत गुप्त ने ग्रीक थिएटर में व्यापक काम किया है और नाटकीय अवधारणाएँ- ग्रीक और भारतीय ("Dramatic Concepts – Greek and Indian") पुस्तक की रचना की है।
- **डॉ. वासिलिस विट्टैक्सिस** को साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया।
- **वर्ष 2011 की ग्रीक जनगणना के अनुसार**, ग्रीस में भारतीय लोगों की संख्या 11,333 थी। वर्तमान अनुमान बताते हैं कि समुदाय बड़ा हो गया है और लगभग 14,000 व्यक्तियों तक पहुंच गया है।
- **गतिशीलता समझौते** की नवीनतम चर्चा कानूनी प्रवासन पर सहयोग को मजबूत करने, मानव तस्करी से लड़ने और युवा भारतीयों के लिए नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

भारत के लिए ग्रीस का महत्व	ग्रीस के लिए भारत का महत्व
• यूरोप और खाड़ी देशों के प्रवेश द्वार के रूप में स्थित होने के कारण ग्रीस भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। • भारत के भूमध्यसागरीय विस्तार में भी ग्रीस एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है, भारत ग्रीक बंदरगाहों पर मौजूदगी और व्यापक रक्षा साझेदारी की मांग कर रहा है। • भारतीय कंपनियां ग्रीक बंदरगाहों में निवेश करने में रुचि दिखाई हैं और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत शिपिंग में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए ग्रीस को आमंत्रित किया जा रहा है। • भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) का उद्देश्य इज़राइल में हाइफ़ा और ग्रीस में पीरियस के माध्यम से दक्षिण और पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ना है। • भारत-ग्रीक साझेदारी का लक्ष्य 35,000 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात लक्ष्य हासिल करना है।	• भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी ग्रीस को एशियाई क्षेत्र में अवसरों और सम्पर्क सुविधा तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार प्रदान करती है। • पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस को तुर्की के साथ तनाव का सामना करना पड़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देते हुए एक संतुलित मौजूदगी की पेशकश कर सकता है। • भारत की विशाल और बढ़ती अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिपिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ग्रीक व्यवसायियों के लिए अपार अवसर विद्यमान हैं।

भारत-ग्रीस संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- बढ़ते व्यापार संबंधों के बावजूद, भारत की अन्य साझेदारियों की तुलना में ग्रीस से व्यापार की मात्रा कम बनी हुई है। वर्ष 2030 तक व्यापार को दोगुना करने की महत्वाकांक्षा के बावजूद, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अपेक्षाकृत कम है।
- आईएमईसी के माध्यम से हिंद महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के मौजूदा नियमों और साझेदारियों से व्यापार संबंधों में बाधा आ सकती है, जिससे संभावित रूप से प्रत्यक्ष व्यापार मार्गों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- ग्रीस की नाटो सदस्यता और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता रणनीतिक हितों को संरेखित करने में चुनौतियां पैदा कर सकती है।

आगे की राह

- **रणनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाना:** रक्षा सहयोग को मजबूत करना, सम्पर्क सुविधा बढ़ाना एवं पारस्परिक लाभ और वैश्विक सुरक्षा हेतु मानव गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना।
- **आईएमईसी पर लक्ष्य:** सम्पर्क सुविधा और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को प्राथमिकता देना।
- **सहयोग का विस्तार करना:** "तीन समुद्र, तीन महाद्वीप" के दृष्टिकोण को अपनाना, हिंद-प्रशांत पहल का समर्थन करना और आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक साझेदारी का पता लगाना।
- **साझा हितों पर ध्यान देना:** क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना, साझा खतरों का मुकाबला करना एवं एशिया और यूरोप के बीच एक मजबूत संबंधो का निर्माण करना, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 27 3/27/2024 1:14:31 PM

2.4. म्यांमार का गृह युद्ध के कारण भारत के हित प्रभावित

संदर्भ

हाल ही में, म्यांमार में जारी गृहयुद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया।

पृष्ठभूमि

- फरवरी 2021 में, जब म्यांमार की सेना (जिसे मिलिट्री जुंटा के नाम से भी जाना जाता है) ने **आंग सान सू की** की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली, तो उन्हें उम्मीद थी कि प्रतिरोध जल्दी खत्म हो जाएगा। हालाँकि, पिछले तीन वर्षों में सैन्य शासन का विरोध और भी मजबूत हुआ है।
- **जातीय सशस्त्र संगठन** (EAOs) और **पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज** (आंग सान सू की से संबंधित नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा संगठित) अब म्यांमार के कई शहरों को नियंत्रित करते हैं, जो सैन्य जुंटा के व्यापक विरोध का संकेत देता है।

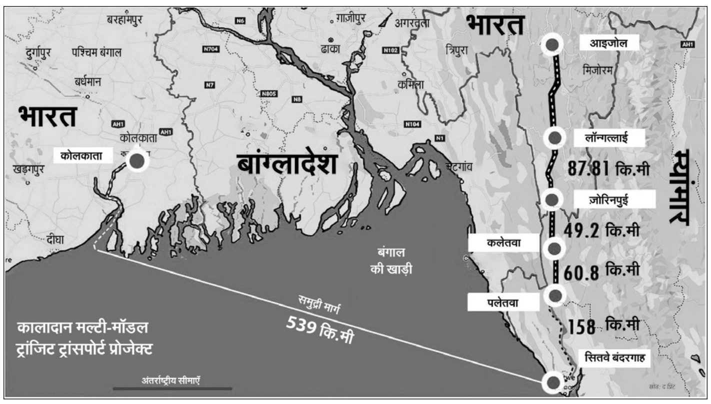

- हालाँकि, हाल ही में अराकान सेना द्वारा **चिन स्टेट में पलेतवा शहर पर कब्जा** करने से **जातीय सशस्त्र संगठनों** के बीच अंतर-जातीय एकजुटता पर असर डाला है, जिससे सेना के खिलाफ उनकी लड़ाई प्रभावित हुई है।
- **भारत और बांग्लादेश** के साथ म्यांमार की पश्चिमी सीमाओं पर स्थित पलेतवा (कलादान नदी पर एक वाणिज्यिक शहर) के माध्यम से भारत सरकार की **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP)** गुजरती है।

भारत पर प्रभाव

- **सम्पर्क सुविधा पर प्रभाव**
  - ✓ भारत में ऐसी धारणा है कि **अराकान सेना कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP)** के पक्ष में नहीं है।
  - ✓ इस प्रकार, अराकान सेना द्वारा पलेतवा पर कब्ज़ा सीधे तौर पर म्यांमार में भारत के कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (जिसका उद्देश्य **उत्तर पूर्व भारत** को समुद्र के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है) को प्रभावित करेगा।
    - ▪ कालादान परियोजना की कल्पना सम्पर्क सुविधा (connectivity) सुनिश्चित करने और अतिसंवेदनशील सिलीगुड़ी गलियारे पर निर्भरता कम करने हेतु एक रणनीतिक वैकल्पिक मार्ग (खासकर चीन के साथ संभावित संघर्ष के संदर्भ में) के रूप में की गई थी।
  - ✓ **सितवे बंदरगाह** और **अंतर्देशीय जल टर्मिनल** का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर संपर्क सड़क निर्माण में बाधाएं आ रही हैं।
- **सुरक्षा पर प्रभाव**
  - ✓ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग (NSCN-K) जैसे सशस्त्र समूहों का बढ़ता विद्रोह म्यांमार के **चिन और सागांग** क्षेत्रों से गुप्त रूप से संचालित हो रहा है।
  - ✓ 'स्वर्णिम त्रिकोण' (म्यांमार, थाईलैंड, लाओस) के साथ उत्तर-पूर्व की निकटता ने भारत-म्यांमार सीमा को मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित सीमा पार विद्रोह के लिए अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है।
- **भारत में शरणार्थी गतिविधि**
  - ✓ भारत में शरणार्थियों के प्रवेश की समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, मणिपुर में **कुकी-चिन लोगों** के कथित आंदोलन ने मणिपुर में एक अस्थिर जातीय तनाव पैदा कर दिया है।
    - ▪ इसी वजह से गृह मंत्री ने म्यांमार के साथ पूरी सीमा पर बाड़ लगाने एवं भारत और म्यांमार के बीच **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)** को निलंबित करने का निर्णय लिया।
  - ✓ असम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में **रोहिंग्या शरणार्थियों** के आने से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की मांग की जाने लगी।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)	
मुक्त आवाजाही व्यवस्था	• यह भारत और म्यांमार के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत समझौता है जो सीमा के दोनों ओर रहनेवाली जनजातियों को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है। • म्यांमार में बढ़ते चीनी प्रभाव के मद्देनजर भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में इसे वर्ष 2018 में अधिनियमित किया गया था। • इसके अनुसार किसी सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्रति यात्रा लगभग दो सप्ताह तक दूसरे देश में रहने के लिए एक सीमा पास लेना होता है, जो एक वर्ष के लिए वैध होता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 28
3/27/2024 1:14:31 PM

मुक्त आवाजाही व्यवस्था का औचित्य	• भारत और म्यांमार के बीच सीमा का वर्तमान संरेखण वर्ष 1826 में यांडाबू की संधि (जिसने एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना विभाजित कर दिया था) द्वारा स्थापित किया गया था। • इस प्रकार, मुक्त आवाजाही व्यवस्था की परिकल्पना सीमापार जातीय संबंधों को बढ़ावा देने, म्यांमार में बढ़ते चीनी प्रभाव को देखते हुए म्यांमार सरकार के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए की गई थी। • मुक्त आवाजाही व्यवस्था ने सीमा शुल्क केंद्रों और नामित बाजारों के माध्यम से स्थानीय सीमा व्यापार को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना की गई है। • यह म्यांमार के लोगों को सीमा के भारतीय हिस्से में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँचने में भी मदद करता है।

भारत के लिए म्यांमार का सामरिक महत्व

- **महत्वपूर्ण पड़ोसी:** भारत और म्यांमार **1,643 किमी लंबी भूमि सीमा** के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। म्यांमार की सीमाएँ **चार भारतीय राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम) से मिलती हैं,** जो इसे भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बनाते हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारत और म्यांमार के बीच प्राचीन काल से जातीय और सांस्कृतिक संबंध हैं। बौद्ध धर्म (जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई), म्यांमार में एक प्रमुख धर्म है।
- **रणनीतिक स्थान: म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार** के रूप में कार्य करता है, जो **भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति** के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।
- **क्षेत्रीय सम्पर्क सुविधा:** भारत, म्यांमार और थाईलैंड **आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग** (जो भारत को आसियान से जोड़ रहा है) का निर्माण कर रहे हैं। यह राजमार्ग आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाएगा एवं क्षेत्रीय वाणिज्य को बढ़ावा देगा।
- **चीनी प्रभाव का मुकाबला: भारत के सागर (SAGAR)** परिकल्पना के हिस्से के रूप में, भारत ने चीन द्वारा विकसित क्याउकप्यू बंदरगाह (Kyaukpyu port) का मुकाबला करने हेतु म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह विकसित किया है।

भारत के लिए व्यापक चुनौतियाँ

चीन का प्रभाव

- चीन अपने चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे (CMEC) के हिस्से के रूप में म्यांमार में **मांडले के माध्यम से अपने युन्नान प्रांत को क्याउकप्यू** से जोड़नेवाली एक रेलवे लाइन बनाने की योजना बना रहा है। यह रेल लाइन चीन को हिंद महासागर के बंदरगाह तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।
- चीन ने रखाइन राज्य में क्याउकप्यू के पास **श्वे गैस क्षेत्रों से चीन में युन्नान प्रांत तक** तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का संचालन किया है।
- भारत का दृष्टिकोण मुख्य रूप से म्यांमार सैन्य जुंटा के साथ संबंध बनाने पर केंद्रित रहा है। इसके विपरीत, चीन की बहुआयामी जुड़ाव रणनीति ने म्यांमार पर शासन करने वाले सैन्य जुंटा और क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही समूहों दोनों के साथ जुड़ने में लचीलापन प्रदर्शित किया है।
  - ✓ जानकारी के अनुसार कि चीन म्यांमार में भारत की सम्पर्क सुविधा परियोजनाओं को धीमा करने के लिए अराकन सेना जैसे सशस्त्र समूहों का उपयोग कर रहा है।
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहने वाले कई राष्ट्र और चरमपंथी संगठन भारत के विपरीत, चीन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण चीन की चिंताओं के प्रति अधिक रूचि दिखाते हैं।

निम्न आर्थिक संलग्नता

- भौगोलिक निकटता के बावजूद, भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है। पिछले 5 वर्षों में यह लगभग 1.8 बिलियन डॉलर पर स्थिर रहा है।
- कालांतर में, भारत और म्यांमार के बीच विश्वास में कमी आयी है, जिसकी वजह से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है जो भारत की प्रतिष्ठा पर असर डालता है।

आगे की राह

- **रोहिंग्या समस्या पर नाजुक संतुलन:** भारत को रोहिंग्या समस्या से निपटने के दौरान म्यांमार और बांग्लादेश के साथ नाजुक संतुलन अपनाने की जरूरत है।
- **आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करना:** म्यांमार के प्रति भारत की नीति उसकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करने की है। यह दृष्टिकोण भारत को देश के भीतर से किए गए लोकतंत्रीकरण प्रयासों का समर्थन करते हुए म्यांमार की सेना के साथ जुड़ने की सुविधा देता है।
- **आम सहमति बनाना:** म्यांमार में शांति स्थापित करने हेतु आसियान का पांच सूत्री आम सहमति कार्यक्रम लागू किया जा सकता है।
- **आर्थिक सहयोग पर बल:** त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान परियोजना जैसे व्यापार और निवेश गलियारों को बढ़ाने से क्षेत्र में गहरे आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिल सकता है। इसका उपयोग चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी किया जा सकता है।
- **विद्रोही समूहों के प्रति दृष्टिकोण:** भारत को खुफिया-केंद्रित तरीकों से आगे बढ़ना चाहिए और विद्रोह की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत और सहयोग पर जोर देना चाहिए।

निष्कर्ष

- म्यांमार की रणनीतिक स्थिति, व्यापार क्षमता, क्षेत्रीय सम्पर्क सुविधा और सांस्कृतिक समानता, इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। इस प्रकार, म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत करना एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सम्पर्क सुविधा को बढ़ावा देने के भारत के व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 29 3/27/2024 1:14:31 PM

2.5. हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ता सैन्यीकरण

संदर्भ

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते सैन्यीकरण के बारे में व्यापक चिंताएं प्रकट की गईं।

हिंद महासागर सम्मेलन

- **उद्देश्य:** हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) एक वार्षिक मंच है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के भू-राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर चर्चा करता है।
- **प्रतिभागी:** नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, व्यवसाय जगत के लोग और नागरिक समाज के प्रतिनिधि क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं।
- **शुरुआत:** पहली बार वर्ष 2016 में सिंगापुर में हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ था और तब से यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है।
- **आयोजक:** क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी में **इंडिया फाउंडेशन** के नेतृत्व में, हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर से संबंधित मामलों पर चर्चा और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

हिंद महासागर क्षेत्र

- यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक एवं उत्तरी अरब प्रायद्वीप तथा फारस की खाड़ी से लेकर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों तक फैला हुआ है।
- दुनिया के तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में हिंद महासागर लगभग 70.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है।

हिंद महासागर क्षेत्र में संचार की प्रमुख समुद्री लाइनें (SLOCs) चोकप्वाइंट्स

महत्वपूर्ण चोकप्वाइंट्स:
- **बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य:** यह लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है।
- **होर्मुज जलडमरूमध्य:** यह फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है।
- **मलक्का जलडमरूमध्य:** यह हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चोकप्वाइंट्स

भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व

- **भौगोलिक केन्द्रीयता**
  - ✓ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जिससे यह क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखता है।
- **आर्थिक महत्व**
  - ✓ **व्यापार केंद्र:** मात्रा के हिसाब से भारत का 95% से अधिक और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है।
  - ✓ **ऊर्जा जीवन रेखा:** भारत के लिए आवश्यक कच्चे तेल का लगभग 80% भाग हिंद महासागर के माध्यम से आयात किया जाता है।
  - ✓ **संसाधन निर्भरता:** भारत निर्यात के लिए हिंद महासागर के मत्स्यन और जलीय कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - ✓ **खनिज अन्वेषण:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा मध्य हिंद महासागर क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो गहरे समुद्र तल में खनन हेतु नए रास्ते खोलता है।

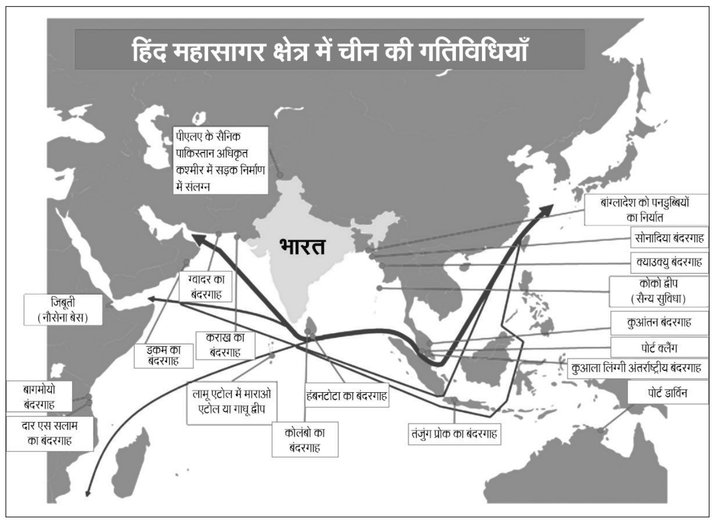

हिंद महासागर क्षेत्र के सैन्यीकरण में वृद्धि

- चीन ने ग्वादर (पाकिस्तान) और हंबनटोटा (श्रीलंका) जैसे बंदरगाह स्थापित किये हैं। सैन्य टोही और निगरानी गतिविधियों के लिए इन बंदरगाहों के संभावित दोहरे उपयोग की अटकलें क्षेत्रीय देशों के बीच चिंता बढ़ा रही हैं।
- चीन द्वारा अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए पनडुब्बियों सहित नौसैनिक साजो-सामान की तैनाती हिंद महासागर में उसकी बढ़ती समुद्री क्षमताओं को दर्शाती है।
- वर्ष 2017 में जिबूती में चीन की पहली विदेशी सैन्य सुविधा का उद्घाटन हिंद महासागर (विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका) में इसके बढ़ते सैन्य पहुंच का प्रतीक है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 30
3/27/2024 1:14:31 PM

- डिएगो गार्सिया, जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में रणनीतिक रूप से स्थित नौसैनिक अड्डों के साथ, अमेरिका इंडोपेकॉम (INDOPACOM), सेंटोम (CENTCOM) और एफ्रिकॉम (AFRICOM) जैसे कमांडों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखता है।

हिंद महासागर में बढ़ते सैन्यीकरण को लेकर चिंताएं

- नौसैनिक साजो-सामान और निगरानी प्रणालियों की तैनाती से वाणिज्य मार्गों में व्यवधान हो सकता है, बीमा लागत और पारगमन समय बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है।
- क्षेत्र में बढ़ती सैन्य उपस्थिति सुरक्षा चिंताओं एवं अस्थिरता को बढ़ाती है, निवेशकों को हतोत्साहित करती है और आर्थिक विकास को बाधित करती है।
- बढ़ते सैन्यीकरण से रणनीतिक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे अपतटीय भंडारों के स्वामित्व और नियंत्रण पर विवाद होता है।
- सैन्यीकरण गतिविधियाँ, जैसे नौसैनिक अभ्यास एवं तैनाती, समुद्री पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। जहाजों के बढ़ते आवागमन, पानी के नीचे ध्वनि प्रदूषण एवं सैन्य अभियानों से संभावित तेल रिसाव से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को खतरा बढ़ सकता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पहल

1. **क्षेत्रीय सहभागिता और सहयोग**
   - **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS):** इन मंचों पर भारत की भागीदारी हिंद महासागर के तटीय राज्यों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

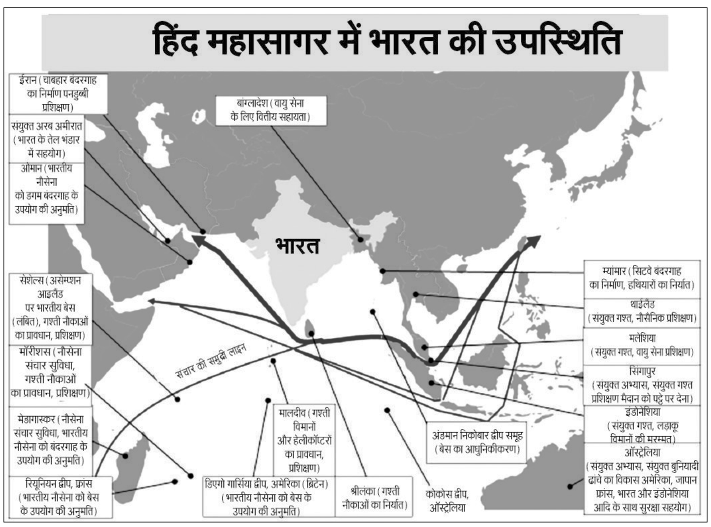

2. **समुद्री सुरक्षा पहल**
   - **क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास (सागर-SAGAR):** इसका उद्देश्य सहयोग और समावेशिता पर जोर देते हुए समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
   - **समन्वित गश्ती (Coordinated Patrols-CORPAT) और नौसेना अभ्यास:** इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास और समन्वित गश्ती में भारत की भागीदारी होने से समुद्री सुरक्षा और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा मिलता है।
3. **क्षमता निर्माण और सहायता**
   - **नौसेना सामग्री कि आपूर्ति:** भारत द्वारा मॉरीशस, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और सेशेल्स जैसे देशों को नौसैनिक सामग्री/संपत्तियों का प्रदान करना उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है और क्षेत्रीय स्थिरता में भी वृद्धि करता है।
4. **सामरिक गठबंधन:**
   - **क्वाड सुरक्षा वार्ता (QUAD):** इसका उद्देश्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देकर और हिंद महासागर क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है।
   - **चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना:** यह पाकिस्तान में चीन के ग्वादर बंदरगाह का विकल्प प्रदान करके रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है।
5. **क्षमता वृद्धि:**
   - भारतीय नौसेना वर्ष 2027 तक 200 जहाजों का बेड़ा हासिल करने के लिए **समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना** पर काम कर रही है। यह योजना आसपास के जल क्षेत्र में देश के हितों और संपत्तियों की सुरक्षा करती है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

1. **वित्तीय सीमाएँ:** योजनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए, विशेष रूप से एक वास्तविक सुरक्षा प्रदाता का दर्जा प्राप्त करने हेतु मजबूत वित्तीय संसाधन आवश्यक है।
2. **नागरिक-सैन्य संबंध:** विभिन्न मंत्रालयों और नागरिक-सैन्य नेतृत्व के बीच असहमति के परिणामस्वरूप रणनीतिक अवसर का लाभ उठाने से चूक गए हैं, जिससे प्रभावी निर्णय लेने और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है।
3. **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस आदि जैसी प्रमुख महाशक्तियों के साथ गुटनिरपेक्षता:** किसी भी महाशक्ति के साथ गुटनिरपेक्षता के लिए भारत की प्रतिबद्धता रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है। हालाँकि, यह संभावित गठबंधनों या साझेदारियों को सीमित कर सकता है जो सुरक्षा क्षमताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
4. **भूमि संचालन की प्रधानता:** ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा स्थल (जमीनी) कार्रवाई पर (विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर) ध्यान देने और छद्म संघर्षों में उलझे होने से समुद्री सुरक्षा प्राथमिकताओं से ध्यान और संसाधन का विचलन होता हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भागीदारी हेतु आगे की राह

1. **हिंद महासागर क्षेत्र परिकल्पना को समेकित करना:** हिंद महासागर क्षेत्र के दोनों छोरों के प्रति एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु "एक्ट ईस्ट" और "लुक वेस्ट" विज़न को सुसंगत बनाना।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 31 3/27/2024 1:14:31 PM

2. **एक साझा समझ और व्यापक रणनीति विकसित करना:**
 - सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने हेतु हितधारकों के साथ जुड़ना।
 - आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करके क्षेत्र के छोटे देशों की आकांक्षाओं को पूरा करना।
3. **मानवीय संकट प्रतिक्रिया:** मानवीय संकट के दौरान सद्भावना उत्पन्न करने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करना और यह सुनिश्चित करना कि मिशन को भू-राजनीतिक के बजाय मानवतावादी माना जाए।
4. **नौसेना क्षमताओं में निवेश:**
 - हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए नौसेना में निवेश बढ़ाना।
 - सुरक्षित, स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर क्षेत्र के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु हार्ड-पावर क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक है।
5. **बहुध्रुवीयता और सुरक्षा को बढ़ावा देना**
 - क्षेत्र के देशों के बीच सुरक्षा, शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देना।
 - हाल ही में, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों जैसी उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी को भारत में स्थानांतरित करके अमेरिका, फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र के बीच इनफरस (INFRUS) जैसे समझौते हुए।
6. **समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:**
 - मलक्का जलडमरूमध्य जैसे वैश्विक वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और चोकपॉइंट्स की सुरक्षा करना।
 - भारत के विदेशी व्यापार (जो मुख्य रूप से हिंद महासागर पर निर्भर करता है) हेतु महत्वपूर्ण निर्बाध संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के प्रयासों को मजबूत करना।

2.6. कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ता तनाव

संदर्भ

हाल के दिनों में, कोरियाई प्रायद्वीप अंतर्राष्ट्रीय चिंता का केंद्र बिंदु बन गया है, जिससे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बिगड़ने और प्रमुख शक्तियों में प्रतिद्वंद्विता वृद्धि के कारण गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं।

अन्य विवरण

- उत्तर कोरिया के उकसाने वाले कदमों और उसके बाद दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगियों के जवाबी कार्यवाही से क्षेत्रीय तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- उत्तर कोरिया ने **कोरियाई पुनर्मिलन के अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को रद्द कर दिया है** और औपचारिक रूप से दक्षिण कोरिया को एक शत्रु राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया है।
- उत्तर कोरिया ने अपनी रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करते हुए अपने मिसाइल परीक्षणों की आवृत्ति और विविधता भी बढ़ा दी है।
- दक्षिण कोरिया ने इन कार्रवाइयों का जवाब अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से दिया है।

कोरियाई प्रायद्वीप में समसामयिक भू-राजनीतिक समस्या

- उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा कोरियाई प्रायद्वीप पर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।
- उत्तर कोरिया की परमाणु आकांक्षाओं में वर्ष 1994 से वर्ष 2002 के बीच थोड़ी देरी हुई जब अमेरिका ने **"सहमत रूपरेखा"** को अपनाया, इस प्रकार परमाणु ऊर्जा के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया गया।
- हालाँकि, यह समझौता विफल हो गया और उत्तर कोरिया वर्ष 2003 में **परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-proliferation Treaty-NPT) से हटने के बाद वर्ष 2006 में अपने परमाणु परीक्षण हेतु कदम बढ़ाये।**
- वर्ष 2003 में ही, कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए **छह-पक्षीय वार्ता नामक एक और पहल** शुरू हुई जिसमें दोनों कोरियाई देश, चीन, जापान, रूस और अमेरिका शामिल थे।
- वर्ष 2009 तक वार्ता पूरी तरह से टूट गई और उत्तर कोरिया कभी वापस न लौटने की कसम खाकर इससे बाहर आ गया।

कोरियाई प्रायद्वीप

विभाजन एवं वैचारिक मतभेद
- द्वितीय विश्व युद्ध और जापान की हार के बाद, कोरियाई प्रायद्वीप दो भागों में विभाजित हो गया।
- उत्तरी आधा हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया, जबकि दक्षिणी आधा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में आ गया।
- इस विभाजन के कारण शीत युद्ध की विरोधी ताकतों को प्रतिबिंबित करने वाली विपरीत विचारधारा वाले दो कोरिया राष्ट्रों का उदय हुआ।

कोरियाई विभाजन: विचारधारा और भू-राजनीति
- उत्तर कोरिया के आक्रमण से शुरू हुआ **कोरियाई युद्ध (1950-53)**, शीत युद्ध का पहला "हॉट वार" बन गया।
- शीत युद्ध की समाप्ति और सक्रिय संघर्षों की समाप्ति के बाद, आज भी, कोरियाई प्रायद्वीप वैचारिक और भू-राजनीतिक आधार पर विभाजित है।
  - ✓ उत्तर कोरिया (एक सत्तावादी राजवंश के तहत) चीन और रूस के साथ जुड़ गया।
  - ✓ इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया एक उदार लोकतंत्र को अपनाता है और अमेरिका के साथ साझेदारी करता है।

- जब से **किम जोंग उन** ने उत्तर कोरिया में नेतृत्व संभाला है, तब से मिसाइल परीक्षणों में वार्षिक वृद्धि हुई है, जो इसकी एक निरंतर प्रवृत्ति को दर्शाता है।
  - ✓ पिछले दो दशकों में, उत्तर कोरिया ने छह परमाणु हथियार परीक्षण किए हैं एवं डिलीवरी सिस्टम, अंतरिक्ष लांचर तथा उपग्रहों का परीक्षण और तैनाती भी की है।
  - ✓ माना जाता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु शस्त्रागार से अमेरिका की मुख्य भूमि को भी निशाना बनाने की क्षमता रखता है, और यह वैश्विक साइबर हमलों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी उभरा है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 32 3/27/2024 1:14:31 PM

- दक्षिण कोरिया ने अपनी ओर से अमेरिका के साथ अपने सैन्य गठबंधन को मजबूत किया है, जो व्यापक गठबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसमें न केवल अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बल्कि उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों की मौजूदगी भी शामिल है।
  - ✓ जुलाई 2016 में, अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैन्य अधिकारियों ने उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु परीक्षणों के बाद देश में **टर्मिनल हाई-एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) प्रणाली** की तैनाती की घोषणा की।

संबंधों में नरमी लाने के नवीनतम प्रयास

- डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के साथ उत्तर कोरिया के साथ शांति वार्ता का प्रयास किया।
- वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के बीच दोनों देशों के नेताओं ने शांति चर्चा हेतु तीन बार मुलाकात की। हालाँकि, वार्ता विफल रही, जिसके कारण किम को वितरण प्रणालियों का विकास और परीक्षण फिर से शुरू करना पड़ा।

तनाव कि नवीनतम वजह

- **उत्तर कोरिया की नई घोषणा:** सुप्रीम पीपुल्स असेंबली को अपने संबोधन में, किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ फिर से जुड़ने के दशकों पुराने उत्तर कोरियाई लक्ष्य को खत्म कर दिया और दक्षिण कोरिया को एक दुश्मन राष्ट्र के रूप में फिर से नामित कर दिया है।
  - ✓ इस नए रुख के अनुरूप उत्तर कोरियाई संविधान को फिर से लिखने का आदेश दिया गया।
  - ✓ पुनर्मिलन से जुड़े कार्यालयों को बंद कर दिया गया और प्योंगयांग में पुनर्मिलन आदर्श के प्रतीक एक ऐतिहासिक स्मारक को गिरा दिया गया।
- **हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का विकास:** उत्तर कोरिया ने जनवरी 2024 में हाइपरसोनिक हथियार ले जानेवाली एक ठोस ईंधन युक्त मिसाइल का भी परीक्षण किया। यह महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि दुनिया भर में प्रमुख सैन्य शक्तियां (जैसे- अमेरिका, रूस, चीन, भारत और ईरान) हाइपरसोनिक हथियारों के विकास, परीक्षण और तैनाती की होड़ में लगे हैं।
  - ✓ ये हथियार सैद्धांतिक रूप से इन देशों को अपने विरोधियों की मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने और यहां तक कि उन्हें निशाना बनाने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं।

उत्तर कोरिया के उकसावे के बाद क्षेत्रीय प्रभाव

- **संयुक्त अभ्यास:** उत्तर कोरिया के उकसावे के जवाब में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसमें नौ युद्धपोत शामिल हुए।
  - ✓ यह अभ्यास उत्तर कोरिया की मिसाइल और पानी के नीचे के खतरों के साथ-साथ हथियारों के अवैध समुद्री नौवहन के खिलाफ उनकी संयुक्त प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए है।
- **उत्तर कोरिया का आरोप और प्रतिशोध:** उत्तर कोरिया ने इन अभ्यासों पर रक्षात्मक नहीं, बल्कि इसके आक्रामक पूर्वाभ्यास होने का आरोप लगाया और इन संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के जवाब में अपने **"हेइल-5-23"** परमाणु-प्रवण अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण किया।
  - ✓ इसने अपनी रणनीतिक क्रूज मिसाइल, **"पुलह्वासल-3-31"** का भी परीक्षण किया, जो जापान में महत्वपूर्ण अमेरिकी ठिकानों के लिए संभावित खतरा है।
- **त्रिपक्षीय सहयोग:** दक्षिण कोरियाई सरकार ने उत्तर कोरिया के आक्रामक कदमों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए अमेरिका और जापान के साथ करीबी समन्वय की रणनीति अपनाई है।
  - ✓ एक ऐतिहासिक बैठक में, तीनों देशों ने त्रिपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2023 में वाशिंगटन डीसी के कैंप डेविड में मुलाकात की।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ

- **कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ता तनाव:** रूस-यूक्रेन, इज़राइल-फिलिस्तीन जैसे वैश्विक संघर्षों और चीन-ताइवान और भारत-चीन में बढ़ते तनाव के बीच, कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है।
  - ✓ यह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप के प्रमुख बाहरी हितधारक (अमेरिका, चीन और रूस) इन प्रतिद्वंद्विता में संलिप्त हैं।
- **गहराते गठबंधन:** चीन और रूस के साथ उत्तर कोरिया के गहरे होते रिश्ते और अमेरिकी गठबंधन तंत्र में दक्षिण कोरिया की बढ़ती पैठ, चल रहे संघर्षों के साथ एक महत्वपूर्ण जुड़ाव का संकेत देती है।
- **उत्तर कोरिया को चीन-रूस का समर्थन:** रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस ने उत्तर कोरिया के साथ अपनी भागीदारी बढ़ा दी है, जिसमें हथियारों की आपूर्ति के बदले उत्तर कोरिया की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने का वादा किया गया है।
  - ✓ बढ़ते तनाव के बावजूद, उत्तर कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन, उत्तर कोरिया को अपने अटूट समर्थन की पुनर्पुष्टि का दावा करता है।
- **"तीसरा मोर्चा" खोलना:** ऐसे माहौल में, जब अमेरिका रूस-यूक्रेन और इज़राइल-हमास संघर्ष के कारण चिंतित है, उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप पर "तीसरा मोर्चा" खोलकर अमेरिका के लिए एक तनाव पैदा कर दी है।

2.7. समुद्री डकैती

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में सोमालिया के तट के पास दो समुद्री डकैती (Piracy) के प्रयासों को नाकाम कर दिया है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 33 3/27/2024 1:14:31 PM

समुद्री डकैती

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो (International Maritime Bureau) द्वारा चोरी या किसी अन्य अपराध को अंजाम देने के इरादे और इस प्रकार के कृत्यों के लिए बल प्रयोग करने के आशय या क्षमता के साथ किसी भी जहाज पर जबरन चढ़ने के प्रयास को समुद्री डकैती के रूप में परिभाषित किया गया है।

समुद्री डकैती की घटनाओं में वृद्धि की वजह

- **खराब पुलिसिंग और समुद्री बलों का कमजोर होना:** प्रायः सीमित प्रवर्तन क्षमताओं के कारण खराब पुलिसिंग और कमजोर समुद्री सुरक्षा बल की वजह से समुद्री डकैतियों को रोकने में आ रही चुनौतियों में और अधिक वृद्धि होती है।

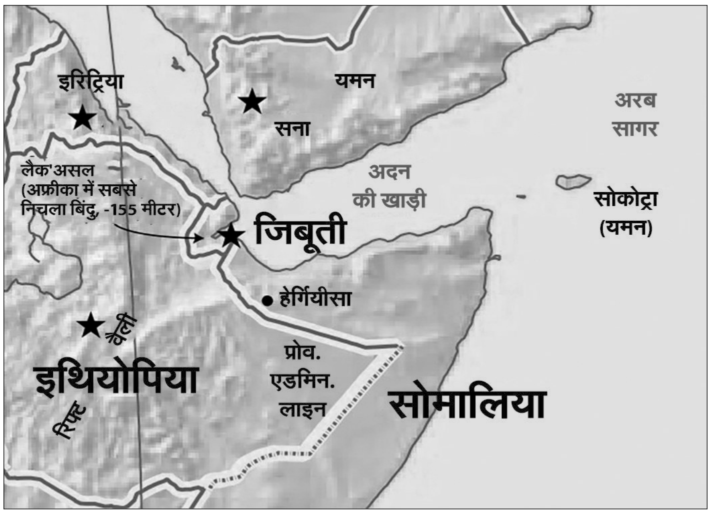

- **जहाज-यातायात का अत्याधिक आवागमन:** ये क्षेत्र अत्यधिक जहाज-यातायात के कारण **चोक पॉइंट** के रूप में कार्य करते हैं। जहाजों का संमिलन या उनकी एक ही स्थान पर मौजूगदी समुद्री डकैती के अवसर प्रदान करती है।
- **ख़राब शासन और सामाजिक समस्याएँ:** ख़राब शासन और आंतरिक संघर्ष वाले क्षेत्रों की निकटता से **बेरोज़गारी, गरीबी और अपराध में वृद्धि** होती है। ये कारण समुद्री डकैती में शामिल होने की प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं।
- **कानूनी जटिलताएँ और समन्वय सम्बन्धी चुनौतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय जल और जलसंधि** सहित ये क्षेत्र, कई देशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इससे **समुद्री अधिकार-क्षेत्रों के अतिव्यापी होने** के कारण कानूनी जटिलताएँ और समन्वय में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

समुद्री डकैती से निपटने के उपाय

राष्ट्रीय उपाय

- **समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022:** यह अधिनियम भारतीय प्राधिकारियों को समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के अनुरूप, **अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री डकैती से निपटने का अधिकार** प्रदान करता है। यह भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से परे, अर्थात् देश की तटरेखा से **200 समुद्री मील** से अधिक के क्षेत्रों पर लागू होता है।
- **अग्रसक्रिय समुद्री डकैती रोधी गश्ती:** भारतीय नौसेना वर्ष 2008 से **हॉर्न ऑफ अफ्रीका (Horn of Africa) और अदन की खाड़ी (Gulf of Aden)** के अशांत क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में निरंतर समुद्री डकैती रोधी गश्त के माध्यम से क्षेत्र में समुद्री डकैती के खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **बचाव अभियान:** भारतीय नौसेना ने जनवरी में श्रीलंका के मछली पकड़ने वाले जहाज़ (trawler) लोरेंजो पुथा को बचाने में **श्रीलंका और सेशेल्स** की नौसेनाओं के साथ सफलतापूर्वक समन्वय स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, अपतटीय गश्ती जहाज **आईएनएस सुमित्रा ने** 36 घंटों के भीतर दो ईरानी झण्डा लगी नौकाओं को त्वरित कार्रवाई करते हुए बचाया।

अंतर्राष्ट्रीय उपाय

- **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS): वर्ष 1982** में अंगीकृत, यह कन्वेंशन **वैश्विक महासागरों और समुद्रों में कानून व्यवस्था** का एक व्यापक शासन स्थापित करने के साथ, महासागरों और उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करनेवाले नियमों की स्थापना करता है। भारत द्वारा यूएनसीएलओएस (UNCLOS) का अनुमोदन किया गया है।
- **समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1974 (SOLAS): एसओएलएएस कन्वेंशन को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से** संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने एसओएलएएस (SOLAS) का अनुमोदन किया है।

आगे की राह

- **प्रवर्तन को मजबूत करना:** समुद्री डकैती को रोकने और प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला करने हेतु पुलिसिंग और समुद्री बलों को बेहतर बनाने के लिए निवेश करना चाहिए।
- **नौवहन सुरक्षा को बढ़ाना:** प्रभावी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करते हुए, अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए।
- **मूल कारणों का समाधान करना:** समुद्री डकैती से संबंधित घटनाओं को कम करने के लिए खराब शासन, संघर्ष, बेरोजगारी और गरीबी जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का प्रभावी समाधान करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बेहतर करना:** समुद्री क्षेत्राधिकारों में समुद्री डकैती की समस्या का समाधान करने में समन्वय से संबंधित चुनौतियों को दूर करने हेतु सहयोग को बढ़ावा देना और स्पष्ट कानूनी ढाँचे का निर्माण करना चाहिए।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 34 3/27/2024 1:14:32 PM

2.8. वाइमर त्रिकोण

संदर्भ

तीनों देशों (पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी) के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में पेरिस में मुलाकात की और वाइमर त्रिकोण के पुनरुद्धार के विषय में चर्चा की।

महत्वपूर्ण विवरण

- पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी की सरकारों ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए यूरोप की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का वादा किया है।
- पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यूरोप (विशेषकर यूरोपीय संघ) को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यूरोपीय संघ के रूस की तुलना में सैन्य रूप से कमजोर होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने और निकट सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
- जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस विदेशी दुष्प्रचार अभियानों (विशेष रूप से रूस से शुरू होनेवाले दुष्प्रचार अभियानों) से निपटने के लिए एक नए सहयोग का अनावरण करेंगे।
- उक्त तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने **रूसी इंटरनेट हमलों** का जवाब देने और उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए **एक संयुक्त तंत्र के गठन** पर चर्चा की।
- **पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूस को नाटो सदस्यों** (जो **अपने रक्षा खर्च को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं) पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के बाद ये बयान आए हैं।**
- **इज़राइल-हमास संघर्ष और मध्य पूर्व में अशांति के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता** बढ़ गई है, **जिसके परिणामस्वरूप ईरान समर्थित** हौथिस (Houthis) जैसे नागरिक सैन्य संगठनों ने सैन्य कार्रवाई का मार्ग अपनाया है। इससे अमेरिका का ध्यान यूरोप से दूर हो सकता है।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)

- यह एक **अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन** है। इसका **मुख्यालय बेल्जियम** में है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1949 में वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका) में उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि के रूप में भी जाना जाता है) पर हस्ताक्षर के साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा की गई थी।**
- नाटो के गठन का उद्देश्य **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के हमले के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था।**
- वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, **नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत** पर काम करता है, जहाँ किसी भी **नाटो सदस्य पर हमला सभी नाटो सदस्यों पर हमला** माना जाता है।
  - ✓ वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के जवाब में, अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया है।
- **सदस्य:** इसमें 31 सदस्य देश [दो उत्तरी अमेरिकी देश (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा), 28 यूरोपीय देश और एक यूरेशियन देश (तुर्की)] शामिल हैं।
- फिनलैंड वर्ष 2023 में 31वां सदस्य बना।
- **नाटो के कार्य:**
  - ✓ **राजनीतिक:** यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और विश्वास बनाने और संघर्ष को रोकने हेतु रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर सदस्य सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - ✓ **सैन्य:** नाटो विवादों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के तहत उसके पास संकट-प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति है।

1991: वाइमर त्रिकोण का गठन

वाइमर त्रिकोण क्या है?

> संवाद और सहयोग का एक मंच <
फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के बीच

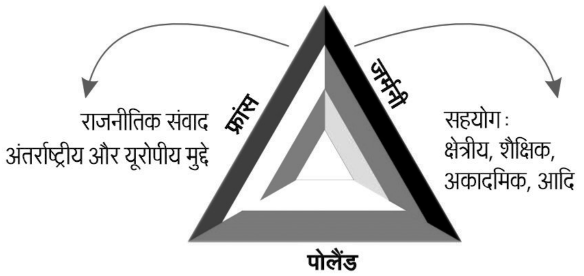

> राजनीतिक संवाद <

कौन? > राष्ट्राध्यक्ष और सरकार | विदेश और यूरोप के मंत्रियों | अन्य मंत्रियों | तीनों देशों के संसद सदस्य

क्यों? > **प्रारंभ में निम्न उद्देश्य थे:**

- नाटो (1999) और यूरोपीय संघ (2004) का समर्थन और पोलैंड के शामिल होने की तैयारी
- फ्रेंच-जर्मन मॉडल के आधार पर जर्मन-पोलिश सुलह का समर्थन

पोलैंड की यूरोपीय संघ की सदस्यता के बाद से निम्न लक्ष्य हेतु राजनीतिक बातचीत:

- यूरोप में प्रमुख सामयिक विषयों पर संयोजन स्थिति का विकास करना
- अधिक एकजुट और मजबूत यूरोपीय संघ बनाने के लिए यूरोपीय बहस में योगदान देना और वर्तमान चुनौतियों, विशेषकर यूक्रेन में संघर्ष का सामना करने हेतु एक साथ खड़े होना
- यूरोपीय बैठकों से पहले विचार-विमर्श
- त्रिपक्षीय सहयोग को गहरा करना

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 35 3/27/2024 1:14:32 PM

2.9. विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024

संदर्भ

हाल ही में, **भारत के प्रधानमंत्री** ने दुबई में आयोजित हुए **विश्व सरकार शिखर सम्मेलन** में **सम्मानित अतिथि (Guest of Honour)** के रूप में भाग लिया।

- **भारत, तुर्की और कतर** को वर्ष 2024 के **सम्मानित अतिथि बनाया गया है**।

मुख्य तथ्य

- वर्ष 2024 शिखर सम्मेलन का **थीम: भविष्य की सरकारों को आकार देना ("Shaping the Future Governments")**
- **कार्य सूची:** इस शिखर सम्मेलन में मुख्यतः निम्न छह विषयों पर जोर दिया गया है:
  1. सरकार की कार्य गति को बढ़ाने के साथ-साथ बदलाव
  2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आगामी सीमाएँ
  3. विकास की पुनर्कल्पना और भविष्य की अर्थव्यवस्थाएँ
  4. भविष्य के समाज और शिक्षा
  5. स्थिरता और नए वैश्विक बदलाव
  6. शहरीकरण और वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताएँ
- **भागीदारी:** इस शिखर सम्मेलन में 10 देशों के राष्ट्रपतियों और 10 देशों के प्रधानमंत्रियों सहित 20 विश्व नेताओं ने भाग लिया। इसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कुल मिलाकर, 4,000 लोगों ने भाग लिया।

भारत के प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य बाते

- **शासन का सिद्धांत:** "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" मंत्र पर जोर।
- **डिजिटल परिवर्तन:** भारत के कल्याण, समावेशिता और स्थिरता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा।
- **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण:** मानवीय आवश्यकताओं और कल्याण पर केंद्रित शासन का आह्वान।
- **महिला-नेतृत्व युक्त विकास:** एक समावेशी समाज प्राप्त करने के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **वैश्विक शासन सुधार का आह्वान:** बदलाव के दौर में देशों को वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर जोर।
- **बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ग्लोबल साउथ के लिए अधिक बल और प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर जोर।
- **वैश्विक प्रगति में भारत का योगदान:** भारत "विश्व बंधु" (विश्व का मित्र) के रूप में अपनी भूमिका के आधार पर वैश्विक प्रगति में योगदान देना जारी रखेगा।
- **जलवायु परिवर्तन कार्रवाई:** एक सतत विश्व बनाने हेतु मिशन लाईफ (LiFE) (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) में शामिल होने का आह्वान।
- **वैश्विक नेतृत्व:** जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर जोर। ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी चिंताओं को वैश्विक चर्चा में सबसे आगे लाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

विश्व सरकार शिखर सम्मेलन

- **वार्षिक कार्यक्रम:** विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो दुनिया भर के सरकार के प्रमुखों, नीति-निर्माताओं, विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाने का कार्य करता है।
- यह सरकारों के लिए एक वैश्विक ज्ञान आदान-प्रदान मंच है जिसे वर्ष 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के नेतृत्व में तैयार किया गया था।
- **लक्ष्य:** सरकारों की अगली पीढ़ी को प्रेरित और सक्षम बनाना।
- **परिकल्पना:** भविष्य की सरकारों को आकार देने के लिए वैश्विक मंच बनना।
- **उद्देश्य:** यह शिखर सम्मेलन शासन, नवाचार, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और आर्थिक विकास में वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा और समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **महत्व:** इस शिखर सम्मेलन का महत्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नवाचार और प्रगति से संबंधित मुख्य स्रोत के रूप में इसकी भूमिका, सकारात्मक परिवर्तन लाने और साझा वैश्विक समस्याओं का समाधान में निहित है।

2.10. उत्तर कोरिया का जापान सागर में क्रूज मिसाइल परीक्षण

संदर्भ

हाल ही में, **दक्षिण कोरिया की सेना कहा** कि उत्तर कोरिया ने **जापान सागर** में कई **क्रूज मिसाइलें दागीं हैं।**

विवरण

- उत्तर कोरिया ने नए प्रकार की सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल पदासुरी-6 का परीक्षण किया, जिसने अपने इच्छित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया।
- उत्तर कोरिया द्वारा दागीं गई मिसाइलें 1,400 सेकेंड तक पूर्वी सागर (जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **जापान सागर** के नाम से भी जाना जाता है) के ऊपर उड़ीं।
- इस बीच, अमेरिका और जापान 19 से 24 फरवरी तक संयुक्त एकीकृत **वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा अभ्यास** का आयोजन करने वाले हैं।
- इसके अतिरिक्त, मार्च के अंत में जापान अपने सैन्य कर्मियों के लिए **टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों (Tomahawk cruise missiles)** के इस्तेमाल से संबंधित प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है।

सतह से दागीं जानेवाली जहाजरोधी मिसाइल

- यह जहाजों या तटीय रक्षा प्रणालियों जैसी एक प्रकार की

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 36 3/27/2024 1:14:32 PM

सतह-आधारित प्लेटफार्मों से दागीं जाने वाली मिसाइल है, जिसे दुश्मन के नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इन मिसाइलों को विशेष रूप से **पानी के ऊपर संचालित करने के लिए डिज़ाइन करने के साथ-साथ समुद्री लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन पर अटैक करने से संबंधित निर्देशित करने वाली प्रणालियों** से लैस किया गया है।
- **ये मिसाइलें शत्रु के जहाजों के विरुद्ध लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करके** समुद्री नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता हैं, जिससे यह रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों तक विरोधियों की पहुँच को अवरुद्ध करके नौसैनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जापान सागर का विवरण

- **अवस्थिति**
  - ✓ पूर्वी एशिया में स्थित, जापान सागर (जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है) **पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर** है।
  - ✓ यह **पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप** से और पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि पर रूस और कोरिया से घिरा हुआ है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ**
  - ✓ यह समुद्र एक गहरे घाटी में स्थित है जो कि **पूर्वी चीन सागर से दक्षिण में त्सुशिमा और कोरिया जलडमरूमध्य द्वारा अलग** किया गया है।
  - ✓ यह उत्तर में, **ला पेरोस (La Perouse) और तातार जलडमरूमध्य द्वारा ओख़ोत्स्क सागर** से अलग होता है।
  - ✓ यह **पूर्व में कानमोन या कानन जलडमरूमध्य के माध्यम से जापान के अंतर्देशीय सागर (Inland Sea) से और त्सुगारू या सुगारू जलडमरूमध्य द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ता** है।

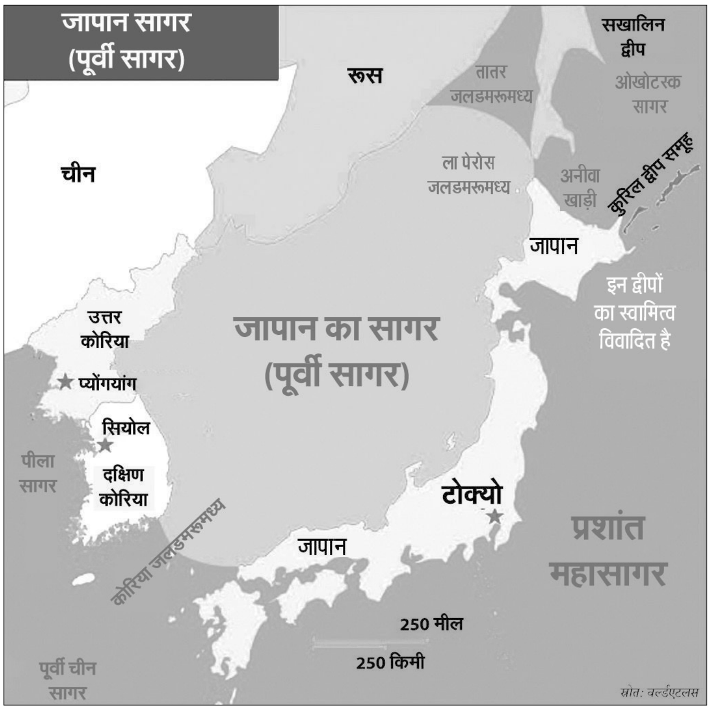

- ✓ **द्वीप समूह: दक्षिण कोरियाई द्वीप उल्लुंगडो (Ulleungdo)** को छोड़कर, जापान सागर में कोई बड़ा द्वीप नहीं है। अधिकांश छोटे द्वीप समुद्र के पूर्वी तट के पास स्थित हैं।
- ✓ **कुरील द्वीप समूह:** कुरील द्वीप समूह को लेकर जापान का रूस के साथ क्षेत्रीय विवाद है। जापान उन पर अपना जापानी क्षेत्र होने का दावा करता है, लेकिन वर्तमान में इन द्वीपों पर रूस का कब्ज़ा है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 37 3/27/2024 1:14:32 PM

3.1. अंतरिम बजट 2024

संदर्भ

हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया।

अंतरिम बजट 2024 की मुख्य बातें

विकसित भारत

- 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के सिद्धांतों और "सबका प्रयास" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए बजट का लक्ष्य **वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत** बनाना है।

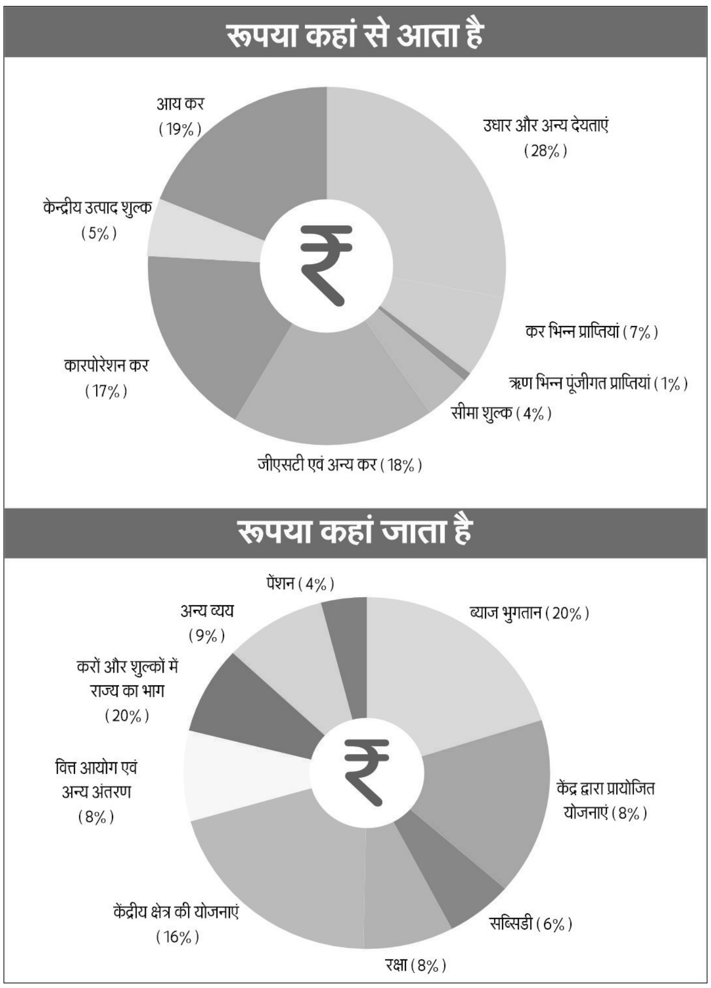

- बजट में विकसित भारत के दृष्टिकोण हेतु राज्य सरकारों द्वारा ठोस परिणामों से जुड़े सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए **पचास साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान** प्रस्तावित किया गया है।
- जैसे-जैसे भारत आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के करीब पहुंच रहा है, पहले ‹अमृत काल› के नाम से जाना जाता था अब उस काल का नाम बदलकर **'कर्तव्य काल'** कर दिया गया है।

प्राप्तियाँ एवं व्यय

- वर्ष 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां 30,80,274 करोड़ और व्यय 47,657,68 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

जीडीपी विकास दर

- वर्ष 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी 10.5% बढ़ने का अनुमान है।
- वास्तविक **जीडीपी वृद्धि** और वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर **मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर सांकेतिक (नॉमिनल) जीडीपी डेटा से प्राप्त की जाती है।**

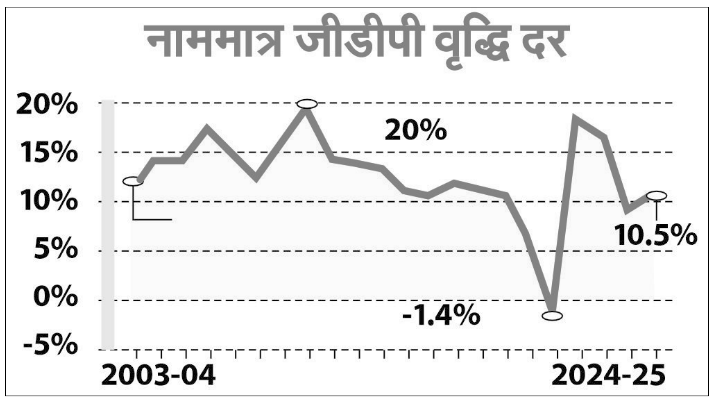

राजकोषीय उपाय

- **राजकोषीय घाटा:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा **सकल घरेलू उत्पाद का 5.8%** है और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 5.1% होने का अनुमान है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026 में इसे 4.5% से नीचे लाना है।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों हेतु कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- एक उल्लेखनीय कदम में वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 25,000 रुपये तक और वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेना शामिल है। इससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 38 3/27/2024 1:14:33 PM

सामाजिक क्षेत्र की पहल

- **लक्ष्य खंड:** प्रधानमंत्री चार प्रमुख क्षेत्रों के उत्थान के लिए समर्पित हैं: **'गरीब' (Poor), 'महिलाएं' (Women), 'युवा' (Youth) और 'अन्नदाता' (Farmer)।**

सरकारी कल्याणकारी पहलें	विवरण
गरीबी उन्मूलन	'सबका साथ' दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में सहायता की है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	पीएम-जन धन खातों के माध्यम से, सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (TBD) निष्पादित किया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।
पीएम-स्वनिधि योजना	इसके तहत 78 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण सहायता प्रदान की गई, 2.3 लाख विक्रेताओं को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।
पीएम-जनमन योजना	इसका लक्ष्य विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (जिन्हें पहले विकास पहल से बाहर रखा गया था) को लाभ प्रदान करना है।
पीएम-विश्वकर्मा योजना	इसमें 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।
पीएम-किसान सम्मान योजना	इसके द्वारा सीमांत और लघु किसानों सहित सालाना 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पीएम फसल बीमा योजना	यह 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 परिवर्तनकारी सुधार लेकर आई है; पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (IRHS MP) का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना और लोगों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है।
कौशल भारत मिशन	इसके तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुन: कुशल बनाया गया और 3000 नए आईटीआई स्थापित किए गए।

- **पीएम आवास योजना (ग्रामीण):** इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त दो करोड़ घरों की योजना के साथ जल्द ही तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करना है।
- **नई आवास योजना:** किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले **मध्यम वर्ग** के पात्र वर्गों को अपना घर खरीदने या निर्माण करने में सहायता के लिए एक नई सरकारी योजना शुरू की जाएगी।

महिला एवं बाल कल्याण पहल

- **जेंडर बजटिंग:** इसमें 38.6% की वृद्धि (अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि) की गई है, जेंडर बजटिंग अब कुल बजट का **6.5%** है।
- **सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण:** सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देगी।

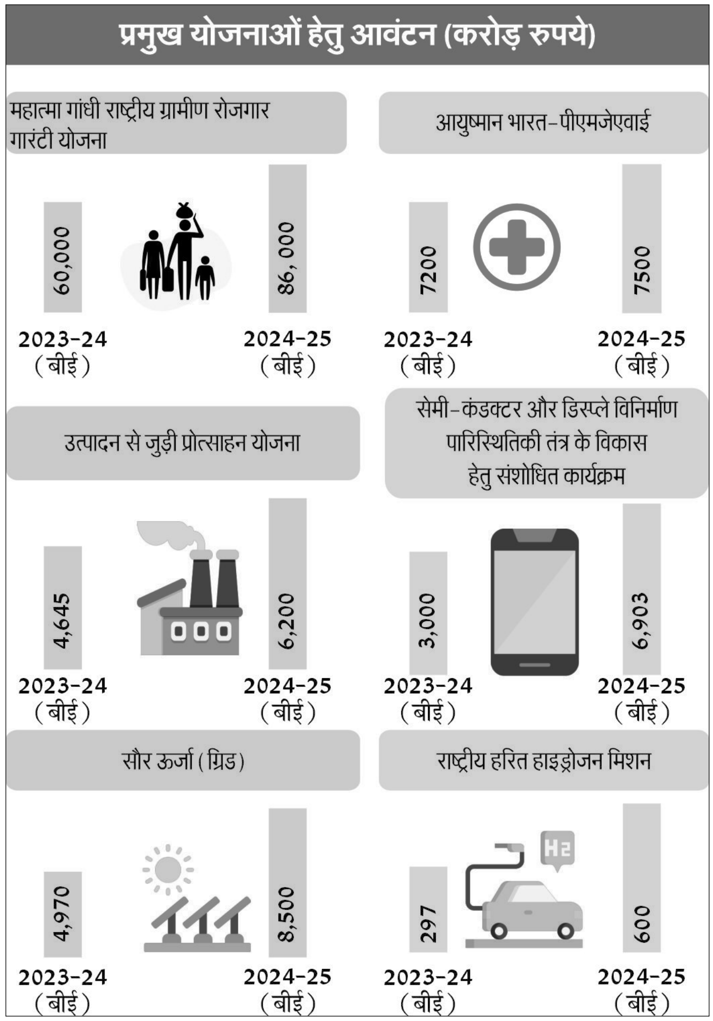

- **योजनाओं का एकीकरण:** पोषण वितरण और प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास में वृद्धि हेतु **"सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0"** के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।

जेंडर बजटिंग

- यह एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुख्यधारा में लाना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ महिलाओं को भी उतना ही मिले जितना पुरुषों को मिलता है।
- इसे वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया था, यह एक अलग बजट नहीं है, बल्कि एक लेखांकन अभ्यास है जो नीति और कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन में लिंग परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करता है।

- **यू-विन प्लेटफार्म:** मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के प्रबंधन हेतु राष्ट्रव्यापी मंच।
- **समावेशी स्वास्थ्य सेवा: सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को** शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में समावेशिता को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **लखपति दीदी सशक्तिकरण:** लखपति दीदी पहल (जिसका लक्ष्य महिलाओं के एक बड़े वर्ग का वित्तीय सशक्तिकरण करना है) का लक्ष्य 2 करोड़ से संशोधित कर 3 करोड़ कर दिया गया है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 39 3/27/2024 1:14:37 PM

निवेश पहल

- वर्ष 2014-23 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह **596 बिलियन डॉलर** था, जो वर्ष 2005-14 की तुलना में दोगुनी वृद्धि दर्शाता है।
- निरंतर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, **'पहले भारत विकसित करो'** की भावना के अनुरूप, विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत की जाएगी।

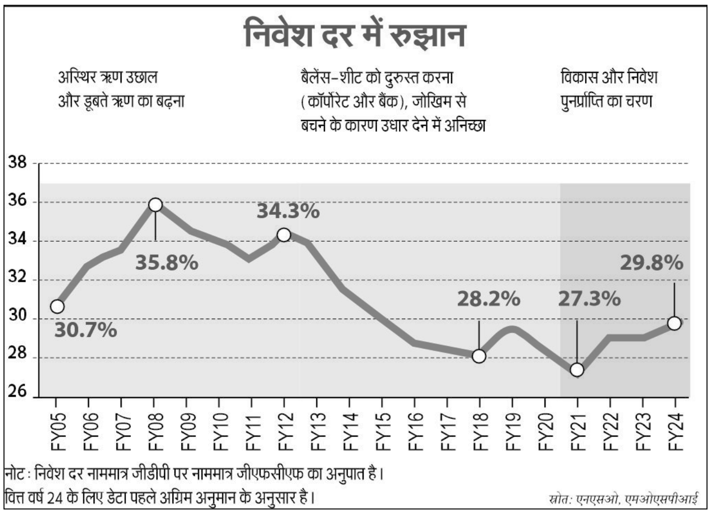

बुनियादी ढांचे की पहल

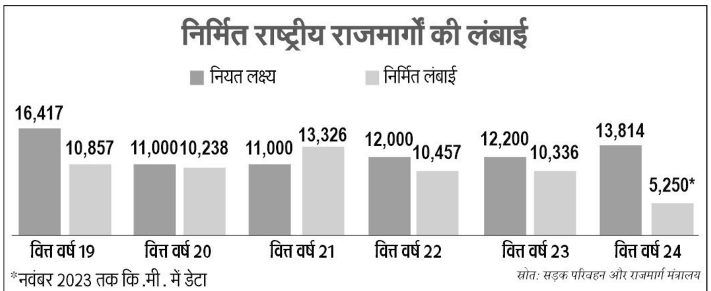

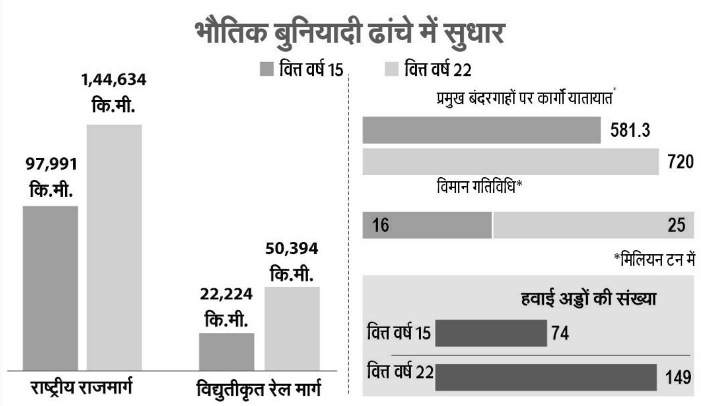

- **पूंजीगत व्यय:** बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय को 11.1% की दर से बढ़ाकर रु. 11,11,111 करोड़ **(जीडीपी के 3.4% के बराबर)** किया गया।
- **रेलवे कॉरिडोर:** बेहतर रसद दक्षता और लागत में कमी के लक्ष्य के साथ "पीएम गति शक्ति" के तहत निम्न तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:
  - ✓ ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे
  - ✓ बंदरगाह सम्पर्क कॉरिडोर
  - ✓ उच्च यातायात घनत्व गलियारे

पीएम गति शक्ति - मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान (2021)

- यह एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
- यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और सड़क मंत्रालयों सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया है।
- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता विकसित करना और वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है।

- **वंदे भारत: वंदे भारत** मानकों का पालन करने के लिए 40,000 नियमित रेल बोगियों का रूपांतरण।
- **हवाई कनेक्टिविटी:** भारत में हवाई सम्पर्क का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है।

हरित पहल

वर्ष 2070 तक 'कुल शून्य उत्सर्जन' की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- **छत पर सौर ऊर्जाकरण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगा। इससे सालाना प्रति घर 15,000 रुपये से 18,000 रुपये की बचत होगी।
- **व्यवहार्यता अंतर निधि** अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन में सहायता करेगी। इसका लक्ष्य एक गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता हासिल करने का है।

ग्रीन हाइड्रोजन

परिभाषा: नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस (पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना) द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) (2023):

- इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन की मांग, उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देना है, जिससे भारत इस क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित हो सके। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करना है।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में निम्न दो उप-योजनाएँ शामिल हैं:**
- **हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम (SIGHT) के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप:** यह घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण को बढ़ावा देता है। यह हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तन में तेजी लाने हेतु प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन हब:** यह बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन या उपयोग में सहायता करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान और विकास करता है एवं उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करता है।

- **कोयला गैसीकरण:** वर्ष 2030 तक, **100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता** स्थापित की जाएगी, जो प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात में कमी लाने में योगदान देगी।
- **बायोगैस सम्मिश्रण:** परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) और घरेलू उद्देश्यों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) में संपीड़ित बायोगैस (GBC) का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण सुनिश्चित किया जाएगा।
- **जैवनिर्माण:** एक **नई जैव-निर्माण और जैव-फाउंड्री योजना की शुरुआत,**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 40 3/27/2024 1:14:41 PM

जो बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करती है।

- **ग्रीन हाइड्रोजन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** (NGHM) के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र की पहल

- **नैनो डीएपी:** विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक का अनुप्रयोग सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा।
- **तिलहनों में आत्मनिर्भरता:** सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे **तिलहनों में** 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की जाएगी।
- **डेयरी क्षेत्र:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी सफल मौजूदा योजनाओं के आधार पर **डेयरी किसानों को सहायता देने के लिए** एक **व्यापक कार्यक्रम** तैयार किया जाएगा।
- **सब्सिडी बिल में गिरावट:** वर्ष 2024-25 में केंद्र का सब्सिडी बिल 3 एफ (खाद्य, उर्वरक और ईंधन) पर आधारित है जो पांच साल के निचले स्तर पर 3,81,175 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY):** इसे जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात को दोगुना करने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, **पांच एकीकृत एक्वापार्क** स्थापित किए जाएंगे।
- **नीली अर्थव्यवस्था: ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना** के शुरू होने से जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा।

नीली अर्थव्यवस्था

इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, आजीविका के साधनों को बेहतर करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति में सुधार करने के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है। शुरुआत में इसे **वर्ष 1994 में प्रोफेसर गुंटर पॉली द्वारा** पेश किया गया था जो कालांतर में वैश्विक आर्थिक दर्शन में से एक बन गया है।

मुख्य तत्व

- इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन और पर्यटन के लिए समुद्री संसाधनों का दोहन शामिल है।
- तटीय क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों और विकास को प्रोत्साहित करना जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकें और उसके अनुकूल ढल सकें।

भारत में नीली अर्थव्यवस्था के प्रेरक तत्व

- भारत की 7,516.6 कि.मी. की विस्तृत तटरेखा समुद्री और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है।
- 12 प्रमुख बंदरगाहों और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाहों की वजह से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार सुविधाजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।
- भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो संसाधन अन्वेषण हेतु विशाल क्षेत्र प्रदान करते हैं।

उठाए गए कदम

- **डीप ओशन मिशन:** इसका उद्देश्य हिंद महासागर में खनिजों का खनन करना है।
- **प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना (PMMSY):** यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास का लक्ष्य हेतु चलायी गई है।
- **सागरमाला परियोजना:** यह बंदरगाह आधुनिकीकरण और सम्पर्क सुविधा बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी:** यह सतत समुद्री संसाधन विकास हेतु एक रुपरेखा प्रदान करता है।

अनुसंधान और नवाचार पहल

- **सनराइज टेक्नोलॉजीज: पचास साल के न्यूनतम या ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये** का कोष बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य **सनराइज टेक्नोलॉजीज** में अनुसंधान और नवाचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देना है।

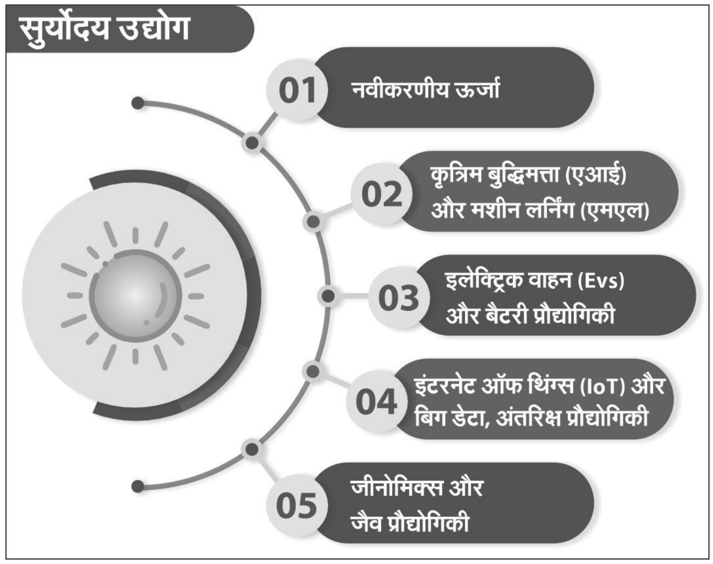

- **नवीकरणीय ऊर्जा,** कृत्रिम बुद्धिमत्ता **(AI) और मशीन लर्निंग (LM), इलेक्ट्रिक वाहन (VE) और बैटरी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (ToI) और बिग डेटा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स और जैव प्रौद्योगिकी**
- **डीप टेक:** रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो ‹आत्मनिर्भरता› की दिशा में तेजी लाएगा।

पर्यटन पहल

- **ब्याज मुक्त ऋण:** राज्यों को ब्रांडिंग और वैश्विक स्तर के विपणन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- **रेटिंग ढांचा: पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए** एक ढांचे की स्थापना की जाएगी जो उनके द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर आधारित होगी।
- **पर्यटन अवसंरचना:** घरेलू पर्यटन में बढ़ती रुचि को देखते हुए **लक्षद्वीप** सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह सम्पर्क सुविधा, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं से संबंधित परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

बजट का विवरण

- **वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112):**
  - ✓ भारतीय संविधान, अनुच्छेद 112 के तहत, भारत सरकार द्वारा एक वार्षिक वित्तीय विवरण (लोकप्रिय रूप से 'बजट' के रूप में जाना जाता है) की प्रस्तुति को एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देने की शक्ति देता है।
  - ✓ इसे संसद की मंजूरी लेनी होती है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 41 3/27/2024 1:14:42 PM

- **चुनाव के वर्षों में अंतरिम बजट**
  - ✓ चुनाव के वर्षों में, चुनाव के बाद कार्यकारिणी में संभावित बदलाव के कारण मौजूदा सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती है।
  - ✓ इसके बजाय, एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है, जिसमें नई सरकार के पूर्ण बजट पेश करने तक संक्रमणकालीन अवधि के लिए आवश्यक धनराशि की मंजूरी मांगी जाती है।
  - ✓ इसमें उस वर्ष के व्यय और प्राप्तियां दोनों अनुमान शामिल होते हैं।
  - ✓ यह कर नीति में बदलाव ला सकता है।
  - ✓ ध्यान दें कि, संविधान में अंतरिम बजट का जिक्र नहीं है।
- **लेखानुदान**
  - ✓ संविधान का अनुच्छेद 116 लोक सभा को ‹लेखानुदान› के माध्यम से किसी भी वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के अनुमानित व्यय के लिए अग्रिम अनुदान देने की अनुमति देता है।
  - ✓ इसमें केवल व्यय का अनुमान सूचीबद्ध होता है, प्राप्तियां नहीं।
  - ✓ यह कर नीति में परिवर्तन नहीं ला सकता।
  - ✓ यह भारत की संचित निधि से आवश्यक धन की निकासी को अधिकृत करता है।
  - ✓ यह बिना किसी बहस के एक सरल प्रक्रिया है और सीमित अवधि (दो से चार महीने) के लिए वैध होता है।

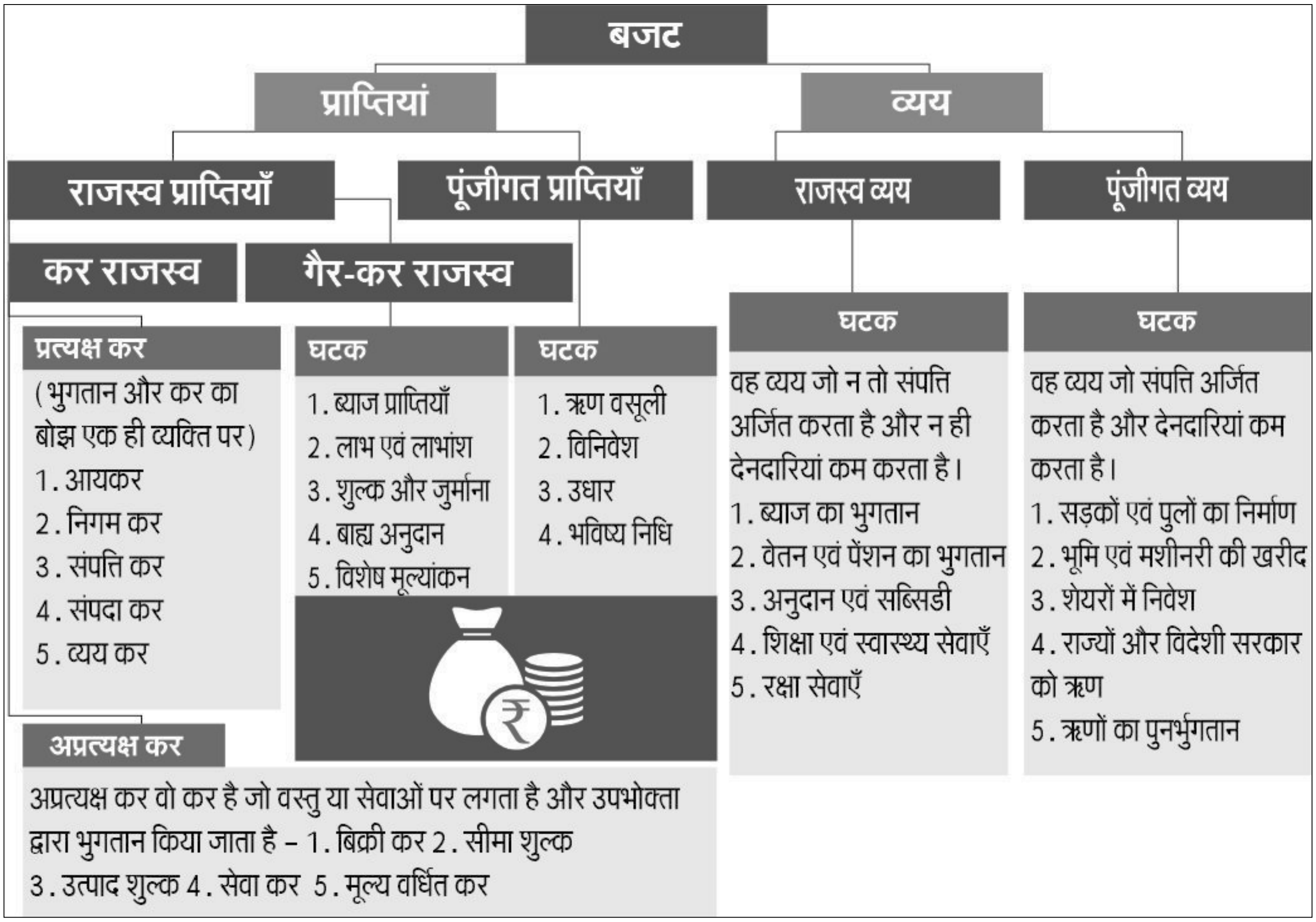

3.2. राजकोषीय समेकन

संदर्भ

भारत के वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए घोषणा की कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपना **राजकोषीय घाटा कम करते हुए उसे सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%** कर देगी।

मुख्य विवरण

- उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को **सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम करने की योजना का उल्लेख किया।**
- वित्त मंत्री के घोषित लक्ष्यों ने अधिकांश विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वे **सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5.3% या 5.4% से थोड़ा अधिक राजकोषीय घाटा होने की उम्मीद कर रहे थे।**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 42 3/27/2024 1:14:42 PM

- सरकार के संशोधित अनुमान में भी वित्तीय **वर्ष 2023-24** हेतु राजकोषीय घाटे में **जीडीपी का 5.8%** कमी का अनुमान दर्शाया गया था।

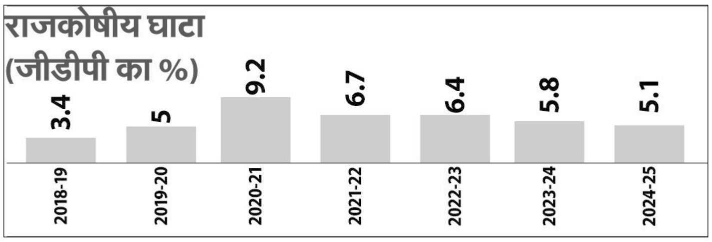

राजकोषीय घाटा क्या है?

- उधार को छोड़कर **राजस्व पर सरकारी खर्च की अधिकता** को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इस प्रकार, यह सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।
- राजकोषीय घाटा = (कुल व्यय) - (राजस्व प्राप्तियाँ + उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ)

राजकोषीय घाटे की वजह

(क) अधिक व्यय

1. **उच्च सब्सिडी:** भारत **खाद्य, ईंधन, उर्वरक** आदि हेतु सब्सिडी पर भारी खर्च करता है।
   - ✓ अंतरिम बजट 2024-25 में सब्सिडी पर कुल खर्च 4,09,723 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
   - ✓ **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** को 5 साल के लिए बढ़ाए जाने से सरकारी खजाने पर करीब **11.80 लाख करोड़** का बोझ पड़ेगा।
   - ✓ **उर्वरक सब्सिडी:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में उर्वरक सब्सिडी पर 1,64,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उर्वरकों के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी में बहुत अधिक वृद्धि की गई थी।
2. **ऋण चुकाने की उच्च लागत:** भारत के ऊपर ऋण पर ब्याज भुगतान का अधिक बोझ है, जिससे सरकार की अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन आवंटित करने की क्षमता कम हो जाती है।
   - ✓ वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने सामान्य सरकारी ऋण की मात्रा जीडीपी का 86.54% दर्ज किया।

(ख) कम राजस्व

1. **कर प्राप्तियाँ:** एक महत्वपूर्ण कारण करों और अन्य स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त राजस्व सृजित करने में सरकार की असमर्थता है।
   - ✓ वर्ष 2024-25 में सरकार की **कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है** जबकि इसका कुल राजस्व **30.8 लाख करोड़ रुपये** होने का अनुमान है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का **कुल खर्च 47.66 लाख करोड़ रुपये** होने का अनुमान है।
2. **अकुशल कर संग्रह:** बर्बादी और कर चोरी होने से सरकारी आय में और कमी आती है।
   - ✓ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) का अनुमान है कि **कर-चोरी और कर-परिहार के कारण भारत को सालाना लगभग 9.6 ट्रिलियन रुपये का नुकसान होता है।**
3. **आर्थिक मंदी:** आर्थिक मंदी के दौरान, सरकार के राजस्व में गिरावट आती है जबकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीतियों के कारण व्यय बढ़ सकता है।
   - ✓ कोविड-19 के दौरान, **वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.3% की गिरावट** हुई, जिससे कर संग्रह प्रभावित हुआ और घाटा बढ़ गया।

भारत में उच्च राजकोषीय घाटे का प्रभाव

- **उच्च मुद्रास्फीति: मुद्रा छापकर वित्तपोषित सरकारी खर्च** में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि, क्रय शक्ति में कमी और आर्थिक स्थिरता को नुकसान हो सकता है।
- **उच्च ब्याज दर:** उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दरों की ओर प्रेरित करती है जो ऋण वितरण में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है।
- **कम क्रेडिट रेटिंग:** बड़े और लगातार होने वाले घाटे के कारण **क्रेडिट रेटिंग में गिरावट हो सकती है,** जिससे **सरकार के लिए उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है और निवेश पर असर पड़ता है।**
- **निवेश में कमी:** जब सरकार भारी मात्रा में उधार लेती है, तो वह ऋण योग्य धनराशि के लिए निजी व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, जिससे संभावित रूप से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और निजी निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।
- **कल्याणकारी उपायों पर प्रभाव:** सरकार **घाटे को कम करने के लिए खर्च में कटौती या कर बढ़ोतरी** जैसे मितव्ययी उपायों को लागू कर सकती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक कार्यक्रमों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में राजकोषीय घाटे से निपटने हेतु किये गये उपाय

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act), 2003:** इस अधिनियम को राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।
  - ✓ इसमें मार्च 2008 के अंत तक राजस्व घाटे को पूरी तरह समाप्त करने और 3% का राजकोषीय घाटा हासिल करने का प्रावधान किया गया।
  - ✓ इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा और अन्य असाधारण परिस्थितियों के आधार पर राजकोषीय घाटों और राजस्व लक्ष्यों से विचलन की भी अनुमति दी।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति 2017:** एन.के. सिंह समिति ने पिछले लक्ष्यों को बहुत कठोर बताते हुए अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश की, जिनमें से कुछ निम्न हैं:
  - ✓ **ऋण का जीडीपी अनुपात** – इस समिति ने केंद्र सरकार के लिए 40% की सीमा और राज्यों के लिए 20% की सीमा के साथ 60%

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 43
3/27/2024 1:14:42 PM

के सामान्य सरकारी ऋण का जीडीपी अनुपात की सिफारिश की।

- ✓ इसने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के राजकोषीय घाटे के साथ वर्ष 2023 तक राजकोषीय और राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर कम करने हेतु **वार्षिक लक्ष्य** निर्धारित किया था।
- ✓ **राजकोषीय परिषद:** समिति ने बहु-वर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमान गठित करने, राजकोषीय रणनीति में बदलाव की सिफारिश करने और राजकोषीय लक्ष्य से विचलन की स्थिति होने पर सरकार को सलाह देने हेतु एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा।
- ✓ **बचाव खंड:** यह युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या तीव्र आर्थिक मंदी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में घाटे के लक्ष्य से विचलन की अनुमति देता है। हालाँकि, ये विचलन एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक नहीं हो सकते।
- ✓ **उछाल (उत्प्लावन) खंड:** यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अपेक्षा से काफी अधिक है (औसत से कम से कम 3% अंक ऊपर), तो घाटा लक्ष्य से 0.5% कम होना चाहिए।

अन्य कदम

- **विवेकपूर्ण खर्च:** सरकार को अनावश्यक खर्चों में कटौती करते हुए **बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण** जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर देते हुए निवेश के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
- **कर दरें और राजस्व संग्रह**
  - ✓ **अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाकर और कर का दायरा बढ़ाकर** अधिक व्यक्तियों और व्यवसायों को कर चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
  - ✓ **कर चोरों को पकड़ने और समग्र कर संग्रह दक्षता बढ़ाने** के लिए प्रौद्योगिकी और मजबूत प्रवर्तन का उपयोग किया जाय।
- **सब्सिडी प्रबंधन:**
  - ✓ **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणालियों का उपयोग करके** सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी सीधे उचित लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
  - ✓ **धीरे-धीरे उन सब्सिडी को समाप्त किया जाय** जो बाज़ारों को विकृत करती हैं या अप्रभावी हैं और उनके स्थान पर **अधिक लक्षित और कुशल** तंत्र स्थापित किया जाए।

आगे की राह

आगे बढ़ते हुए, भारत के राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें राजकोषीय अनुशासन पर जोर देना, कर अनुपालन में सुधार करना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना एवं आर्थिक विकास और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने हेतु संरचनात्मक सुधारों को लागू करना शामिल है।

3.3. विनिर्माण क्षेत्र पर रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 का **उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI)** पर रिपोर्ट जारी की गई।

मुख्य तथ्य

- **सकल मूल्य वृद्धि (GVA) में बढ़ोतरी:**
  - ✓ **वित्त वर्ष 2020-21 के लिए:** वित्त वर्ष 2019-20 में इसमें 8.8% (मौजूदा कीमतों में) की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से लागत में तेज गिरावट (4.1%)(जो कोविड से प्रभावित था) के कारण, जो कि एक वर्ष में क्षेत्र में उत्पादन संकुचन (1.9%) की भरपाई से अधिक था।
  - ✓ **वित्त वर्ष 2021-22 के लिए:** औद्योगिक उत्पादन में उच्च वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 26.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मौजूदा कीमतों में इस अवधि के दौरान मूल्य के संदर्भ में 35% से अधिक बढ़ी है।
  - ✓ वित्त वर्ष 2021-22 में इस वृद्धि के मुख्य चालक बुनियादी धातु, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्युटिकल उत्पाद, मोटर वाहन, खाद्य उत्पाद और रासायनिक और रसायन उत्पादों के निर्माण जैसे उद्योग थे।
  - ✓ इन उद्योगों ने क्षेत्र के कुल जीवीए में लगभग 56% का योगदान दिया और वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 34.4% की जीवीए वृद्धि और 37.5% की उत्पादन वृद्धि देखी।
  - ✓ प्रमुख राज्यों में (रैंक-वार)
    - **वित्त वर्ष 2020-21 के लिए:** गुजरात-महाराष्ट्र-तमिलनाडु-कर्नाटक-उत्तर प्रदेश।
    - **वित्त वर्ष 2021-22 के लिए:** महाराष्ट्र-गुजरात-तमिलनाडु-कर्नाटक-उत्तर प्रदेश।
    - शीर्ष पांच राज्यों ने मिलकर वित्त वर्ष 2020-21 के साथ-साथ वित्त वर्ष 2021-22 में देश के कुल विनिर्माण जीवीए में लगभग 53% का योगदान दिया।
- **कारखानों में कुल श्रमिक:** कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में 1.31 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 1.26 करोड़ हो गई।हालाँकि, वित्त वर्ष 2021-22 में, इन दो वर्षों में 2.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) वृद्धि के साथ, उनमें भी 1.36 करोड़ की वृद्धि हुई।
- **कारखानों में कुल रोजगार:** कारखानों में कर्मचारियों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में 1.66 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 1.60 करोड़ हो गई।
  - ✓ हालाँकि, 2021-22 में, कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 1.72 करोड़ हो गई, इस प्रकार वित्त वर्ष 2019-20 के पूर्व-महामारी वर्ष से 1.7% सीएजीआर का संकेत मिलता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 44 3/27/2024 1:14:42 PM

- ✓ इस क्षेत्र में रोजगार देने वाले शीर्ष पांच राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा थे। कुल मिलाकर, इन राज्यों ने दोनों वर्षों में कुल विनिर्माण रोजगार में लगभग 54% का योगदान दिया।

- **श्रमिक:** श्रमिक को कारखाना अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है और इसमें कारखाना परिसर में प्रवेश करने वाले लगभग सभी लोग शामिल हैं।
- **कर्मचारी:** कर्मचारी किसी नियोजित व्यक्ति के लिए एक सामान्य संदर्भ है जैसा कि विभिन्न अधिनियमों में प्रदान किया गया है और अधिनियम के बाहर इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2020-21 एवं 2021-22

	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के लिए सीएजीआर
कारखानों की संख्या	2,46,504	2,50,454	2,49,987	07
श्रमिकों की संख्या	1,30,58,156	1,25,94,563	1,36,09,931	2.1
कर्मचारियों की संख्या	1,65,68,526	1,60,25,118	1,71,51,172	1.7
वित्तीय स्थिति				
श्रमिकों को वेतन	2,28,90,520	2,22,61,548	2,64,55,930	7.5
कुल परिलब्धियां	4,91,72,897	4,83,89,031	5,60,82,801	68
शुद्ध स्थायी पूंजी निर्माण	1,43,61,795	32,25,819	30,42,540	-54.0
कुल निश्चित पूंजी निर्माण	4,16,71,537	3,13,61,805	3,30,07,225	-11.0
लाभ	4,69,47,269	6,14,05,752	9,50,71,368	42.3

मूल्य आंकड़े लाख रुपये में

स्रोत: एमओएसपीआई

- **सकल स्थिर पूंजी निर्माण (FCFG) (निवेश का संकेतक):** यह वित्त वर्ष 2019-20 के पूर्व-महामारी वर्ष में 4.17 लाख करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 3.14 लाख करोड़ रुपये हो गया।
  - ✓ वित्त वर्ष 2021-22 में, सकल स्थिर पूंजी निर्माण मामूली रूप से बढ़कर 3.30 लाख करोड़ रुपये हो गया, इस प्रकार वित्त वर्ष 2020-21 के लॉकडाउन-प्रभावित वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि देखी गई। हालाँकि, यह **महामारी-पूर्व वर्ष** 2019-20 से 11% से नीचे बना हुआ है।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र

- विनिर्माण क्षेत्र **भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है** एवं एक मूलभूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की लगभग 17% हिस्सेदारी है एवं यह **27.3 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है**, इस प्रकार यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011** का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना था।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढांचे की कमी**
  - ✓ सीमित बिजली और परिवहन प्रणाली
  - ✓ बंदरगाहों पर अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स और उच्च अवागमन समय
- **कुशल श्रमिकों की कमी**
  - ✓ तकनीकी व्यवसायों में कुशल श्रमिकों की कमी
  - ✓ उपलब्ध कौशल और उद्योग हेतु जरूरी कौशल के बीच अंतर
- **विनियामक वातावरण का अभाव**
  - ✓ जटिल और नौकरशाही अनुमोदन प्रक्रियाएँ
  - ✓ श्रम नियमों को कठोर और अनम्य माना जाता है।
  - ✓ उच्च अनुपालन लागत प्रतिस्पर्धा में बाधक है।
- **मांग-पक्ष की बाधाएँ**
  - ✓ जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के बीच कम खर्च योग्य आय
  - ✓ वैश्विक प्रतिस्पर्धा और निर्यात बाज़ारों में चुनौतियाँ
- **नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में निवेश का अभाव**
  - ✓ वर्ष 2023 में, भारत का अनुसंधान और विकास खर्च **सकल घरेलू उत्पाद का 0.8%** था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (2.8%), चीन (2.1%), इज़राइल (4.3%), दक्षिण कोरिया (4.6%) की तुलना में काफी कम है।
- **छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों की वित्त तक सीमित पहुंच**
  - ✓ वित्तीय बाधाएँ विकास और उत्पादकता को बाधित कर सकती हैं, जिससे समग्र विनिर्माण परिदृश्य में उनका योगदान बाधित हो सकता है।
- **खंडित आपूर्ति शृंखलाएँ और अपर्याप्त एकीकरण**
  - ✓ आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर निर्बाध एकीकरण और समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप अक्षमताएं, उच्च लागत और बाजार की मांगों की तुरंत आपूर्ति में कठिनाइयां होती हैं।

विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु की गई पहल

- **मेक इन इंडिया पहल:** इसका उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना एवं भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार हेतु मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों, इलाकों और केंद्र की स्थापना करना है।
- **व्यवसाय करने में आसानी:** इसका उद्देश्य मंत्रालयों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सरकार से व्यवसाय और नागरिक अंतक्रिया (Interfaces) को सरल, तर्कसंगत, डिजिटलीकरण और अपराधमुक्त करते हुए व्यवसाय करने में आसानी और जीवनयापन दशाओं में सुधार करना है।
- **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP):** यह अभिनव दृष्टिकोण मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य अंततः लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP):** इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना और इसे अन्य विकसित देशों के बराबर ले जाना है। इसका व्यापक लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं:** इसका उद्देश्य भारत की विनिर्माण शक्ति को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना और पर्याप्त रोजगार पैदा करना, अगले पांच वर्षों और उससे आगे के समय में उच्च उत्पादन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 45 3/27/2024 1:14:42 PM

- **नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP):** यह देश भर में उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2020-25 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है।
- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):** इसका उद्देश्य ब्राउनफील्ड (निष्क्रिय) परियोजनाओं के राजस्व अधिकारों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करके नए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र के निवेश का दोहन करना है। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक, चार वर्षों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों को पट्टे पर देने के माध्यम से इसकी कुल मुद्रीकरण क्षमता 6.0 लाख करोड़ रुपये है।

आगे की राह

- **चीन से सीख:** हालाँकि भारत के सेवा क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, लेकिन विनिर्माण पर चीन के लक्ष्य की तुलना में इसने पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं किया है। भारत को निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास (लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी) और कौशल विकास (व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योग-संरेखित कौशल) को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- **समग्र दृष्टिकोण:** चीन के राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे डेटा-संचालित दृष्टिकोण के साथ मेक इन इंडिया जैसी व्यापक नीतियों का मजबूत कार्यान्वयन।
- **नवाचार और वित्तपोषण:** कर छूट और साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करना। एसएमई के लिए वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करना, जो उनके विकास और क्षेत्र में योगदान के लिए महत्वपूर्ण है।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु स्वचालन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल विनिर्माण जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- **आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण:** प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बाजार की मांगों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए कुशल, एकीकृत नेटवर्क का निर्माण करके खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठीक करना।

3.4. फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 (किसान आंदोलन 2.0)

संदर्भ

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगभग दो वर्षों के बाद पुनः दिल्ली के आसपास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों (जिन्हें **फार्मर प्रोटेस्ट 2.0** भी कहा जाता है) ने **'दिल्ली चलो'** का आह्वान किया है।

किसानों की प्रमुख मांगें

- विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) कर रहे हैं।
- किसानों ने सरकार पर उनकी आय दोगुनी करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आदि जैसी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
- किसानों की मुख्य मांग **सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून** बनाना और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फसल की कीमतों का निर्धारण करना है।
- **किसानों की अन्य मांगें-**
  - ✓ किसानों-मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ।
  - ✓ किसानों और कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये।
  - ✓ विश्व व्यापार संगठन (WTO) से बाहर निकलना और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाना।
  - ✓ बिजली संशोधन विधेयक 2020 को ख़त्म करना।
  - ✓ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन [जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टरेट दर (सरकारी दर) से चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है]।
  - ✓ मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिनों (100 दिनों के बजाय) का रोजगार।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)

- यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- वर्तमान में, आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, एक सदस्य (आधिकारिक) और दो सदस्य (गैर-आधिकारिक) शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और देश में उभरती मांग के अनुरूप उत्पादकता और समग्र अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- यह कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में तेज गिरावट से बचाने के लिए **सरकार द्वारा नियोजित बाजार हस्तक्षेप रणनीति** का एक रूप है।
- वर्तमान में, **23 फसलों के लिए एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** की सिफारिशों के आधार पर **बुवाई के मौसम** की शुरुआत में **आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)** द्वारा घोषित की जाती है।
- सरकार ने **गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)** के साथ-साथ कुल **22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की है।** घोषणा में शामिल की गई फसलों की सूची निम्न है:
  - ✓ **अनाज (7)** - धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
  - ✓ **दालें (5)** - चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
  - ✓ **तिलहन (8)** - मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, खोपरा (गरी), सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल बीज (nigerseed)
  - ✓ अन्य फसलों में कच्चा कपास और कच्चा जूट शामिल हैं।
- इसके अलावा, तोरिया और छिलके रहित नारियल का न्यूनतम

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 46 3/27/2024 1:14:42 PM

समर्थन मूल्य क्रमशः सफेद सरसों/सरसों और खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय किया जाता है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्यों के लिए सिफारिशें तैयार करने में कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे- **उत्पादन की लागत (ए2+एफएल विधि)**, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समानता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, आदि।

भारत में एमएसपी को कानूनी साधन बनाने की व्यवहार्यता

विरोध में तर्क	समर्थन में तर्क
खाद्यान्न की बर्बादी: एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद से अधिक उत्पादन हो सकता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी और भंडारण की समस्या उत्पन्न हो सकती है।	**अप्रभाविकता:** वर्तमान एमएसपी प्रणाली ने किसानों को कई फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं दी है, जिसके कारण फसल बेचने में परेशानी होती है और पारिश्रमिक कम मिलता है।
फसल प्रतिरूप: इससे फसल प्रतिरुप में विकृति भी आ सकती है, क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में एमएसपी वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे जैव विविधता और मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ सकता है।	**किसान सुरक्षा:** एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है, खासकर कम बाजार कीमतों के दौरान।
राजकोषीय बोझ: बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर बड़ी मात्रा में फसल खरीदना सरकार के लिए महंगा हो सकता है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।	**स्थिरता और पूर्वानुमान:** न्यूनतम कीमत जानने से किसानों को अपने उत्पादन और निवेश की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
मूल्य अंतराल भुगतान (PDP) जैसी योजनाएं व्यापारियों द्वारा हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं, जिससे सरकार की लागत में वृद्धि होगी और किसानों की बजाय व्यापारियों को संभावित लाभ होगा।	**उत्पादन हेतु प्रोत्साहन:** एमएसपी किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकता है।

एमएसपी से संबंधित स्वामीनाथन आयोग

- स्वामीनाथन आयोग ने प्रस्ताव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत से कम से कम 50% ऊपर निर्धारित किया जाना चाहिए।
  - ✓ इसे **C2+ 50% फॉर्मूला** के रूप में जाना जाता है।
- आयोग ने **उत्पादन लागत की गणना के लिए निम्न तीन तरीकों** की रूपरेखा तैयार की:
  - ✓ **ए2:** किसी विशेष फसल के उत्पादन में किसान द्वारा लगायी गई लागत। इसमें कई तत्व शामिल हैं, जैसे- बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर दी गई भूमि, मजदूरी पर व्यय, मशीनरी और ईंधन पर व्यय।
  - ✓ **ए2+एफएल:** किसान द्वारा किया गया खर्च और पारिवारिक श्रम का मूल्य।
  - ✓ **सी2:** एक व्यापक लागत है, जो ए2+एफएल लागत और स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराये का मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया है।
- वर्तमान में, कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए **A2+FL पद्धति** का उपयोग करता है।

आगे की राह

- **गहन आर्थिक विश्लेषण:** स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का गहन आर्थिक मूल्यांकन करना और व्यवहार्य विकल्पों पर विचार करना अनिवार्य है।
- **व्यवहार्य विकल्पों का कार्यान्वयन:** बढ़ी हुई वित्तीय सहायता, बेहतर बाजार पहुंच और प्रभावी जोखिम शमन उपायों सहित व्यावहारिक विकल्पों की खोज और कार्यान्वयन, किसानों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है।
- **समग्र कृषि विकास:** न्यूनतम समर्थन मूल्य से परे, समग्र किसान कल्याण को बढ़ाने हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार, सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन के विविधीकरण जैसे व्यापक कृषि विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करना।
- किसी भी नीतिगत निर्णय के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए इससे **किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ** हो।

3.5. वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024

संदर्भ

हाल ही में, वैश्विक दलहन सम्मेलन 14 से 17 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

सम्मेलन के मुख्य विवरण

- यह सम्मेलन 18 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया गया था। वर्ष 2023 में यह सम्मेलन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था।

वैश्विक दलहन सम्मेलन

- यह 50 से अधिक देशों के दाल उत्पादकों, प्रसंस्करण कर्ताओं और व्यापारियों की एक वार्षिक बैठक है।
- इस सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (GPC) द्वारा आयोजित किया जाता है, जो दाल उद्योग मूल्य श्रृंखला के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है।

विश्व दलहन दिवस

- यह वैश्विक खाद्य के रूप में दालों के महत्व को पहचानने हेतु एक नामित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कार्यक्रम है।
- वर्ष 2019 से इसे प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है।

- **थीम (2024):** मृदा और लोगों का पोषण (पर्यावरणीय स्थिरता और पोषण में फसलों की भूमिका)।
- सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (GPC) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (PSM) में नियमित रूप से वृद्धि करके देश में दाल की खेती में सुधार

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 47 3/27/2024 1:14:42 PM

के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

- दालों के उत्पादन में बीते दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 में 171 लाख टन से 60% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2024 में 270 लाख टन हो गई है।

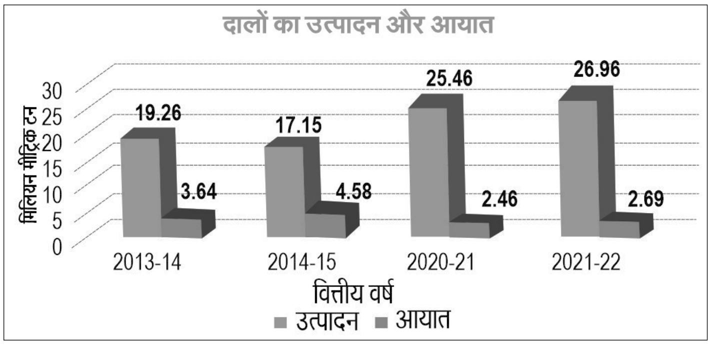

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2027 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
  - ✓ इसने पहले ही चना और कई अन्य दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हालाँकि, अरहर और उड़द दाल में थोड़ी कमी बनी हुई है।
- **भारत ब्रांड:** भारत चना दाल ने भारत के चना दाल बाजार के लगभग 25% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। (भारत ब्रांड को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है)।
- सरकार ने बीजों की नई किस्मों की आपूर्ति बढ़ाने और अरहर तथा उड़द की खेती के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने जैसे उपाय भी किए हैं।

भारत में दलहन उत्पादन का अवलोकन

- भारत वैश्विक **स्तर पर दालों का सबसे बड़ा उत्पादक** (वैश्विक उत्पादन का 25%), **उपभोक्ता** (वैश्विक खपत का 27%) और **आयातक** (14%) है।
- खाद्यान्न के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र में दालों की हिस्सेदारी लगभग 20% है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10% है।
- हालांकि, दालों की खेती दोनों मौसम (ख़रीफ़ और रबी) में की जाती है, लेकिन रबी मौसम की दालें कुल उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान देती हैं।
- सभी दालों में चना एक प्रमुख दाल है तथा क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है।
  - ✓ कुल दाल उत्पादन में चने की प्रमुख हिस्सेदारी (लगभग 40%) है, इसके बाद तुअर/अरहर की 15-20% और उड़द और मूंग की लगभग 8-10% हिस्सेदारी है।
  - ✓ वैश्विक चना/बूट उत्पादन का 65% हिस्सा अकेले भारत में होता है।
- नोट: उड़द और मूंग खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं।

भारत की प्रमुख दालें

रबी दालें	ख़रीफ़ दलहन
चना (चना/बंगाल चना), मसूर, मटर, उड़द, मूंग, राजमा आदि।	अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, कुलथी, आदि।
बुआई क्षेत्र के मामले में चना/बूट पहले स्थान पर है, उसके बाद मसूर और मटर का स्थान है।	बुआई क्षेत्र के मामले में तुअर/अरहर पहले स्थान पर है, उसके बाद उड़द और मूंग है।
प्रमुख रबी मौसम दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश (32.3%), उत्तर प्रदेश (12.5%) और राजस्थान (10.9%) हैं।	प्रमुख खरीफ दलहन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र (25%), राजस्थान (15%) और कर्नाटक (11.2%) हैं।

दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी उपाय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) दालें (Pulses)

- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी जिलों में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से दालों का उत्पादन बढ़ाने की देखरेख करता है।
- **पीएम-आशा:** इसमें अधिसूचित दालों और खोपरा (गरी) की उपज के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने हेतु मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य अंतराल भुगतान योजना (PDPS) और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) शामिल हैं।
- **तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना (ISOPOM):** किसानों को ब्रीडर बीज की खरीद, आधार बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **किसानों के लिए एमएसपी:** वर्तमान में, सरकार केवल पांच दलहन फसलों (चना, मसूर, तुअर/अरहर, मूंग और उड़द) का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान पहल

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देनेवाली किस्मों को विकसित करने और उत्पादन समूहों (packages) को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने हेतु बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करती है।
- देश में व्यावसायिक खेती के लिए दालों की लगभग 343 उच्च उपज देने वाली किस्मों को अधिसूचित किया गया है।

दलहन उत्पादन के लाभ

- **पोषण मूल्य:** दालें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थ है। आहार में दालों को शामिल करने से पोषण बढ़ सकता है और समग्र स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है (खासकर पशु प्रोटीन तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में)।
- **मृदा स्वास्थ्य में सुधार:** दलहनें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकती हैं, अपनी जड़ की गांठों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंधों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 48 3/27/2024 1:14:42 PM

बढ़ा सकती हैं। इससे कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है।

- **आय सृजन:** मुख्य फसलों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च बाजार मूल्य के कारण दालें किसानों (विशेष रूप से छोटे किसानों) के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन:** दालें मिट्टी में कार्बन को सोखकर और कृत्रिम उर्वरक के उपयोग से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करती हैं। दालों के उत्पादन में कम पानी की आवश्यकता होती है जो उन्हें सूखे की स्थिति में अधिक लचीला बनाती है।

भारत में कम उत्पादन हेतु जिम्मेदार चुनौतियाँ

- **कम उत्पादकता:** ऐतिहासिक रूप से, दालों को अस्थिर पैदावार का सामना करना पड़ा है, जिससे एक फसल के रूप में उनकी स्थिति उपेक्षित रही है।
- **जलवायु परिवर्तनशीलता:** दलहन की खेती मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में होती है। यह उन्हें अनियमित वर्षा और सूखे जैसे जलवायु उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे उपज में विसंगतियां पैदा होती हैं।
- गेहूं, चावल आदि जैसी कुछ फसलों के लिए खुली खरीद नीति से किसानों को उत्पादन हेतु वैकल्पिक राह मिल सकती हैं। इससे दलहन उत्पादन में गिरावट आती है।
- **कटाई के बाद के नुकसान:** फसल कटाई के बाद के नुकसान में भंडारण से संबंधित नुकसान (जिसमें अतिरिक्त नमी और कीट संक्रमण, विशेष रूप से पल्स बीटल शामिल हैं) होते हैं।
- **हरित क्रांति का प्रभाव:** चावल और गेहूं पर जोर देने से दालें सीमांत भूमि पर चली गईं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट आई और भूमि का क्षरण हुआ।
- **अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) वाले बीजों को कम अपनाना:** उनकी क्षमता के बावजूद, दलहन बीजों की अधिक उपज देनेवाली किस्मों की सीमित पहुंच और उन्हें अपनाने का दर कम है, जिससे उत्पादन में बाधा आ रही है।

आगे की राह

- **सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना:** सतत कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर देना जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं, पानी का संरक्षण करती हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं।
- **सरकार की सहायता:** नीतिगत ढांचे को मजबूत करना और दालों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, जिसमें निवेश (input) हेतु सब्सिडी, ऋण तक पहुंच और फसल के नुकसान के सापेक्ष बीमा कवरेज शामिल है।
- **विस्तार सेवाएँ:** दलहन की खेती, कीट प्रबंधन और फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान का प्रसार करने हेतु जानकारी देने वाली सेवाओं का विस्तार करना, विशेष रूप से छोटे किसानों तक पहुँचना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और दलहन किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु सिंचाई, भंडारण और बाजार संपर्क जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- **क्षमता निर्माण:** किसानों को सफल दलहन खेती के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं उपलब्ध कराना।
- **जन जागरूकता अभियान:** दालों के पोषण संबंधी लाभों को प्रचारित करना और उनकी खपत को बढ़ावा देना, जिससे मांग और बाजार के अवसर का विस्तार हो।

3.6. स्थानीय फिनटेक क्षेत्र

संदर्भ

हाल ही में **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत में फिनटेक क्षेत्र पर चिंता** व्यक्त की है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- समिति ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय फिनटेक ऐप्स को विनियमित करना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) जैसे निकायों के लिए कई अधिक्षेत्रों वाली विदेशी संस्थाओं की तुलना में अधिक व्यवहार्य होगा।
- समिति ने पाया कि बाजार में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले **फोनपे और गूगल पे का प्रभुत्व है, जो सामूहिक रूप से भारत में यूपीआई बाजार का 83.3% हिस्सेदारी रखते हैं।**
- फोनपे की हिस्सेदारी **46.91% थी, जबकि गूगल पे की हिस्सेदारी 36.39% और पेटीएम की हिस्सेदारी 12.32% थी।**
  - ✓ अन्य भारतीय कम्पनियों, जैसे- क्रेड, अमेज़ॅन पे, भीम और व्हाट्सएप पे की बाजार हिस्सेदारी कम थी।
- वित्त वर्ष 2023 में मात्रा के हिसाब से यूपीआई लेनदेन का हिस्सा सभी डिजिटल भुगतानों का 73.5% होने के बावजूद, उनका मूल्य अनुपात 6.668% था, जो वित्त वर्ष 2019 से लगातार बढ़ रहा है।
- समिति ने यह भी पाया कि यूपीआई **के माध्यम से धोखाधड़ी बनाम बिक्री अनुपात वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 (सितंबर 2023 तक)** के बीच 0.0016% पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा, हालांकि यूपीआई **धोखाधड़ी की वास्तविक आंकड़ा राशि और संख्या में बढ़ रहा है।**
- **फिनटेक क्षेत्र में काले धन को वैध करने में वृद्धि:** समिति ने पाया कि घोटालेबाज अपने पैसे को सफेद करने के लिए विभिन्न फिनटेक क्षेत्र के ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 49 3/27/2024 1:14:42 PM

✓ पिप्पल नामक पूर्व-अबू धाबी-आधारित ऐप जैसे उदाहरण भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करते थे।

फिनटेक

- "फिनटेक" को "वित्तीय प्रौद्योगिकी" से लिया गया है और यह वित्तीय सेवाओं की प्रदायगी एवं उपयोग को बेहतर बनाने और स्वचालित करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का प्रतीक है।
- **दायरा:** इसमें डिजिटल नवाचारों का लाभ उठाने वाली सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- **सेवाएँ:** इसमें डिजिटल भुगतान, समकक्ष से समकक्ष में ऋण लेनदेन, रोबो-सलाहकार, ब्लॉकचेन आदि शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में दक्षता, पहुंच और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- **परंपरा से परे:** फिनटेक समाधान पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों से आगे बढ़कर उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए नए समाधान पेश करते हैं।
- **फिनटेक के प्रमुख घटक:** इसमें उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें निम्न शामिल हैं:
  - ✓ **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** यह सार्वजनिक और निजी सेवा प्रदायगी हेतु महत्वपूर्ण सहयोग, वाणिज्य और शासन जैसे आवश्यक कार्यों को सुविधाजनक बनाता है।
  - ✓ **डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs):** इसमें निजता और सर्वोत्तम साधनों का पालन करते हुए ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर, ओपन डेटा और ओपन एआई मॉडल शामिल हैं।

भारत में फिनटेक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- **तेजी से विकास:** भारतीय फिनटेक बाजार विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़नेवाले बाजारों में से एक है, वित्त वर्ष 2020 में 50-60 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार किया और वर्ष 2025 तक इसके 150 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- **कंपनियों की बढ़ती संख्या:** वर्तमान में भारत में 6,636 फिनटेक कंपनियां हैं।
- **विविध उप-खंड:** भारत में फिनटेक में भुगतान, उधार, वेल्थटेक, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, इंश्योरटेक और रेगटेक जैसे विभिन्न उप-खंड शामिल हैं।
- **निवेश लक्ष्य में बदलाव:** जबकि भुगतान और वैकल्पिक वित्त शुरू में निवेश प्रवाह पर हावी थे, अब इंश्योरटेक और रेगटेक जैसे क्षेत्रों में अधिक न्यायसंगत वितरण हो रहा है।
- **डिजिटल भुगतान अपनाने में अग्रणी:** भारत वास्तविक समय के ऑनलाइन लेनदेन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की संयुक्त संख्या को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर अग्रणी देश है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- **साइबर हमले:** वित्तीय संस्थानों और उपभोक्ताओं को निशाना बनाकर साइबर हमलों की बढ़ती घटनाएं।
- **डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिमों के संबंध में बढ़ती चिंताएँ।
- **नियामक कठिनाइयाँ:** नियामक चुनौतियाँ, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी जैसे उभरते क्षेत्रों में।

सरकार के उपाय

- **जन धन योजना:** इसके द्वारा 450 मिलियन से अधिक लाभार्थियों हेतु वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान की गई एवं फिनटेक नवाचार के लिए लाभकारी व्यवस्था प्रदान की गई।
- **इंडिया स्टैक:** यह एपीआई का एक संग्रह है जो डिजिटल समाधानों के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने हेतु सरकारों, व्यवसायों और स्टार्टअप को सशक्त बनाता है।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (IPU):** यह मोबाइल ऐप-आधारित एक भुगतान प्रणाली है जो बैंक खातों के बीच निर्बाध धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
- **डिजिटल रुपया:** यह भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) है जिससे फिनटेक बाजार के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।
- **यूपीआई123पे और यूपीआई लाइट की शुरुआत:** यह 400 मिलियन से अधिक फोन ग्राहकों को यूपीआई तक पहुंच की सुविधा देता है और ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से ऑफ़लाइन मोड में कम मूल्य के लेनदेन की भी सुविधा देता है।
- **आरबीआई भुगतान विजन 2025:** भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्दिष्ट सफलता हासिल करने की योजना बनाई है, जैसे- कई डिजिटल भुगतान लेनदेन में 3 गुना वृद्धि, मोबाइल-आधारित लेनदेन हेतु पंजीकृत ग्राहक आधार में 50% सीएजीआर की वृद्धि, पीपीआई लेनदेन में 150% की वृद्धि और वर्ष 2025 तक कार्ड स्वीकृति बुनियादी ढांचे को 25 मिलियन तक बढ़ाना।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफ़ारिशें

- **डिजिटल भुगतान ऐप्स का प्रभावी विनियमन:** समिति ने विभिन्न ऐप्स के सार्थक उपयोग हेतु डिजिटल भुगतान ऐप्स के प्रभावी विनियमन की सिफारिश की है।
- **लेनदेन पर सीमा:** समिति ने सिफारिश की है कि किसी भी तृतीय-पक्ष ऐप द्वारा लेनदेन की कुल संख्या (व्यक्तिगत रूप से) इंटरफेस (माध्यम) का उपयोग करके किए गए कुल लेनदेन के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **डिजिटल भुगतान बाजार की पैठ बढ़ाना:** समिति ने सिफारिश की है कि नए खिलाड़ियों और मौजूदा भुगतानकर्ताओं (बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकों) को विभिन्न मंचों के माध्यम से यूपीआई भुगतान की वृद्धि हेतु प्रयास बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का फिनटेक क्षेत्र नवाचार और वित्तीय समावेशन हेतु व्यापक अवसर प्रस्तुत करता है। जबकि कुछ कम्पनियाँ यूपीआई बाजार पर हावी हैं, इसलिए नियामक निकायों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 50 3/27/2024 1:14:43 PM

3.7. पेटीएम पेमेंट्स बैंक

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को मार्च 2024 से **नई जमा स्वीकारने और क्रेडिट लेनदेन** करने सम्बन्धी क्रियाकलापों को बंद करने का निर्देश दिया है।

आरबीआई के प्रमुख निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया।

- **जमा और टॉप-अप पर प्रतिबंध:** पेटीएम को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) आदि में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया गया है।
- **खाता समाप्ति:** मूल कंपनी, वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल खाते 29 फरवरी से पहले बंद हो जाने चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को कुछ शर्तों पर पेटीएम ऐप पर यूपीआई के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) बनने के वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया है।
  - ✓ यदि अनुमोदित होता है, तो एनपीसीआई को व्यवधानों को रोकने हेतु पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए बैंकों में '@paytm' हैंडल का निर्बाध स्थानांतरण सुनिश्चित करना होगा।
  - ✓ टीपीएपी तब तक नए उपयोगकर्ता नहीं जोड़ सकता जब तक कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक पलायन (migrate) नहीं कर जाते।
- **लेनदेन का निपटान:** 29 फरवरी को या उससे पहले शुरू किए गए लेनदेन से संबंधित सभी लंबित लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए, इसके बाद किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।
- **ग्राहक की धन तक पहुंच:** ग्राहकों को **बचत और चालू खाते**, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, एनसीएमसी इत्यादि सहित अपने **पेटीएम खातों से धन को स्वतंत्र रूप से निकालने या उपयोग करने की अनुमति है,** जब तक कि वे उपलब्ध शेष राशि से अधिक न हों।
- आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च से वॉलेट और फास्टैग जैसे अन्य प्रीपेड उपकरणों सहित किसी भी ग्राहक खाते में पैसे स्वीकार करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई की वजह

- पेटीएम पेमेंट्स बैंक **वर्ष 2018 से आरबीआई की जांच के दायरे में है,** और हालिया नियामक कार्रवाई के **विशिष्ट कारणों का खुलासा नहीं** किया गया है।
- **विशेषज्ञों का अनुमान** है कि यह **केवाईसी अनुपालन और आईटी से संबंधित समस्याओं के प्रति** चिंताओं से संबंधित हो सकता है।
- **रिजर्व बैंक का लक्ष्य किसी भी संस्थान को जमाकर्ताओं के पैसे को जोखिम में डालने से रोकना है,** और जांच से पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी के पास समूह के भीतर सूचनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है।
- इसके अतिरिक्त, मूल कंपनी में अप्रत्यक्ष स्वामित्व हिस्सेदारी वाली **चीन स्थित संस्थाओं द्वारा डेटा प्राप्त करने के बारे में चिंताएं** व्यक्त की गईं।

पेमेंट्स बैंक

- पेमेंट्स बैंक की अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक **द्वारा वर्ष 2014 में नचिकेत मोर समिति** की सिफारिशों के आधार पर स्थापित की गई थी।
- इसे न्यूनतम क्रेडिट जोखिम के साथ छोटे पैमाने पर संचालित करने हेतु तैयार किया गया है।
- इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में **बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा** देना है।
- भारत में वर्तमान में **छह पेमेंट बैंक** हैं, जिनमें एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक शामिल हैं।

पेमेंट्स बैंक की कुछ विशेषताएं

- पेमेंट बैंक सार्वभौमिक बैंकों से भिन्न होते हैं और छोटे पैमाने पर संचालित होते हैं।
- उनके पास न्यूनतम 100 करोड़ रुपये भुगतान पूंजी होना आवश्यक है, जिसमें प्रमोटर पहले पांच वर्षों के लिए भुगतान इक्विटी पूंजी का कम से कम 40% योगदान देता है।
- ये बैंक प्रति खाता 2 लाख रुपये से अधिक जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उन्हें प्रत्यक्ष ऋण देने की अनुमति नहीं है।
- हालाँकि, वे ऋण सम्बन्धी उत्पाद बेच सकते हैं और तीसरे पक्ष के ऋण प्रस्ताव को प्रोत्साहन दे सकते हैं।
- भुगतान बैंक व्यक्तिगत भुगतान की सुविधा देने, चालू खातों में सीमापार प्रेषण हासिल करने और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

3.8. सरकार ने गैर-यूरिया उर्वरकों को मूल्य नियंत्रण के अधीन किया

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने अन्य सभी गैर-यूरिया उर्वरकों को "उचित मूल्य निर्धारण" नियंत्रण के तहत ला दिया है।

सरकार के निर्णय के अन्य विवरण

- केंद्र सरकार ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) और अन्य सभी गैर-यूरिया उर्वरकों (जिसे पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) समर्थन प्राप्त हुआ है) को "उचित मूल्य निर्धारण" नियंत्रण के तहत ला दिया है।
  - ✓ यूरिया पहले से ही सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के साथ मूल्य नियंत्रण तंत्र के अधीन है।
- अभी तक गैर-यूरिया उर्वरकों को एनबीएस योजना के तहत नियंत्रणमुक्त रखा गया था।
- लेकिन अब उर्वरक विभाग (DoF) ने एनबीएस योजना के तहत शामिल किए गए सभी गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य की "उचितता" का आंकलन करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- ये दिशानिर्देश (1 अप्रैल, 2023 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी), उर्वरक कंपनियों के लिए अधिकतम स्वीकार्य निम्न लाभांश निर्धारित करते हैं:
  - ✓ आयातकों के लिए 8%
  - ✓ निर्माताओं के लिए 10%
  - ✓ एकीकृत निर्माताओं के लिए 12% (जो तैयार उर्वरकों के साथ-साथ फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया जैसे मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं)।
- जो कंपनियां किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में निर्धारित प्रतिशत से अधिक "अनुचित लाभ" कमाती हैं, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर तक उर्वरक विभाग को अतिरिक्त राशि वापस करनी होती है।
- यदि निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धन वापस नहीं किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले दिन से वापस की जानेवाली धनराशि पर "आनुपातिक आधार पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज" लिया जाएगा।
  - ✓ जैसे- वित्त वर्ष 2023-24 के मामले में, ब्याज 1 अप्रैल, 2024 से लिया जाएगा।
- इस अनुचित लाभ को सरकार द्वारा बाद के उर्वरक सब्सिडी भुगतान के सापेक्ष भी समायोजित किया जाएगा।
- इस प्रकार, नए दिशानिर्देश गैर-यूरिया उर्वरकों पर अप्रत्यक्ष अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) नियंत्रण लगाते हैं, जिससे कंपनियां अपनी बिक्री से जो मुनाफा कमा सकती हैं, उसे सीमित कर दिया गया है।

एनबीएस योजना

- यह योजना अप्रैल 2010 में शुरू की गई है जिसके तहत गैर-यूरिया उर्वरकों की एमआरपी बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है और उन्हें बेचने वाली संबंधित कंपनियों द्वारा नियत की जाती है।
- सरकार इनमें से प्रत्येक उर्वरक पर केवल एक निश्चित प्रतिटन सब्सिडी का भुगतान करती है, जो उन उर्वरकों के पोषक तत्व या नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K) और सल्फर (S) के एक विशिष्ट प्रतिशत के जुड़ी होती है।
- पहले के उत्पाद-विशिष्ट सब्सिडी व्यवस्था के विपरीत, पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी प्रणाली का उद्देश्य किसानों को बहुत अधिक यूरिया (46% N), डीएपी (46% P के साथ 18% N) और एमओपी (60% K) [जिसमें एक ही पोषक तत्व की उच्च सांद्रता होती है] के उपयोग करने के प्रति हतोत्साहित करते हुए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- एनबीएस योजना को उत्पाद नवाचार को प्रोत्साहित करने और जटिल उर्वरकों (विभिन्न अनुपात में N, P, K, और S की कम सांद्रता वाले) और एसएसपी (केवल 16% P लेकिन 11% S युक्त) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

कंपनियों के "अनुचित लाभ" के आकलन के लिए तंत्र

- इन दिशानिर्देशों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षित लागत डेटा का उपयोग करके अनुचित लाभ का "स्व-मूल्यांकन" करना होता है।
- इस रिपोर्ट को अगले वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर तक उर्वरक विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
- उसके बाद उर्वरक विभाग प्रत्येक पूर्ण पिछले वित्तीय वर्ष के 28 फरवरी तक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत "एमआरपी की तर्कसंगतता" की जांच करेगा।
- इसके बाद, उर्वरक विभाग पहचाने गए किसी भी अनुचित लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें कंपनियों से वसूली जाने वाली राशि दर्ज होगी।

नए दिशानिर्देशों का महत्व

- हाल के दिशानिर्देश अप्रत्यक्ष रूप से गैर-यूरिया उर्वरकों की एमआरपी

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 52 3/27/2024 1:14:43 PM

को विनियमित करते हैं, जिससे कंपनियों को उनकी बिक्री से होने वाले लाभ को सीमित किया जा सकता है।

✓ यह सीमा उनकी "बिक्री की कुल लागत" द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें उत्पादन/आयात की लागत, प्रशासनिक उपरिव्यय, बिक्री और वितरण उपरिव्यय, साथ ही शुद्ध ब्याज और वित्तपोषण शुल्क शामिल होंगे।

✓ डीलर के लाभांश में कटौती की अनुमति, डीएपी और एमओपी के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य के 2% तक और एनबीएस योजना के तहत शामिल किए गए अन्य सभी उर्वरकों के लिए 4% तक होगी।

- इस प्रकार, नए दिशानिर्देश मूल रूप से अन्य उर्वरकों को शामिल करने के लिए विस्तृत लागत निगरानी और मूल्य नियंत्रण (जो वर्तमान में यूरिया पर लागू है) की प्रणाली का विस्तार करते हैं।

3.9. आईबीबीआई का विशेषज्ञ पैनल ने आईबीसी के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता की सिफारिश की

संदर्भ

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India-IBBI) द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता की सिफारिश की है।

समिति का विवरण

- पूर्व कानूनी मामलों के सचिव टीके विश्वनाथन के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि पूर्व-चूक (डिफॉल्ट) चरण में मध्यस्थता "दिवालियेपन का सहारा लिए बिना" समाधान की सुविधा प्रदान कर सकती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (CBI)

- वर्ष 2016 (ऐसे समय में जब भारत की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ और ऋण चूक बढ़ रही थीं) में **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)** की शुरुआत की गयी थी।
- इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, लेनदारों के हितों की रक्षा करना और संकटग्रस्त संपत्तियों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के मूल सिद्धांतों में से एक, देरी से बचने और परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया है।
  - ✓ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत, कंपनियों को पूरी दिवाला प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर (विस्तार का विकल्प के साथ (अगर लेनदारों को आपत्ति नहीं हो) पूरी करनी होगी।
  - ✓ 1 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले स्टार्टअप सहित छोटी कंपनियों के पास दिवालियापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 दिनों की अल्प समय सीमा है।

टी.के. विश्वनाथन समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **स्वैच्छिक मध्यस्थता ढाँचा:**
  - ✓ वर्तमान में, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के पास मध्यस्थता के लिए कोई विधायी अधिदेश नहीं है। मध्यस्थता में एक तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है।
  - ✓ समिति ने वर्ष 2023 के मध्यस्थता अधिनियम के अनुरूप, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत एक स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे का सुझाव दिया है।
  - ✓ पार्टियों को संयुक्त रूप से संपर्क करना चाहिए और मध्यस्थता करने के अपने इरादे के बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT), अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत को सूचित करना चाहिए।
  - ✓ मध्यस्थता के दौरान भी दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) में उल्लिखित समय-सीमा का कड़ाई से पालन महत्वपूर्ण है।

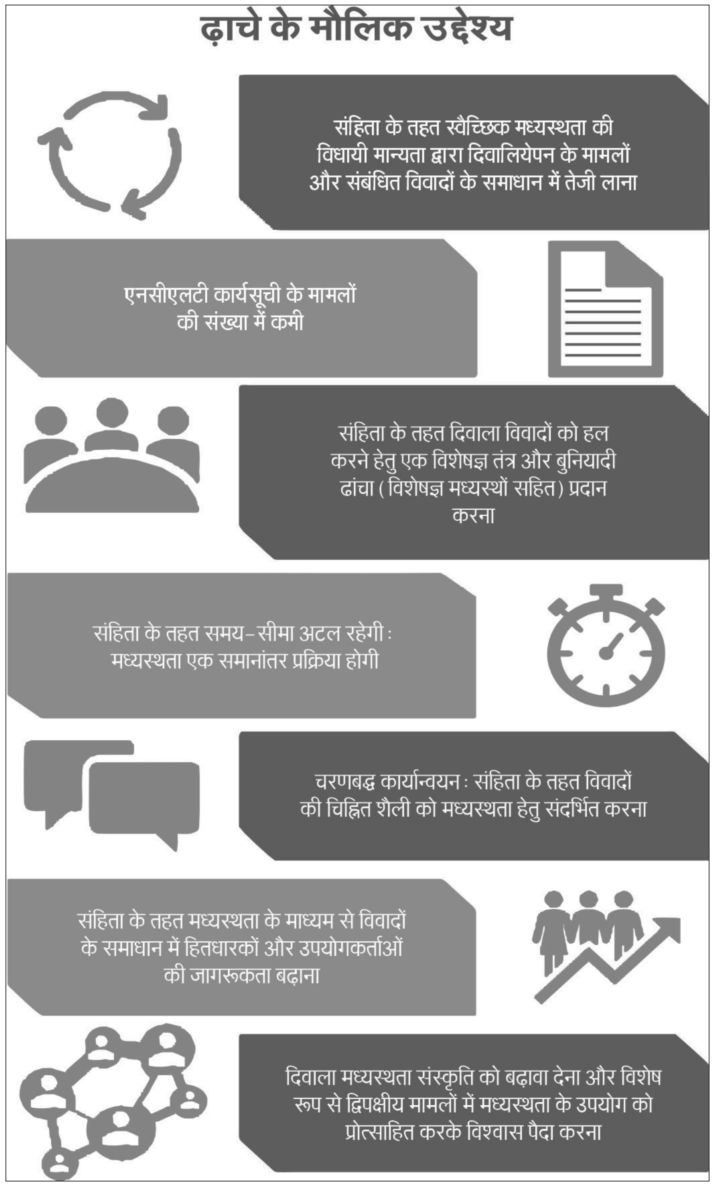

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 53 3/27/2024 1:14:43 PM

✓ मध्यस्थता के दौरान (यह सुनिश्चित करते हुए कि पक्ष प्रक्रिया को गंभीरता से लें) वैधानिक समय-सीमा पर रोक या विस्तार के किसी प्रावधान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
✓ परिसंपत्ति मूल्य और सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभावों और देरी को रोकने हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के समानांतर मध्यस्थता चलनी चाहिए।

- **संतुलन के उद्देश्य**
  ✓ समिति का लक्ष्य दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के "समयबद्ध पुनर्गठन" और "मूल्य का अधिकतमीकरण" के उद्देश्यों को संतुलित करना है।
  ✓ सिफारिशों में पक्षों को स्वेच्छा से 'अदालत के बाहर' मध्यस्थता चुनने की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।
- **चरण-आधारित शुरुआत:**
  ✓ मौजूदा दिवाला समाधान प्रक्रिया की समयसीमा को संरक्षित करते हुए स्वैच्छिक मध्यस्थता की चरणबद्ध शुरुआत की सिफारिश की गई है।
- **स्वतंत्रता और लचीलापन:**
  ✓ सिफारिशों में कुशल मध्यस्थता कार्यान्वयन हेतु 'स्वतंत्रता और लचीलेपन' पर जोर दिया गया है।
- **संहिता हेतु रूपरेखा:**
  ✓ समयसीमा और सार्वजनिक अधिकारों से समझौता किए बिना संहिता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र बुनियादी ढाँचे की सिफारिश।

आईबीसी के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता का महत्व

- **बढ़ी हुई दक्षता:** यह स्वैच्छिक मध्यस्थता विवादों को बाहर सुलझाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है जिससे त्वरित समाधान होगा, साथ ही औपचारिक कानूनी कार्यवाही पर बोझ कम पड़ेगा।
- **पक्षों की स्वायत्तता:** इसमें पक्षों को 'अदालत के बाहर' मध्यस्थता चुनने में स्वायत्तता प्रदान की गई है। यह विवाद समाधान के तरीकों पर निर्णय लेने के लिए हितधारकों को सशक्त बनाने के महत्व को मान्यता प्रदान करता है।
- **संघर्ष शमन:** यह सहयोगात्मक समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करता है एवं अधिक सौहार्दपूर्ण समाधान वातावरण को बढ़ावा देता है।
- **विशिष्ट दिवाला मध्यस्थता प्रकोष्ठ:** स्वतंत्र सचिवालय दक्षता बढ़ाते हुए दिवाला मध्यस्थता का प्रबंधन और प्रशासन करता है।
- **वैश्विक प्रथाओं का अनुकूलन:** यह आईबीसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित करता है, जिससे वैश्विक निवेशकों का विश्वास आकर्षित होता है।
- **चरणबद्ध शुरुआत:** यह हितधारकों के व्यवधानों को कम करते हुए, प्रक्रिया को अपनाने और सीखने की अनुमति देता है।

चुनौतियाँ

- **प्रवर्तनीयता संबंधी चिंताएँ:** मध्यस्थता वाले निपटानों की प्रवर्तनीयता एक चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि पार्टियाँ मध्यस्थता के माध्यम से हुए समझौतों की कानूनी वैधता पर सवाल उठा सकती हैं।
- **वित्तीय ऋणदाताओं का बहिष्कार:** स्वैच्छिक मध्यस्थता प्रावधानों के प्रारंभिक दायरे से वित्तीय ऋणदाताओं का बहिष्कार इस प्रक्रिया में व्यापक प्रतिनिधित्व के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
- **संहिता के उद्देश्यों को कमजोर करना:** कुछ हितधारकों को डर हो सकता है कि स्वैच्छिक मध्यस्थता दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के मूलभूत उद्देश्यों (जैसे- समयबद्ध समाधान) को कमजोर कर सकती है।

आगे की राह

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत एक प्रावधान की शुरुआत हो, जो स्पष्ट रूप से मध्यस्थता के माध्यम से हुए समझौते को कानूनी वैधता प्रदान करते हुए मध्यस्थता वाले समझौते को मान्यता दे और प्रवर्तित करे।
- अधिक समावेशी ढांचा स्थापित करने के लिए वित्तीय ऋणदाताओं सहित सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल किया जाए।
- प्रस्तावित सिफारिशें दिवाला कार्यवाही के साथ-साथ एक समानांतर और स्वैच्छिक प्रक्रिया स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसका लक्ष्य दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत विवाद समाधान तंत्र की समग्र दक्षता और लचीलेपन को बढ़ाना है।

3.10. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की श्रृंखला IV के लिए सदस्यता प्रक्रिया शुरु की है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (SGB)

- यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई एक सरकारी पहल है, जो लोगों को सोने के बॉन्ड में निवेश करने की सुविधा देती है। ये बॉन्ड सोने के ग्राम के रूप में नामांकित किए जाते हैं, जो कि सोने के मौजूदा बाजार मूल्य से संबद्ध होते हैं। यह योजना निवेशकों को भौतिक सोना रखने का विकल्प प्रदान करती है, जिससे सोने में निवेश करने का एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका मिलता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 54 3/27/2024 1:14:43 PM

मद	विवरण
जारीकर्ता	इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है।
पात्रता	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत में रहने वाले व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), न्यासों (ट्रस्टों), विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
अवधि	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अवधि आठ वर्ष की है, जिसमें पाँचवें वर्ष के बाद समय से पहले निकलने का विकल्प है।
न्यूनतम सीमा	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में न्यूनतम एक ग्राम सोना के निवेश स्वीकार्य है।
अधिकतम सीमा	कोई भी व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में 4 किलोग्राम तक, हिंदू अविभाजित परिवारों 4 किलोग्राम तक और न्यास (ट्रस्ट) और इस प्रकार की अन्य संस्थाएँ 20 किलोग्राम तक या जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है के बॉन्ड खरीद सकते हैं।
संयुक्त धारक	संयुक्त धारकों के मामले में, 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल पहले आवेदक पर लागू होती है।
कीमत का निर्धारण	इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के अंतिम मूल्य के साधारण औसत के आधार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत भारतीय रुपये में तय की जाती है।
ब्याज दर	निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त होती है, जो नाममात्र मूल्य (अंकित मूल्य या निर्धारित मूल्य) पर अर्ध-वार्षिक रूप से देय होती है।
संपार्श्विक	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इस्तेमाल ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है।
कर का प्रावधान	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज **आयकर अधिनियम, 1961** के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य है। हालाँकि, व्यक्तियों द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से प्राप्त होने वाले पूँजीगत लाभ को कर से छूट दी गई है।
व्यापार योग्यता	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का उपयोग ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है।
सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) पात्रता	बंधक (गिरवी) प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा प्राप्त सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को उनकी सांविधिक चलनिधि अनुपात या सांविधिक तरलता अनुपात आवश्यकताओं का हिस्सा माना जाता है।
बिक्री का माध्यम	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, पेमेंट बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रुप से या एजेंटों के माध्यम से बेचे जाते हैं।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजनाओं के लाभ

- **भंडारण जोखिम और लागत में कमी:** यह निवेशकों को सोने के भौतिक भंडारण से संबंधित जोखिम और लागत को समाप्त कर देती है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं।
- **कर लाभ:** पूँजीगत लाभ कर से छूट- यदि निवेशक परिपक्वता तक बॉन्ड को रखते हैं तो उन्हें पूँजीगत लाभ कर से छूट मिलती है।
- **सूचकांकन लाभ:** बॉन्ड के हस्तांतरण प्राप्त लाभ दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के जरिए सूचकांकन लाभ की अनुभूति करता है।
- **बाधा मुक्त स्वामित्व:** निवेशक भौतिक स्वामित्व की परेशानी, जोखिमों को कम करने और भंडारण खर्चों के बिना सोने पर स्वामित्व प्राप्त करने की अनुभूति करता है।
- **व्यापार योग्यता:** सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निर्गत (जारी) होने के एक पखवाड़े के अंदर ही स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार योग्य होते हैं, जिससे निवेशकों को तरलता और लचीलापन का अनुभव मिलता है।
- **हस्तांतरणीयता:** सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरण के एक साधन के निष्पादन के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीमाएँ

- **तरलता:** सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है, जो भौतिक सोने की तुलना में तरलता को सीमित करती है।
- **बाजार पर निर्भरता:** सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर रिटर्न सोने के बाजार में उतार-चढ़ाव के अधीन है, जो संभावित रूप से निवेशकों के लाभ को प्रभावित करता है।
- **सीमित लचीलापन:** परिपक्वता से पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचने से बाजार की स्थितियों और समय से पहले मोचन दंड के कारण नुकसान हो सकता है।

3.11. बीमा क्षेत्र पर रिपोर्ट

संदर्भ

लोकसभा की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपने रिपोर्ट में **बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें** दी है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 55 3/27/2024 1:14:43 PM

स्थायी समिति की कुछ प्रमुख सिफ़ारिशें

- **बीमा पहुँच:** वर्ष 2021-22 में, वैश्विक औसत 7% की तुलना में भारत में बीमा निवेश (जीडीपी में बीमा प्रीमियम का प्रतिशत) 4.2% थी। समिति ने सिफारिश की कि बीमा सुरक्षा और विविध बीमा उत्पादों की आवश्यकता और लाभों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- **समग्र अनुज्ञप्ति (लाइसेंसिंग):** इस समिति ने **बीमा कंपनियों के लिए समग्र लाइसेंसिंग की सिफारिश की है, जिससे उन्हें जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों प्रकार की बीमाओं की पेशकश करने की अनुमति मिलती है।**
- **जीएसटी दर में कटौती करना:** यह समिति **वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों को, विशेष रूप से स्वास्थ्य और टर्म बीमा हेतु, मौजूदा 18 प्रतिशत से कम करने का सुझाव देती है।**
- **आपदा बीमा पर विशेष ध्यान देना:** इस समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को घरों और संपत्तियों, खासकर आपदा-प्रवण क्षेत्रों में रियायती प्रीमियम वाले विशेष बीमा व्यवसायों के माध्यम से बीमा करने के विकल्प ढूँढने का प्रयास करना चाहिए।
- **वाहन बीमा का अनुपालन करना:** यह समिति बड़ी संख्या में वाहनों, विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों के समस्याओं का समाधान करती है, जो बीमा कवरेज के बिना चल रहे हैं, जो दुर्घटनाओं में जोखिम पैदा करते हैं। इसने आँकड़ो को एकीकृत करने और अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे उपाय सुझाए गए हैं।

समग्र अनुज्ञप्ति

- समग्र लाइसेंसिंग बीमा कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत विभिन्न श्रेणियों की बीमा सेवाओं को संचालित करने में सक्षम बनाती है।
- पहले, बीमाकर्ताओं को जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा परिचालन के लिए अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती थी।
- समग्र लाइसेंसिंग के साथ, बीमाकर्ता एक नियामक ढांचे के तहत जीवन, गैर-जीवन (जैसे, मोटर और संपत्ति), और स्वास्थ्य बीमा सहित बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश कर सकते हैं।
- लाभों में बीमाकर्ताओं के लिए लागत और अनुपालन लाभ, साथ ही ग्राहकों के लिए व्यापक कवरेज और विकल्प, बीमा पहुंच और जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

- **बीमा निवेश के लिए ऑन-टैप बॉन्ड:** यह समिति बीमा कंपनियों के लिए निवेश विकल्पों का विस्तार करते हुए **50 साल तक की परिपक्वता वाले 'ऑन-टैप' बॉन्ड** जारी करने वाले प्रस्ताव की सिफारिश की है।
- **आंकड़ों का एकीकरण और प्रवर्तन:** यह समिति प्रवर्तन अर्थात, अनुपालन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करने की सिफारिश करती है। इसके आँकड़ों के अनुसार, लगभग 56 प्रतिशत वाहनों का बीमा कवर नहीं है। इसने एकीकृत डेटा के साथ ई-चालान प्रवर्तन की भी सिफारिश की है।
- **दुर्घटना से पीड़ितों को मुआवजा का प्रावधान:** समिति ने वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं से पीड़ितों की दुर्दशा का समाधान करते हुए, स्थानीय समुदायों में व्यवधानों से बचने के लिए उचित बीमा कवरेज और मुआवजा सुनिश्चित करने की सिफारिश की है।
- **सरकारी बॉन्ड का विस्तार:** इसने **बीमा निवेश के लिए सरकारी बॉन्ड की अधिकतम अवधि को 40 से 50 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश** की है।
- **नियामक के द्वारा आंकलन:** इस समिति ने **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और भारतीय रिज़र्व बैंक** दोनों से वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऑटो और वाणिज्यिक वाहन ऋण के संदर्भ में बीमा कवरेज की आवश्यकताओं का आंकलन करने की सिफारिश की है।

बीमा क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों पर एक नजर

- **वर्ष 2020** में, भारत का **बीमा क्षेत्र वैश्विक बीमा बाजार का लगभग 2 प्रतिशत था।**
- **वर्ष 2021 में, भारत 1.85 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ बीमा व्यवसाय में विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर रहा,** जो वर्ष 2020 में 1.78 प्रतिशत के सुधार को दर्शाता है।
- वर्ष 2021 में, भारत का कुल बीमा प्रीमियम **13.46 प्रतिशत (7.8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति का समायोजन) बढ़ा,** जो 9.04 प्रतिशत (3.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति-समायोजित) की वैश्विक वृद्धि से अधिक है।
- वर्ष 2021 में, भारत जीवन बीमा के मामले में **विश्व में नौवां स्थान** था, जबकि गैर-जीवन बीमा के मामले में, यह **चौदहवें स्थान** पर है।

स्वास्थ्य बीमा

व्यवसाय की श्रेणी	पॉलिसियों की संख्या (लाख में)		जीवन की संख्या (लाख में)		सकल प्रीमियम (करोड़ में)	
	2020-21	2020-22	2020-21	2020-22	2020-21	2020-22
सरकार प्रायोजित	0.001	0.001	3,429	3,065	4,290	6,076
समूह	9.1	7	1,187	1,623	28,108	36,891
व्यक्ति	228.3	219.3	531	516	25,840	30,085
कुल	237.4	226.3	5,147	5,204	58,238	73,052

स्रोत: स्थायी समिति की रिपोर्ट

इन सिफारिशों का उद्देश्य विशेष रूप से आपदा-प्रवण और दुर्घटना-संबंधी परिदृश्यों में व्यापक सामाजिक प्रभावों पर ध्यान देने के साथ बीमा के विकल्प प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, कवरेज बढ़ाना, जीएसटी के बोझ को कम करना और अनुपालन सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर, समिति लक्षित जागरूकता प्रयासों के माध्यम से बीमा विकल्पों और उनके लाभों की सार्वजनिक समझ बढ़ाने के महत्व पर जोर देती है।

3.12. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग

संदर्भ

भारत के ऋण बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) को प्रोत्साहित करने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (Voluntary Retention Route-VRR) की शुरुआत की है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 56 3/27/2024 1:14:43 PM

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के मुख्य अंश

- **पृष्ठभूमि:** अक्तूबर, 2018 में रुपये की तेजी से हो रही गिरावट को रोकने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष एनआरआई बॉन्ड योजना को पेश करने के साथ-साथ एक नए निवेश मार्ग की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य डॉलर के प्रवाह को आकर्षित करना था। रिजर्व बैंक ने मार्च, 2019 में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग को पेश किया था।
- **औचित्य:** स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग का उद्देश्य भारत के ऋण बाजारों में स्थिर, दीर्घकालिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) को आकर्षित करना है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को परिचालन संबंधी लचीलापन प्रदान करता है।
- **पात्रता:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत कोई भी इकाई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग का उपयोग कर सकती है।

निवेश की शर्तें

- **अलग-अलग वर्गीकरण:** स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के तहत निवेश को कॉर्पोरेट ऋण (VRR-Corp.) और सरकारी प्रतिभूतियों (VRR-Govt.) में वर्गीकृत किया गया है।
- **आवंटन प्रक्रिया:** प्रस्तावित प्रतिधारण अवधि के आधार पर प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो के आकार (CPS) के निर्धारण के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत निवेश आवंटन प्राप्त करता है।
- **निवेश की आवश्यकताएँ:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को आवंटित प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो के आकार (CPS) को ऋण उपकरणों में निवेश करना होगा और इसे कुल सीपीएस के 67 प्रतिशत के न्यूनतम निवेश के साथ, प्रतिधारण अवधि के दौरान बनाए रखना होगा।

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग और नियमित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग में मुख्य अंतर

- स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग निवेश निम्न दो प्रमुख तरीकों से नियमित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न होता है:
  - ✓ लचीला प्रतिधारण अवधि
  - ✓ यदि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भारत में अपने निवेश का एक निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत रखने के लिए सहमत होते हैं, तो इस मार्ग के माध्यम से निवेश को ऋण बाजारों में एफपीआई निवेश हेतु सामान्य नियामक मानदंडों से छूट दी जाएगी।

मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **मुद्रा की मूल्यवृद्धि:** स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के माध्यम से बढ़ा हुआ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह से डॉलर परिसंचरण में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे संभवतः अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।
- **आर्थिक विकास:** स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग स्थिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को ऋण बाजारों में आकर्षित करके और निवेश के अवसरों को बढ़ाकर भारत की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निवेश सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव

- **वर्तमान सीमा:** स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग में मौजूदा विदेशी निवेश सीमा 90,630 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा उपयोग किया जा चुका है।
- **विस्तार का प्रस्ताव:** भारतीय रिजर्व बैंक स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग में विदेशी निवेश सीमा को इसके अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये और बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिसका लक्ष्य भारतीय स्थानीय ऋण प्रतिभूतियों में अधिक विदेशी पूँजी को आकर्षित करना है।

3.13. चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर वैश्विक गठबंधन (GACERE)

संदर्भ

हाल ही में, भारत **चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर वैश्विक गठबंधन** (Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency-GACERE) का सदस्य बना है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर वैश्विक गठबंधन पर एक नजर

- **उद्देश्य:** चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर वैश्विक गठबंधन (GACERE) वैश्विक स्तर पर सरकारों का एक गठबंधन है जो वैश्विक न्यायसंगत चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अधिक टिकाऊ प्रबंधन पर मिलकर काम करता है।
- इसे **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के सहयोग से यूरोपीय संघ (EU)** द्वारा स्थापित किया गया है।
- **सदस्यता**
  - ✓ **कुल सदस्य राष्ट्र:** वर्तमान में, **17 राष्ट्र** इसके सदस्य हैं, जिनमें कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देश शामिल हैं।
  - ✓ **पर्यवेक्षक राष्ट्र: मेक्सिको और सिंगापुर** इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, जो गठबंधन के उद्देश्यों में व्यापक रुचि और प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है?

- एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में, चीज़ें इस तरह से बनाई और उपभोग की जाती हैं जिससे दुनिया के संसाधनों का हमारा उपयोग कम से कम हो, अपशिष्ट में कटौती हो और कार्बन उत्सर्जन कम हो।
- उत्पादों को मरम्मत, पुनर्चक्रण और पुनः डिज़ाइन के माध्यम से यथा संभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है– ताकि उनका बार-बार उपयोग किया जा सके।

- **कार्य क्षेत्र**
  - ✓ **उचित बदलावों हेतु जोर**
    - ▪ उचित संसाधन उपयोग के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, सतत उपभोग और उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
    - ▪ पेरिस समझौते के लक्ष्यों, जैव विविधता संरक्षण और प्रदूषण में कमी लाने हेतु कार्य करना।
  - ✓ **घरेलू नीतियों की रूपरेखा तैयार करना**
    - ▪ चक्रीय अर्थव्यवस्था संक्रमण और औद्योगिक सहजीविता का समर्थन करनेवाली मौजूदा नीतियों और रूपरेखाओं का अध्ययन करना।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 57 3/27/2024 1:14:43 PM

- ■ न्यायोचित परिवर्तन और सतत मानव विकास को बढ़ावा देनेवाली सफल नीतियों पर जोर देना।
- ✓ **बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना:**
  - ■ आर्थिक विकास को संसाधन के दक्ष उपभोग और जैव विविधता के हानि से अलग करने में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।
  - ■ हरित वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए अवसरों की तलाश करना।
- ✓ **अनुसंधान और नियमन**
  - ■ अनुसंधान से संबंधित आवश्यकताओं और नियमन में सुधारों पर ध्यान देना।
  - ■ विशिष्ट संसाधनों और वैश्विक समन्वय पर ध्यान देना।
- ✓ **वैश्विक स्तर पर वार्तालाप/बातचीत को सुगम बनाना:** चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर वैश्विक गठबंधन (GACERE) के प्रयास पेरिस समझौते और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) जैसे वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।

- **निष्कर्ष:** यह चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके उद्देश्यों में पर्यावरण के अनुकूल नीतियों की समर्थन करने, इससे संबंधित अनुसंधान करने, साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं साथ-साथ नियमन में सुधार करना शामिल हैं।

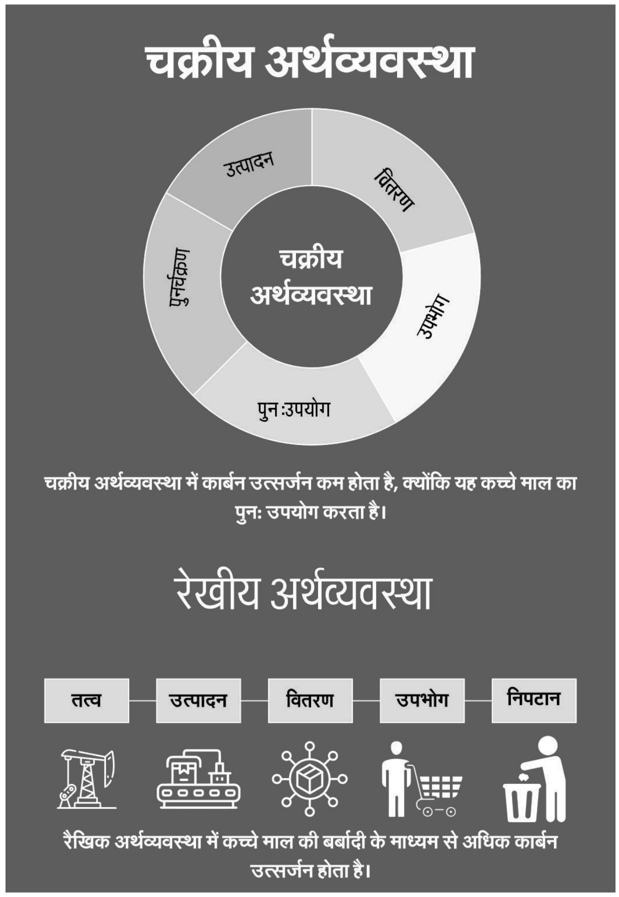

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 58 3/27/2024 1:14:44 PM

कला एवं संस्कृति

4.1. भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य

संदर्भ

संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने हेतु 'मराठा सैन्य परिदृश्य' को नामांकित कर रहा है।

विवरण

- **नामांकन के बारह घटक भाग:**
  - ✓ महाराष्ट्र में सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल हैं।
  - ✓ यह पहला मौका नहीं है जब मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकन हेतु विचार किया गया है, इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया था।

भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य

- यह **17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित** असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणालियों को प्रदर्शित करता है।
- यह **सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला, कोंकण तट, दक्कन पठार और भारतीय प्रायद्वीप में पूर्वी घाट** के विविध इलाकों में विकसित किलों के एक उल्लेखनीय नेटवर्क का प्रतीक है।
- मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत **17वीं शताब्दी में 1670 ई. में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान** हुई, जो बाद के शासनों के माध्यम से **1818 ई. में पेशवा शासन तक जारी** रही।
- महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं जिनमें से केवल 12 किले भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुने गए हैं, इनमें से आठ किले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं।
- शिवनेरी किला, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं जबकि सालहेर किला, राजगढ़, खंडेरी किला और प्रतापगढ़ पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षित हैं।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

यूनेस्को विश्व धरोहर

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) दुनिया भर में मानवता के लिए उत्कृष्ट महत्व वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है।
- वर्तमान में, भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक स्थल, सात प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित स्थल शामिल हैं।
- छह विश्व धरोहर स्थलों के साथ महाराष्ट्र का इस सूची में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे- अजंता गुफाएं (1983), एलोरा गुफाएं (1983), एलीफेंटा गुफाएं (1987), छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) (2004), मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेंबल (2018), तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाट प्राकृतिक श्रेणी (2012) में क्रमिक सम्पदाएं है।

4.2. ऑरोविले अनुभव यात्रा

संदर्भ

हाल ही में, **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों ने **ऑरोविले अनुभव यात्रा** में भाग लिया।

विवरण

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती, जी-20 घोषणा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB)** में उल्लिखित विषयों के अनुरूप **शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राओं के महत्व को रेखांकित** करना है।
- इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य **युवाओं को आध्यात्मिकता और श्री अरबिंदो के दर्शन से परिचित** कराना है।

ऑरोविले फाउंडेशन

- यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जो इस कार्यक्रम को आयोजित करता है।
- ऑरोविले **तमिलनाडु राज्य में** स्थित एक **प्रायोगिक टाउनशिप** है, और इसका **कुछ क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी तक फैला हुआ** है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1968 में **मीरा अल्फासा ('द मदर' के नाम से भी विख्यात) द्वारा की गई थी। 'ऑरोविले' नाम फ्रांसीसी भाषा से लिया गया**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 59 3/27/2024 1:14:44 PM

है, जहां 'ऑरोर' का अर्थ है सुबह और 'विले' का अर्थ है गांव या शहर।

- इस शहर **का नाम श्री अरबिंदो के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना का प्रस्ताव वर्ष 1964 में पांडिचेरी में श्री अरबिंदो सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में किया गया था।**

श्री अरबिंदो का परिचय

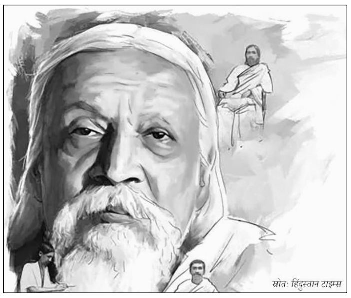

- 15 अगस्त 1872 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जन्म।
- कवि, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, योगी और आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रसिद्ध।
- बंगाली साप्ताहिक पत्रिका युगांतर में लेखन कार्य किया।
- **वर्ष 1914 में दार्शनिक पत्रिका आर्य** की स्थापना की।
- ब्रिटिश अत्याचारों का विरोध करने वाले युवा क्लब **अनुशीलन समिति** के संस्थापक सदस्य।
- **अलीपुर बम कांड (1906-1910)** में आरोप और कारावास की सजा।
- वर्ष 1926 में आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय, **श्री अरबिंदो आश्रम** की स्थापना की।
- अपना जीवन **"एकात्म" योग** के विकास के लिए समर्पित कर दिया।

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम

- इसका उद्देश्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से **विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** के लोगों के बीच **मेलजोल और आपसी समझ को बढ़ावा देना** है।
- राज्य **भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और व्यंजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने** आदि के क्षेत्रों में निरंतर और संरचित सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां संचालित करते हैं।
- कार्यक्रम के समन्वय हेतु **शिक्षा मंत्रालय** को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

4.3. सुबिका चित्रकला

संदर्भ

मणिपुर की सुबिका चित्रकला उपेक्षा के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है।

सुबिका चित्रकला

- विशेषज्ञों के अनुसार सुबिका चित्रकला का चित्रण 18वीं या 19वीं शताब्दी से होता आ रहा है।
- यह एक प्रकार की चित्रकला (painting) है, जो **मैतेई समुदाय** के सांस्कृतिक इतिहास से सम्बंधित है।

मणिपुर का मैतेई समुदाय

- वे कुलों में संगठित हैं, जिससे वे अंतर्विवाह से बचते हैं।
- मैतेई समुदाय तिब्बती-बर्मन भाषा बोलते हैं एवं सांस्कृतिक रूप से हिंदू रीति-रिवाजों को अपनाते हैं जो उन्हें पड़ोसी पहाड़ी जनजातियों से अलग पहचान देता है।
- हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करने के बावजूद, ये स्वदेशी देवताओं की भी पूजा करते हैं।
- इनकी अर्थव्यवस्था चावल की खेती पर केंद्रित है।

- **यह निम्न छह पांडुलिपियों** के माध्यम से अस्तित्व में है:
  - ✓ सुबिका
  - ✓ सुबिका अचौबा
  - ✓ सुबिका लाईशाबा
  - ✓ सुबिका चौदित
  - ✓ सुबिका चेइथिल
  - ✓ थेंगराखेल सुबिका
- शाही इतिहास, चीथारोल कुंभाबा में किसी विशिष्ट संस्थापक का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की संभावना है कि यह कलात्मक शैली राज्य में लेखन परंपरा की शुरूआत से पहले की है।

सुबिका लाईशाबा

- सुबिका लाईशाबा रेखाओं, आकृतियों, रूपों, रंगों और पैटर्न जैसे तत्वों वाली दृश्य छवियों के माध्यम से चित्रित मैतेई सांस्कृतिक परंपरा की

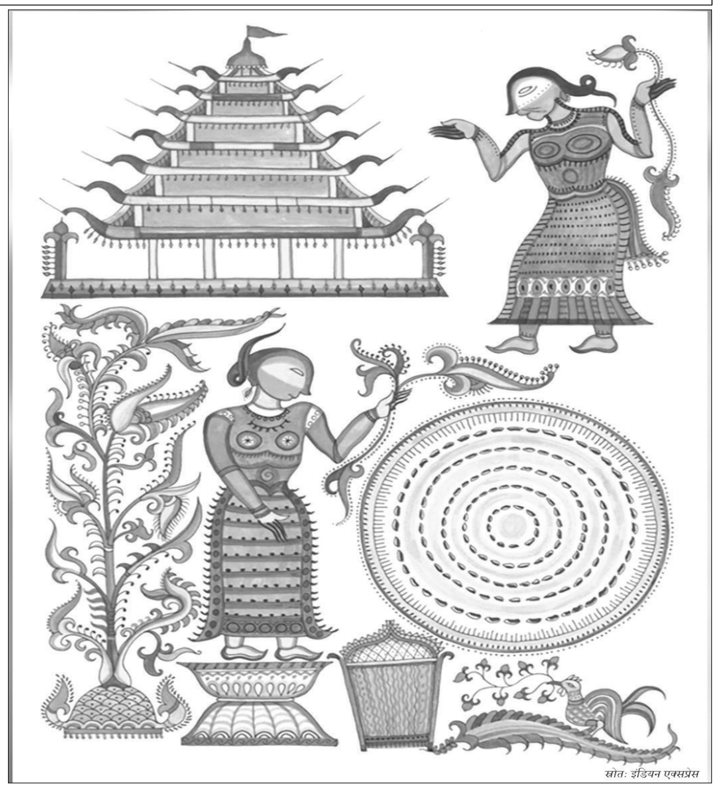

प्रत्यक्ष और प्रामाणिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है।

- सुबिका लाईशाबा चित्रकला में **मौजूद विशेषताओं** और **उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आकार लेने वाले अन्य प्रभावों से निकले सांस्कृतिक रूपांकन शामिल हैं।**
- इस पांडुलिपि में दृश्य चित्रण स्थानीय रूप से तैयार किया गया है, जिसमें **हस्तनिर्मित कागज या पेड़ की छाल** शामिल है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 60 3/27/2024 1:14:52 PM

4.4. ज्ञानवापी मस्जिद

संदर्भ

वाराणसी जिला न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से ज्ञानवापी मस्जिद के अज्ञात तहखानों की जांच करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका की समीक्षा की।

विवरण

- हिंदू याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर की जगह पर बनाई गई थी तथा मंदिर को 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। याचिकाकर्ता मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति चाहते हैं।
- **अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) का दावा है कि यह सदियों से एक मस्जिद रही है** और **उपासना स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा 15 अगस्त, 1947 से पहले स्थापित किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।**

उपासना स्थल अधिनियम, 1991

यह भारत के उपासना (प्रार्थना) स्थलों की धार्मिक पहचान को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक प्रयास है।

- **धारा 3:** यह पूजा स्थल को किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या उसी संप्रदाय के भीतर पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है।
- **धारा 4 (1):** यह सुनिश्चित करता है कि पूजा स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त, 1947 से अपरिवर्तित बनी रहे।
- **धारा 4 (3A):** इसके तहत, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों पर लागू नहीं होता है।
- **धारा 5:** इस अधिनियम में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद और इससे संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं।
- **धारा 6:** इसमें धारा उपासना स्थलों को तोड़ने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट

- **मूर्तियाँ:** इसके सर्वेक्षण में **मस्जिद परिसर के भीतर हिंदू देवताओं, जैसे हनुमान, गणेश, नंदी, आदि की मूर्तियों** के टुकड़े पाए गए।
- **योनिपट्ट और शिवलिंग:** सर्वेक्षण के दौरान, कई योनिपट्ट (शिवलिंग के आधार) पायी गई हैं।
- **शिलालेख:** यहाँ **देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों** में अंकित 32 भारतीय शिलालेख पाए गए हैं।
- **निशान:** यहाँ की संरचना पर **एक स्वस्तिक और त्रिशूल के निशान** पाए गए हैं।

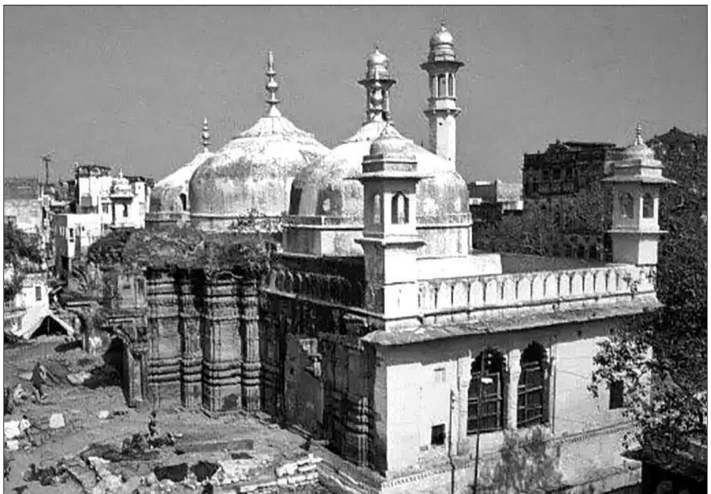

हिंदू मंदिर के अवशेष | ज्ञानवापी मस्जिद

ज्ञानवापी मस्जिद की वास्तुकला

- यह मुगल और हिंदू स्थापत्य शैली का एक अनूठा संयोजन है जो कि निम्न रूप से स्पष्ट है-
  - ✓ लाल बलुआ पत्थर (आमतौर पर मुगल वास्तुकला में उपयोग किया गया) और सफेद संगमरमर (अक्सर हिंदू मंदिरों में देखा जाता है)।
  - ✓ अलंकृत नक्काशी (संभवतः हिंदू मंदिर वास्तुकला से प्रभावित)।
- इसमें नक्काशी, मीनारें और एक विशाल प्रांगण हैं।
- मुख्य प्रार्थना स्थल भव्य सुलेख, मेहराब और गुंबदों के साथ अगन्तुकाओं का स्वागत करता है।

4.5. श्रील प्रभुपाद

संदर्भ

भारत के प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगाँठ पर आयोजित एक समारोह को संबोधित किया।

श्रील प्रभुपाद का परिचय

- श्रील प्रभुपाद ने **अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन)** [International Society for Krishna Consciousness-ISKCON] की स्थापना की थी।
- इस्कॉन ने **श्रीमद्भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद करवाया** है। यह संघ दुनिया भर में वैदिक साहित्य के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- उन्होंने **सौ से अधिक मंदिरों की स्थापना की और कई पुस्तकें लिखीं,**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 61 3/27/2024 1:15:00 PM

जिसने भक्ति योग की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया।

स्रोत: न्यूज़ 18

- उन्हें **भक्ति-योग अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा पर दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में** भी सम्मान दिया गया है।
- जीवन के अंतिम वर्षों में वे **गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के धर्मशास्त्र** के एक प्रभावशाली संचारक बन गए।
- उन्होंने **वैष्णववाद के अनुरक्षण और विस्तार के लिए वर्ष 1918 में गौड़ीय मिशन** शुरू किया।

गौड़ीय वैष्णववाद का विवरण

- यह एक **वैष्णव हिंदू धार्मिक आंदोलन** है और इसकी प्रेरणा चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के वैदिक आध्यात्मिक गुरू, भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित एवं गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हें अपने अनुयायियों के बीच 'महामंत्र' या 'हरे कृष्ण मंत्र' को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।
- **'गौड़ीय'** शब्द **बंगाल के गौरा क्षेत्र को संदर्भित** करता है, जो **वैष्णववाद अर्थात, विष्णु की पूजा** से काफी अधिक जुड़ा हुआ है।
- यह राधा और कृष्ण (जिन्हें भक्ति-योग के रूप में जाना जाता है) और सर्वोच्च **भगवान यानी स्वयं भगवान** और उनके अवतारों की भक्ति पूजा के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
- यह भक्ति मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के पवित्र नामों [**विशेष रूप से 'हरे', 'कृष्ण' और 'राम'**, आमतौर पर हरे कृष्ण मंत्र के साथ (जिसे कीर्तन और साथ में नृत्य के रूप में भी जाना जाता है)] को जपने के रूप में सामने आता है।

4.6. महर्षि दयानंद सरस्वती

संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह को वर्चुअली संबोधित किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन-परिचय

- उनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा (Tankara) में हुआ था।
- वे एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने सामाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करने के लिए **आर्य समाज (1875)** की स्थापना की थी।
- उनका मूलमंत्र 'वेदों की ओर वापस लौटो' था।

स्रोत: आर्य समाज

शैक्षिक सुधार

- अपने अनुयायियों को वेदों का ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने कई गुरुकुलों की स्थापना की।
- उनकी धारणाओं से प्रेरित होकर उनके शिष्यों ने **दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी** की स्थापना की।
- पहला डीएवी (DAV) हाई स्कूल लाहौर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से स्थापित किया गया था।

सामाजिक और धार्मिक सुधार

- **शुद्धि आंदोलन:** शुद्धि आंदोलन **उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था,** जिन्होंने हिन्दू धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम जैसे अन्य धर्मों को अपना लिया था।
- **सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध:** उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का विरोध किया, वे इन प्रथाओं को समाज के लिए नुकसानदायक और वैदिक सिद्धांतों के खिलाफ मानते थे।
- **महिला अधिकारों पर जोर:** दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
- उन्होंने **एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ निराकार ईश्वर** की पूजा पर जोर देते हुए कई देवताओं की पूजा को अस्वीकार कर दिया।
- स्वामी दयानंद ने **जाति-आधारित भेदभाव का विरोध करने के साथ-साथ सामाजिक समानता**, सभी के लिए शिक्षा और महिलाओं के उत्थान का समर्थन किया।

आर्य समाज

- वर्ष 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसका अर्थ है 'कुलीन जन का समाज'।
- **मूल मंत्र: 'कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्', जिसका अर्थ है 'विश्व को महान बनाओ'।**
- आर्य समाज ने वर्ष 1880 के दशक के आसपास विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया।
- **प्रसिद्ध व्यक्तित्व:** लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर, मैडम कामा, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढिंगरा और सुभाष चंद्र बोस।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 62 3/27/2024 1:15:01 PM

साहित्यक रचना

- दयानंद सरस्वती के दर्शन को परिलक्षित करनेवाली उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में 'सत्यार्थ प्रकाश' (सत्य का प्रकाश), 'वेद भाष्य भूमिका' और 'वेद भाष्य' शामिल है।
- उनके द्वारा **'आर्य पत्रिका'** नामक जर्नल का संपादन भी किया गया, जो उनके विचारों को प्रतिबिंबित करती थी।
- **संस्कृत व्याकरण से संबंधित रचना:** उन्होंने संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान में अनेक योगदान दिया है तथा उनकी प्रमुख रचनाओं में **सिद्धांत कौमुदी और संस्कार विधि** भी शामिल हैं।

4.7. ढोकरा शिल्पकला

संदर्भ

छत्तीसगढ़ का ओकर स्टूडियो 4,000 साल पुरानी शिल्पकला 'ढोकरा शिल्पकला' को संरक्षित करने में मदद कर रहा है।

ढोकरा शिल्पकला कौशल

- ऐसा माना जाता है कि इसका नाम **ढोकरा दामर जनजातियों से लिया गया है**, जो **मध्य भारत में पारंपरिक धातु लोहार** हैं।
- इसका 4,000 वर्षों से अधिक का समृद्ध इतिहास है, जो इसे **सबसे पुरानी लिखित धातु ढलाई तकनीकों में से एक बनाता है।**
- ढोकरा मूर्तिकला की जड़ें **छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आदिवासी समुदायों में पाई जा सकती हैं,** जहां यह उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग बन गया है।
- **कलात्मकता और डिज़ाइन**
  - ✓ देहाती आकर्षण की विशेषता युक्त **ढोकरा शिल्पकला की प्रकृति में पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से प्रेरित जैविक डिजाइन शामिल हैं।**
  - ✓ इसके शिल्पकार विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हैं एवं **अपनी रचनाओं में जानवरों, पक्षियों, देवताओं और आदिवासी प्रतीकों जैसे रूपांकनों को शामिल करते हैं।**
  - ✓ ढोकरा शिल्पकला में छोटी मूर्तियों और गहनों से लेकर बड़ी मूर्तियों और कार्यात्मक वस्तुओं तक **कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक विविध श्रृंखला शामिल होती है।**
- **तकनीक और प्रक्रिया:** ढोकरा शिल्पकला **अपनी अनूठी धातु ढलाई तकनीक के माध्यम से अनूठा है एवं इसमें मोम क्षय विधि (Wax Loss Process) का उपयोग किया जाता है,** जिसे पिघला हुआ मोम भी कहा जाता है।

स्रोत: गोवा कनेक्शन

मोम क्षय विधि

- यह मोम क्षय विधि [जिसे निवेश ढलाई या सटीक ढलाई (investment casting or precision casting) कास्टिंग के रूप में भी जाना जाता है] एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग उच्च सटीकता के साथ धातु की मूर्तियां, गहने और जटिल धातु हिस्सों को बनाने के लिए किया जाता है।

4.8. बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था [BAPS] मंदिर

संदर्भ

भारत ने अबू धाबी में **बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS)** हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, यह **संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर** है।

BAPS मंदिर के बारे में

- इस मंदिर का निर्माण **बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS)** द्वारा करवाया गया है, जो कि स्वामीनारायण संप्रदाय (हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय) का एक वर्ग है।
- **मंदिर की बाहरी बनावट:** इसके बाह्य भाग का निर्माण राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर एवं आंतरिक भाग का निर्माण इतालवी संगमरमर से किया गया है।
- **वास्तुशिल्प:** यह सात शिखरों वाला पत्थरों से बना पारंपरिक हिंदू मंदिर है।
  - ✓ इसका प्रत्येक शिखर **रामायण, महाभारत, शिव पुराण और भागवत पुराण की कहानियाँ को प्रदर्शित करता** है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, प्रत्येक शिखर पर **अयप्पा, जगन्नाथ, स्वामीनारायण और वेंकटेश्वर जैसे देवताओं के चित्रों को उकेरा** गया है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 63 3/27/2024 1:15:01 PM

BAPS

- BAPS का नाम भगवान स्वामीनारायण (एक धर्मगुरु) के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना वर्ष 1907 में **शास्त्रीजी महाराज** द्वारा की गई थी।
- यह एक सामाजिक-आध्यात्मिक हिंदू आस्था है जिसकी जड़ें वेदों में हैं और इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में भगवान स्वामीनारायण ने की थी।
- दिल्ली और गुजरात में अक्षरधाम मंदिरों का प्रबंधन इसी संगठन द्वारा किया जाता है।

- **पवित्र नदी**
  - ✓ इस **मंदिर के चारों ओर** एक 'पवित्र नदी' है, जिसमें **गंगा और यमुना का जल** प्रवाहित होता है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, **'सरस्वती' नदी को सफेद रोशनी** के रूप में दर्शाया गया है। जहाँ से होकर गंगा प्रवाहित होती है, वहाँ एक **'वाराणसी-घाट'** बनाया गया है।
- **घंटियाँ:** मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के चारों ओर लगभग 96 घंटियाँ और गौमुख स्थापित हैं। ये 96 घंटियाँ प्रमुख स्वामी महाराज के 96 वर्ष के जीवन को एक श्रद्धांजलि के रूप में लगायी गयी हैं।
- इस मंदिर में दो मुख्य गुंबद बने हैं, जिन्हें **सद्भाव का गुंबद** और **शांति का गुंबद** नाम दिया गया है।
- **इसमें बना सद्भाव दीवार [संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ी त्रि-आयामी मुद्रित (3डी- प्रिंटेड) दीवारों में से एक] है।** सद्भाव ('Harmony') शब्द को 30 विभिन्न प्राचीन और आधुनिक भाषाओं में लिखा गया है।
- यहाँ एक **विशेष स्तंभ** है, **जिसे 'स्तंभों का स्तंभ' ('Pillar of Pillars')** कहा जाता है, **जिसमें लगभग 1,400 छोटे स्तंभ बनाये गए हैं।**
- **प्रतिष्ठता:** मंदिर को अपनी वास्तुशिल्प, उत्कृष्टता और अभिनव डिजाइन के लिए **वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ मैकेनिकल प्रोजेक्ट और वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ इंटीरियर डिजाइन कॉन्सेप्ट** जैसे पुरस्कार मिले हैं।

समारोह में शामिल अतिथि

- **संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान** ने मंदिर के निर्माण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही वे यूएई और भारत के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करते हुए **वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।**

4.9. राष्ट्रीय पुरस्कारों में 'इंदिरा' और 'नरगिस' के नाम में परिवर्तन किये

संदर्भ

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत अभिनेत्री नरगिस दत्त का नाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से हटा दिया है।

नवीनतम प्रमुख परिवर्तन

- **पुरस्कारों के नाम में बदलाव**
  - ✓ 'निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार' को अब **'निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म'** कहा जाएगा।
  - ✓ 'राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार' का नाम 'राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' कर दिया गया है।
- **भाषा श्रेणी में परिवर्तन**
  - ✓ संविधान की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' के पुरस्कार का नाम बदलकर 'सर्वश्रेष्ठ (भाषा का नाम) फीचर फिल्म' कर दिया गया है।
  - ✓ 'सर्वश्रेष्ठ एनीमेशन फिल्म' और 'सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव' के पुरस्कारों को एक निम्न नई श्रेणी के अंतर्गत जोड़ा गया है: 'सर्वश्रेष्ठ AVGC (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) फिल्म', साथ में दो और उप-श्रेणियां जोड़ी गई हैं।
- **कुछ पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि**
  - ✓ सिनेमा के क्षेत्र में जीवन भर योगदान के लिए दिए जाने वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
  - ✓ स्वर्ण कमल और रजत कमल पुरस्कारों के लिए, पुरस्कार राशि को क्रमशः 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पहले नकद पुरस्कार 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच थे।
- **पृष्ठभूमि**
  - ✓ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

राष्ट्रीय पुरस्कार

- इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई और वर्तमान में इसका प्रबंधन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया जाता है।
- ये पुरस्कार हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फीचर फिल्मों और गैर-फीचर फिल्मों की श्रेणियों में दिए जाते हैं।

निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार

- यह फिल्म समारोह निदेशक द्वारा प्रदान किया जानेवाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1980 में 28वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किया गया था।
- इस पुरस्कार को वर्ष 1965 में 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान प्रारंभ किया गया था और पूरे देश में सभी भारतीय भाषाओं में उस वर्ष बनाई गई फिल्मों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता था।

राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार

- वर्ष 1965 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के 13वें सत्र के दौरान नरगिस का नाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से जुड़ा। यह पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 64 3/27/2024 1:15:02 PM

5.1. वन की परिभाषा से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्देश

संदर्भ

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में वन भूमि की पहचान और संरक्षण हेतु राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद (1996) के फैसले में व्यक्त 'वन' की परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया।

फैसले के मुख्य बिंदु

- उच्चतम न्यायालय ने वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय यह निर्देश दिया।
- न्यायालय ने **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 1A** (जिसने डायवर्जन उद्देश्यों के लिए वनों की परिभाषा को सीमित कर दिया) को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया।
  - ✓ **धारा 1A:** इसके अनुसार किसी भी भूमि को "वन" के रूप में परिभाषित करने के लिए या तो वन के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए या सरकारी रिकॉर्ड में विशेष रूप से वन के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ (1996)
• फैसले के अनुसार, वनों में निम्न शामिल होंगे: ✓ सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज कोई भी भूमि (वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2)। ✓ कोई भी भूमि जो जंगल की शब्दकोश परिभाषा को संतुष्ट करती हो। (ऑक्सफ़ोर्ड शब्दकोष: 'वृक्षों और झाड़ियों से आच्छादित एक बड़ा क्षेत्र' वन होता है।)

- उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि वन भूमि की पहचान की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को **वर्ष 1996 के टी.एन. गोदावर्मन फैसले के अनुसार 'वन' की** परिभाषा का पालन करना चाहिए।
  - ✓ यह परिभाषा **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 की परिभाषा** (जो केवल अधिसूचित या रिकॉर्ड में दर्ज वनों पर विचार करती है) से अधिक व्यापक है।
- न्यायालय के अनुसार केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से **टी.एन. गोदावर्मन फैसले (1996) के आधार पर वन के रूप में पहचानी गई भूमि का विवरण एकत्र करना होगा।**
  - ✓ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास इन रिपोर्टों को जमा करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
  - ✓ केंद्र सरकार को **इन रिकॉर्डों को डिजिटल रुप में बनाना होगा** और 15 अप्रैल तक उन्हें ऑनलाइन प्रकाशित करना होगा।
- **न्यायालय की मंजूरी के बिना चिन्हित वन क्षेत्रों** में कोई भी नया **चिड़ियाघर या सफारी** स्थापित नहीं की जा सकती है।
  - ✓ चिड़ियाघर या सफ़ारी को वन (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 5 के तहत वनों के रूप में छूट दी गई है।
  - ✓ यह प्रतिबंध संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित **सरकारी स्वामित्व वाले या अधिकृत चिड़ियाघरों और सफारी पर लागू होता है।**

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि को अनारक्षित करने या बदलने से पहले, **केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य** है।
- राज्य सरकार **वनों का उपयोग विशेष रूप से वानिकी प्रयोजनों** के लिए करने हेतु अधिकृत है।
  - ✓ किसी भी अन्य उपयोग के लिए **केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।**
- **केंद्र सरकार की मंजूरी** के बाद राज्य सरकार निम्न विशिष्ट कार्यों हेतु **आदेश जारी कर सकती है:**
  - ✓ गैर-वन उद्देश्यों **(जैसे- खनन, कृषि)** के लिए आरक्षित वन के हिस्सों की घोषणा।
  - ✓ प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को साफ़ कर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को लगाना (वनीकरण)।
- **वन प्रकार:** अधिनियम में आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन और निजी संरक्षित वन को परिभाषित किया गया है।
  - ✓ **आरक्षित वन:** इसकी सीधे सरकार द्वारा निगरानी की जाती है एवं इनमें लकड़ी संग्रह या मवेशी चराने के लिए किसी भी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है।
  - ✓ **संरक्षित वन:** ये सरकार द्वारा प्रबंधित होते हैं एवं स्थानीय लोगों को वनों को गंभीर क्षति न पहुंचाते हुए जलावन, लकड़ी इकट्ठा करने और मवेशियों को सावधानी से चराने की अनुमति होती है।
  - ✓ **ग्राम वन:** ये वन उचित उपयोग हेतु ग्राम समुदाय को सौंपा जाता है।
  - ✓ **निजी संरक्षित वन:** किसी व्यक्ति या संगठन के स्वामित्व वाले भूमि अधिकारों पर बने संरक्षित क्षेत्र।
- इस अधिनियम के तहत कुछ गैर-वन गतिविधियों, जैसे- निर्माण, जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन, चेक पोस्ट, वायरलेस संचार आदि को **अधिनियम के तहत छूट** दी गई है।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023

- इस अधिनियम के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किया गया है ताकि इसे कुछ अन्य भूमि पर लागू किया जा सके।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 65 3/27/2024 1:15:02 PM

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- इसकी धारा 1A में निम्न दो प्रकार की भूमि शामिल हैं
  - ✓ भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित/अधिसूचित भूमि।
  - ✓ भूमि, पहली श्रेणी में शामिल नहीं हो लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर, 1980 (वन संरक्षण अधिनियम, 1980) को या उसके बाद वन के रूप में अधिसूचित की गई हो।
- यह अधिनियम किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरण द्वारा 12 दिसंबर, 1996 (टी.एन. गोदावर्मन निर्णय) से पहले **वन से गैर-वन उपयोग में बदली गई भूमि** पर लागू नहीं होगा।

भारत में वन की स्थिति (भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार)

- देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का **24.62 प्रतिशत** है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से **मध्य प्रदेश** में देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण, शीर्ष पांच राज्य **मिजोरम (84.53%), अरुणाचल प्रदेश (79.33%), मेघालय (76.00%), मणिपुर (74.34%) और नागालैंड (73.90%) हैं।**
- **कुल भूमि क्षेत्र का 24.62% वन और वृक्ष आवरण** के साथ भारत **दुनिया में 10वें स्थान** पर है, यहां तक की यह दुनिया के स्थल क्षेत्र का 2.4% है और **17% मनुष्यों और 18% पशुधन आबादी** की जरूरतों को पूरा करता है।

- कुछ अन्य भूमि को **अधिनियम से छूट** दी गई है, जिसमें रेल लाइनों, सार्वजनिक सड़कों और सड़क के किनारे की सुविधाओं (0.10 हेक्टेयर तक) के साथ वन भूमि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक परियोजनाओं और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में रक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किमी के भीतर भूमि हेतु **छूट।**
- किसी भी इकाई को वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, जिसमें सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भूमि भी शामिल है।
- यह अधिनियम वनों के अनारक्षण को रद्द करने या गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है।
  - ✓ केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।
- **गैर-वन उद्देश्यों** में वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कुछ गतिविधियाँ, जैसे- चेक पोस्ट, फायर लाइन, बाड़ लगाना और वायरलेस संचार स्थापित करना शामिल नहीं हैं।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 से सम्बंधित विभिन्न चुनौतियाँ

- राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- चिड़ियाघरों, पर्यावरण-पर्यटन सुविधाओं और टोही सर्वेक्षणों जैसी परियोजनाओं के लिए पूर्ण छूट से वन भूमि और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- विभिन्न आलोचकों ने तर्क दिया कि संयुक्त संसदीय समितियों ने आदिवासियों के स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न सुझावों की सिफारिश की थी, लेकिन इस अधिनियम में इन सुझावों को आंशिक रूप से ही अपनाया गया है।

वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

- **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP):** इसका उद्देश्य ह्रासित वनों का पारिस्थितिक पुनरोद्धार और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन संसाधनों का सतत विकास करना है।
- **नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन (MIG):** इसका उद्देश्य भारत के घटते वन क्षेत्र की रक्षा करना, पुनर्स्थापित करना एवं बढ़ाना तथा अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन का मुकावला करना है।
- **राष्ट्रीय वन नीति, 1988:** इसमें पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करने (जो सभी जीवन रूपों, मानव, पशु और पौधों के भरण-पोषण के लिए महत्वपूर्ण है) की बात कही गई है।
- **प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (CAF tcA):** यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के बदलाव के कारण वन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

आगे की राह

- “वन” की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखने वाला उच्चतम न्यायालय का नवीनतम फैसला मजबूत वन संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब व्यापक संरक्षण प्रयासों को सुनिश्चित करते हुए इस परिभाषा के आधार पर वन भूमि की पहचान करना और रिकॉर्ड जमा करना चाहिए।
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल ग्रीन डंडिया मिशन और प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम जैसी **मौजूदा पहल** वन बहाली और भूमि परिवर्तन के मुआवजे के लिए रूपरेखा प्रदान करती हैं।
- चयनात्मक लॉगिंग, कृषि वानिकी और समुदाय-आधारित वन प्रबंधन जैसे तरीकों को प्रोत्साहित करने से वनों की कटाई को कम करने और सतत वन उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

5.2. मानव-पशु संघर्ष

संदर्भ

हाल ही में, केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य में बढ़ते मानव-पशु संघर्ष को समाप्त करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का आग्रह किया।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 66 3/27/2024 1:15:10 PM

विवरण

प्रस्ताव में केरल सरकार ने निम्नलिखित मांग की है

- **शिकार की धारा में संशोधन की मांग**
  - ✓ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की **धारा 11(1)(A)** जंगली जानवरों के शिकार को निगमित करती है।
  - ✓ **धारा 11(1)(A): राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन (CWLW) के पास उन खतरनाक जंगली जानवरों की हत्या/शिकार की अनुमति देने का अधिकार है जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं/गंभीर रूप से विकलांग/बीमार हैं।**
  - ✓ केरल, मुख्य वन्यजीव वार्डन की यह शक्ति **मुख्य वन संरक्षकों (CCF) को देने के लिए धारा 11(1)(A) में संशोधन करना चाहता है**। इससे स्थानीय स्तर पर खतरनाक वन्यजीव स्थितियों से निपटना आसान और शीघ्र हो जाएगा।
- **जंगली सूअर को हिंसक घोषित करने की मांग:**
  - ✓ **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 62** के तहत, केंद्र सरकार अनुसूची I में निर्दिष्ट जानवरों के अलावा किसी भी अन्य जंगली जानवर को किसी भी क्षेत्र/राज्य के लिए हिंसक घोषित कर सकती है।
  - ✓ केरल सरकार के अनुसार केंद्र सरकार **धारा 62 के तहत जंगली सूअरों को हिंसक पशु घोषित करे** क्योंकि वे मानव जीवन और फसलों दोनों के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहे हैं।
  - ✓ उन्हें हिंसक घोषित करने से राज्य और उसके नागरिक उनका शिकार करके उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सक्षम हो जायेंगे।

जंगली सूअर (सस स्क्रोफ़ा)

- **श्रेणी:** सभी सूअरों में सबसे व्यापक श्रृंखला, जिसे कभी-कभी यूरोपीय जंगली सूअर भी कहा जाता है।
- **विवरण:** फुर्तीले, निशाचर और सर्वाहारी जानवर।
- **वितरण:** देशी सूअरों में सबसे बड़ा। पश्चिमी और उत्तरी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका, अंडमान द्वीप (भारत) और चीन तक फैले जंगलों के मूल निवासी।
- **IUCN स्थिति:** कम चिंताजनक
- **WPA 1972:** अनुसूची III

वन्यजीप (संरक्षण अधिनियम), 1972 का अवलोकन

- **उद्देश्य:** पूरे भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित।
- **विकास:** अधिनियम से पहले, भारत में केवल पांच नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान में, देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- **नियुक्त अधिकारी:**
  - ✓ **केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण निदेशक और अधीनस्थ अधिकारियों** की नियुक्ति करती है।
  - ✓ **राज्य सरकारें जिलों के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन (CWLW) और वन्यजीव वार्डन** की नियुक्ति करती हैं।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - ✓ **शिकार पर प्रतिबंध:** मानव जीवन के लिए खतरा या असाध्य बीमारी जैसे कारणों से निर्दिष्ट जंगली जानवरों का शिकार तब तक प्रतिबंधित है जब तक मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।
  - ✓ **वनस्पतियों की सुरक्षा:** शैक्षिक या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, बिना अनुमति के निर्दिष्ट वनस्पतियों को उखाड़ने या इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है।
  - ✓ **अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की अधिघोषणा:** केंद्र सरकार पारिस्थितिक महत्व के आधार पर क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है।
  - ✓ **वन्यजीव उत्पादों का स्वामित्व:** शिकार किए गए जंगली जानवरों और संबंधित उत्पादों को सरकारी संपत्ति माना जाता है जब तक कि उन्हें हिंसक घोषित नहीं किया जाता।
- **WPA 1972 के तहत अनुसूचियाँ:** यह विविध पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को निम्न **छह अनुसूचियों** में वर्गीकृत करती है:

अनुसूची	परिभाषा	उदाहरण
अनुसूची I	संकटग्रस्त प्रजातियों को सख्त सुरक्षा, अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि पर रोक	काला हिरण, बंगाल टाइगर, धूमिल तेंदुआ, हिम तेंदुआ, दलदली हिरण, हिमालयी भालू, एशियाई चीता, कश्मीरी बारहसिंगा, शेर जैसी पूंछ वाला मकाक, कस्तूरी मृग, गैंडा, भौंह सींग वाला हिरण, कैप्ड लंगूर, गोल्डन लंगूर, हूलॉक गिब्बन
अनुसूची II	उच्च सुरक्षा, मानव जीवन को खतरे में पड़ने या असाध्य बीमारी/विकार को छोड़कर व्यापार और शिकार पर रोक।	असमिया मकाक, सुअर पूंछ मकाक, स्टंप पूंछ मकाक, बंगाल हनुमान लंगूर, हिमालयी काला भालू, सियार, उड़ने वाली गिलहरी, विशाल गिलहरी, शुक्राणु व्हेल, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा
अनुसूची III & IV	गैर-संकटग्रस्त प्रजातियों को अनुसूची I और II की तुलना में कम दंड के साथ, शिकार निषेध के साथ संरक्षित किया जाता है।	चीतल (चित्तीदार हिरण), भरल (नीली भेड़), लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर (हिरण), स्पंज, राजहंस, खरगोश, बाज़, किंगफिशर, मैगपाई, घोड़े की नाल, केकड़े
अनुसूची V	हिंसक प्रजातियों को बीमारी फैलाने और पौधों और भोजन को नष्ट करने की उनकी प्रवृत्ति के कारण शिकार की अनुमति दी जाती है।	कौवे, फ्रूट चमगादड़, चूहे, मूषक
अनुसूची VI	निर्दिष्ट पौधों की खेती, पास में रखने, बिक्री करने और लाने-ले जाने को नियंत्रित करता है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।	बेडडोम्स का साइकैड, ब्लू वांडा (ब्लू ऑर्किड), रेड वांडा (रेड ऑर्किड), कुथ (सॉसुरिया लप्पा), स्लिपर ऑर्किड (पैफियोपेडिलम एसपीपी), पिचर प्लांट (नेपेंथेस खसियाना)

मानव-पशु संघर्ष में योगदान देने वाले कारक

- **बढ़ती अंतर्क्रिया:** बढ़ती मानव आबादी वन्यजीव आवासों पर अतिक्रमण कर रही है, जिससे लगातार उनका सामना और संसाधन

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 67 3/27/2024 1:15:18 PM

प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। बस्तियों और जंगलों के बीच बफर ज़ोन का विनाश इन अंतःक्रियाओं को बढ़ाता है।

- **आवासों का विखंडन:** सड़क और रेलवे जैसी विकास परियोजनाएं प्राकृतिक आवासों को बाधित करती हैं, जिससे पशु जीवन की हानि होती है और उनका आवास क्षेत्र विखंडित होता है।
- **जलवायु परिवर्तन;** जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का बदलता स्वरूप जानवरों को उनके सामान्य आवास से बाहर भोजन और आश्रय की तलाश करने के लिए मजबूर करता है।
- **संरक्षित क्षेत्रों का अभाव:** अधिकांश प्रजातियाँ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहती हैं, जिससे वे मानवीय गतिविधियों के संपर्क में आ जाती हैं और संघर्ष बढ़ जाता है। जैसे- भारत में बाघों का आवास संरक्षित क्षेत्रों से भी आगे तक फैला हुआ है।
- **विदेशी आक्रामक प्रजातियाँ:** आक्रामक पौधे शाकाहारी जीवों के लिए भोजन के स्रोतों को कम कर देते हैं, जिससे वे फसलों को चरने लगते हैं और संघर्ष बढ़ जाते हैं।
- **शिकार:** अवैध शिकार से शिकारियों के लिए शिकार का आधार कम हो जाता है, जिससे उन्हें आस-पास के गांवों में वैकल्पिक भोजन स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इन संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियाँ

- **जीवन और आजीविका की हानि:** ये संघर्ष मानव संपत्ति, आजीविका और उनके जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- **जैव विविधता का नुकसान:** मानव-पशु संघर्ष जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों का अस्तित्व प्रभावित होता है।
- **रोग का फैलाव:** क्यासानूर वन रोग और निपाह वायरस जैसे जंगली जानवरों द्वारा प्रसारित ज़ूनोटिक रोग मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।
- **संरक्षण प्रयासों पर प्रभाव:** बार-बार होने वाले संघर्ष संरक्षण के लिए सार्वजनिक सहायता को कमजोर करते हैं, जिससे वनों और वन्यजीवों की रक्षा के प्रयासों में बाधा आती है।
- **सतत विकास पर प्रभाव:** जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव-पशु संघर्ष को कम करना महत्वपूर्ण है, जो SDG 15 (पृथ्वी पर जीवन) जैसे सतत विकास उद्देश्यों को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में सहवास (एक साथ रहने) को बढ़ावा देते हुए लोगों और वन्यजीवों की सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
- सरकारी पहल का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और स्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करके वनों पर समुदायों की निर्भरता को कम करना होना चाहिए।
- वन्यजीव आवासों के निकट समुदायों को उनकी योजना और प्रबंधन प्रथाओं में सह-अस्तित्व को एकीकृत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और संगठनात्मक सहायता प्रदान करना।
- एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाना, जो स्वास्थ्य और कल्याण हेतु अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए मानव, पशु, पौधे और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को पहचानता है।
- "प्रकृति के साथ शांति से रहने" के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए SDG ढांचे में मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को शामिल करना।

5.3. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की सातवीं जलवायु मूल्यांकन रिपोर्ट

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) ब्यूरो (जो जलवायु मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है), तुर्की में **IPCC के 60वें सत्र (IPCC-60)** में **सातवें मूल्यांकन चक्र (AR7)** के तहत अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने हेतु एक समयसीमा निर्धारित करने पर आम सहमति बनाने में विफल रहा।

अन्य विवरण

- IPCC-60 वार्ता के दौरान, IPCC ब्यूरो पूर्ण मूल्यांकन और संश्लेषण रिपोर्ट, कार्यप्रणाली रिपोर्ट और एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति बनी।
- कई सदस्य देशों ने ब्यूरो से **दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक** (GST) के अनुरूप वर्ष 2028 तक AR7 रिपोर्ट के तैयार करने में **तेजी लाने का भी अनुरोध किया।**
- हालाँकि, स्वीकृत पाठों की समीक्षा, अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने में अधिक समय लगने के कारण ब्यूरो पूरी रिपोर्ट जारी करने की तारीख पर आम सहमति पर नहीं पहुँच सका।
- **मिस्र, भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और केन्या सहित** कई विकासशील देशों ने भी इस समयरेखा के बारे में चिंता जताई है।
  - ✓ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक संक्षिप्त चक्र अपर्याप्त नए वैज्ञानिक पत्रों (कागजात) और जलवायु परिवर्तन को व्यापक रूप से समझने के लिए अधूरे मॉडलिंग प्रयासों के कारण कंटेंट से समझौता कर सकता है।

ग्लोबल स्टॉकटेक (GST)

- पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में दुनिया की प्रगति का आंकलन करने के लिए, UNFCCC देश हर 5 साल में एक बार 'ग्लोबल स्टॉकटेक' (GST) आयोजित करते हैं।
- GST सभी हितधारकों के लिए सामूहिक रूप से प्रगति को मापने, अंतराल की पहचान करने और जलवायु कार्रवाई के बेहतर पाठ्यक्रम का चार्ट करने हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- **पहला GST 2022** में शुरू हुआ और दिसंबर 2023 में सीओपी28 में समाप्त हुआ। इसने आईपीसीसी से अपने काम को बाद के स्टॉकटेक के साथ संरेखित करने का अनुरोध किया है, ताकि यह प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्रदान कर सके।
- **दूसरा GST 2028 में आनेवाला है** और सदस्य देशों ने IPCC से स्टॉकटेक से पहले अपनी AR7 मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करने का अनुरोध किया है ताकि देश पृथ्वी की स्थिति के अनुसार अपनी प्रगति को माप सकें।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 68 3/27/2024 1:15:18 PM

- **मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए समयसीमा** पर निर्णय लंबित है और **आईपीसीसी के 61वें सत्र के दौरान इस पर चर्चा की जाएगी।**
  - ✓ **जलवायु परिवर्तन एवं शहरों पर विशेष रिपोर्ट** तथा **अल्पकालिक जलवायु प्रेरकों पर दो कार्यप्रणाली रिपोर्ट** और **कार्बन निष्कासन** वर्ष 2027 में प्रकाशित किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)

- इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए की गई थी जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं।
- IPCC उन सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या डब्लूएमओ के सदस्य हैं। वर्तमान में इसके **195 सदस्य** हैं।
- AR6 संश्लेषण रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, IPCC ने IPCC ब्यूरो को नामांकित और चयन कर अपना सातवां चक्र (AR7) शुरू किया।

मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

आईपीसीसी की मूल्यांकन रिपोर्ट	रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्ष
प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट (1990)	• इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पिछले 100 वर्षों में वैश्विक तापमान पहले ही 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में वर्ष 2025 तक 2 डिग्री सेल्सियस और वर्ष 2100 तक 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। • रिपोर्ट में **वर्ष 2100 तक समुद्र के स्तर में 65 सेमी की वृद्धि होने की भी संभावना जताई गई है।** • इस रिपोर्ट ने वर्ष 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की बातचीत हेतु आधार बनाया, जिसे **रियो शिखर सम्मेलन** के रुप में जाना जाता है।
दूसरी मूल्यांकन रिपोर्ट (1995)	• अतिरिक्त सबूतों के आधार पर, इसने **वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में अनुमानित वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर** और **समुद्र के स्तर में 50 सेमी वृद्धि** की बात कही। • AR2 ने **वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल** के लिए वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य किया।
तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट (2001)	• वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में अनुमानित वृद्धि को **1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस** तक होने की बात कही। • रिपोर्ट में औसत **वर्षा वृद्धि** की भविष्यवाणी की गई है और 1990 के स्तर से 2100 तक **80 सेमी** तक समुद्र के स्तर में वृद्धि प्रत्याशित है।
चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट (2007)	• वर्ष 1970 और वर्ष 2004 के बीच **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 70% की वृद्धि।** • सबसे खराब स्थिति में, रिपोर्ट में पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में **वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस** की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, और समुद्र का स्तर वर्ष 1990 के स्तर से **60 सेमी** अधिक हो सकता है। • **इस रिपोर्ट के लिए आईपीसीसी को 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।** • **इसने 2009 कोपेनहेगन जलवायु बैठक** के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान किया।
पांचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट (2014)	• रिपोर्ट में पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में **वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस तक की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।** • AR5 ने "प्रजातियों के एक बड़े हिस्से" के विलुप्त होने और खाद्य सुरक्षा के कमजोर होने के जोखिम पर जोर दिया। • इस विश्लेषण रिपोर्ट ने **वर्ष 2015 में पेरिस समझौते** की बातचीत के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।
छठे मूल्यांकन चक्र (2023) के लिए संश्लेषण रिपोर्ट (SYR)	• वैश्विक सतह का तापमान **पहले से ही पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.1 डिग्री सेल्सियस** अधिक गर्म हो चुका है, जिससे मानव स्वास्थ्य, सम्पत्ति और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक और अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं हो रही हैं। • मौजूदा नीतियां (जैसा कि देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान द्वारा इंगित किया गया है) 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं, और इससे वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना कठिन हो जाता है। • 1.5° सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैश्विक शुद्ध शून्य को 2050 के दशक की शुरुआत में हासिल किया जाना चाहिए। • भारत के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ • **अत्यधिक गरीब आबादी:** भारत को जीवन, आजीविका और जैव विविधता में होनेवाले नुकसान को कम करने के लिए अनुकूलन रणनीतियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। • **अनुदान और नीतियों पर ध्यान:** अनुदान और नीतियों को विशेष रुप से अनुकूलन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। • **जलवायु-अनुकूल विकास:** विकास रणनीतियों को जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिए। • **प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम करना:** मौजूदा ऊर्जा दक्षता नीतियां इसे हासिल करने में मदद कर सकती हैं। • **अकार्बनीकरण:** सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन महत्वपूर्ण है।

मूल्यांकन रिपोर्ट के लाभ

- रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का एक कठोर और उद्देश्यपूर्ण संश्लेषण प्रदान करती है, जो हजारों सहकर्मी-समीक्षा अध्ययनों से ली गई है।
- रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **नीति निर्माताओं के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें पेश करती हैं।**
- रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन की **तात्कालिकता और गंभीरता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाती हैं,** इसकी मानव-जनित प्रकृति और संभावित परिणामों पर वैज्ञानिक सहमति पर प्रकाश डालती हैं।
- रिपोर्टें पेरिस समझौते जैसे जलवायु परिवर्तन पर **अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं और समझौतों के लिए एक सामान्य वैज्ञानिक आधार के रूप में काम करती हैं।**

मूल्यांकन रिपोर्ट के समक्ष चुनौतियों

- **विविध क्षेत्रों से जटिल वैज्ञानिक निष्कर्षों** को स्पष्ट और सुलभ तरीके से एकीकृत और प्रस्तुत करना एक चुनौती बनी हुई है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 69 3/27/2024 1:15:18 PM

- **विश्वसनीय डेटा तक सीमित पहुंच**, विशेष रूप से विकासशील देशों से, रिपोर्ट की व्यापकता और सटीकता में बाधा बन सकती है।
- IPCC का **सीमित बजट व्यापक** अनुसंधान करने, व्यापक पहुंच गतिविधियों में संलग्न होने और रिपोर्टों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- विभिन्न देशों और समुदायों के बीच जलवायु कार्रवाई के बोझ और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- जबकि AR7 कार्य कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है, पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट की समयसीमा अभी भी अनिश्चित है। **वैज्ञानिक कठोरता और समय पर प्रदायगी के बीच संतुलन** बनाना महत्वपूर्ण है।
- **जटिल वैज्ञानिक निष्कर्षों को नीति निर्माताओं और जनता** तक सुलभ तरीके से प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना एक चुनौती बनी हुई है जिसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है।
- **जलवायु कार्रवाई के बोझ और लाभों का समान वितरण** सुनिश्चित करना स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।

इन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देकर IPCC वैश्विक जलवायु कार्रवाई के बारे में जानकारी देने और मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रख सकता है।

5.4. भारतीय हिम तेंदुआ

संदर्भ

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत की पहली **'हिम तेंदुआ जनसंख्या आंकलन रिपोर्ट'** जारी किया।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- भारत में हिम तेंदुए (Snow Leopard) की आबादी का आंकलन कार्यक्रम पहला वैज्ञानिक प्रयास है, जिसमें भारत में इनकी संख्या 718 बताया गया है।
- भारतीय हिम तेंदुए की आबादी का अनुमान वैश्विक आबादी का लगभग 1/6 से 1/9 माना है।
- चार साल तक चले आंकलन कार्यक्रम से भारत के वनों में लगभग **718 हिम तेंदुओं** का पता चला।
- **लद्दाख** में इनकी संख्या सबसे अधिक (अनुमानित संख्या 477) है, इसके बाद उत्तराखंड (124), हिमाचल प्रदेश (51), अरुणाचल प्रदेश (36), सिक्किम (21) और जम्मू एवं कश्मीर (9) हैं।
- भारतीय हिम तेंदुए की आबादी **वैश्विक आबादी का 10-15%** है। इनकी सर्वाधिक आबादी **चीन** में पाई जाती है।

हिम तेंदुआ

- **प्राकृतिक वास**
  - ✓ हिम तेंदुए मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं।
  - ✓ भारत में, ये पश्चिमी हिमालय (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश) और पूर्वी हिमालय (उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश) में पाए जाते हैं।
  - ✓ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान (लद्दाख) भारत का **सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान** और हिम तेंदुए का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।
- **संरक्षण की स्थिति**
  - ✓ IUCN लाल सूची: **सुभेद्य (VU) के रूप में सूचीबद्ध।**
  - ✓ CITES और CMS: परिशिष्ट-I
  - ✓ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I
- **भारत द्वारा संरक्षण प्रयास**
  - ✓ **वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (GSLEP) कार्यक्रम:** भारत वर्ष 2013 से इसमें भाग ले रहा है।
  - ✓ **हिमाल संरक्षक:** इसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में स्थानीय

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 70 3/27/2024 1:15:19 PM

समुदायों को हिम तेंदुए के संरक्षण में शामिल करने के लिए की गई थी।
- ✓ **प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल (2019):** इसे हिम तेंदुए की जनसंख्या निगरानी में सहायता करते हुए इनकी आबादी का आंकलन हेतु शुरु किया गया था।
- ✓ **सिक्योर हिमालय (SECURE Himalaya):** यह GEF-UNDP द्वारा वित्तपोषित परियोजना है, जो कि उच्च ऊंचाई वाली जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है।
- ✓ **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL):** इसे वर्ष 2009 में शुरू किया गया, यह हिम तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण हेतु एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण पर जोर देता है।
- ✓ **रिकवरी कार्यक्रम:** यह हिम तेंदुआ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 21 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के रिकवरी कार्यक्रम का हिस्सा है।
- ✓ **पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)** में हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम संचालित होता है।

5.5. थानथाई पेरियार अभयारण्य और वनवासियों के अधिकार

संदर्भ

तमिलनाडु के इरोड जिले में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की नवीनतम अधिसूचना ने आसपास के वनवासी समुदायों में चिंता पैदा कर दी है।

हालिया घटनाक्रम

- हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले के बरगुर हिल्स में आरक्षित वनों को थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया, जिससे यह राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया।
- इससे अभयारण्य के आसपास के वनवासियों में डर पैदा हो गया है कि **वर्तमान अधिसूचना वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत उनके अधिकारों से वंचित कर सकती है।**
- नई अधिसूचना के तहत, छह आदिवासी वन गांवों को बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि ये अभयारण्य से बाहर किया गये राजस्व गांव नहीं हैं।
- लेकिन ये बस्तियाँ 3.42 वर्ग किमी के एक स्वेच्छित क्षेत्र तक ही सीमित हैं। नई अधिसूचना के कारण, थानथाई पेरियार अभयारण्य के भीतर **मवेशी चराने पर प्रतिबंध** लगा दिया गया है।
  - ✓ यह संभावित रूप से **बरगुर मवेशियों** को प्रभावित कर सकता है, जो बरगुर वन पहाड़ियों की मूल पारंपरिक नस्ल है, क्योंकि वे अपने पारंपरिक चरागाह क्षेत्रों तक पहुंच खो सकते हैं।

थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य

- **रणनीतिक स्थान:** यह तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (STR) और कर्नाटक के माले महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के बीच स्थित है।
- **पारिस्थितिक महत्व:** यह अभयारण्य नीलगिरी में पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है।
- **सम्पर्क सुविधा:** यह कर्नाटक के कोल्लेगल जंगलों और नीलगिरी से जुड़ा हुआ है, जो इस क्षेत्र में सबसे विविध अधिवासों में से एक है।
- **जल स्रोत:** अभयारण्य का परिदृश्य कावेरी नदी की सहायक नदी पलार नदी का जलग्रहण क्षेत्र है।

- यह आदेश वन अधिकार अधिनियम (2006) के प्रावधानों का खंडन करता है, जो राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व सहित सभी वनों में खानाबदोश या पशुपालक समुदायों के चराई और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अधिकारों को मान्यता देता है।

नोट: मार्च 2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सभी वनों में मवेशी चराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले पुराने आदेश को संशोधित किया और प्रतिबंध को राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व तक सीमित कर दिया।

- विशेष रूप से, **तमिलनाडु** भारत का एकमात्र राज्य है जहां इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम या वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को देश में औपनिवेशिक युग के वन कानूनों से उत्पन्न आदिवासी समुदायों और वनवासियों के साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए लागू किया गया था।
- 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत, वनवासियों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं -

1. **ज़मीन के अधिकार**
   - ✓ वनवासियों को उस भूमि के स्वामित्व का अधिकार है जिस पर वे खेती कर रहे हैं, जिसकी **अधिकतम सीमा प्रति परिवार 4 हेक्टेयर** है।
   - ✓ यह स्वामित्व परिवार द्वारा खेती की गई वास्तविक भूमि तक ही सीमित है, और कोई नई भूमि नहीं दी जा सकती है।
   - ✓ विरासत के अलावा भूमि को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

वनवासी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार निम्न वनवासी कहलाते हैं:
- अनुसूचित जनजातियों के सदस्य या समुदाय जो मुख्य रूप से अपनी आजीविका की जरूरतों के लिए जंगलों या वन भूमि पर निवास करते हैं और उन पर निर्भर हैं।
- कोई भी सदस्य या समुदाय, जो 13 दिसंबर, 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए मुख्य रूप से वन भूमि में रहता हो।

2. **उपयोग अधिकार**
   - ✓ वनवासियों को **लघु वन उपज** (जैसे तेंदू पत्ते, जड़ी-बूटियाँ, औषधीय पौधे, आदि) लेने, चरागाह क्षेत्र आदि के उपयोग का अधिकार है।
   - ✓ लघु वन उपज में लकड़ी शामिल नहीं है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 71 3/27/2024 1:15:19 PM

3. **राहत एवं विकास अधिकार**
   ✓ अवैध बेदखली, जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के मामले में पुनर्वास। हालाँकि, ये अधिकार वनों की सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं।
4. **सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार:**
   ✓ वन में रहने वाले समुदायों को वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार है।
   ✓ वन माफियाओं, उद्योगों और भूमि कब्ज़ा करने वालों के खतरों के खिलाफ अपने जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने वाले समुदायों के लिए यह महत्वपूर्ण है।

वन अधिकार अधिनियम के लाभ

- **वन समुदायों का सशक्तिकरण:** वन अधिकार अधिनियम अधिकारों को मान्यता देता है और अनुदान देता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार होता है और स्वामित्व की भावना पैदा होती है।
- **जैव विविधता संरक्षण:** वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण में योगदान देती है।
- **सामाजिक न्याय:** वन अधिकार अधिनियम आदिवासी और वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देकर, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकता है।
- **आजीविका की सुरक्षा:** यह अधिनियम वन संसाधनों तक पहुंच और स्थायी रूप से उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्रदान करके आजीविका की सुरक्षा करता है।
- **सहभागी शासन:** वन अधिकार अधिनियम एक सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसमें वन प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है।

चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** राज्यों में असंगत कार्यान्वयन वन अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को साकार करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- **जागरूकता की कमी:** वनवासी समुदायों के बीच अधिनियम की सीमित समझ प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
- **नौकरशाही बाधाएँ:** जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ वन अधिकारों की मान्यता और अधिकार को धीमा कर देती हैं।
- **संरक्षण लक्ष्यों के साथ संघर्ष:** विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों में पारंपरिक अधिकारों और संरक्षण उद्देश्यों को पहचानने के बीच संतुलन को लेकर चर्चाएं सामने आती हैं।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** प्रावधानों की व्याख्या और दावों के सत्यापन से संबंधित विवादों के कारण देरी और अनिश्चितताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- **नौकरशाही की निरंकुशता को कम करना:** बढ़ती जवाबदेही और जागरूकता अभियानों के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन के प्रति नौकरशाही की निरंकुशता को कम किया जा सकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना:** हितधारकों के बीच व्यापक समर्थन और समझ को बढ़ावा देने के लिए वन अधिकार अधिनियम के महत्व और लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।
- **लोकतांत्रिक वन शासन को मजबूत करना:** स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर और वन प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक वन शासन को बढ़ावा देना।
- **समुदाय-आधारित संरक्षण:** वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने और सामुदायिक पहलों का समर्थन करके समुदाय-आधारित संरक्षण और सतत आजीविका की क्षमता को उजागर करना।

5.6. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक

संदर्भ

हाल ही में, **राज्यसभा ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है,** जिसका उद्देश्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करना है।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 2024

- इस विधेयक में **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों में संशोधन** करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें वर्तमान में इसके नियमों का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर कारावास के दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।
- इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य **आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाते हुए यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति, व्यवसाय और लघु कंपनियाँ,** तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामियों हेतु जेल जाने की आशंका के बिना काम कर सकें।
- यह **किसी अपराध की गंभीरता को देखते हुए दंडात्मक परिणामों** की व्यवस्था पर जोर देता है।
- इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 और 26 के अपवादों के साथ, दंडात्मक प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण** करते हुए इसके स्थान पर दंड का प्रावधान करना है।
  ✓ इस अधिनियम की **धारा 25 राज्य प्रदूषण बोर्डों** से संचालन के लिए अनिवार्य सहमति से संबंधित है, जबकि इसकी **धारा 26 सीवेज या व्यापार अपशिष्टों** के निर्वहन (विसर्जन) से संबंधित है।
- यह विधेयक **केंद्र सरकार को विशिष्ट श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों** को पर्यवेक्षण में अतिरेक को कम करते हुए और नियामक एजेंसियों पर बोझ को कम करते हुए **धारा 25 के अनुप्रयोग से छूट** देने का अधिकार देता है।
- **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 41 से 45A में अदालती अभियोजन के बजाय वित्तीय दंड** का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक में जल निकायों में प्रदूषणकारी पदार्थों को डालने से संबंधित **उल्लंघनों हेतु 10 हजार रुपये से 15 लाख रुपये तक के जुर्माने** का प्रावधान है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 72 3/27/2024 1:15:19 PM

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

उद्देश्य: जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना, जल की संपूर्णता बहाल करना।
प्रमुख बिंदु:
- केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना।
- उद्योगों और नगरपालिकाओं हेतु अपशिष्ट निर्वहन मानक निर्धारित करता है।
- जल निकायों में प्रदूषकों को छोड़ने के लिए प्रदूषण बोर्डों से सहमति की आवश्यकता।
- बोर्डों को निम्नलिखित हेतु सशक्त बनाता है:
  - ✓ संभावित प्रदूषकों की जांच और निरीक्षण करने।
  - ✓ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी करने।
  - ✓ गंभीर प्रदूषण की स्थिति में आपातकालीन उपाय करने।
- बोर्ड के निर्णयों की अपील और संशोधन हेतु तंत्र प्रदान किया गया है।
- प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों को वित्तपोषित करने हेतु कुछ उद्योगों द्वारा जल की खपत पर उपकर लगाने का प्रावधान।

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का नामांकन
  - ✓ प्रस्तावित विधेयक के तहत, **केंद्र सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को परिभाषित** करेगी।
  - ✓ यह संशोधन अध्यक्षों हेतु एक समान चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट अनिवार्य मानदंड, अनुभव और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, यह **केंद्र सरकार को उद्योगों की स्थापना, संचालनों, प्रक्रियाओं या शोधन और निपटान प्रणालियों** के लिए नए या संशोधित व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदन, अस्वीकृति या सहमति वापस लेने से संबंधित निर्देश प्रदान करने का अधिकार देता है।

प्रयोज्यता

- शुरुआत में, इस कानून का अनुप्रयोग हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्रशासित प्रदेशों तक सीमित होगा। अन्य राज्यों के पास अपने अधिकार क्षेत्र में इसकी प्रयोज्यता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित करने का विकल्प है।

महत्व

- इस कदम का उद्देश्य व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करना, नौकरशाही पर्यवेक्षण को कम करना और नियामक तंत्र को बढ़ाना है।
- यह व्यवसायों को अत्यधिक निरीक्षण से मुक्त करता है, एक अधिक कुशल प्रणाली को बढ़ावा देता है।
- सरकार को पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को विशिष्ट छूट देने हेतु लचीलापन प्रदान करता है।
- जल प्रदूषण से संबंधित विभिन्न चिंताओं के समाधान में पारदर्शिता बढ़ाई गई।

संबंधित चिंताएं

- सरकार धीरे-धीरे पर्यावरणीय अपराधों के लिए आपराधिक आरोप हटा रही है और दंड कम कर रही है। इन उदार नीतियों और पर्यावरण पर नियमों से छूट के दीर्घकालिक परिणामों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जा रहा है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन से संभावित रूप से नदी प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है, जिसके लिए सरकार को नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी परियोजनाओं में व्यापक धन निवेश करनी होगी।
  - ✓ गंगा नदी की सफाई पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद प्रदूषण का स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक जल प्रबंधन के संघीय ढाँचे को कमजोर करता है तथा इसमें जल निकायों और स्रोतों की स्थानीय और राज्य-स्तरीय निगरानी के महत्व पर जोर दिया गया है।

आगे की राह

- **नियमों को मजबूत करना:** प्रदूषण मानकों को पूरा करने और जल निकायों में अनधिकृत निर्वहन को रोकने हेतु सख्त निगरानी और नियमों को लागू करना।
- **हितधारकों से परामर्श करना:** प्रस्तावित संशोधनों को परिष्कृत करने और चिंताओं को दूर करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नागरिक समाज को शामिल करना।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** छूट प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और नियामक निर्णयों के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करना।

5.7. रामसर स्थलों में पाँच नई आर्द्रभूमियाँ शामिल

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में पांच भारतीय आर्द्रभूमियों को शामिल करने की घोषणा की और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों (wetlands) के रूप में मान्यता दी गयी।

नए शामिल आर्द्रभूमि स्थल

- **अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व (कर्नाटक)**
  - ✓ यह **ऐतिहासिक रूप से निर्मित ग्राम सिंचाई जलाशय** के रूप में स्थापित है, जो पारिस्थितिक महत्व और समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है।
  - ✓ विशेष रूप से, यह **पेंटेड स्टार्क (Painted Stork)** और **ब्लैक-हेडेड आइबिस पक्षी (Black-headed Ibis)** की 1% से अधिक जैव-भौगोलिक आबादी का भरण-पोषण करता है।
- **अघनाशिनी ज्वारनदमुख (कर्नाटक):**
  - ✓ यह **अरब सागर और अघनाशिनी नदी के संगम पर** निर्मित है और विभिन्न **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं** के लिए महत्वपूर्ण है।
  - ✓ यह बाढ़ जोखिम शमन, जैव विविधता संरक्षण तथा **चावल के खेतों में मछली पालन (गज़नी राइस फील्ड के रूप में ज्ञात),** सीपी शैल संग्रह और नमक उत्पादन जैसी पारंपरिक गतिविधियों के लिए सहायक है।
- **मगदी केरे संरक्षण रिजर्व (कर्नाटक)**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 73 3/27/2024 1:15:20 PM

- ✓ इसे वर्षा **जल भंडारण और सिंचाई के लिए मानव निर्मित आर्द्रभूमि** के रूप में बनाया गया था और यह **दो सुभेद्य प्रजातियों, अर्थात कॉमन पोचार्ड (Common Pochard) और रिवर टर्न (River Tern)** का आवास रहा है।
- ✓ इसके अतिरिक्त, यह चार निकट संकटग्रस्त प्रजातियों (ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक-हेडेड इबिस, वूली-नेक्ड स्टॉर्क और पेंटेड स्टॉर्क) का आश्रय स्थल है।
- ✓ इसके अलावा, यह **बार-हेडेड गूस** (Bar-headed Goose) के लिए एक महत्वपूर्ण **शीतकालीन आश्रय स्थल** के रूप में कार्य करता है।

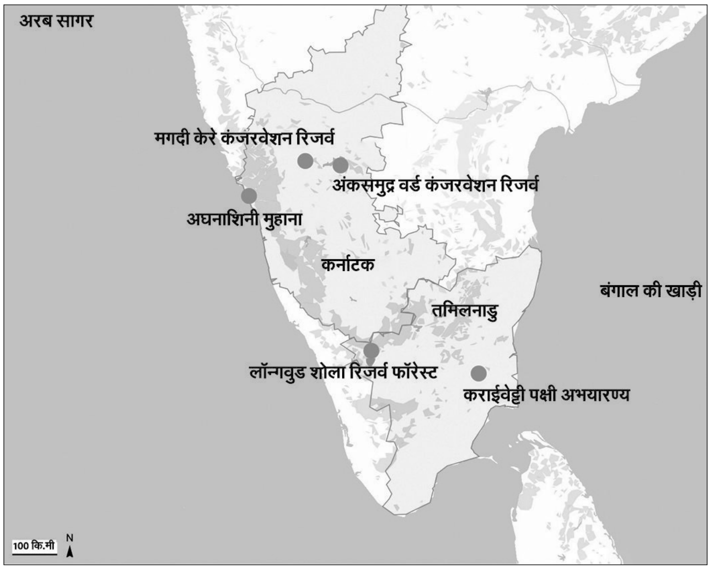

- **कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु):** यह तमिलनाडु के सबसे बड़े अंतर्देशीय आर्द्रभूमियों में से एक है, और इस क्षेत्र में **भूजल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण** है।
- **लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट (तमिलनाडु):**
  - ✓ इसका नाम **तमिल शब्द "सोलाई"** के नाम पर रखा गया है जो **उष्णकटिबंधीय वर्षावन** को दर्शाता है और यह तमिलनाडु में नीलगिरी, अनामलाई, पालनी पहाड़ियों, कालाकाडु, मुंडनथुराई और कन्याकुमारी के उपरी भाग में स्थित है।
  - ✓ ये वनयुक्त आर्द्रभूमि **विश्व स्तर पर लुप्तप्राय (Endangered) प्रजातियों,** जैसे- **ब्लैक-चिन्ड नीलगिरि लाफिंग थ्रश, नीलगिरि ब्लू रॉबिन** और **सुभेद्य (vulnerable) नीलगिरि वुड कबूतर** के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करती हैं।

रामसर स्थल और रामसर कन्वेंशन

- **उत्पत्ति:** रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर कन्वेंशन (सम्मेलन) के तहत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कन्वेंशन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतरसरकारी पर्यावरण संधि है।
- विश्व वेटलैंड्स दिवस (WWD) रामसर कन्वेंशन को अंगीकार करने के उपलक्ष्य में **2 फरवरी को विश्व स्तर** पर मनाया जाता है।
- **पहचान प्रक्रिया:** रामसर मान्यता में उन आर्द्रभूमियों की पहचान करना शामिल है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, विशेष रूप से ऐसे आर्द्रभूमि स्थल जो जलपक्षियों के लिए आवास के रूप में काम करते हैं, जिसमें पक्षियों की लगभग 180 प्रजातियां शामिल हैं।
- **भारत में प्रमुख रामसर स्थल:**
  - ✓ चिल्का झील (उड़ीसा) और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गयी थी।
  - ✓ **सबसे बड़ा रामसर स्थल:** सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) को सबसे बड़ा रामसर स्थल होने का गौरव प्राप्त है।
  - ✓ पिछले दस वर्षों में, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 80 हो गई है जिसमें पिछले तीन वर्षों में 38 नए स्थल जोड़े गए हैं।

5.8. हिमालयन ग्रिफ़ॉन गिद्ध

संदर्भ

हाल ही में, पहले त्रि-राज्य समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 300 की संख्या में हिमालय के ग्रिफ़ॉन गिद्ध देखे गए थे।

हिमालय के ग्रिफ़ॉन गिद्धों की विशेषताएँ

- **विवरण:** हिमालयन ग्रिफ़ॉन गिद्ध (जिसे वैज्ञानिक रूप से जिप्स हिमालयेंसिस के नाम से जाना जाता है) एक्सीपिट्रिडे वर्ग से संबंधित है और यूरोपीय ग्रिफ़ॉन गिद्ध से मिलता-जुलता है।
  - ✓ इसका सफेद सिर, चौड़े पंख और छोटी पूंछ वाले पंख, विशिष्ट सफेद गर्दन में रफ और पीली चोंच होती है।
- **मौजूदगी:** यह मुख्य रूप से तिब्बती पठार, साथ ही मध्य एशियाई पहाड़ों सहित हिमालय में पाया जाता है, कभी-कभी उत्तरी भारत में ऊंचाई की ओर पलायन भी करता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:** ये गिद्ध आवश्यक रूप से मांसाहारी पक्षी हैं, जो प्रकृति के सफाई कारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वन्यजीव रोगों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

संरक्षण की स्थिति

- **संरक्षण स्थिति: IUCN लाल सूची में निकट संकटग्रस्त (NT)** के रूप में सूचीबद्ध।
- **भारतीय प्रजातियाँ:** बियरडेड (Bearded), लॉन्ग बिल्ड (Long Billed), स्लेंडर बिल्ड (Slender Billed), और ओरिंटल व्हाइट बैक्ड (Oriental White Backed) सहित कई प्रजातियाँ **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित** हैं।

संरक्षण के प्रयास

- **भारत की पहल**
  - ✓ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध कार्य योजना 2020-25 की शुरुआत की है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 74 3/27/2024 1:15:20 PM

✓ पिंजौर, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र (Vulture Conservation and Breeding Centres-VCBCs) स्थापित किया गया है और वर्तमान में इसका प्रबंधन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (SHNB) द्वारा किया जा रहा है, जो इन प्रयासों का एक अभिन्न अंग हैं।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सेव (Saving Asia's Vultures from Extinction-SAVE) एक संघ है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण गिद्ध प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने के लिए संरक्षण प्रयासों का समन्वय करना है।
- **गिद्ध की संरक्षण स्थिति**

गिद्ध प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	आईयूसीएन श्रेणी
ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड गिद्ध	जिप्स बेंगालेंसिस	गंभीर संकटग्रस्त (CR)
लॉन्ग बिल्ड गिद्ध	जिप्स इंडिकस	गंभीर संकटग्रस्त (CR)
स्लेंडर बिल्ड गिद्ध	जिप्स टेनुइरोस्टिस	गंभीर संकटग्रस्त (CR)
रेड हेडेडगिद्ध	सारकोजिप्स काल्वस	गंभीर संकटग्रस्त (CR)
मिस्र देशीय गिद्ध	निओफ्रॉन पर्कनोप्टेरस	संकटग्रस्त (EN)
हिमालयी गिद्ध	जिप्स हिमालयेनसिस	निकट संकटग्रस्त (NT)
सिनेरियस गिद्ध	एजिपियस मोनाचस	निकट संकटग्रस्त (NT)
बियरडेड गिद्ध	जिपेटक बारबेटस	निकट संकटग्रस्त (NT)
यूरेशियन ग्रिफ़ॉन	जिप्स फुल्वस	कम चिंताग्रस्त (LC)

5.9. ब्लैक नेक्ड क्रेन

संदर्भ

हाल ही में, **भारतीय वन्यजीव संस्थान** और **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण** ने ब्लैक नेक्ड क्रेन पक्षी की संख्या का आंकलन किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2016-17 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा **लद्दाख क्षेत्र** में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, ब्लैक नेक्ड क्रेन की **आबादी लगभग 66-69** थी।
- **अरुणाचल प्रदेश** में सर्दियों के दौरान **लगभग 11 सारसों** की एक छोटी आबादी प्रवास करती है।

ब्लैक नेक्ड क्रेन (Grus nigricollis)

- **स्वरूप:** इसकी गर्दन और सिर का रंग काला होता है, जबकि शरीर का रंग सफेद होता है, रेड क्राउन पैच और पूछ के पंख का रंग काला होता है।
  ✓ वे लगभग 55-59 इंच लंबे होते हैं और उनके पंखों का फैलाव 90-96 इंच होता है।
- **पर्यावास:** वे मुख्य रूप से **मध्य एशिया के ऊंचाई वाले क्षेत्रों** में पाए जाते हैं। विशेष रूप से, ये **भारत, भूटान, चीन और तिब्बत के हिस्से** में पाए जाते हैं।
  ✓ आमतौर पर ब्लैक नेक्ड क्रेन **भारत में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख, साथ ही अरुणाचल प्रदेश** जैसे क्षेत्रों में देखे जाते हैं।
  ✓ ये पक्षी समुद्र तल से 8,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर **अल्पाइन घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और नदी घाटियों में निवास करते हैं।** ये **दलदली क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं और जमीन पर घोंसला बनाते हैं।**
- **प्रवासन:** ये **प्रजनन और शीतकालीन प्रवास के स्थानों के बीच** मौसमी प्रवासन करते हैं, भारत में सर्दियों के दौरान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में उन्हें देखा जाता है।
- **सांस्कृतिक महत्व: सांगटी, जेमीथांग और चुग में ज्यादातर** लोग **मोनपा हैं, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन को छठे दलाई लामा का अवतार मानते है।**

- **भोजन:** ये मुख्य रूप से **शाकाहारी होते हैं, आर्द्रभूमि अधिवासों में जड़ें, कंद, अनाज और कीड़ों का भोजन करते हैं,** उथले पानी और दलदल में भोजन ढुंढते हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 75 3/27/2024 1:15:21 PM

- **खतरा**
  - ✓ आर्द्रभूमियों पर होने वाली विकास परियोजनाओं के कारण आवास क्षेत्र का नुकसान हो रहा है।
  - ✓ 'जंगली (घरेलू) कुत्ते' उनके अंडों और चूजों को नुकसान पहुंचाते हैं।
  - ✓ आर्द्रभूमियों के पास सीमित चरागाहों पर चराई का दबाव।

ब्लैक नेक्ड क्रेन की सुरक्षा के उपाय

- **संरक्षण की स्थिति**
  - ✓ IUCN स्थिति **: निकट संकटग्रस्त (NT)**
  - ✓ **वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I** में सूचीबद्ध
  - ✓ **CITES के परिशिष्ट I** और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन **(CMS) में** सूचीबद्ध।
- **आवासन संरक्षण**
  - ✓ महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है, जैसे- **चांगथांग अभयारण्य, लद्दाख।**
  - ✓ **त्सो कार वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स** को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया।
- **नीतिगत ढांचा**
  - ✓ **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)** में वन्यजीव संरक्षण के लिए विशिष्ट अध्याय और कार्य शामिल किए गए हैं।
  - ✓ **'वन्यजीव आवास विकास' योजना** के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
  - ✓ संरक्षित क्षेत्र की **प्रबंधन योजना** के लिए वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **धारा 33 के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए।**

5.10. नाइट्रोजन प्रदूषण

संदर्भ

हाल ही में, **नेचर कम्युनिकेशंस (Nature Communications) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में पानी की** गुणवत्ता में गिरावट, विशेष रूप से **नदियों में नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण दुनिया भर में पीने योग्य पानी** की कमी की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन के मुख्य अंश

- इस अध्ययन में **"स्वच्छ जल की कमी"** के बारे में बताने के साथ-साथ पानी की मात्रा और इसकी गुणवत्ता की जाँच की गई है।
- इसमें **वैश्विक नाइट्रोजन प्रदूषण के साथ-साथ कई मौसम संबंधी** और सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों पर विचार किया गया है।
- नाइट्रोजन प्रदूषण **वैश्विक स्तर पर लगभग 2000 उप-घाटियों** (बड़े जलग्रहण क्षेत्र के भीतर छोटी इकाइयाँ) में पानी की कमी को तीन गुना तक बढ़ा सकता है।
- **वर्ष 2050 तक पानी की कमी से 33 प्रतिशत वैश्विक नदी उप-घाटियों के प्रभावित होने की** आशंका है।
- **पानी की कमी वाले मुख्य क्षेत्र (हॉटस्पॉट):** नाइट्रोजन प्रदूषण से **दक्षिणी चीन, मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में उप-घाटियों को खतरा** है।
- **भारत पर प्रभाव:** नदियों में नाइट्रोजन संदूषण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, जैसे- मानव अपशिष्ट, कृषि गतिविधियाँ और उर्वरक उपयोग।
  - ✓ एक संबंधित अनुमान में, तेजी से शहरीकरण और अपर्याप्त अपशिष्ट जल शोधन सुविधाओं के कारण नदियों में नाइट्रोजन प्रदूषण के लिए सीवेज के प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में उभरने का अनुमान है।

नाइट्रोजन प्रदूषण

- यह पर्यावरण में **नाइट्रोजन यौगिकों की उच्च सांद्रता अर्थात, नाइट्रोजन यौगिकों के अधिक मात्रा में होने** को संदर्भित करता है।
- **नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया जैसे कुछ नाइट्रोजन यौगिकों** की अधिकता के परिणामस्वरूप कृषि, औद्योगिक प्रक्रियाओं और परिवहन जैसी मानवीय गतिविधियों से भी नाइट्रोजन प्रदूषण होता है।
- हर साल, पर्यावरण 200 मिलियन टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन खो देता है, जो कुल का 80 प्रतिशत है।
- यह **नदियों, मिट्टी और झीलों में अवशोषित हो जाता है और इसे वायुमंडल में निस्तारित** किया है।
- कुछ मामलों में, नाइट्रोजन **ओजोन अवक्षय (ozone depletion)** और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।

नाइट्रोजन

- पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में **78 प्रतिशत** नाइट्रोजन है। यह आकाश को नीला बनाता है, जिस हवा में हम साँस लेते हैं उसमें अधिकांश हिस्सा होता है तथा यह सभी जीवित चीजों में पाया जाता है।
- नाइट्रोजन फसल भूमि को उर्वरक बनाती है और यह प्रोटीन का एक आवश्यक घटक है, जो कि सभी जीवित प्रजातियों के विकास हेतु आवश्यकता होती है।
- नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे आम अवयव है।
- अधिकांश जीवों को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से अन्य तत्वों के साथ रासायनिक रूप से जुड़ने के लिए शुद्ध नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।

नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत

- **कृषि:** पशु खाद और रासायनिक उर्वरकों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस फसल को उगाने के लिए आवश्यक हैं।
- **पानी की तेज बूंदे:** छतों, फुटपाथों और सड़कों जैसी मजबूत सतहों पर होने वाली वर्षा, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे प्रदूषकों को पास के जलमार्गों में ले जा सकती है।
- **अपशिष्ट जल:** सीवर और सेप्टिक सिस्टम भारी मात्रा में अपशिष्ट को संसाधित करते हैं, लेकिन नदियों में प्रवाहित करने से पहले हमेशा यथोचित मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं निकाल पाते हैं।
- **जीवाश्म ईंधन:** इनका इस्तेमाल बिजली, उद्योग, परिवहन और कृषि के लिए किया जाता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 76 3/27/2024 1:15:21 PM

- **खुले परिवेश के कारक:** उर्वरक, यार्ड और पालतू पशुओं के अपशिष्ट के अलावा कुछ साबुन और डिटर्जेंट में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, जिसका यदि अगर ठीक से इस्तेमाल या निपटान नहीं किया जाता है तो वे पोषक तत्व संदूषण को बढ़ा सकते हैं।

नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभाव

- **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर:** इससे **विषैले शैवाल उत्पन्न** होते हैं और **तटीय मृत क्षेत्र का निर्माण** करते हैं, जो **मन्नार की खाड़ी (भारत)** जैसे दुनिया भर में जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन में योगदान: नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया उत्सर्जन** के परिणामस्वरूप **नाइट्रस ऑक्साइड और सूक्ष्म कण पदार्थ का निर्माण** हो सकता है। ये ग्रीन हाउस गैस (GHG) भूमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** जल स्रोतों में नाइट्रेट के स्तर में बढ़ोतरी के कारण **शिशुओं में मेथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम और वयस्कों में कैंसर का खतरा बढ़** जाता है।

नाइट्रोजन प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय

- **राष्ट्रीय स्तर पर:**
  - ✓ **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card):** यह किसानों को **मृदा की पोषण स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी और कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन की खपत में कमी** के लिए इष्टतम पोषक तत्व के इस्तेमाल के लिए सिफारिशें करता है।
  - ✓ **नीम-लेपित यूरिया (Neem Coated Urea):** कृषि क्षेत्र में **नाइट्रोजन के इस्तेमाल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसको अनिवार्य** किया गया है, जिससे पौधों को इसे कुशलतापूर्वक अवशोषित करने के लिए अधिक समय मिलता है।
- **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर:**
  - ✓ **गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल (GothenBurg Protocol) (1999):** यह एक बहु-प्रदूषक प्रोटोकॉल है, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया की उत्सर्जन सीमा को निर्धारित करके अम्लीकरण (acidification), सुपोषण अर्थात, यूट्रोफिकेशन (eutrophication) और **जमीनी स्तर पर ओजोन की परत को क्षय करने वाले पदार्थों को कम करने हेतु डिज़ाइन** किया गया है।

सुपोषण

परिभाषा: सुपोषण (eutrophication) वह प्रक्रिया है जहां एक जल निकाय पोषक तत्वों, विशेष रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, जिससे शैवाल और अन्य जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है।

कारण
- उर्वरक युक्त कृषि अपवाह।
- सीवेज और अपशिष्ट जल का निर्वहन।
- पोषक तत्वों से भरपूर औद्योगिक अपशिष्ट।
- प्रदूषकों का वायुमंडलीय जमाव।

प्रभाव:
- अत्यधिक शैवाल वृद्धि, जिससे शैवाल खिल जाता है।
- बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण ऑक्सीजन के स्तर में कमी, जिसके परिणामस्वरूप हाइपोक्सिक या एनोक्सिक स्थितियां पैदा होती हैं।
- जैव विविधता में गिरावट क्योंकि कुछ प्रजातियाँ दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
- जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव, जिसमें मछली के मरने और उनके निवास स्थान का नुकसान शामिल है।
- पानी की गुणवत्ता में गिरावट, इसे पीने, मनोरंजन और जलीय जीवन के रक्षण हेतु अनुपयुक्त बना रही है।

5.11. पृथ्वी प्रणाली मॉडल

संदर्भ

भारत एक नवीन पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जलवायु संबंधी पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ाना और जलवायु संकट के प्रभावों की निगरानी करना है।

पृथ्वी प्रणाली मॉडल

यह एक **ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर** है, जिसे **भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान** (Indian Institute of Tropical Meteorology-IITM) और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र (Centre for Climate Change Research-CCCR) द्वारा विकसित किया गया है।

उद्देश्य

- भारत और विश्व स्तर पर जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार करने के साथ-साथ जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी करना।
- भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा सहित वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु के विश्वसनीय पूर्वानुमान प्रदान करना।
- विभिन्न परिस्थितियों में जलवायु का अनुमान लगाने के लिए पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न घटकों को एकीकृत करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसके वर्ष 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- इसे वायुमंडल, महासागर, भूमि, बर्फ और जीवमंडल जैसे पृथ्वी प्रणाली के घटकों की परस्पर क्रिया को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह संख्यात्मक रूप से मौसम से संबंधित पूर्वानुमानों और डेटा संकलन पर आधारित है।
- यह दीर्घकालिक जलवायु अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु (विशेष रूप से भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा) से संबंधित विश्वसनीय पूर्वानुमान प्रदान करेगा।
- अमेरिका के नैशनल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्रिडिक्शन (NCEP) के द्वारा जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (Climate Forecast System-CFS) के घटकों को शामिल किया गया है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 77 3/27/2024 1:15:21 PM

- इसका उद्देश्य मजबूत वैज्ञानिक विश्लेषण और आंकलन के आधार पर नीति के अनुरूप जानकारी प्रदान करना है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की उन जटिलता को पहचानता है, जिसमें भारतीय मानसून एवं हिमालय तथा हिंद महासागर जैसी भौगोलिक विशेषताओं का प्रभाव भी शामिल है।

MC4 योजना अवलोकन
उद्देश्य: • गर्म होते वातावरण में मानसूनी वर्षा परिवर्तन और उनके प्रभावों को समझने हेतु अवलोकन संबंधी डेटाबेस और जलवायु मॉडल को बढ़ाना। • बदलती जलवायु में मानसून की गतिशीलता, बादलों, वतिलयन (एरोसोल), अवक्षेपन और जल चक्र के बीच परस्पर क्रिया की पूर्वानुमानित समझ में सुधार करना। **मंत्रालय/विभाग:** • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) **लक्षित दर्शक:** • पृथ्वी विज्ञान क्षेत्र से सम्बंधित संस्थान और संगठन।

वित्तपोषण

- मानसून संवहन, मेघ और जलवायु परिवर्तन (Monsoon Convection, Clouds, and Climate Change-MC4) की उप-योजना के तहत जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली के विकास हेतु कुल 192.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  - ✓ **मानसून संवहन, मेघ और जलवायु परिवर्तन (MC4)** की उप-योजना मानसून संवहन, बादलों की गतिशीलता तथा जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव पर अनुसंधान करने और समझने पर केंद्रित है।

महत्व

- यह जलवायु प्रतिरूपण में भारत की क्षमता को बढ़ाता है।
- यह प्रभाव के आंकलन के अध्ययन हेतु बहुमूल्य डेटा प्रदान करता है।
- यह क्षेत्रीय जलवायु पूर्वानुमानों में अनिश्चितताओं को मापने में मदद करता है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) की रिपोर्ट द्वारा प्रदान किए गए वैश्विक परिप्रेक्ष्य को क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि के साथ पूरक बनाता है।

5.12. जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन

संदर्भ

ओडिशा **सरकार ने गुप्तेश्वर वन को अपने चौथे जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site-BHS)** के रूप में नामित किया है।

गुप्तेश्वर वन

- **'गुप्तेश्वर वन' (दक्षिणी ओडिशा में पूर्वी घाट का हिस्सा)** अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण प्रकृतिवादियों, पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

जैव विविधता विरासत स्थल
• **वर्ष 2002 के जैविक विविधता अधिनियम (BDA) की धारा 37** जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) को एक अद्वितीय संरक्षण तकनीक के रूप में मान्यता देती है। ✓ **धारा 37 (1):** राज्य सरकार स्थानीय निकायों के सहयोग से जैव विविधता विरासत स्थलों को नियमित रूप से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। • इन स्थलों में उच्च जैव विविधता, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ, प्रमुख प्रजातियाँ, प्राकृतिक महत्व, पालतू/विकसित की गई प्रजातियों के जंगली पूर्वज, जीवाश्म आधार और सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने हेतु सांस्कृतिक, नैतिक या अलंकारिक महत्व हैं। • जैव विविधता विरासत स्थल का निर्माण समुदायों द्वारा स्वेच्छा से अपनाई गई प्रथाओं को छोड़कर स्थानीय प्रथाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

  - ✓ इस क्षेत्र में **विभिन्न प्रकार के ऐसे वन्यजीव निवास करते हैं, जिनमें मगर मगरमच्छ, पवित्र ग्रोव बुश मेंढक, कांगेर वैली रॉक गेको** और जेर्डन बाजा, काला बाजा, मालाबार ट्रोगोन, सफेद पेट वाले कठफोड़वा, आम पहाड़ी मैना और बैंडेड बे कोयल जैसे पक्षी शामिल हैं।
  - ✓ इस क्षेत्र में **भारतीय तुरही वृक्ष, भारतीय स्नैकरूट अदरक और हल्दी के जंगली फसल प्रजाति** जैसे औषधीय पौधों को भी खतरा है।
  - ✓ **गुप्तेश्वर की चूना पत्थर की गुफाओं** में दक्षिणी ओडिशा में पाई जाने वाली कुल 16 प्रजातियों में से **आठ प्रजातियों के चमगादड़** पाए जाते हैं।
  - ✓ इनमें दो प्रजातियाँ (हिप्पोसाइडेरोस गैलेरिटस और राइनोलोफस रौक्सी) प्रकृति के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) की निकट संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।
- **गुप्तेश्वर का गुफा मंदिर** जयपोर से 58 किमी दूर और कोरापुट से 80 किमी दूर गहरे जंगल के बीच **एक हरी-भरी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर के गुफानुमा आंतरिक भाग में एक विशाल 'लिंगम' (शिव-लिंग भगवान) स्थापित है।**
- यह गुफा आश्चर्यजनक रूप से एक बहु-कक्षीय गुफा है, जो गुप्तेश्वर को लोकप्रिय रूप से गुप्त केद्रा शबरी (जो गुप्तेश्वर द्वारा महान प्राकृतिक सौंदर्य प्रवाह की एक चट्टानी धारा है) के रूप में भी जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि भगवान राम **दण्डकारण्य में पंचबटी जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे।**
- इस पदनाम के साथ, ओडिशा अब **चार जैव विविधता विरासत स्थलों से युक्त माना जाता है,** जिसमें **कंधमाल जिले में मंदसरू जैव विविधता विरासत स्थल (BHS), गजपति जिले में महेंद्रगिरि जैव विविधता विरासत स्थल और बारगढ़ और बोलांगीर जिले में गंधमर्दन जैव विविधता विरासत स्थल** शामिल हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 78 3/27/2024 1:15:21 PM

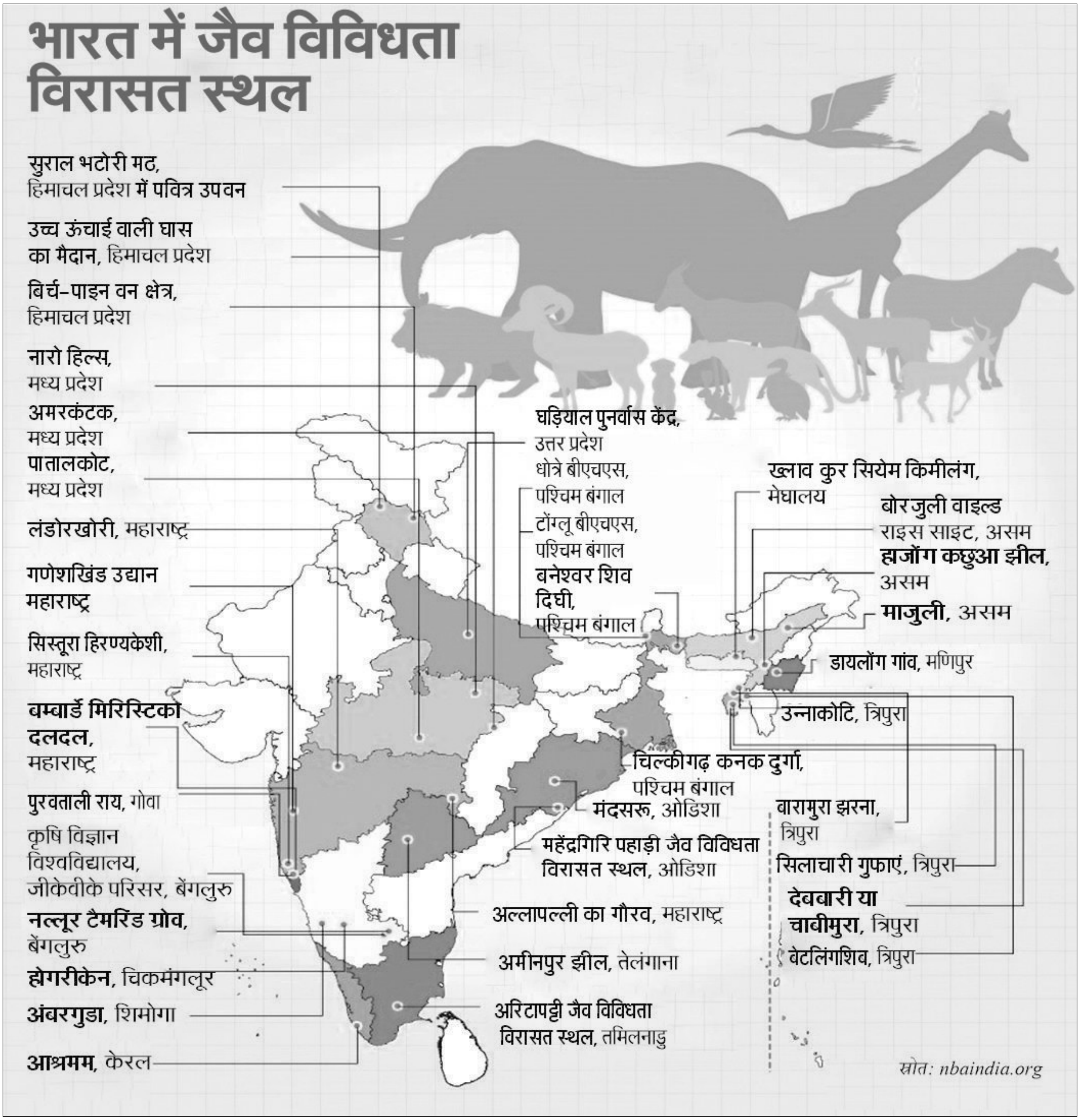

5.13. संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप (World Restoration Flagships) के रूप में सात विश्व पुर्नस्थापना फ्लैगशिप को मान्यता दी है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 79 3/27/2024 1:15:21 PM

कार्यक्रम का विवरण

- संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भूमध्यसागरीय और दक्षिण पूर्व एशिया से सात पहलों को अंतर सरकारी संगठन के विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप के रूप में नामित किया।
- **उद्देश्य:** वनआग्नि, सूखे, वनों की कटाई और प्रदूषण से प्रभावित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए सभी महाद्वीपों और महासागरों में पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना, रोके रखना और बहाल करना।
- **समर्थन:** संयुक्त राष्ट्र इन प्रयासों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

सात पहलें निम्न हैं

- **भूमध्यसागरीय वनों को बहाल करने की पहल:** इसमें लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया और तुर्की शामिल हैं।
  - ✓ वर्ष 2017 के बाद से, लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर जंगल को बहाल किया गया है और वर्ष 2030 तक 8 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल की बहाली तक पहुंचने का लक्ष्य है।
- **लिविंग इंडस पहल:** इसे वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बाढ़ के बाद पाकिस्तान की संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर शर्म अल-शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन में शुरू किया गया था।
  - ✓ इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सिंधु नदी घाटी के पच्चीस मिलियन हेक्टेयर को बहाल करना है।
- **एक्शन एंडिना सोशल मूवमेंट:** इसका नेतृत्व गैर-लाभकारी एंडियन इकोसिस्टम एसोसिएशन (ECOAN) ने किया था और इसका उद्देश्य दस लाख हेक्टेयर एंडियन जंगलों की रक्षा और उन्हें पुनर्स्थापित करना है।
  - ✓ ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन दक्षिण अमेरिका के एंडीज़ पहाड़ों की ढलानों पर उगते हैं।
- **श्रीलंका मैंग्रोव पुनर्जनन पहल:** यह स्थानीय लोगों के नेतृत्व में एक विज्ञान-संचालित पहल है।
  - ✓ यह पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने पर केंद्रित है और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 10,000 हेक्टेयर मैंग्रोव को बहाल करना है।
  - ✓ संयुक्त राष्ट्र के एक वक्तव्य के अनुसार, वर्ष 2015 में शुरुआत से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 500 हेक्टेयर मैंग्रोव को बहाल किया गया है।
- **तराई आर्क लैंडस्केप (TAL):** यह पश्चिम में यमुना से पूर्व में नेपाल के भागमती तक 810 किमी तक फैला है।

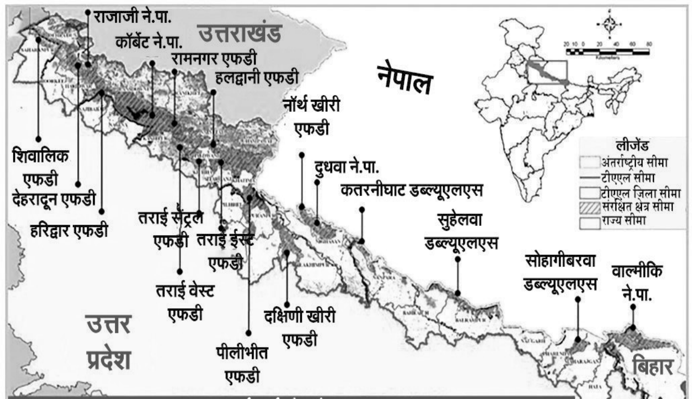

तराई आर्क लैंडस्केप (भारत)

  - ✓ पहल का उद्देश्य नागरिक वैज्ञानिकों, अवैध शिकार विरोधी इकाइयों और वन रक्षकों सहित स्थानीय समुदायों के सहयोग से महत्वपूर्ण गलियारों में जंगलों को बहाल करना है।
  - ✓ इसमें शिवालिक पहाड़ियाँ, भाभर क्षेत्र और भारत (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार) और नेपाल की निचली पहाड़ियों तक फैले तराई बाढ़ के मैदान शामिल हैं। वर्ष 2030 तक 350,000 हेक्टेयर जंगल का पुनर्वास करने की योजना।
- **रीग्रीनिंग अफ्रीका पहल:** यह कार्बन भंडारण, फसल और घास की पैदावार, मिट्टी की लोच (जो बाढ़ को रोकता है) में सुधार करेगा, और निश्चित नाइट्रोजन के माध्यम से प्राकृतिक उर्वरक प्रदान करेगा।
- **अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में बढ़ते वन:** इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पुनर्स्थापन प्रयासों को 41,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 229,000 हेक्टेयर करना है। अफ्रीकी किसान सालाना लाखों पेड़ उगाते हैं।

5.14. पिन्टेल और प्लोवर्स

संदर्भ

हाल ही में, पुलिकट आर्द प्रदेश में अनेक उत्तरी पिन्टेल और प्लोवर (टिटहरी) पक्षी मृत पाए गए।

उत्तरी पिनटेल का विवरण

- यह लंबी, पतली गर्दन और नुकीली पूंछ वाली प्रवासी बत्तख की एक प्रजाति है।
- **विवरण**
  - ✓ उपनाम: "आफ द स्काई ग्रेहाउंड" ("The greyhound of the skies")
  - ✓ एक विशिष्ट लंबी, संकीर्ण पूंछ वाली मध्यम आकार की बत्तख।
  - ✓ इसके नर का सिर चॉकलेट-भूरे रंग का होता है और एक सफेद धारी गले से गर्दन तक फैली होती है, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा भूरा होता है।
  - ✓ मादा भूरे रंग की होती है एवं नर की तुलना में उसका रंग हल्का होता है।
- **प्राकृतिक वास**
  - ✓ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी क्षेत्रों में प्रजनन।
  - ✓ प्रवासन के दौरान, ये दलदल, तालाबों, झीलों और तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 80 3/27/2024 1:15:22 PM

- **प्रवासन**
  - ✓ उत्तरी पिंटेल लंबी दूरी का प्रवास करते हैं, कुछ पिंटेल प्रजनन क्षेत्र और सर्दियों के मैदानों के बीच हजारों मील की यात्रा करते हैं।
  - ✓ इनके प्रवासन के शीतकालीन मैदानों में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया (भारत) के हिस्से शामिल हैं।
- **व्यवहार**
  - ✓ अक्सर प्रवासन और सर्दियों के दौरान अन्य बत्तख प्रजातियों के साथ मिश्रित झुंडों में पाया जाता है।
  - ✓ मुख्य रूप से उथले पानी में पौधों, बीजों और छोटे अकशेरुकी जीवों को खोजकर भोजन करता है।
  - ✓ प्रजनन के मौसम के दौरान, पानी के पास जमीन पर घोंसले बनाते हैं, जो आमतौर पर वनस्पति के बीच छिपे होते हैं।

पुलिकट झील

- **स्थान:** पुलिकट झील भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है।
- **आकार:** यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील/लैगून है, जिसका 96% से अधिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- **भूगोल:** श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है।
- **जल विज्ञान:** इसके दक्षिणी सिरे पर अरनी नदी, उत्तर-पश्चिम से कलंगी नदी और छोटी धाराएँ इसे जल प्रदान करती हैं। बकिंघम नहर इसके पश्चिमी किनारे पर चलती है।
- **पारिस्थितिक महत्व:** इसमें पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य शामिल है, जो राजहंस और पेलिकन जैसे प्रवासी पक्षियों सहित अपनी विविध पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है।
- **संरक्षण स्थिति:** रामसर साइट के रूप में नामित।
- **खतरे:** प्रदूषण, अतिक्रमण और गाद जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता होती है।

- **संरक्षण**
  - ✓ IUCN स्थिति: लीस्ट कंसर्न (LC)
  - ✓ इनके लिए खतरों में निवास स्थान का नुकसान, क्षरण और शिकार शामिल हैं, लेकिन इनकी आबादी कुल मिलाकर अपेक्षाकृत स्थिर रहती है।
- **सांस्कृतिक महत्व**
  - ✓ नार्दन पिंटेल अपनी आकर्षक मौजूदगी और चुनौतीपूर्ण व्यवहार के लिए पक्षी प्रेमियों और शिकारियों के बीच लोकप्रिय हैं।
  - ✓ स्वस्थ आर्द्रभूमि आवासों पर निर्भरता के कारण इसे आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों का प्रतीक माना जाता है।

प्लोवर्स पक्षियों के विवरण

- **विशेषताएँ**
  - ✓ प्लोवर्स जलीय पक्षी होते हैं जो अपने नौकायन व्यवहार (जिसमें कोई जानवर पानी में आंशिक रूप से डूबे हुए चलता है) के लिए जाना जाता है। ये अंटार्कटिका को छोड़कर, विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये चराद्रिनाई उपपरिवार से संबंधित होते हैं, जो मुख्य रूप से जलपक्षी हैं।
- **प्रवासन:** नार्दन घोंसले वाले प्लोवर्स पक्षी प्रवासी होते हैं, जो मौसमी यात्राएँ करते हैं। प्रवास के दौरान उन्हें अक्सर समूहों या झुंडों में यात्रा करते और भोजन तलाशते देखा जाता है।

5.15. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण पर लोक लेखा समिति

संदर्भ

एक संसदीय समिति ने प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के लापरवाह रवैये पर निराशा व्यक्त की। इसने प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक नीति की सिफारिश की है।

लोक लेखा समिति द्वारा रेखांकित चिंताजनक पहलू

- **अपर्याप्त प्रयास:** प्लास्टिक अपशिष्ट (कचरे) के उचित निपटान में प्रतिबद्धता की कमी है, जिससे वायु, जल और मिट्टी प्रदूषित हो रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि:** भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2015 और वर्ष 2021 के बीच सालाना 16 लाख टन से बढ़कर 41 लाख टन हो गई है।
- **अप्रभावी कार्यान्वयन:** मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, प्रभावी कार्यान्वयन की कमी रही है।
- **लापरवाहीपूर्ण निरीक्षण:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक कारखानों को विनियमित करने में उचित सख्ती नहीं बरत रहे हैं, जिससे उन्हें उचित परमिट के बिना काम करने की अनुमति मिलती है।
- **डेटा की कमी:** प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन और पुनर्चक्रण पर सटीक डेटा की कमी है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण संकट को दूर करने के व्यापक प्रयासों में बाधा आ रही है।
- **एकल-उपयोग प्लास्टिक के संग्रह और निपटान की समस्या:** एकल-उपयोग प्लास्टिक के संग्रह, छँटाई और उचित निपटान में चुनौतियाँ बरकरार हैं, जिससे प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।

हमारे पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवन पर प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव

- **पशु जीवन हेतु खतरा:** प्लास्टिक जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर जानवरों के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि पशुओं अथवा वन्यजीवों द्वारा इसके निगलने या इसमें उलझने से गंभीर नुकसान या उनकी मृत्यु हो सकती है।
- **जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का विघटन:** माइक्रोप्लास्टिक्स जलीय खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित करके समुद्री जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है।
- **रासायनिक खतरे:** प्लास्टिक में मौजूद रसायन निकलने से जानवरों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पारिस्थितिक क्षति होती है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 81 3/27/2024 1:15:22 PM

- **मानव स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण हमारे खाद्य पदार्थ को दूषित कर सकते हैं, जिससे मनुष्यों के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं।
- **पारिस्थितिक बाधाएं:** अनुचित तरीके से निपटाया गया प्लास्टिक अपशिष्ट जमीन को प्रदूषित कर सकता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में पौधों और जानवरों का विकास चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **नदी अवरोध और बाढ़:** जल निकायों में प्लास्टिक कचरा नदियों को अवरुद्ध कर सकता है और बाढ़ की समस्या को बढ़ा सकता है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय दुष्परिणाम बढ़ सकते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए PACK की प्रमुख सिफारिशें

- **प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता की ऑनलाइन शिकायत:** सामुदायिक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी के लिए लोगों को ऑनलाइन शिकायत करने, छवियों और स्थान विवरण के साथ उनके प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का दस्तावेजीकरण करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- **शहरों में स्वच्छ और हरित प्रयासों को लागू करना:** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कुशल तंत्र का अभाव वाले शहरों पर जुर्माना लगाना, पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने हेतु स्वच्छ और हरित समाधान अपनाने को बढ़ावा देना।
- **सर्वोत्तम तरीकों के आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु की गई पहल

- **स्वच्छ भारत मिशन:** स्वच्छ भारत मिशन भी जागरूकता अभियानों और अपशिष्ट प्रबंधन पहलों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे की समस्या पर गौर किया है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** भारत ने विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक नियम लागू किए हैं।
- **ग्लोबल अलायंस फॉर इंसीनरेटर अल्टरनेटिव्स (GAIA):** यह भस्मीकरण और भराव क्षेत्र के विकल्पों को बढ़ावा देता है और सतत प्लास्टिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है।
- **ओशन क्लीनप प्रोजेक्ट:** यह प्रोजेक्ट महासागरों से प्लास्टिक के मलबे को हटाने के लिए उन्नत तकनीकों का विकास करना, जिसका लक्ष्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्लास्टिक के प्रभाव को कम करना है।
- **प्लास्टिक प्रदूषण गठबंधन:** यह वैश्विक संगठन है जो प्लास्टिक प्रदूषण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और प्लास्टिक मुक्त विश्व को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु लोगों और विभिन्न संगठनों को एक साथ लाता है।
- **एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध:** भारत सहित कई देशों ने व्यापक उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने के लिए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है या इसका प्रस्ताव किया है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था पहल:** चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल, अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली बनाने हेतु पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग और प्लास्टिक की खपत को कम करने के महत्व पर जोर देते हैं।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)

- **परिभाषा:** पूरे जीवनचक्र में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर उत्पाद प्रबंधन हेतु उत्पादक का उत्तरदायित्व।
- **EPR प्रमाणपत्र:** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक बाजार स्थापित करते हुए, अधिशेष प्रमाणपत्रों का व्यापार किया जा सकता है।
- **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल:** इसे उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड-मालिकों और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा पंजीकरण और वार्षिक रिटर्न हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है।

लक्ष्य

- **EPR लक्ष्य:** वर्ष 2022-23 में बढ़कर 70% हो गया और 2023-24 से 100% तक पहुंच गया।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु आगे की राह

- **व्यापक नीति कार्यान्वयन:** कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण और सतत विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक नीति विकसित और कार्यान्वित करना।
- **पुनर्चक्रण में कठिन प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध:** ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग पर अंकुश लगाना।
- **पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना:** प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, उद्योगों और उपभोक्ताओं को ऐसी टिकाऊ सामग्रियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिनका पर्यावरणीय दुष्प्रभाव कम हो।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका को मजबूत करना:** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक सक्रिय और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन, प्रशिक्षण और अधिकार प्रदान करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका को बढ़ाना।
- **जन जागरूकता अभियान:** प्लास्टिक प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने हेतु जन जागरूकता अभियान।
- **आवधिक समीक्षा और अनुकूलन:** प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ पहल की निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियाँ, नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता।

पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करना अति आवश्यक है। इसके प्रभाव को कम करने से वर्तमान और आनेवाली पीढ़ियों के लिए स्थायी वातावरण, स्वच्छ महासागर और एक स्वस्थ स्थल का निर्माण करना।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 82 3/27/2024 1:15:22 PM

5.16. ग्रो पोर्टल

संदर्भ

हाल ही में, नीति आयोग ने **'ग्रोइंग एण्ड रेस्टोरेशन ऑफ वास्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री' (GROW) पोर्टल की शुरुआत की है,** जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत भूमि उपयोग में प्रयासों को सुदृढ़ करना है।

ग्रो (GROW) पोर्टल का विवरण

- यह **नीति आयोग के नेतृत्व में एक बहु-संस्थागत प्रयास है, जो सभी जिलों में कृषि-वानिकी स्थिरता का आंकलन करने हेतु रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग करता है।**
- **उद्देश्य: भारत की बंजर भूमि को उपजाऊ कृषि-वानिकी क्षेत्रों** में बदलना।
- **कृषि-वानिकी को बढ़ावा:** जलवायु परिवर्तन से निपटने और कृषि योग्य भूमि के उप-इष्टतम उपयोग करने के लिए विशेष रूप से लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के आयात को कम करने और कार्बन पृथक्करण हेतु कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हरियाली और पुनर्स्थापना परियोजनाओं की राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता के लिए एक **कृषि वानिकी स्थिरता सूचकांक (ASI)** विकसित किया गया था।
  - ✓ **ग्रो-सस्टेनेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भुवन (BHUVAN)** राज्य और जिला-स्तरीय डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा देता है। ग्रो (GROW) पहल राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 26 हेक्टेयर बंजर (ख़राब) भूमि को बहाल करना और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना है।
- यह **कम उपयोग वाले क्षेत्रों (विशेष रूप से बंजर भूमि) को कृषि वानिकी के लिए परिवर्तित करने** के संभावित लाभों को रेखांकित करता है।

उत्पन्न चिंताएँ

- विश्व स्तर पर सातवें सबसे बड़े देश के रूप में शामिल भारत, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, भूमि क्षरण और असमान संसाधन वितरण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।
- भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र (TGA) का लगभग 16.96% हिस्सों में बंजर भूमि है, जिससे उन्हें उत्पादक संपदा में परिवर्तित करना आवश्यक हो गया है।

उठाए गए कदम

- **केंद्रीय बजट 2022-23 में कृषि-वानिकी और निजी वानिकी को प्राथमिकता दी गई थी,** जो उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (Integrated Wasteland Development Programme-IWDP):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के हर चरण में स्थानीय लोगों को शामिल करके मुख्य रूप से गैर-वन क्षेत्रों में बंजर भूमि को परिवर्तित करना है।
- **बंजर भूमि का पुनर्ग्रहण:** बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना, जैव विविधता को पुनर्जीवित करना, प्रभावित समुदायों के जीवन में सुधार करना और पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य को बढ़ा देना।
- आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में **व्यापक स्तर पर बंजर भूमि क्षेत्र की वजह से इनके बंजर भूमि के उपयोग की संभावनाएँ अधिक** हैं।
- **यह पेरिस समझौते, बॉन चैलेंज, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD)** और **ग्रीन इंडिया मिशन** जैसी विभिन्न वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

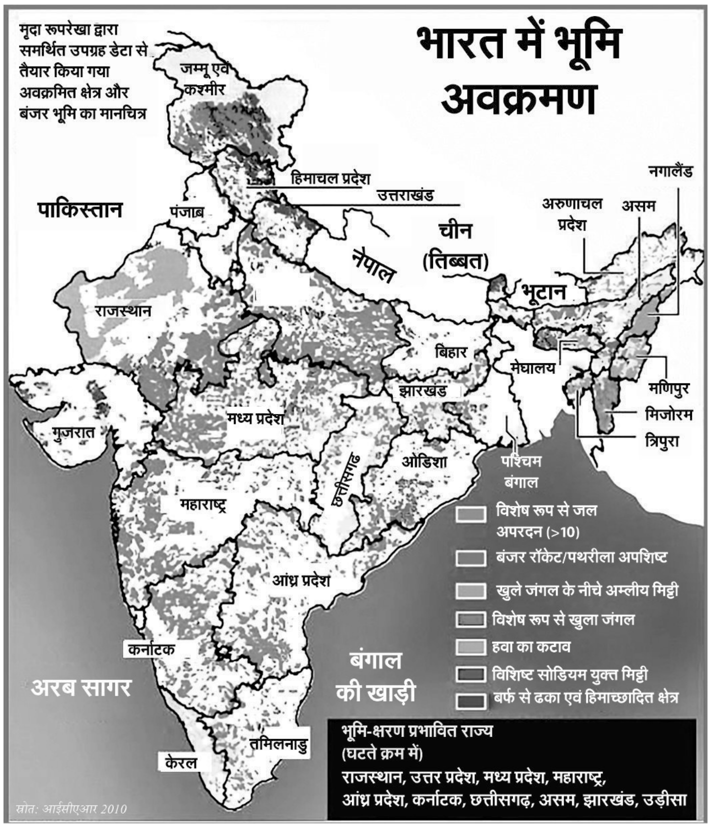

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 83 3/27/2024 1:15:22 PM

6.1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

संदर्भ

हाल ही में, महत्वाकांक्षी **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)** के लिए **केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार** के बीच एक **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए गए।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project-ERCP) को **चंबल घाटी** में अंतर-घाटी जल स्थानांतरण हेतु तैयार किया गया था।
- इसका उद्देश्य **कालीसिंध, पार्वती, मेज** और **चाकन नदियों** से शेष बचे मानसूनी जल को बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पारबती जैसी जल अभाव वाली नदियों में स्थानांतरित करना है।
- जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार, लिंक परियोजना का लक्ष्य **पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों** (अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई-माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़) तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों को पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराना है।
- इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से प्रत्येक राज्य में लगभग **2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र** में सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
- यह परियोजना संशोधित **पारबती-कालीसिंध-चंबल-ERCP (संशोधित PKC-ERCP) लिंक परियोजना** का क्रियान्वयन करती है।
- इसे केंद्र की **राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NLRP)** के तहत तैयार किया गया है।

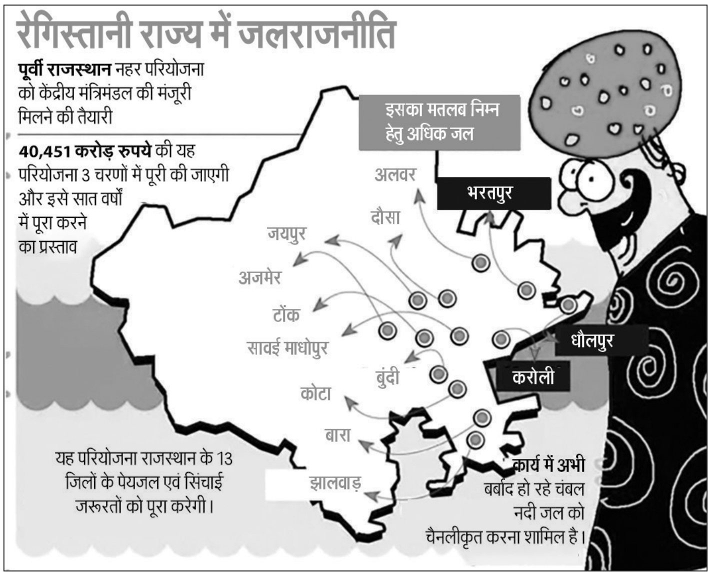

पारबती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना

- यह परियोजना वर्ष 1980 में पूर्व केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय (वर्तमान जल संसाधन विभाग) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई थी।
- **कालीसिंध-चंबल लिंक नहर** परियोजना के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट सितंबर 1991 में तैयार की गई और संबंधित राज्यों को प्रदान की गई।
- रिपोर्ट में **निवाज नदी** (कालीसिंध की एक सहायक नदी) और **कालीसिंध** से जल को चंबल नदी की ओर मोड़ने का सुझाव दिया गया है, जिसमें **राणा प्रताप सागर बांध/गांधी सागर बांध** पर संभावित विपथन (डायवर्जन) बिंदुओं का प्रस्ताव दिया गया है।

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (जलशक्ति मंत्रालय के अधीन)

- यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य 30 नहरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई जल ग्रिड का निर्माण होगा।
- **ऐतिहासिक संदर्भ**
  - ✓ भारत में नदियों को जोड़ने की अवधारणा वर्ष 1858 से चली आ रही है, जो ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन की दूरदर्शिता से सामने आई।
- **एनआरएलपी के घटक**
- **हिमालयी घटक**
  - ✓ भारत और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण करना है।
  - ✓ इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी को महानदी घाटी से जोड़ने का प्रस्ताव है और यह गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबा नदी प्रणालियों से जोड़ता है।
- **प्रायद्वीपीय घटक**
  - ✓ अन्य नदी जोड़ो प्रस्तावों के अतिरिक्त कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदियों को जल प्रदान करने हेतु महानदी और गोदावरी को जोड़ने का प्रस्ताव है।

नदियों को जोड़ने से लाभ

- **जलीय संतुलन:** यह कार्यक्रम बाढ़-प्रवण क्षेत्रों से सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल को स्थानांतरित करके, अनियमित वर्षा स्वरूप के प्रभाव को कम करके भारत के जलीय असंतुलन का समाधान करती है।
- **सिंचाई लाभ:** जल की कमी वाले क्षेत्रों को सिंचित करने, रोजगार को बढ़ावा देने, फसल उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा की दिशा में भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने की क्षमता।
- **विद्युत उत्पादन:** इसमें पनबिजली उत्पन्न करने, कोयला आधारित संयंत्रों पर निर्भरता कम करने और ग्लासगो जलवायु संधि और पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान देने की क्षमता है।
- **जल आपूर्ति:** भारत में पेयजल की कमी से सम्बंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए स्वच्छ जल प्रदान करने में सक्षम।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 84 3/27/2024 1:15:23 PM

- **औद्योगिक जल उपयोग:** यह औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्रदान करते हुए, आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास में सहायक है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** यह कार्यक्रम विशेष रूप से जल की कमी होने पर मत्स्य पालन और वन्यजीव अस्तित्व बनाए रखने में सहायक है, और यह जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी जंगल की आग को कम करता है।

नदियों को जोड़ने में चुनौतियाँ

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता कम हो सकती है, जो नदी जोड़ो परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्नचिह्न उठाती है।
- **मानव लागत प्रभाव:** आजीविका की हानि और विस्थापन (जो विशेष रूप से गरीब और आदिवासी समुदायों को प्रभावित करते हैं) के कारण पुनर्वास प्रयासों और सामाजिक चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय बोझ:** अधिक पूंजी की आवश्यकताएं एक महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौती हैं और उनका अनुकूल लागत-लाभ अनुपात प्रदान नहीं करती हैं।
- **पारिस्थितिक और जैव विविधता प्रभाव:** विभिन्न नदियों के जल के मिश्रण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता बाधित हो सकती है।
- **राजनीतिक बाधाएँ:** इसका कार्यान्वयन अंतर-राज्य सहयोग पर निर्भर करता है; मध्य प्रदेश द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की पूर्व अस्वीकृति नदी जोड़ो परियोजना से जुड़ी राजनीतिक चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।

आगे की राह

- **भूजल प्रबंधन:** भूजल प्रणाली में सुधार और प्रबंधन पर जोर दिया जाए, जिसमें पुनर्भरण तंत्र की पहचान करना और उसकी रक्षा करना, जहां संभव हो वहां पुनर्भरण को बढ़ाना और जलभृत स्तर पर भूजल के उपयोग को विनियमित करना शामिल है।
- **आभासी जल (virtual water) की अवधारणा को बढ़ावा देना:** आभासी जल का समर्थन करना, उन तरीकों को प्रोत्साहित करना जहां देश घरेलू उत्पादन के बजाय कुछ जल-गहन वस्तुओं (जिनमें जल का प्रयोग अधिक होता है) का आयात करते हैं और अन्य उद्देश्यों के लिए स्थानीय जल की बचत करते हैं।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना (NWP):** नदी जोड़ो परियोजना के विपरीत राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। यह एक जल ग्रिड के रूप में कार्य करता है, जिसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है, साल भर नौवहन की सुविधा होती है और इसमें पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

6.2. वायुमंडलीय नदियां

संदर्भ

हाल ही में, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया की ओर एक वायुमंडलीय नदी तूफ़ान आया था, जिसके कारण क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आयी और भूस्खलन हुए।

वायुमंडलीय नदियां

- **वायुमंडलीय नदियां वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे, संकीर्ण क्षेत्र हैं जो अधिकांश जलवाष्प के उष्णकटिबंधीय से उच्च अंक्षाशों की तरफ ले जाती है।**
- यह उष्ण कटिबंध से ध्रुवों की ओर वैश्विक नमी का संचरण का अप्रत्याशित 90 प्रतिशत हिस्सा है, जो इसे **पृथ्वी पर मौजूद ताजे पानी के अग्रणी वाहक** के रूप में स्थापित करता है।
- ऐसा तब होता है **जब व्यापक मौसम स्वरूप संकीर्ण चैनल या फिलामेंट** (जो अत्यधिक नमी संचरण की विशेषता है) के निर्माण हेतु संरेखित होते हैं।
- यह **पृथ्वी पर दस या इससे अधिक वायुमंडलीय नदियाँ हो सकती है,** जो दुनिया भर में इन घटनाओं के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।
- **महत्वपूर्ण वायुमंडलीय नदियों में सबसे महत्वपूर्ण पाइनएप्पल एक्सप्रेस** है, जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र से नमी परिसंचरण, हवाई के संकेन्द्रण के साथ-साथ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तटों तक पहुंचाती है।

वायुमंडलीय नदियों की विशेषताएं

- ये वायुमंडलीय नदियाँ 250 से 375 मील चौड़ी और 1000 मील से अधिक लम्बी हो सकती हैं।
- ये पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक बार विकसित होती है। जोकि शीतोष्ण चक्रवातों के बढ़ते प्रसार के अनुरूप है।
- औसतन, एक वायुमंडलीय नदी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी **मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पानी के औसत प्रवाह के समान जलवाष्प की मात्रा का परिसंचरण** करती है।

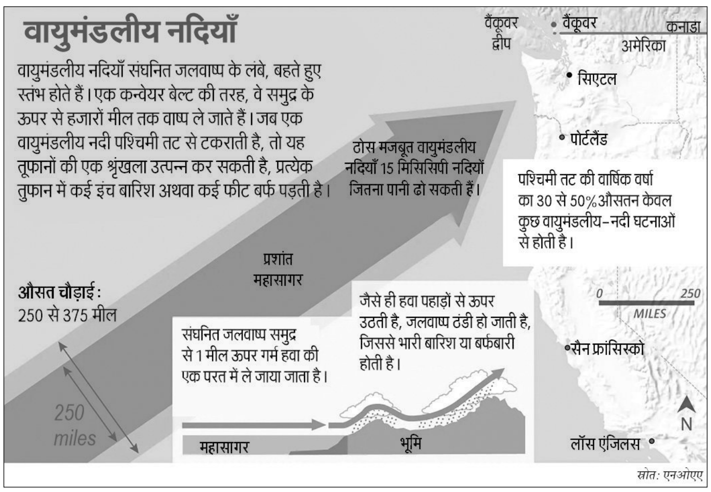

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 85 3/27/2024 1:15:31 PM

- जैसे ही वायुमंडलीय नदियाँ **स्थलाकृतिक अवरोधों का सामना करती हैं या स्थानीय वायुमंडलीय गतिशीलता के साथ प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे ऊपर की ओर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं।**
  - ✓ इस प्रकार ऊपर उठने के दौरान, उनमें मौजूद नमी **ठंडी और संघनन होती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना बढ़ जाती** है।
- जब **वायुमंडलीय नदियाँ भू-तल के ऊपर से गुजरती हैं,** तो वे **तूफान जैसी स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं,** जिसके परिणामस्वरूप **भारी से अत्यधिक भारी बारिश, चक्रवात से संबंधित हवाएँ** और विशेष रूप से ऊँची लहरें उत्पन्न होती हैं।
  - ✓ ये नदियाँ वर्षा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन ये खतरे भी पैदा करती हैं तथा अचानक बाढ़ और भूस्खलन की संभावना को बढ़ती हैं, जिसके कारण जीवन और संपत्ति की क्षति हो सकती है।

निष्कर्ष

- वायुमंडलीय नदियाँ, वर्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी, फायदे और नुकसान दोनों का कारण बनती हैं, जो पर्यावरण और समाज पर उनके प्रभावों को समझने और इनको प्रबंधित करने के महत्व पर जोर देती हैं।

6.3. वायु गुणवत्ता पर ला नीना का प्रभाव

संदर्भ

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (पुणे) और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (बेंगलुरु) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नवीनतम अध्ययन ने भारत में **अल नीना और ला नीना घटनाओं से प्रभावित वायु प्रदूषण के बीच एक संबंध का सुझाव दिया है।**

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- अध्ययन में पाया गया कि **वर्ष 2022 की सर्दियों में दिल्ली की हवा सामान्य से अधिक स्वच्छ थी, और मुंबई की हवा सामान्य से अधिक दूषित थी,** इसे प्रशांत महासागर की ला नीना घटना से समझा जा सकता है, जो लगातार तीसरे वर्ष भी जारी रही।
- **अध्ययन के निष्कर्ष:**
  - ✓ उत्तर भारतीय शहरों में, **गाजियाबाद में 33% की कमी के साथ सबसे महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया,** इसके बाद रोहतक (30%) और नोएडा (28%) का स्थान रहा। **दिल्ली में लगभग 10% का सुधार दिखा।**
  - ✓ इसके विपरीत, **मुंबई में PM2.5 के स्तर में 30% की वृद्धि के साथ सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई,** इसके बाद अन्य प्रायद्वीपीय भारतीय शहर जैसे **कोयंबटूर (28%), बेंगलुरु (20%), चेन्नई (12%), आदि** रहे।
- अध्ययन में **वर्ष 2022 की सर्दियों के दौरान हवा परिसंचरण स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव का पता चला।** आम तौर पर, लंबे समय तक ला नीना प्रभाव के कारण उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं को दक्षिण की ओर मोड़ दिया जाता था।
- हवा के स्वरूप में इस विचलन के **परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों से प्रदूषित हवाएँ दिल्ली से दूर चली गईं।** इसके बजाय, इन हवाओं ने मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे दक्षिणी क्षेत्रों के शहरों को प्रभावित किया।
- ला नीना हवा के स्वरूप और तापमान जैसी मौसम संबंधी स्थितियों को प्रभावित करता है, जिससे वायु प्रदूषकों का प्रसार प्रभावित होता है।
- जलवायु परिवर्तन ला नीना घटनाओं की क्षमता और आवृत्ति को बढ़ा सकता है, जिससे भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता पर उनका प्रभाव संभावित रूप से बढ़ सकता है।

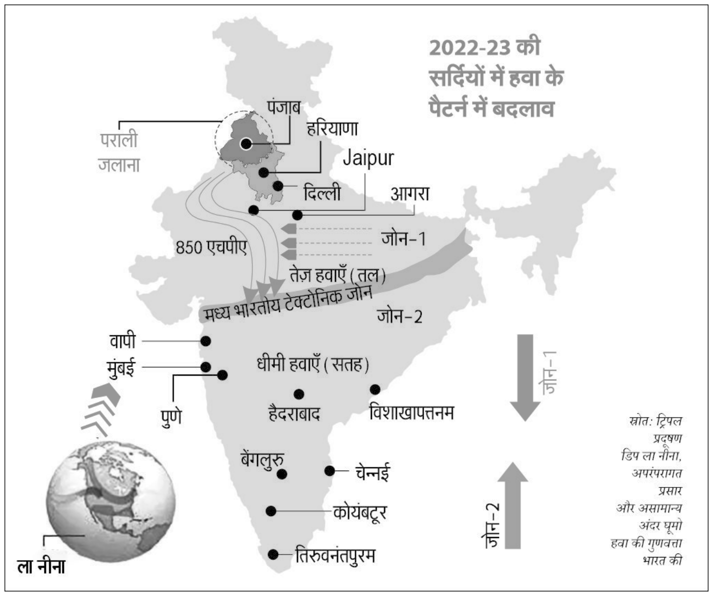

निहितार्थ और सिफ़ारिशें

- जलवायु परिवर्तन परिदृश्य **वायु गुणवत्ता पर ला नीना के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों हेतु चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।**
- वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु उसके स्रोत पर उत्सर्जन को कम करने की दीर्घकालिक रणनीतियाँ अति आवश्यक हैं।
- कृत्रिम बारिश या सम-विषम (Odd-Even) योजना जैसे अल्पकालिक समाधान, उच्च आधारभूत उत्सर्जन के अंतर्निहित समस्याओं से निपटने में अप्रभावी माने जाते हैं।
- सरकार का ध्यान अस्थायी सुधारों पर निर्भर रहने के बजाय उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए स्थायी उपायों पर केंद्रित रहना चाहिए, जिससे बेहतर वायु गुणवत्ता और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित हो सके।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 86 3/27/2024 1:15:39 PM

अल नीनो और ला नीना

- अल नीनो और ला नीना, **अल नीनो-दक्षिणी दोलन (OSNE) चक्र के दो चरण** हैं, जो एक प्राकृतिक रूप से होने वाली जलवायु घटना है। अल नीनो-दक्षिणी दोलन में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में महासागर और वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया शामिल है, जो वैश्विक मौसम स्वरूप को प्रभावित करती है।

अल नीनो

- यह एक **जलवायु घटना है जो भूमध्य रेखा के साथ मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि की विशेषता है।**
- **कारण**
  - ✓ ये घटनाएँ आमतौर पर हर 2 से 7 साल में अनियमित रूप से घटित होती हैं और प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवनों के कमजोर होने या वापस लौटने से शुरू होती हैं।
  - ✓ यह कमजोर पड़ने से गर्म सतह का पानी पूर्व की ओर पलायन कर जाता है, जिससे दक्षिण अमेरिकी तट पर ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी का सामान्य उभार अवरुद्ध हो जाता है।

ला नीना

- ✓ यह अल नीनो का विपरीत चरण है, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक ठंडा होता है।
- ✓ **कारण:** यह घटनाएँ तब घटित होती हैं जब व्यापारिक पवनें तेज़ हो जाती हैं, गर्म सतह के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं और ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी को दक्षिण अमेरिकी तट के साथ ऊपर की ओर बढ़ने देती हैं।

भारत पर प्रभाव

- **मानसून प्रतिरूप:** अल नीनो घटनाएँ भारतीय मानसून को कमजोर करती हैं, जिससे देश के कुछ हिस्सों में औसत से कम वर्षा और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है।
  - ✓ इसके विपरीत, ला नीना की घटनाएं मानसून को मजबूत कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप औसत से अधिक वर्षा होती है और कभी-कभी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है।
- **तापमान स्वरूप:** अल नीनो घटनाओं के कारण भारत में तापमान औसत से अधिक गर्म हो सकता है, जिससे लू और सूखे की स्थिति बढ़ सकती है।
  - ✓ दूसरी ओर, ला नीना की घटनाएं तापमान में कमी ला सकती हैं, जिससे लू की तीव्रता कम हो सकती है।
- **कृषि उत्पादन:** वर्षा के स्वरूप पर अल नीनो और ला नीना का प्रभाव सीधे भारत में कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है।
  - ✓ अल नीनो घटनाओं के दौरान औसत से कम वर्षा से फसल खराब हो सकती है और खाद्य की कमी हो सकती है, जबकि ला नीनो घटनाओं के दौरान औसत से अधिक वर्षा से फसल की पैदावार बढ़ सकती है लेकिन बाढ़ और जलभराव का खतरा भी बढ़ सकता है।
- **जल संसाधन:** जल की उपलब्धता और प्रबंधन अल नीनो और ला नीना घटनाओं से काफी प्रभावित होता है। अल नीनो घटनाओं के दौरान सूखे की स्थिति जल संसाधनों पर दबाव डाल सकती है, जिससे पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
  - ✓ इसके विपरीत, ला नीना घटनाओं के दौरान औसत से अधिक वर्षा जलाशयों को भर सकती है लेकिन बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ा सकती है।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** अल नीनो और ला नीना घटनाएं भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं।
  - ✓ अल नीनो घटनाओं के दौरान सूखा, खाद्यान्न संकट और पानी की कमी से कुपोषण, विस्थापन और आर्थिक नुकसान हो सकता है।
  - ✓ इसके विपरीत, ला नीना घटनाओं के दौरान बाढ़ और जलजनित बीमारियाँ स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं और आजीविका को बाधित कर सकती हैं।

6.4. समुद्री हीट वेव

संदर्भ

नेचर कम्युनिकेशंस के एक अध्ययन में पाया गया कि आर्कटिक महासागर में वर्ष 2007 से असामान्य समुद्री हीटवेव (MHWs) की घटनाएं हुई हैं, कि ग्रीनहाउस गैसों और तेजी से समुद्री बर्फ के पिघलने से सम्बन्धित हैं।

अध्ययन के मुख्य बिंदु

- 1990 के दशक के मध्य से आर्कटिक सागर में बारहमासी समुद्री बर्फ के आवरण में कमी देखी गई है, अधिक समरूप समुद्री बर्फ **तेजी से पिघलने और सौर विकिरण अवशोषण में वृद्धि को बढ़ावा** देती है।
- आर्कटिक महासागर में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है, जिसमें वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक लगातार छह वर्षों तक समुद्री हीटवेव चल रही हैं।
- वर्ष 2007 के बाद से आर्कटिक महासागर में 11 समुद्री हीटवेव आई हैं, जिसमें औसत तापमान मौसमी औसत से 2.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ गया है।
- वर्ष 2007 की गर्मियों में आर्कटिक महासागर के उथले सीमांत समुद्रों पर समुद्री हीटवेव के एक नए युग की ओर बदलाव की शुरुआत हुई।
- ये समुद्री हीटवेव की घटनाएं (जिन्हें समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म तापमान की लंबी अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है) आर्कटिक सागर में बर्फ की व्यापक कमी के साथ मेल खाती हैं।
- **कारा, लापतेव, पूर्वी साइबेरियन और चुक्ची** जैसे सीमांत समुद्र समुद्री

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 87 3/27/2024 1:15:39 PM

हीटवेव की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

- ये सीमांत समुद्र मुख्य रूप से पहले वर्ष का बर्फ (first-year ice), तैरता वर्फ (जो युवा बर्फ से एक वर्ष के अधिक विकसित नहीं है) से ढका हुआ है।
  - ✓ **पहले वर्ष का बर्फः** यह समुद्री बर्फ को संदर्भित करता है जो वर्तमान ठंड के मौसम के दौरान बनी है और पिघलने के मौसम से नहीं गुजरी है।

समुद्री हीटवेव (MHW)

- यह किसी विशेष समुद्री क्षेत्र में औसत मौसमी तापमान के सापेक्ष असामान्य रूप से उच्च समुद्री तापमान की अवधि है।
- यह तब होता है जब समुद्र के विशेष क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम पांच दिनों के लिए औसत तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है।

समुद्री हीटवेव के कारण

- **ग्लोबल वार्मिंगः** ग्रीनहाउस गैसें (GHGs) समुद्री हीटवेव (MHWs) का एक महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें घटनाओं में **1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक** का योगदान देने की उच्च संभावना है।
  - ✓ **उदाहरणः वर्ष** 2016 में **तापमान** 21 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
- **महासागरीय धाराएँः समुद्री हीटवेव का सबसे आम कारण समुद्री धाराएँ हैं, जो वायुमंडल के माध्यम से या गर्म पानी के क्षेत्रों को एकत्रित करके और वायु-समुद्र ताप हस्तांतरण के माध्यम से समुद्र की सतह को गर्म कर सकती हैं।**
  - ✓ **उदाहरणः गर्म समुद्री धाराएँ ऐसी स्थितियाँ पैदा करती हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।**
- **हवाएँः** सामान्यतः सूर्य की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करके पानी की सतह को गर्म करती है। हल्की हवाएँ चलने पर गर्म पानी नीचे ठंडे पानी के साथ मिश्रित नहीं होता है।
- **जलवायु परिवर्तनः** अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) जैसे व्यापक जलवायु प्रभावों के कारण भी समुद्री तापीय लहरें आ सकती हैं।
  - ✓ **उदाहरणः "अल नीनो"** घटना प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में समुद्री **ताप की लहरों** के उद्भव को बढ़ाती प्रतीत होती है।

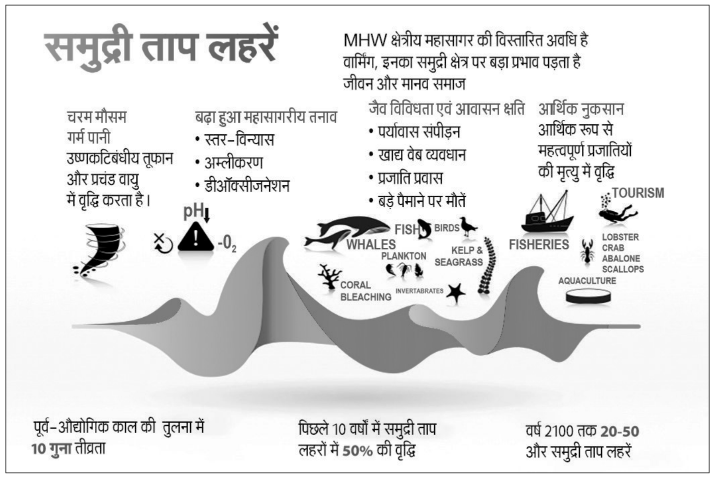

समुद्री ताप की लहर से निपटने हेतु उठाए गए कदम

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई पीढ़ी के स्वायत्त फ्लोट्र (अर्गो फ्लैट्र) की सिफारिश की है जो वास्तविक समय में पूर्ण महासागर की मात्रा में तापमान और लवणता को मापेंगे।
- मरीन हीटवेव इंटरनेशनल ग्रुप जैसे विकासशील नेटवर्क, विशेषज्ञों को विश्व स्तर पर अनुसंधान कार्यक्रमों को लागू करने की सुविधा देंगे।

आगे की राह

- **प्रकृति-आधारित समाधानः** पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, सरकारों को तेजी से घटते जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के अलावा प्रकृति-आधारित समाधानों में भी निवेश करना चाहिए। प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए IUCN वैश्विक मानक का उपयोग परियोजना की योजना और कार्यान्वयन के दौरान किया जाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** वैश्विक आधार पर समुद्री ताप की लहर की रोकथाम के लिए सूचना, सांख्यिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना और मरीन हीटवेव इंटरनेशनल ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेटवर्क को बढ़ावा देना।
- **अनुकूलनः** राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों को समुदायों की सुरक्षा और क्षेत्रीय महासागर की तन्यकता /लचीलेपन को मजबूत करने के लिए रणनीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करनी चाहिए।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 88 3/27/2024 1:15:39 PM

7.1. केंद्रीय बजट में डीप-टेक और अनुसंधान वित्तपोषण की योजना

संदर्भ

अंतरिम बजट 2024-25 में, वित्त मंत्री ने **रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक (गहन तकनीक) प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करने और 'आत्मनिर्भरता' में तेजी लाने हेतु** एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य विवरण

- वित्त मंत्री ने अनुसंधान और विकास पहलों के लिए समर्पित **दीर्घकालिक, लागत प्रभावी या ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु 1 लाख करोड़ रुपये के एक कोष** की घोषणा की।
- रक्षा क्षेत्र में डीप-टेक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक नई योजना भी शुरू की जाएगी, जिसे बाद में सभी क्षेत्रों में डीप-टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

डीप टेक और इसके महत्व

- डीप टेक का तात्पर्य **उन्नत और अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों से है जिनमें महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी बदलाव** लाने और भविष्य के लिए समाधान उपलब्ध करने की क्षमता है।

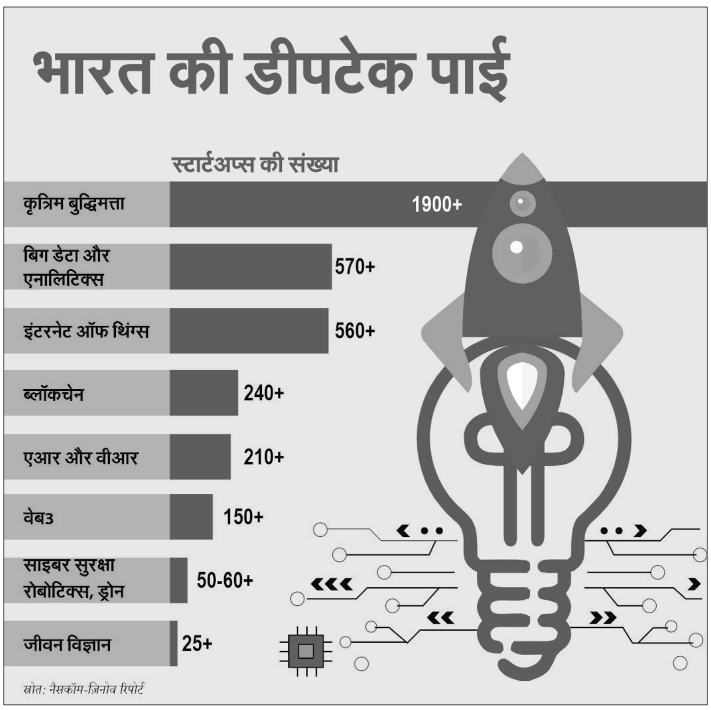

- इसमें **नैनोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, पदार्थ विज्ञान, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग आदि** जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान शामिल होते हैं।
- इस तकनीक के **जलवायु परिवर्तन, भूख, महामारी, ऊर्जा पहुंच, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा** जैसी जटिल वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है।
- डीप-टेक में उन्नत क्षमताओं से उत्पादकता बढ़ने एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने तथा आनेवाले वर्षों में रोजगार सृजित होने और डीप-टेक के विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत बुनियाद वाले देशों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलने की भी संभावना है।

भारत में डीप-टेक की वर्तमान स्थिति

- भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्थिर है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (LM), बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य में 3000 से अधिक डीप-टेक उद्यम तकनीकी सफलता के पथ-प्रदर्शक हैं।
  - ✓ भारत के डीप-टेक स्टार्ट-अप में बेंगलुरु का योगदान 25-30% है, इसके बाद दिल्ली-एनसीआर (15-20%) और मुंबई (10-12%) का स्थान है।
- भारत में डीप-टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र ने एक मजबूत विकास दर हासिल किया है, जो **पिछले चार वर्षों में 40% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) से अधिक** है। वर्ष 2017 के बाद से डीप-टेक का उपयोग करने वाले स्टार्टअप की संख्या 3.5 गुना बढ़ गई है।

भारत में डीप-टेक के लाभ

- **नवाचार उत्प्रेरक:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को शामिल करते हुए डीप टेक, भारतीय व्यवसायों को नवाचार में नेतृत्व करने हेतु सशक्त बनाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और वित्त जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्पादों का विकास संभव हो पाता है।

राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP)

- इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन करना है, जिससे भारत की क्षमताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।
- इसका उद्देश्य अनुसंधान आधारित डीप-टेक आविष्कारों का लाभ उठाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप नीति के चार स्तंभ:**
- भारत के आर्थिक भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था में निर्बाध परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना
- आत्मनिर्भर भारत अनिवार्यता के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता और संप्रभुता को मजबूत करना
- नैतिक नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 89 3/27/2024 1:15:40 PM

- ✓ **परिशुद्ध कृषि:** परिशुद्ध खेती में एआई और सेंसर पैदावार को अधिकतम एवं बर्बादी को कम करते हैं और कृषि में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होते हैं।
- ✓ **स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड:** सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एआई अनुकूलन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है, जिससे एक स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड तैयार होता है।
- ✓ **स्वास्थ्य देखभाल परिवर्तन:** एआई-संचालित नैदानिकी, वैयक्तिकृत चिकित्सा के लिए जीनोमिक्स और टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में क्रांति लाते हैं।
- ✓ **आर्थिक विकास और रोजगार:** डीप-टेक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, भारत को नवाचार हेतु एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है और उच्च-कुशल रोजगार सृजित करता है।

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा:** ब्लॉकचेन, आईओटी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भारतीय कंपनियां वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी रूप से स्थापित हो रही हैं। इन क्षेत्रों में कौशल विकास भारतीय पेशेवरों को वैश्विक परियोजनाओं में योगदान करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे तकनीकी उद्योग में देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है।

नेशनल डीप टेक स्टार्टअप नीति (एनडीटीएसपी)

इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में **तकनीकी प्रगति की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन** करना है, जिससे भारत की क्षमताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

इसका उद्देश्य अनुसंधान-आधारित गहन-तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

एनडीटीएसपी के चार स्तंभ:

01 भारत के आर्थिक भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना

02 ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में निर्बाध परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना

03 आत्मनिर्भर भारत अनिवार्यता के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता और संप्रभुता को मजबूत करना

04 नैतिक नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना

- **बेहतर निर्णय लेने की क्षमता:** भारत में डीप-टेक, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए, बेहतर निर्णय लेने हेतु उन्नत विशेषज्ञता प्रदान करती है। वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, परिचालन क्षमता को बढ़ाते हैं और बाजार के रुझानों पर त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम करते हैं।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** एआई और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग व्यवसायों को अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, कार्यों को स्वचालित करने और परिचालन लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। इन लागत बचत को अनुसंधान, विकास और ग्राहक के अनुभवों को बेहतर बनाने, व्यवसायों को उनके क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में स्थापित करने में पुनर्निवेश किया जा सकता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** डीप-टेक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अनुकूलन करता है, प्रदूषण के स्तर की निगरानी करता है, और पर्यावरणीय समस्या हेतु समाधान विकसित करता है, जिससे स्थिरता में योगदान होता है।

भारत में डीप-टेक की चुनौतियाँ

- **पर्याप्त धन का अभाव:** सकल घरेलू उत्पाद (0.65%) के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास खर्च वैश्विक औसत और प्रतिस्पर्धी देशों से काफी कम (1.8%) है।
- **राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन संबंधी चिंताएँ:** राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप नीति का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।
- **गहन पूंजी:** डीप-टेक तकनीकी परियोजनाओं के लिए अक्सर पर्याप्त अग्रिम लागत और दीर्घ विकास चक्र की आवश्यकता होती है, जिससे वे पारंपरिक निवेशकों के लिए अनाकर्षक हो जाते हैं।
- **प्रतिभा और विशेषज्ञता:** डीप-टेक परियोजनाएं उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विशेष ज्ञान की मांग करती हैं। कुशल प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना मुश्किल है, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी बाजारों में या योग्य पेशेवरों की कमी को देखते हुए।
- **नियामक और कानूनी बाधाएँ:** डीप-टेक नवाचारों को नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि नई तकनीकों को मौजूदा नियमों द्वारा पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना और बाज़ार में स्वीकार्यता:** विघटनकारी समाधान देने करने पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने और लाभ प्रदर्शित करने के प्रयासों की आवश्यकता होती है। व्यापक रूप से अपनाने और बाज़ार में स्वीकृति प्राप्त करना एक धीमी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।
- **बौद्धिक संपदा संरक्षण:** मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण सुनिश्चित करना जटिल और महंगा है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानूनों से निपटने के दौरान।
- **सीमित निजी भागीदारी:** इसकी प्रगति में उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और सरकार के बीच अपर्याप्त सहयोग बाधा डालता है।

डीप-टेक की सहायता हेतु सरकार की पहल

- **डिजिटल इंडिया इनोवेशन:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डीप-टेक स्टार्टअप सहित उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में विषयगत कोष की शुरुआत की है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 90 3/27/2024 1:15:48 PM

- **डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा फर्म पेटीएम** ने डीप-टेक स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए आईटी मंत्रालय के स्टार्टअप हब के साथ एक समझौता किया था।
- **नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM):** इसने अपने डीपटेक मेंटरिंग प्रोग्राम के दूसरे संस्करण को चिह्नित करते हुए डीप टेक क्लब (DTC) 2.0 की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भारतीय डीपटेक उत्पादों को बढ़ावा देना और उन्हें अग्रणी बनाना है जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान पेश करते हैं।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM):** इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण करना, पोषण करना और आगे बढ़ाना है तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (QT) में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन:** इसका उद्देश्य अनुसंधान-संबंधित संस्थानों की शासन संरचना को मजबूत करना है और यह अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और उद्योग के बीच संबंधों में सुधार करेगा।
- **एआईएम प्राइम (Atal Innovation Mission - Program for Researchers in Innovation, Market Readiness and Entrepreneurship) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य सीखने का मिश्रित पाठ्यक्रम का उपयोग करके 12 महीने की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक चरण के विज्ञान-आधारित, गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बाजार में बढ़ावा देना है।
- **प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC):** उनके लक्ष्य में अन्य जिम्मेदारियों के बीच भविष्य की तैयारियों को बढ़ाना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों का निर्माण और समन्वय करना, तकनीकी-उद्यमिता हेतु एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, नवाचार समूहों को विकसित करना और प्रभावी सार्वजनिक-निजी संबंध सुविधा प्रदान करना शामिल है।

आगे की राह

- वित्तपोषण, बौद्धिक संपदा, विनियम और प्रतिभा अधिग्रहण जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए **राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति** का रणनीतिक कार्यान्वयन।
- अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक पहुंचने हेतु सरकारी व्यय को बढ़ाने से नवाचार और तकनीकी प्रगति को पर्याप्त सहायता मिलेगी।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और निरंतर विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक संस्थानों, निजी उद्यमों और स्टार्टअप के बीच मजबूत संबंध बनाने से सहयोगात्मक नवाचार एवं उद्योग को आगे बढ़ाने की सुविधा मिलती है।
- **शैक्षिक कार्यक्रमों में लक्षित निवेश के माध्यम से कुशल पेशेवरों का पोषण** करते हुए प्रतिभा विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

निष्कर्ष

डीप-टेक भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, लेकिन चुनौतियों का समाधान करना और सहायक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना सफलता की कुंजी है।

7.2. भारत की सीएआर टी-सेल थेरेपी

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO) ने सीएआर-टी सेल थेरेपी (CAR T-Cell Therapy) के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी दे दी, जो कैंसर के उपचार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

सीएआर टी-सेल थेरेपी

- CAR T - सेल थेरेपी या काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी, एक **प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, जिसका इस्तेमाल कुछ कैंसर के उपचार में किया जाता है।**
  - ✓ **नोट: टी-कोशिकाएँ (जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है) एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका** या प्रतिरक्षा कोशिका हैं, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- इसमें एक अत्यधिक व्यक्तिकृत उपचार शामिल है **जहां किसी मरीज की टी कोशिकाएं उनके शरीर से निकाली जाती हैं।** इसके बाद, इन टी कोशिकाओं को उनके सतह पर **एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) को व्यक्त करने के लिए प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित** किया जाता है।
- काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) को **कैंसर कोशिकाओं की सतह पर विशिष्ट प्रोटीन को पहचानने** के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक बार जब टी-कोशिकाओं को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को व्यक्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो **इन संशोधित कोशिकाओं की बड़ी संख्या में निर्माण के लिए उन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है।**
- अंत में, विस्तारित और संशोधित टी-कोशिकाओं को वापस रोगी के कोशिका में डाल दिया जाता है।
- CAR टी-सेल थेरेपी का लक्ष्य कैंसर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से लक्षित करने और नष्ट करने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना है।

महत्व

- **सटीक उपचार:** CAR T-सेल थेरेपी काफी हद तक विशिष्ट होने के साथ-साथ सटीकता सुनिश्चित करती है, जो स्वस्थ कोशिकाओं के नुकसान को कम करती है और कीमोथेरेपी जैसे पारंपरिक उपचारों की तुलना में दुष्प्रभावों को कम करती है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 91 3/27/2024 1:15:56 PM

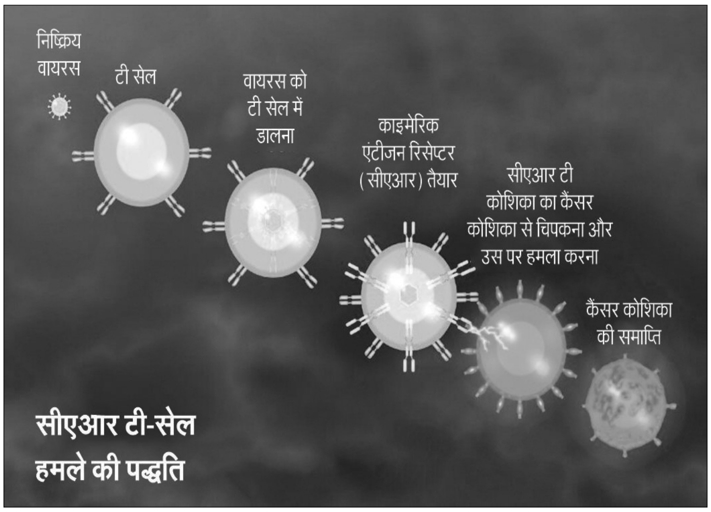

- **आजीवन प्रतिरक्षा की जानकारी को याद रखने की क्षमता:** CAR टी-कोशिकाओं में उस प्रकार की प्रतिरक्षा की जानकारी को याद रखने की क्षमता होती है, जो शरीर को कैंसर के जीवाणुओं को पहचानने और यदि वह वापस संक्रमित करते का प्रयास करता है तो उससे लड़ने में मदद करती है।
- **पुनरावृत्ति दर में कमी:** प्रारंभिक संकेत कैंसर के पुनरावृत्ति दर में कमी (विशेष रूप से बीमारी के प्रारंभिक चरण के रोगियों में) का संकेत देते हैं।
- **सतत अनुसंधान और विकास:** CAR T-सेल थेरेपी की शुरूआत ने इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान में रुचि और निवेश को बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र में चल रही प्रयोगों में हुई प्रगति से भविष्य में इसमें और सुधार होने के साथ-साथ इसके और अधिक अनुप्रयोग हो सकते हैं।

चुनौतियाँ

- **लागत अवरोध:** CAR T-सेल थेरेपी काफी महँगी हो सकती है, जिसके कारण कई रोगियों के लिए इसकी पहुँच सीमित हो सकती है।
- **सीमित प्रयोज्यता:** वर्तमान में, सीएआर टी-सेल थेरेपी कुछ रक्त कैंसर के लिए काफी अधिक प्रभावी है, लेकिन अन्य प्रकार के कैंसर के लिए इसके अनुप्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
- **दीर्घकालिक प्रभाव के बारे कम जानकारी का होना:** इस थेरेपी के दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, और इसके दीर्घकालिक प्रभाव का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है।
- **जटिल प्रक्रिया:** टी-कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने की प्रक्रिया जटिल है, जिसके लिए विशेष सुविधाओं और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **अनुसंधान और विकास:** CAR T-सेल थेरेपी से उपचार योग्य कैंसर की सीमा का विस्तार करने के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश करना।
- **प्रशिक्षण:** सीएआर-टी सेल थेरेपी के प्रशासन और प्रबंधन में स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **सहयोग:** इस थेरेपी को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए जानकारी के आदान-प्रदान और संसाधन साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **विनियामक समर्थन:** वैसे सहायक नीतियों का निर्माण करना, जो मानक कैंसर उपचार प्रोटोकॉल में सीएआर टी-सेल थेरेपी के एकीकरण की सुविधा प्रदान करें।

7.3. विधि आयोग की रिपोर्ट में महामारी से निपटने के लिए एक योजना का सुझाव

संदर्भ

विधि आयोग की 286वीं रिपोर्ट पुराने महामारी अधिनियम, 1897 पर जोर देते हुए महामारी के प्रबंधन की 'महत्वपूर्ण कमियों' पर प्रकाश डालती है।

विवरण

- **कोविड-19 महामारी** ने भविष्य की महामारियों से निपटने संबंधी कानूनी ढाँचे की कमियों को दूर करने के लिए एक विस्तृत जाँच की जरूरत को सामने लाया है।
- **न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी के नेतृत्व वाले एक पैनल** ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें मौजूदा महामारी कानूनों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

1. **मौजूदा महामारी अधिनियम की सीमाएँ**
- मौजूद महामारी अधिनियम एक सदी पुराना कानून है, जिसके कारण इसमें इबोला, जीका, कोविड-19 आदि जैसी आधुनिक संक्रामक रोग की चुनौतियों से निपटने वाले प्रावधान नहीं है।
- कोविड-19 के दौरान, वर्ष 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तत्काल इसके रोकथाम से संबंधित प्रावधान लागू किए गए।
- **वर्ष 2020 में महामारी अधिनियम में संशोधन किए गए, लेकिन कार्यों, अधिकार, दंड आदि से संबंधित महत्वपूर्ण खामियाँ पहले जैसी ही मौजूद थी।**
- यह रिपोर्ट **केंद्र सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण** आदि जैसी **औपनिवेशिक काल के कानून के संभावित दुरुपयोग** को इंगित करती है।

2. **बदलाव का प्रस्ताव**
- विधि आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में एक **महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** बनाने की सिफारिश की है।
  - ✓ **महामारी से निपटने की योजना**
    - इसके तहत राज्यों, मंत्रालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषज्ञों और हितधारकों के सहयोग से केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करना चाहिए।
    - इसे समय समय पर अद्यतन, संशोधित और लागू किया जाना चाहिए।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 92 3/27/2024 1:15:56 PM

- इसमें क्वारंटीन (संगरोध), अलगाव, लॉकडाउन, रोग की निगरानी, चिकित्सा आपूर्ति, सूचना का प्रसार, परीक्षण, अनुसंधान और अपशिष्ट निपटान पर समावेशी प्रावधान करना चाहिए।

- ✓ **मानक संचालन प्रक्रिया का क्रियान्वयन**
  - इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकराव को रोकना है।
  - इसका उद्देश्य संक्रामक रोग फैलने के तीन चरणों और इससे संबंधित प्रतिक्रियाओं को परिभाषित करना है।

3. जुर्माना को बढ़ाना

- मौजूदा दंड का प्रावधान अपेक्षा अनुरूप कठोर नहीं है। इसलिए अधिक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करने के लिए दंड को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।
  - ✓ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता) के तहत, कारावास की सजा की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रावधान या 5,000 रुपये तक के जुर्माने (भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत छह महीने तक की जेल की सजा और 1,000 रुपये तक के जुर्माने) का प्रावधान किया गया है।

आगे की राह

- भारत में भविष्य में आने वाली महामारियों के प्रति अधिक प्रभावी, समन्वित और अनुकूलनीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कानूनी नींव को मजबूत करना चाहिए।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संसाधनों के उपयोग के लिए एक व्यापक ढाँचे और ठोस दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- सरकार को विभिन्न स्तरों पर शक्तियों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
- सरकार को रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित उपायों को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर ध्यान रखना चाहिए।

निष्कर्ष

- विधि आयोग की रिपोर्ट महामारी कानूनों में व्यापक बदलाव की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। आयोग ने भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए अधिक मजबूत, समन्वित और अधिकारों का सम्मान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए एक महामारी योजना, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), स्पष्ट रूप से शक्तियों का निर्धारण और दंड को बढ़ाने की सिफारिश की है।

7.4. एमक्यू-9 बी ड्रोन

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस द्वारा औपचारिक रुप से भारत को 31 एमक्यू-9बी (MQ-9B) अधिक उंचाई पर उड़ने वाले लंबे समय तक हवा में रहने में सक्षम सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन (UAV) की संभावित बिक्री को अधिसूचित किया गया।

एमक्यू-9बी यूएवी का विवरण

- MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स (GA-ASI) द्वारा विकसित MQ-9 "रीपर" का एक किस्म है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका वायु सेना (USAF) हेतु कार्य करना है।
- MQ-9B ड्रोन के दो किस्म हैं- स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। सी गार्जियन वर्ष 2020 से भारतीय नौसेना द्वारा परिचालन में है।

एमक्यू-9बी सी गार्जियन की विशेषताएं

- इन ड्रोनों को उच्च-ऊंचाई, दीर्घकालिक यूएवी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दीर्घकालिक उड़ान अवधि हेतु डिज़ाइन किए गए हैं। अधिकतम 40 घंटे की उड़ान अवधि के साथ, वे लंबे समय तक निगरानी के लिए एक विश्वसनीय सुविधा प्रदान करते हैं।
- यह मारक मिसाइलों से लैस है, जो इसे उच्च परिशुद्धता के साथ दुश्मन के लक्ष्यों पर हमला करने और खत्म करने की सुविधा देता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 93 3/27/2024 1:15:56 PM

✓ यह विशेषताएं भूमि और समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अभियानपरक संबंधी मिशनों सहित विभिन्न भूमिकाओं में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाती है।

- यह परिचालन लचीलापन प्रदान करते हुए स्वचालित उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है।
- यह सुरक्षित रूप से नागरिक हवाई क्षेत्र में एकीकृत हो सकता है, जिससे संयुक्त बलों और नागरिक अधिकारियों को दिन या रात, समुद्री क्षेत्र में वास्तविक समय स्थितिजन्य जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। ड्रोन की 5,670 किलोग्राम तक की प्रभावशाली वहन क्षमता और 2,721 किलोग्राम की ईंधन क्षमता भी इसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाती है।

महत्त्व

- एक मानवयुक्त गश्ती विमान की प्रतिघंटे की लागत के लगभग 20 प्रतिशत पर MQ-9B एक बड़े मानवयुक्त समुद्री गश्ती विमान की क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत प्रदान कर सकता है, जिससे यह नौसेनाओं के लिए अधिक किफायती विकल्प बन जाता है।
- यह भारतीय सशस्त्र बलों की खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार करेगा।
- यह अमेरिकी मूल के पी-8आई (P-8I) लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान के साथ मिलकर भी काम करेगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र पर भारतीय नौसेना की निगरानी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- क्वाड समूह के सभी सदस्यों (अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान) ने किसी न किसी समय MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन का उपयोग किया है।

7.5. अभ्यास वायु शक्ति-24

संदर्भ

भारतीय वायु सेना (IAF) ने राजस्थान में जैसलमेर के निकट पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में **वायु शक्ति -24 अभ्यास** का आयोजन किया।

अभ्यास वायु शक्ति-24 का विवरण

- अभ्यास 2024 का विषय **'आसमान से बिजली गिरना'** है।
- **राफेल, एसयू-30 एमकेआई, मिग-29, मिराज-2000, तेजस और हॉक** सहित भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने घातक सटीकता के साथ जमीन और हवा में दुश्मन के नकली ठिकानों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया।

पृष्ठभूमि

- यह एक त्रिवार्षिक अभ्यास है, जो **हर तीन साल में एक बार आयोजित किया जाता है।** इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की **पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन (दिन और रात) करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है।** वायु शक्ति का पिछला संस्करण **फरवरी 2019** में आयोजित किया गया था।

उद्देश्य

- वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति का सम्मोहक प्रदर्शन किया, **जो दिन और रात दोनों समय निर्बाध रूप से संचालित हुआ।**
- **वायु शक्ति में लड़ाकू विमान:** राफेल, सू-30एमकेआई, एलसीए तेजस, मिराज 2000 मिग-29 और प्रचंड अटैक हेलिकॉप्टर सहित सभी प्रमुख विमान ने वायु शक्ति अभ्यास में लिया।
- यह उन तीन प्रमुख अभ्यासों में से पहला है जिसे भारतीय वायुसेना ने इस वर्ष पूरा किया; अन्य दो **अप्रैल में एक्स गगन शक्ति** और **इस वर्ष के मध्य तक एक्स तरंग शक्ति** हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 94 3/27/2024 1:15:57 PM

गगन शक्ति

- यह अभ्यास **पांच साल में एक बार आयोजित किया जाता है, इसमें Su-30s और अन्य समुद्री भूमिका वाले लड़ाकू विमान स्क्वाड्रनों को नौसेना में शामिल** P-8I समुद्री निगरानी विमान और **मिग-29K लड़ाकू विमानों** के साथ मिलकर उड़ान भरने की भी उम्मीद है।
- **48 घंटे से भी कम समय में पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी मोर्चे** पर तैनात संपत्तियों को तेजी से स्थानांतरित करके वायु सेना की कुशलता का प्रदर्शन किया जाएगा।
- **चीन और पाकिस्तान** के साथ संभावित दो-मोर्चे युद्ध परिदृश्य हेतु भारतीय वायुसेना की तैयारियों और सहनशक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।

तरंग शक्ति

- भारत ने अपनी धरती पर सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा।
- इसमें 12 वैश्विक वायु सेनाओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें अंतरसंचालनीयता में सुधार, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- प्रतिभागियों में लड़ाकू जेट, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले, अवाक्स (AWACS) विमान और मानव रहित प्रणाली शामिल हैं।

7.6. न्यूरालिंक मस्तिष्क प्रत्यारोपण

संदर्भ

कंप्यूटर-ब्रेन इंटरफ़ेस कंपनी न्यूरालिंक के अनुसार, कंपनी ने हाल ही में पहले मानव में ब्रेन चिप को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है।

विवरण

- इसका उद्देश्य मस्तिष्क विकारों का समाधान करने, मस्तिष्क पर लगे चोटों के प्रभाव को कम करने के अतिरिक्त कई अन्य अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ तंत्रिका तंत्र और कंप्यूटर के बीच की खाई को पाटने के आसपास केंद्रित है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों को केवल अपने विचारों के माध्यम से कंप्यूटर कर्सर या की-बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे प्रौद्योगिकी के साथ सहज प्रभाव संभव हो सके।
- इस प्रौद्योगिकी के शुरुआती लाभार्थी ऐसे व्यक्ति हो सकते है, जिनके अंग काम नहीं कर पाते है।

न्यूरालिंक

- यह 2016 में एलोन मस्क द्वारा स्थापित एक ब्रेन-चिप स्टार्टअप है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य उन्नत **ब्रेन-मशीन इंटरफ़ेस (BMI) टेक्नोलॉजीज** विकसित करना है।
- न्यूरालिंक का उपकरण, लगभग एक सिक्के के आकार का, शल्य चिकित्सा द्वारा मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसमें अति-पतली तारें शामिल हैं जो मस्तिष्क तक फैली हुई हैं, जो **ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCI)** स्थापित करती हैं।
- प्रत्यारोपित डिस्क को मस्तिष्क गतिविधि को पंजीकृत करने और व्याख्या करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह तंत्रिका संकेतों को पकड़ता है, मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न विचारों और आदेशों को समझने और उनका विश्लेषण करने का साधन प्रदान करता है।
- न्यूरालिंक को मानव प्रतिभागियों को शामिल करते हुए अपना पहला परीक्षण करने के लिए पिछले साल अमेरिकी **खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA)** से मंज़ूरी मिली थी।

मस्तिष्क में लगने वाली चिप की कार्यविधि

- **प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया:** मस्तिष्क में लगनेवाली चिप को न्यूनतम इनवेसिव सर्जिकल प्रक्रिया के माध्यम से रोबोटिक सुविधा के मदद से मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स के भीतर प्रत्यारोपित किया जाता है।
  - ✓ इलेक्ट्रोड वाले पतले, लचीले धागों या तारों से बनी यह चिप तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को संजोने हेतु विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को लक्षित करती है।
- **डेटा को संग्रहित करना:** प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड सक्रिय तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉन्स) द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों का पता लगाते हैं तथा इस मस्तिष्क गतिविधि को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं।
  - ✓ इसके बाद, चिप एकत्रित जानकारी को संसाधित करती है, पैटर्न को समझती है और उन्हें कार्रवाई योग्य कमांड में परिवर्तित करती है।
- **संचार प्रोटोकॉल:** डेटा को संसाधित करने के बाद, चिप कम-शक्ति वाले ट्रांसमीटर का उपयोग करके व्याख्या की गई जानकारी को कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसे बाहरी उपकरण पर वायरलेस तरीके से प्रसारित करता है।

तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन)

- न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएँ, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत और सबसे छोटी इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं।
- ये कोशिकाएँ जटिल तंत्रिका सर्किट का निर्माण करती हैं, जो विद्युत संवेगों और रासायनिक संकेतों के संयोजन के माध्यम से तेजी से संचार करती हैं, जिससे पूरे शरीर में सूचना के प्रसारण की सुविधा मिलती है।

7.7. इनट्रांस कार्यक्रम

संदर्भ

आईआईआईटी-दिल्ली में आयोजित "डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024" के लॉन्च इवेंट के दौरान इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर (InTranSE) प्रोग्राम के तहत प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC), तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित तीन स्वदेशी तकनीकों को 12 उद्योगों को हस्तांतरित किया गया।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 95 3/27/2024 1:15:57 PM

विवरण

- सीडीएसी द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक: थर्मल कैमरा, सीएमओएस कैमरा और फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम।
- इन तकनीकों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के InTranSE कार्यक्रम के तहत डिजाइन और विकसित किया गया था, जिन्हें 12 उद्योगों को हस्तांतरित किया गया था।
- यह प्रधानमंत्री के **विकसित भारत @2047 के नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी** पहल की दिशा में एक कदम है।

इनट्रांस प्रोग्राम

- **इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर (InTranSE)** का आयोजन आईआईटी-मद्रास, आईआईटी-बॉम्बे और आईआईएससी-बैंगलोर के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सी-डैक द्वारा किया जाता है।
- **उद्देश्य:** भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उभरती प्रौद्योगिकियों और रुझानों का पता लगाने हेतु अग्रणी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योगपतियों, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, उपयोगकर्ता एजेंसियों के लिए एक साझा मंच की सुविधा प्रदान करना।
- यह इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों को भी प्रदर्शित करता है।

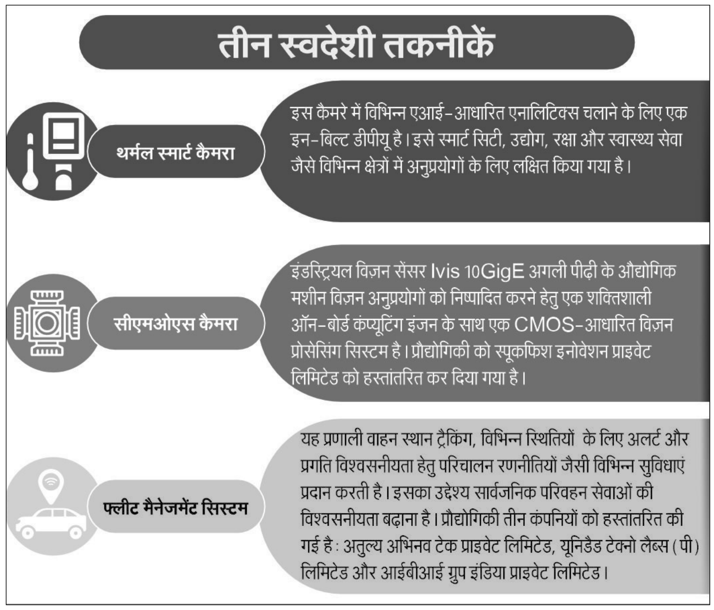

- **महत्व**
  - ✓ इसका लक्ष्य यातायात समस्याओं को कम करके, बुनियादी ढांचे के उपयोग को अनुकूलित करके, उपयोगकर्ताओं को उन्नत यातायात जानकारी प्रदान करके, यात्रा के समय को कम करके और यात्रियों की सुरक्षा और आराम को बढ़ाकर यातायात दक्षता में वृद्धि करना है।

7.8. घूर्णनशील कृष्ण विवर

संदर्भ

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि घूमते हुए ब्लैक होल (Rotating black holes) में एक अनूठी विशेषता पायी जाती है जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है।

घूर्णनशील ब्लैक होल का विवरण

- इसे केर ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है।
- वर्ष 1963 में गणितज्ञ रॉय केर के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो ऐसे घूमने वाले अनावेशित ब्लैक होल के लिए आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशंस को हल करनेवाले पहले व्यक्ति थे।
- इसमें केवल द्रव्यमान और कोणीय गति होती है, विद्युत आवेश का अभाव होता है।
- यह एक **केंद्रीय अक्ष** के चारों ओर घूमता है, और इसकी परिभाषित विशेषता इसकी कोणीय गति है।
- इसमें विद्युत आवेश का अभाव होता है, जो ब्लैक होल का तीसरा संभावित गुण है।

एर्गोस्फीयर

- घूमते हुए ब्लैक होल (केर ब्लैक होल) की एक अनूठी विशेषता होती है: उनके इवेंट होराइजन के बाहर का एक क्षेत्र जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है।

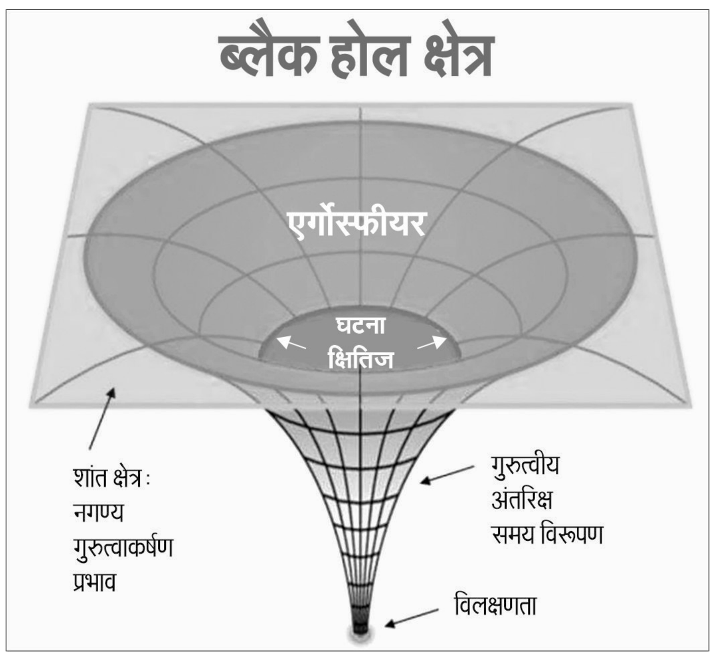

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 96 3/27/2024 1:15:58 PM

- 'एर्गोस्फीयर' लेबल 'एर्गोन' से आया है, जो 'कार्य' के लिए ग्रीक शब्द है। इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एर्गोस्फीयर से पदार्थ और ऊर्जा को निकालना संभव है, लेकिन इवेंट होराइज़न से नहीं।
- इस संभावना का उपयोग करके किसी वस्तु को एर्गोस्फीयर में भेजा जाए और उसे ब्लैक होल के घूमने की दिशा में तीव्रतर (त्वरित) होने की अनुमति दी जाए, ताकि वह तेजी से आगे बढ़ता हुआ बाहर आ सके।
- यह एक ऐसा क्षेत्र है जो इवेंट होराइज़न से परे तक फैला हुआ है, जो पदार्थ और प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देता है, जो संभावित रूप से ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच जाते हैं।
- इसमें पर्याप्त वेग है, जो प्रकाश की गति के बराबर है।
- इस क्षेत्र के भीतर, ब्लैक होल के घूमने के साथ-साथ स्पेसटाइम भी खिंच जाता है।
- एर्गोस्फीयर की पेनरोज़ प्रक्रिया (घूमते हुए ब्लैक होल के एर्गोस्फीयर से ऊर्जा और कोणीय गति निकालने की एक विधि) के माध्यम से ऊर्जा निष्कर्षण की अपनी क्षमता है।

ब्लैक होल

- इसका निर्माण तब होता है जब एक बहुत बड़े तारे का फ्यूज़न हेतु ईंधन खत्म हो जाता है और वे सुपरनोवा में विस्फोटित हो जाते हैं।
- ब्लैक होल का केंद्र एक गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता (एक ऐसा बिंदु जहां सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत टूट जाता है, यानी जहां इसकी भविष्यवाणियां लागू नहीं होती हैं) है।
- **इवेंट होराइज़न** केंद्र बिंदु (सिंगुलरिटी) के चारों ओर एक क्षेत्र का निरूपण करता है: जब कोई भी चीज़ इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वह तब तक बच नहीं सकती जब तक कि वह प्रकाश से अधिक तेज़ न हो (जो असंभव है)।
- गैर-घूर्णन वाले ब्लैक होल (Schwarzschild) [जिसमें एक एर्गोस्फीयर भी होता है] के विपरीत, केर ब्लैक होल अपने घूर्णन के कारण एक बड़ा और अधिक लम्बा एर्गोस्फीयर प्रदर्शित करते हैं।

7.9. भारत की पहली हाइपरवेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT-K) ने भारत की पहली हाइपरवेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा को विकसित करने के साथ-साथ इसका परीक्षण किया है।

भारत की पहली हाइपरवेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा पर एक नजर

- यह **एक 24 मीटर लंबी सुविधा है, जिसका नाम S2 या 'जिगरथंडा' (Jigarthanda) है, जिसे आईआईटी, कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग** के **हाइपरसोनिक प्रायोगिक एयरोडायनेमिक्स प्रयोगशाला** में स्थापित किया गया है।
- यह **एक वायुगतिकीय परीक्षण सुविधा वाला एक एक्सपेंशन टनल** है, जो **किसी विमान के लिए उच्च गति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगण्य या कोई आयनीकरण के साथ उच्च-ऊर्जा परीक्षण स्थितियों** को उत्पन्न करने में सक्षम है।
- **डिजाइन और विकास:**
  - ✓ **स्वदेशी रूप से विकसित:** इसको डिजाइन और विकसित करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर** को तीन वर्षों का समय लगा है।
  - ✓ **वित्तपोषण:** यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार निधि** (Fund for Improvement in S&T Infrastructure-FIST) और **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** के **वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास बोर्ड** द्वारा सहायता प्राप्त है।
- **गति सीमा और क्षमताएँ:**
  - ✓ यह **3 से 10 किमी/सेकेंड के बीच की उड़ान गति उत्पन्न करने** में सक्षम है।
  - ✓ **यह वायुमंडलीय और क्षुद्रग्रह में प्रवेश करने, स्क्रैमजेट उड़ानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के दौरान हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण (नकल) करने में सक्षम है।**
- **महत्व:**
  - ✓ **इसरो और डीआरडीओ की परिपेक्ष्य में:** यह **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन** (इसरो) और **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन** के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है।
  - ✓ **परीक्षण को समर्थन:** यह गगनयान, पुन: प्रयोज्य प्रमोचन यान (Reusable Launch Vehicles-RLV) और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों जैसे चल रहे महत्वपूर्ण मिशनों हेतु परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
  - ✓ **वैश्विक स्थिति:** यह भारत को उन्नत हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमताओं वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल करता है।
  - ✓ **क्षमता में बढ़ोतरी:** यह भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति, उन्नत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देता है।

7.10. हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS)

संदर्भ

हाल ही में, बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला (National Aerospace Laboratories-NAL) ने सौर ऊर्जा से चलनेवाले **'हाई-एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट'** (उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह) का पहला परीक्षण पूरा किया है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 97 3/27/2024 1:15:58 PM

'हाई-एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) का विवरण

- ये मानव रहित हवाई यान होते हैं जो एक निश्चित स्थिति बनाए रख सकते हैं।
- ये **जमीन से 18-20 किमी की ऊंचाई** पर उड़ सकते हैं जो वाणिज्यिक हवाई जहाजों के उड़ान स्तर से लगभग दोगुना है।
- यह **सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यह महीनों, यहां तक कि सालों तक हवा में रह सकता है** और एक उपग्रह के समान सेवा भी दे सकता है।
- पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में काफी लागत प्रभावी है, क्योंकि इसमें रॉकेट लॉन्च की आवश्यकता नहीं होती है।

एचएपीएस की जरूरत

- उच्च-स्थिरता, उच्च-ऊंचाई वाले उड़ान उपकरणों का विकास, **परिवर्तन या गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीमा क्षेत्रों की निरंतर निगरानी** की इच्छा (विशेष रूप से **वर्ष 2017 में डोकलाम गतिरोध के मद्देनजर**) से उत्पन्न हुआ।
- **बैटरी चालित मानवरहित हवाई वाहन और उपग्रहों से लाभः** बैटरी चालित मानवरहित हवाई यान सीमित अवधि के लिए हवा में रह सकते हैं और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों की पड़ताल (scan) कर सकते हैं।
  - ✓ **पृथ्वी की निचली कक्षाओं में रखे गए और पृथ्वी का निरीक्षण करनेवाले उपग्रह** आमतौर पर अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं और लगातार निगरानी नहीं कर पाते हैं।

एचएपीएस के संभावित लाभ

- **खोज और बचाव मिशनः** यह किसी उपग्रह की तुलना में पृथ्वी के करीब से गुजरता है लेकिन अन्य विमानों की तुलना में **स्थानीय क्षेत्र में अधिक आसानी से घूम सकता है (प्रतीक्षा कर सकता है)।** इसका मतलब यह है कि वे खोज और बचाव अभियानों सहित अवलोकन हेतु उत्कृष्ट उपकरण हैं।
- **आपदा राहतः** ये वाहन तात्कालिक स्थिति (live situation) रिपोर्ट दे सकते हैं और यहां तक कि विफल हुए संचार नेटवर्क को भी बदल सकते हैं, जिससे इन्हें आपदा राहत के लिए आदर्श माना जाता है।
  - ✓ ये यान **संभावित लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे न्यूनतम ग्राउंड नेटवर्क बुनियादी ढांचे के साथ सेवाएं प्रदान कर सकते हैं,** जो तब आदर्श हो जाता है जब कोई आपदा सामने आ रही हो या होने की आशंका हो।
  - ✓ ये यान कम समय में डेटा के निरंतर प्रवाह के साथ पर्यावरण निगरानी कर सकते हैं। एचएपीएस एक विशाल क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और संबंधित तत्वों पर नज़र रख सकते हैं।
- **कृषिः** एचएपीएस वाहन **कृषि के लिए ड्रोन की तरह काम करते हैं,** जिससे निगरानी और प्रबंधन की सुविधा मिलती है। वे फिर से विश्वसनीय चित्रण और कम विलंबता के साथ तात्कालिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फसलें यथासंभव उत्पादक हों।
- **समुद्री निगरानीः** ये वाहन समुद्री निगरानी सहित चौकसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका **उपयोग प्रदूषण की निगरानी, पोत का पता लगाने और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए किया जा सकता है।**
- **सैन्य आसूचनाः ये वाहन खोज एवं बचाव और समुद्री निगरानी अनुप्रयोगों से आगे बढ़कर सेना** के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वे पर्याप्त मात्रा में डेटा एकत्र कर सकते हैं, जो उनकी विस्तृत पहुंच और उच्च ऊंचाई के साथ मिलकर सैन्य निगरानी और टोह लेने की सुविधा दे सकता है।

भारत और एचएपीएस

- एचएपीएस तकनीक निरंतर विकासशील तकनीक है और इसका सफल परीक्षण उड़ान भारत को उन देशों के एक बहुत छोटे समूह में स्थान दिलाता है जो वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं।
- बेंगलुरु स्थित एक गहन-तकनीक स्टार्ट-अप **न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज** ने इसी प्रकार का सौर-संचालित यूएवी उड़ाया एवं इसने रक्षा मंत्रालय की रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकसित की है।

एचएपीएस विकसित करने में शामिल देश

- **नासा अपने अन्वेषक श्रृंखला के विमानों** हेतु सौर ऊर्जा से संचालित इंजन का उपयोग कर रहा है।
- विश्व में **चीन, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन** जैसे कुछ अन्य देश हैं जहां इसका विकास हो रहा है। कुछ निजी कंपनियाँ भी एचएपीएस विकसित कर रही हैं, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा हो रहा है।

7.11. लसीका फाइलेरिया

संदर्भ

हाल ही में, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लसीका फाइलेरिया (हाथीपाँव रोग)** को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी **मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA)** अभियान शुरु किया है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 98 3/27/2024 1:15:58 PM

लसीका फाइलेरिया (Lymphatic filariasis)

- यह एक मानव रोग है **जो फाइलेरिया नामक परजीवी कृमियों के कारण होता है।**
- इसके कीड़े लगभग 6-8 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और अपने जीवनकाल के दौरान, लाखों माइक्रोफ़िलारिया (अपरिपक्व लार्वा) पैदा करते हैं जो रक्त में घूमते हैं।
- इसका संक्रमण तब होता है जब **मच्छरों के माध्यम से** लसीका परजीवी **प्रसारित होते हैं**। यह **लसीका प्रणाली को संक्रमित कर सकता है** और **शरीर के अंगों के असामान्य विस्तार का कारण बन सकता है**, जिससे दर्द और गंभीर विकलांगता हो सकती है।
- **कारण:** यह **सूक्ष्म, धागे जैसे कीड़ों के कारण होता है**। ये धागे जैसे फाइलेरिया कृमि निम्न तीन प्रकार के होते हैं:
  - ✓ **वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी,** जो 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
  - ✓ **ब्रुगिया मलयी,** जो शेष अधिकांश मामलों का कारण बनता है।
  - ✓ **ब्रुगिया टिमोरी,** यह भी रोग का कारण बनता है।

राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान
• इसमें पूरी आबादी या भौगोलिक क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को उपचार देना शामिल है। • यह पहल उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (DTN) के नियंत्रण और उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। • भारत वैश्विक लक्ष्य से तीन साल पहले (वर्ष 2027 तक) लसीका फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- इसे **विश्व स्तर पर एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) माना जाता है।**
- यह दुनिया भर में स्थायी विकलांगता का एक प्रमुख कारण है।
- **प्रभावित अंग:** यह लिम्फ नोड्स और लिम्फ वाहिकाओं को प्रभावित करता है।
- **लक्षण:** बुखार; वृषण और/या जननांग दर्द; त्वचा हटाना; अंग या जननांग में सूजन।

भारत में लसीका फाइलेरिया वाले क्षेत्र

- भारत में, हाथीपाँव रोग निम्न 11 स्थानिक (क्षेत्र विशेष) राज्यों में प्रचलित है: असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात।

इलाज

- इसके इलाज और इसके संचरण को रोकने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), लसीका फाइलेरिया के खिलाफ एमडीए के लिए आइवरमेक्टिन (I), डायथाइलकार्बामाज़िन (D) और एल्बेंडाजोल (A) के तिहरे थेरेपी संयोजन की सिफारिश करता है।**

- लसीका फाइलेरिया-स्थानिक क्षेत्रों में 65 प्रतिशत से अधिक आबादी को शामिल करते हुए एमडीए के कई दौर चलाने से इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

भारत की पहल

- केंद्रीय **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्ष 2027 तक लसीका फाइलेरिया को समाप्त करने** के उद्देश्य से एक उन्नत **पांच-स्तरीय रणनीति प्रस्तुत की है।**
  - ✓ जिनमें से एक महत्वपूर्ण रणनीति 'मिशन मोड इंडिया एमडीए अभियान' राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) है जिसे वर्ष में दो बार (10 फरवरी और 10 अगस्त) को मनाया जाता है।
- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** भारत जनभागीदारी (सार्वजनिक भागीदारी) और एक व्यापक "संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण के माध्यम से एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण भी अपना रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय पहल

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन का लसीका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम (GPELF):**
  - ✓ सभी स्थानिक देशों में पोस्ट-मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) निगरानी के माध्यम से लसीका फाइलेरिया को खत्म करना।
  - ✓ इसका अंतिम लक्ष्य एमडीए की आवश्यकता वाली आबादी को शून्य तक कम करना है, जिसका लक्ष्य संक्रमण के प्रसार को रोकना और प्रभावित लोगों को आवश्यक देखभाल प्रदान करना है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा** 2021-2030 लसीका फाइलेरिया सहित **20 बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन या पूर्णरूप से समाप्त करने के लिए वैश्विक लक्ष्यों और गंतव्य की रूपरेखा तैयार करता है।**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 99 3/27/2024 1:15:59 PM

7.12. क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (KFD)

संदर्भ

हाल ही में, **कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (Kyasanur Forest Disease- KFD) की व्यापकता** की जाँच करने हेतु **लगभग 2500 परीक्षण किया।**

क्यासानूर वन रोग (KFD)

- यह क्यासानूर वन रोग वायरस (KFDV) के कारण होता है, जो फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का एक सदस्य है।
- पहली बार वर्ष 1956 में शिवमोग्गा जिले के सोरब तालुक के क्यासानूर वन क्षेत्र में देखा गया और इस क्षेत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया।
- इसे आमतौर पर बंदर बुखार (monkey fever) के रूप में जाना जाता है क्योंकि बंदर भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। बंदर की मौत को संभावित केएफडी प्रकोप का चेतावनी संकेत माना जाता है।
- मामला-मृत्यु दर: अनुमानित मामला-मृत्यु दर 3% से 5% तक होती है।
- **प्रसार:**
  - ✓ यह मुख्य रूप से वन टिक 'हेमाफिसैलिस स्पिनिगेरा' के माध्यम से होता है।
  - ✓ कोई स्थापित व्यक्ति-से-व्यक्ति संचरण का साक्ष्य नहीं।

  - ✓ बकरी, गाय और भेड़ जैसे बड़े जानवर संक्रमित हो सकते हैं लेकिन रोग संचरण में सीमित भूमिका निभाते हैं।
  - ✓ बिना पाश्चुरीकृत दूध के माध्यम से संचरण का कोई सबूत नहीं।
- **लक्षण:**
  - ✓ संक्रामक टिक काटने के तीन से आठ दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, लाल आँखें, गंभीर सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल हैं।
  - ✓ प्रारंभिक लक्षणों की शुरुआत के तीन-चार दिन बाद, रोगी को मांसपेशियों में गंभीर दर्द, उल्टी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं और रक्तस्राव की समस्याएं हो सकती हैं।
  - ✓ कुछ लोगों के लिए द्विध्रुवीय बीमारी, तीसरे सप्ताह में लक्षणों की दूसरी लहर के साथ, जिसमें तंत्रिका संबंधी लक्षण भी शामिल हैं।
- **निदान:** बीमारी के प्रारंभिक चरण में पीसीआर द्वारा आणविक पहचान या रक्त से वायरस को अलग करके निदान किया जा सकता है। बाद में, एंजाइम-लिंक्ड इम्युनोसॉरबेंट सीरोलॉजिकल परख (एलिसा) का उपयोग करके सीरोलॉजिकल परीक्षण किया जा सकता है।
- **भौगोलिक प्रसार:** मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित दक्षिणी भारत में।
- **फैलने का समय:** मानव-टिक संपर्क में वृद्धि के कारण शुष्क मौसम (नवंबर से जून) के दौरान चरम पर होता है।
- **उपचार:**
  - ✓ कोई विशिष्ट उपचार नहीं, लेकिन शीघ्र अस्पताल में भर्ती होना और सहायक चिकित्सा महत्वपूर्ण है।
  - ✓ सहायक चिकित्सा में रक्तस्राव विकारों वाले रोगियों के लिए जलयोजन (शरीर को हाइड्रेट) रख-रखाव और सावधानियां शामिल हैं।
- **संक्रमण से बचने के उपाय:**
  - ✓ वन विभाग जंगल में जाने वाले परिवारों को डीईपीए तेल, एक टिक विकर्षक, वितरित करता है।
  - ✓ टिक्स से सुरक्षा के लिए लक्षण युक्त त्वचा पर डीईपीए तेल लगाया जाना चाहिए।
  - ✓ राज्य सरकार केएफडी रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करती है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 100 3/27/2024 1:15:59 PM

8.2. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के सीमा रक्षा गांव

संदर्भ

हाल ही में, चीन के नागरिकों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ लगी चीन की सीमा पर **'ज़ियाओकांग' सीमा रक्षा गांवों** में रहना शुरू कर दिया है।

विवरण

- वर्ष 2019 से ही चीन **वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) पर गांवों का निर्माण कर रहा है।** हालाँकि, ये गाँव अभी तक खाली थे।
- पिछले कुछ महीनों में, **ज़ियाओकांग (Xiaokang)** के निवासियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के किनारे स्थित गांवों में से कुछ पर **(विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में लोहित घाटी और तवांग सेक्टर के पार)** कब्जा करना शुरू कर दिया है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा

- यह उस सीमा के रूप में कार्य करती है जो **भारत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र से अलग** करती है।
- भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई लगभग 3,488 कि.मी. मानता है, जबकि चीन का कहना है कि यह केवल 2,000 किमी के आसपास है।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा को तीन सेक्टरों में वर्गीकृत किया गया है: **पूर्वी सेक्टर** अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है, **मध्य सेक्टर** उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थित है और **पश्चिमी सेक्टर** लद्दाख में स्थित है।

ज़ियाओकांग सीमा रक्षा गांव

- पिछले पांच वर्षों से, चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगे भारत की सीमा पर **628 समृद्ध गांवों का निर्माण कर रहा है, जिन्हें ज़ियाओकांग गांवों** के रूप में जाना जाता है।
- ये गांव **वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार बसे हुए हैं, जिनमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं।**
- ये निर्माण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की **"सीमावर्ती क्षेत्रों के शासन हेतु तिब्बत को स्थापित करने" की रणनीति और 'ज़ियाओकांग या मध्यम रूप से संपन्न'** समाज के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के आधार पर किए गए हैं।
- **संरचनाएँ:** इसमें अधिकतर दो मंजिला, बड़ी और विशाल इमारतें शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** गांवों का उद्देश्य नागरिक और सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करना है। वे सीमा पर बफर और निगरानी चौकियों के रूप में कार्य करेंगे और घुसपैठ को रोकने में मदद करेंगे।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम

- गृह मंत्रालय के अधीन संचालित **वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP)** अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख राज्यों की उत्तरी सीमा पर 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
- यह **हब एंड स्पोक मॉडल"** का उपयोग करके विकास केंद्रों के विकास करने, सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देता है।
- **उद्देश्य: चिह्नित सीमावर्ती गांवों में निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता** में सुधार करना, पिछड़ेपन, निरक्षरता एवं बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्या को दूर करना।
- **पलायन को रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना।**

सीमाओं को सुरक्षित करने की होड़

भारत

- दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे, न्योमा, टूटिंग, मेचूका, अलोंग, ज़ीरो, पासीघाट, विजय नगर में उन्नत हवाई क्षेत्र
- नई सड़कों में अरुणाचल में 1,800 किमी लंबा फ्रंटियर हाईवे, तवांग को गुवाहाटी से जोड़नेवाली सेला सुरंग सड़क परियोजना, बालीपारा-चारद्वार-तवांग (बीसीटी) सड़क, लद्दाख का चिसुमले-डेमचोक रोड शामिल हैं।
- नई रेलवे : 200 कि.मी लंबी भालुकपोंग-तवांग लाइन, 87 किमी लंबी सिलापाथर (असम)-अलोंग लाइन, 217 किमी रुपाई (असम)-पासीघाट लाइन
- अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख में 2,967 सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम

चीन

- वर्ष 2017 से तिब्बत और शिनजियांग में 36 हवाई अड्डों और हेलीपैड का निर्माण, उन्नयन; विस्तारित रनवे, नगारी बुरांग, शिगात्से तिंगरी में ब्लास्ट पेन, ल्हासा-गोंगगर हवाई अड्डे
- मिसाइल साइलो और साइटें, सैन्य यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयां, फ्रंटलाइन फाइटर जेट की तैनाती
- निर्माणाधीन झिंजियांग-तिब्बत G695 राजमार्ग जैसी सड़कें, जो अक्साई चिन, देपसांग मैदान, गलवान घाटी से होकर गुजरती हैं।
- तिब्बत-युन्नान रेलवे के खंडों को तिब्बत-सिचुआन, तिब्बत-झिंजियांग नेटवर्क से जोड़ा जाएगा
- सीमा के पास ज़ियाओकांग गांवों का निर्माण

चीन का रणनीतिक बुनियादी ढांचा अभियान और इसके लिए भारत के कदम

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 101 3/27/2024 1:16:00 PM

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए सीमांत राजमार्ग और सीमा सम्पर्क सुविधा सुधार जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है।
- **सामरिक साझेदारी:** प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और भारत-नेपाल बिजली समझौता हिंद महासागर और नेपाल में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने एवं क्षेत्रीय भागीदारों के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करता है।
- **वैकल्पिक मार्ग: कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट** जैसी परियोजनाएं भारत को अतिसंवेदनशील **चिकन नेक कॉरिडोर** को बायपास करने (उपमार्ग चलाने) के लिए सामरिक विकल्प प्रदान करती हैं, जिससे चीन-नियंत्रित मार्गों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- इस बहु-आयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य चीनी आक्रामकता को रोकना, भारत की सामरिक मौजूदगी को मजबूत करना और चीन के विस्तारवादी कार्यक्रम का मुकाबला करने हेतु क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना है।

8.1. वोल्ट टाइफून

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी न्याय विभाग और एफबीआई ने **वोल्ट टाइफून** नामक एक बड़े **चीनी साइबर-जासूसी अभियान को नाकाम** कर दिया।

वोल्ट टाइफून क्या है?

- यह चीन द्वारा राज्य प्रायोजित एक हैकिंग संगठन है, जो संभवतः वर्ष 2021 से सक्रिय है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य सूचना एकत्र करना और प्रतिरोधक खुफिया जानकारी प्राप्त करना है।

लक्ष्य

- इसने गुआम सहित पूरे अमेरिका में महत्वपूर्ण अवसंरचना संगठनों को लक्षित किया है।
- खुफिया अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि **वोल्ट टाइफून** नौसैना बेस, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और उपयोगिताओं सहित पश्चिमी देशों की अवसंरचना को निशाना बना रहा है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश पीड़ितों द्वारा इसके प्रभाव को रोकने हेतु आरंभिक साधनों का इस्तेमाल बहुत ही कम है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना
• यह प्रणाली, नेटवर्क और सार्वजनिक कार्यों का एक समूह है, जिसे सरकार अपने कार्यों के संचालन और अपने लोगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक मानती है।

प्रारंभिक पहुँच रणनीति

- वोल्ट टाइफून हमले का स्वरूप सार्वजनिक स्तर पर उपयोग होने वाले उपकरणों या सेवाओं पर नियंत्रण पाने से शुरू होता है।

संचालन तरीका

- हमले करने वाले कुछ नेटवर्कों से संचार को किसी स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए छोटे कार्यालय/घरेलू कार्यालय (SOHO) के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं।
- **वे निम्नांकित हेतु कमांड लाइन का उपयोग करते हैं:**
  - ✓ स्थानीय और नेटवर्क मशीनों से **डेटा, विशेष रूप से जानकारी एकत्र करना और इसके एक्सफ़िल्ट्रेशन हेतु एक संग्रह फ़ाइल में सहेजना।**
  - ✓ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, चुराए गए वैध डाटा का उपयोग करना।
- वोल्ट टाइफून एक मूक ऑपरेटर होता है, जो आवासीय राउटर जैसे हैक किए गए नेटवर्क उपकरणों के माध्यम से ट्रैफ़िक को रूट करता है, तथा इसका लक्ष्य लॉग से घुसपैठ के सबूतों को सावधानीपूर्वक हटा देता है।

विशेषताएं

- वोल्ट टाइफून छद्म रणनीति पर काम करता है, जो पहचान में न आने के लिए आसानी से उपलब्ध टूल और मैन्युअल कमांड पर निर्भर होता है।
- गोपनीयता वोल्ट टाइफून की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह काफी कम निशान छोड़कर, वैध उपकरणों और मैन्युअल इंटरैक्शन का उपयोग करके इसके पता लगने को अवरोध करते हैं।

अटैक का स्वरूप

- वोल्ट टाइफून एक रणनीतिक अनुक्रम में स्थानीय और नेटवर्क सिस्टम से साख को चुराकर सावधानीपूर्वक जानकारी एकत्र करता है।
- वोल्ट टाइफून की अटैक विधि को व्यवस्थित रूप से स्थानीय और नेटवर्क स्रोतों से डाटा को पुनर्प्राप्त करती है।

ट्रैफिक का प्रच्छादन

- कोई डिजिटल निशान नहीं छोड़ते हुए, वोल्ट टाइफून छद्म (ghost) नेटवर्क के माध्यम से, छेड़छाड़ किए गए घरेलू राउटर के अंदर अपने दुर्भावनापूर्ण आवागमन को छिपाते हैं।
- वोल्ट टाइफून एक बहुरूपिया की तरह (जो किसी भी परिवेश में घुल-मिल जाता है) हैक किए गए घरेलू राउटरों के माध्यम से ट्रैफ़िक को रूट करके, अधिकतम गोपनीयता हेतु उनके पथ को नष्ट करके अपने हमलों को छुपाता है।

पहचानने में चुनौतियाँ

- प्रतिरक्षकों को काफी कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वोल्ट टाइफून पहले से स्थापित टूल और छेड़छाड़ किए गए नेटवर्क उपकरण का उपयोग करके वैध गतिविधि के साथ सहजता से मिश्रित होता है।
- वोल्ट टाइफून की रणनीति के चतुर मिश्रण, अंतर्निहित उपयोगिताओं और हैक किए गए अवसंरचना का लाभ उठाने के कारण प्रतिरक्षकों के लिए सुचिता पूर्ण ट्रैफिक को दुर्भावना वाले ट्रैफिक से अलग करना लगभग असंभव कार्य बन जाता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 102 3/27/2024 1:16:08 PM

9.1. बाल अश्लीलता

संदर्भ

हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक याचिका को रद्द कर दिया और माना कि बाल अश्लीलता (child pornography) डाउनलोड करना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की **धारा 67B** के तहत अपराध नहीं है।

विवरण

- उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाल अश्लीलता (child pornography) देखना अपने आप में कोई अपराध नहीं है क्योंकि आरोपी ने इसे केवल अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर डाउनलोड किया था और निजी तौर पर देखा था।

बाल अश्लीलता/बाल यौन शोषण सामग्री
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) "बाल अश्लीलता" को किसी बच्चे से जुड़े स्पष्ट यौन आचरण के किसी भी दृश्य चित्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी बच्चे की कोई तस्वीर, वास्तविक बच्चे का अविवेच्य वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर-जनित छवि और कोई बनाई गई, अनुकूलित या संशोधित छवि (जिसमें कोई बच्चा प्रकट होता हो) शामिल होती है।

- आरोपी के मोबाइल फोन पर बाल अश्लीलता से संबंधित दो फाइलें डाउनलोड की गई थीं, जो **आईटी अधिनियम की धारा 67B(B)** लगाने हेतु पर्याप्त हैं, उच्च न्यायालय ने माना कि अपराध को मानने के लिए, आरोपी द्वारा अनिवार्य रूप से बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री प्रकाशित, प्रसारित और निर्मित किया गया होना चाहिए।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्यायिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482** के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया।
  - ✓ **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल वाद (1992)** में, उच्चतम न्यायालय ने **सीआरपीसी (CrPC) की धारा 482 (या अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों)** के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है जहां प्राथमिकी (FIR) में लगाए गए आरोप, भले ही तात्कालिक परिस्थितियों से संबंधित हों और पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों, अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

IT अधिनियम 2000

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67B:** इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्यों आदि में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके निम्न पाँच उप-खंड हैं:
  - **a.** स्पष्ट यौन कृत्यों या आचरण में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित।
  - **b.** यह साहित्य या डिजिटल चित्र बनाने, बच्चों को अश्लील या असभ्य या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करने वाली सामग्री एकत्र करने, ब्राउजिंग करने, डाउनलोड करने, विज्ञापन करने या वितरित करने सहित कार्यों से संबंधित है।
  - **c.** यह धारा बच्चों को ऑनलाइन स्पष्ट यौन संबंधों के लिए विकसित करने, लुभाने या प्रेरित करने के बारे में बात करती है।
  - **d.** यह बच्चों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार (शोषण) में सहायता से संबंधित है।
  - **e.** इसमें बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित स्वयं के दुर्व्यवहार या दूसरों के दुर्व्यवहार की रिकॉर्डिंग के बारे में बात कही गई है।
- **पॉक्सो अधिनियम, 2012:** इस अधिनियम को बच्चों को यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने और ऐसे अपराधों और संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करने का प्रावधान करने हेतु अधिनियमित किया गया है।
  - ✓ अधिनियम की **धारा 14** में किसी बच्चे का उपयोग अश्लील उद्देश्यों के लिए करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
  - ✓ **धारा 15** बाल अश्लील सामग्री के भंडारण या साथ रखने को केवल तभी दंडित करती है जब यह साझा करने या प्रसारित करने या प्रदर्शित करने या वितरित करने या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है।

बाल अश्लीलता से निपटने हेतु सरकार की पहल

- यह **आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म** को उनकी सुरक्षा के लिए जवाबदेह बनाते हैं।
  - ✓ नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMIs) को बाल यौन शोषण सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करने का प्रयास करने की भी आवश्यकता है।
- सरकार समय-समय पर भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के माध्यम से प्राप्त **इंटरपोल की "सबसे खराब सूची" के आधार पर अत्यधिक बाल यौन शोषण सामग्री वाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर देती है।**
- बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ लड़ने के लिए सीबीआई द्वारा **ऑपरेशन मेघ चक्र** और **ऑपरेशन कार्बन** जैसे कई अभियान चलाये गए हैं।
- **कमलेश वासवानी वाद (2013)** के कारण नौ (डोमेन) URL को अक्षम कर दिया गया, जो **संविधान के अनुच्छेद 19(2)** के नैतिकता

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 103 3/27/2024 1:16:08 PM

और शालीनता खंड का उल्लंघन करने वाली सामग्री प्रदर्शित करते थे।

- **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** एक **सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (ISEA)** कार्यक्रम के माध्यम से, इंटरनेट का उपयोग करते समय डिजिटल सुरक्षा के महत्व के संबंध में उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है।
- सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को **इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF)**, ब्रिटेन और कनाडा में बाल यौन शोषण सामग्री वाली वेबसाइटों की सूची को गतिशील आधार पर लागू करने और बाल अश्लीलता वाली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया।
- **राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) ने पॉक्सो अधिनियम 2012** पर सूचना और जागरूकता फैलाने में केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री विकसित की है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के **नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC)** के साथ एक समझौते के तहत **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (BRCN)** को भारत में कहीं से भी बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करनेवालों पर मुकदमा चलाने के लिए नियमित रूप से जियो-टैग **साइबर टिपलाइन** रिपोर्ट मिलती है।
  - ✓ नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन एक निजी, गैर-लाभकारी संगठन है जो लापता बच्चों को ढूंढने, बच्चों के उत्पीड़न को रोकने और बाल यौन शोषण के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने में मदद करता है।

बाल अश्लीलता से निपटने में चुनौतियाँ

- **कम दोषसिद्धि दर:** पिछले कुछ वर्षों में, पॉक्सो अधिनियम के तहत औसत सजा दर केवल 34% है, जबकि 90% मामले चिंताजनक रूप से लंबित हैं।
- **जागरूकता का आभाव:** ऐसे दुर्व्यवहार से जुड़े सामाजिक कलंक और शर्म के कारण बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों की कम रिपोर्टिंग की जाती है।
- **यौन शिक्षा का अभाव:** भारतीय समाज में बच्चों के लिए यौन शिक्षा आज भी वर्जित मानी जाती है। यह यौन शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियाँ:** प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे कूटलेखन और अनामीकरण उपकरण, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बाल यौन शोषण सामग्री का पता लगाने और उससे निपटने के प्रयासों को और जटिल बनाते हैं।
- **जागरूकता की कमी:** बाल पोर्नोग्राफी की गंभीरता और व्यापकता के बारे में आम जनता, माता-पिता और यहां तक कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अभी भी जागरूकता का अभाव है।
  - ✓ साथ ही, बच्चों और किशोरों सहित कई उपयोगकर्ताओं को बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े जोखिमों या ऑनलाइन अवैध सामग्री की पहचान और रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में जानकारी की कमी हो सकती है।

आगे की राह

- भारत को **इनहोप (INHOPE) में शामिल होने** और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए इंटरपोल के सुरक्षित आईटी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने हेतु अपनी हॉटलाइन स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
  - ✓ **इनहोप (INHOPE)** एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें 46 सदस्य देशों में 50 हॉटलाइन शामिल हैं, जो लोगों को गुमनाम रूप से बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- सोशल मीडिया पर अश्लीलता और बच्चों तथा समाज पर इसके प्रभाव से संबंधित **जयराम रमेश समिति** की सिफारिशों को उचित रूप में लागू किया जाना चाहिए।
- पॉक्सो और आईटी अधिनियम के बीच विसंगति को दूर करते हुए, केवल बाल यौन शोषण सामग्री रखने को एक अलग अपराध बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने हेतु पॉक्सो अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।
- कानूनी ढांचे और मानकों के कार्यान्वयन को बेहतर करने हेतु माता-पिता, स्कूल, समुदाय, कानून प्रवर्तन आदि जैसे सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक मजबूत पहुंच प्रणाली की स्थापना करना।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 104 3/27/2024 1:16:16 PM

निष्कर्ष

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के अनुसार, "हर बच्चा मायने रखता है। यदि हम उन्हें विफल करते हैं, तो हम स्वयं विफल हो जाते हैं।" इस प्रकार, भारत की प्रगति उसके बच्चों की रक्षा, सुरक्षा और विकास से अविभाज्य है।

9.2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण

संदर्भ

उच्चतम न्यायालय इस मामले पर सुनवाई कर रहा है कि क्या आरक्षण नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (TS) को उपवर्गीकृत किया जा सकता है।

विवरण

- उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की **संविधान पीठ ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004)** मामले में अपने फैसले की वैधता की जांच कर रही है, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति एक **समरूप समूह** बनाते हैं और उनके बीच कोई उप-विभाजन नहीं हो सकता है।
  - ✓ पीठ ने यह भी माना कि अनुच्छेद 341, राज्य सरकारों को उप-वर्गीकरण सहित राष्ट्रपति सूची में 'हस्तक्षेप' या 'संशोधन' करने से रोकता है।
- पीठ इस बात की जांच कर रही है कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के मामले की तरह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या राज्य विधानमंडल इस कार्य को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम हैं।
- **उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण:** आरक्षण नीति "मूलभूत और विकासशील होनी चाहिए, स्थिर नहीं"। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं देने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां उनमें से "उन्नत" लोग "सभी लाभ हड़प लेंगे"।
  - ✓ **वर्ष 2020 के दविंदर सिंह मामले** में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसने सिफारिश की कि एक बड़ी संवैधानिक पीठ इस मामले पर आगे का फैसला दे।
- **सरकार का दृष्टिकोण:** केंद्र सरकार ने भी ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किए गए लोगों को लाभ पहुंचाने और अमीरों से गरीबों की ओर धन प्रवाह (trickle-down effect) सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को साकार करने और इसके महत्व पर जोर देने हेतु इस उप-वर्गीकरण का समर्थन किया है।

उप-वर्गीकरण क्या है?

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में ऐसी विविध जातियाँ शामिल हैं जिनकी प्रकृति समरूप नहीं हैं।
- आरक्षण नीतियों के बावजूद इन श्रेणियों में कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है।
- कई रिपोर्टों ने लगातार अनुसूचित जाति/जनजाति के भीतर इस असमानता को रेखांकित किया है, जिससे श्रेणियों के भीतर विशेष कोटा स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं।
- "क्रीमी लेयर" की अवधारणा आरक्षण लाभ के लिए पात्र लोगों पर आय सीमा लगाती है।
  - ✓ इसे पारंपरिक रूप से अन्य पिछड़ी जातियों (OBCs) पर लागू किया जाता है, "क्रीमी लेयर" अवधारणा को वर्ष 2018 में पहली बार अनुसूचित जातियों के भीतर पदोन्नति तक बढ़ाया गया था।

उप-वर्गीकरण के समर्थन में तर्क

कल्याणकारी राज्य का दायित्व: एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, भारत को वंचित वर्गों का उत्थान करना होगा और सामाजिक असमानताओं को मिटाना होगा।

असमानताओं को दूर करना: आरक्षण कभी-कभी आरक्षित जातियों के भीतर असमानताएं पैदा कर सकता है। उप-वर्गीकरण राज्य को इन आंतरिक असमानताओं को दूर करने और वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने की सुविधा देता है।

न्याय: उप-वर्गीकरण इन समूहों के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को तरजीही उपचार प्रदान कर सकता है, जो श्कमजोरों में से सबसे कमजोरश के उत्थान के सिद्धांत के अनुरूप है।

आरक्षण का विकास: संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को एक स्थायी उपाय के रूप में नहीं देखा, उप-वर्गीकरण जैसे उपायों के माध्यम से अनुकूलन की आवश्यकता का संकेत देता है।

समानता का अधिकार: उप-वर्गीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप असमान समूहों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है, जिससे समानता का मौलिक अधिकार नष्ट हो सकता है।

समूहों के भीतर विविधता: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के भीतर महत्वपूर्ण विविधताएँ मौजूद हैं, जिससे विविध आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनुरूप उपायों की आवश्यकता होती है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 105 3/27/2024 1:16:24 PM

उप-वर्गीकरण के समर्थन में तर्क

- **कल्याणकारी राज्य का दायित्व:** एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, भारत को वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए और सामाजिक असमानताओं को मिटाना चाहिए।
- **असमानताओं को दूर करना:** आरक्षण कभी-कभी आरक्षित जातियों के भीतर असमानताएं पैदा कर सकता है। उप-वर्गीकरण सरकार को इन आंतरिक असमानताओं को दूर करने और वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।
- **न्याय:** उप-वर्गीकरण इन समूहों के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर रहनेवाले लोगों को तरजीही व्यवस्था प्रदान कर सकता है, जो **"कमज़ोरों में से भी सबसे कमज़ोर" का उत्थान** के सिद्धांत के अनुरूप है।
- **आरक्षण का विकास:** संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को एक स्थायी उपाय के रूप में नहीं देखा, जो उप-वर्गीकरण जैसे उपायों के माध्यम से अनुकूलन की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **समानता का अधिकार:** उप-वर्गीकरण से इनकार के परिणामस्वरूप असमान समूहों के साथ समान व्यवहार हो, जो समानता का मौलिक अधिकार को असफल बनाता है।
- **समूहों के भीतर विविधता:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में महत्वपूर्ण विविधताएं मौजूद हैं, जिससे विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है।

उप-वर्गीकरण के विरुद्ध तर्क

- पारंपरिक पिछड़ापन मानदंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों (जिन्होंने ऐतिहासिक उत्पीड़न और भेदभाव को सहन किया है) के सामने आनेवाली अनूठी चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकते हैं।
- अनुसूचित जाति ऐतिहासिक अस्पृश्यता के अपने लंबे अनुभव के कारण विशेष व्यवस्था की पात्र हैं, जिन्हें वर्गीकरण के बिना सुरक्षात्मक उपायों का अधिकार है।
- **एन.एम. थॉमस बनाम केरल राज्य मामले** में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति को एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया। यह उन्हें और अधिक उप-विभाजित करने के बजाय एकीकृत संस्थाओं के रूप में मानने के महत्व को रेखांकित करता है।
- उप-वर्गीकरण से राजनीतिक शोषण का खतरा है, जिससे संभावित रूप से चुनावी लाभ के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मतदाता समूहों में हेरफेर हो सकता है, जिससे सामाजिक न्याय का वास्तविक लक्ष्य कमजोर हो सकता है।

भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

विधानमंडलों में आरक्षण

- **संविधान का भाग XVI** संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 330 और 332** क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान
• **संवैधानिक शक्ति:** अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति को क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान करने की शक्ति है।
• **राष्ट्रपति की अधिसूचना:** अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, राष्ट्रपति की सूची में कोई भी अतिरिक्त संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है और राज्य विधानसभाओं के पास इस संबंध में कोई शक्ति नहीं है।
• **राज्यवार भिन्नता:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में पदनाम सामाजिक-आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच भिन्न हो सकते हैं।

सरकारी सेवाओं में आरक्षण

- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4)** राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने का अधिकार देते हैं।
- **संविधान का 77वां संशोधन अधिनियम, 1995 ने अनुच्छेद 16(4A)** पेश किया, जो पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
- इसके बाद, **संविधान का 85वां संशोधन अधिनियम, 2001** ने पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए खंड (4A) को संशोधित किया।
- **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला**
  - ✓ पदोन्नति में आरक्षण संबंधी अनुच्छेद 16(4A) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  - ✓ वैध आरक्षण नीतियों के लिए निम्न तीन संवैधानिक आवश्यकताएँ स्थापित की गईं:
    - ■ एससी और एसटी समुदायों का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन।
    - ■ सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
    - ■ आरक्षण नीति को प्रशासन की समग्र दक्षता से समझौता नहीं करना चाहिए।
- **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला**
  - ✓ पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
  - ✓ न्यायालय ने पुष्टि की कि क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर लागू है।
  - ✓ राज्य अपने समुदाय के भीतर क्रीमी लेयर से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं।

रिक्त पदों को भरना

- संविधान के **81वें संशोधन अधिनियम, 2000 में अनुच्छेद 16(4B)**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 106 3/27/2024 1:16:24 PM

जोड़ा गया, जिससे राज्य को पचास प्रतिशत आरक्षण सीमा को दरकिनार करते हुए अगले वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की अनुमति मिल गई।

स्थानीय शासन में आरक्षण

- **अनुच्छेद 243D** प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 233T** प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

निष्कर्ष

आरक्षण के माध्यम से उपलब्ध लाभ सीमित हैं और इनके तर्कसंगत पुनर्वितरण की आवश्यकता है। आरक्षण नीति को "जीवंतता और विकासवादी" बनाने के लिए उप-वर्गीकरण आवश्यक है। आरक्षण नीति को बदलती सामाजिक गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाना चाहिए; तभी यह अपने व्यापक अर्थों में 'समावेश' के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होगी।

9.3. ग्रामीण भारत में स्वच्छता चमत्कार

संदर्भ

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि **भारत के लगभग 85% गांवों ने खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस)** का दर्जा हासिल कर लिया है।

ग्रामीण भारत में स्वच्छता की स्थिति

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में स्वच्छता पहुंच **वर्ष 2014 में 39% से बढ़कर वर्ष 2019 में 100% हो गया।**
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के दूसरे चरण के तहत, सरकार का लक्ष्य **वर्ष 2024-25 तक भारत को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलना है**। भारत के लगभग 85% गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है।
- **राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) – चरण-3** (2019-20) से पता चला कि 95% ग्रामीण आबादी जिनके पास शौचालय की सुविधा थी, उनमें से 79% के पास अपने शौचालय थे, 14% साझा शौचालयों का उपयोग करते थे और 1% सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करते थे। शौचालय. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इनमें से 96% शौचालय काम कर रहे थे और उनमें पानी की सुविधा थी।
- हालाँकि, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि **केवल 85% ग्रामीण आबादी सुरक्षित, कार्यात्मक और स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करती है,** जिससे शौचालय की पहुंच और उपयोग के बीच 10% अंतर का पता चलता है।
- NARSS-3 से यह भी पता चला कि शौचालयों तक पहुंच उच्च जातियों (97%) के लिए सबसे अधिक और अनुसूचित जातियों (95%) के लिए सबसे कम थी।

ओडीएफ और ओडीएफ प्लस

- किसी शहर/वार्ड को ओडीएफ शहर/ओडीएफ वार्ड के रूप में तब अधिसूचित/घोषित किया जा सकता है, यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है।
- ओडीएफ प्लस गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बरकरार रखा है।
- आज तक, 2.96 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है, जो वर्ष 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण II के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में स्वच्छता पहुंच से जुड़ी समस्या

- **घरेलू आकार और सामाजिक मानदंड**
  - ✓ **बड़े घर:** घर का आकार जितना बड़ा होगा, शौचालय का उपयोग न करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अत्यधिक भीड़भाड़

भारत में स्वच्छता कार्यक्रम का विकास

सीआरएसपी 1986	• केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP) ग्रामीण स्वच्छता के लिए भारत का पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। • यह कार्यक्रम आपूर्ति-संचालित, अत्यधिक सब्सिडी वाला था और शौचालय निर्माण पर जोर देता था।
टीएससी 1999	• सीआरएसपी के पुनरुद्धार के रूप में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) शुरू किया गया। • इसका उद्देश्य 2012 तक सभी के लिए शौचालय तक पहुंच सुनिश्चित करके स्वच्छता पहुंच में तेजी लाना था।
निर्मल भारत अभियान 2012	• इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण घरों में शौचालयों की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना था, वर्ष 2022 तक 100% पहुंच का लक्ष्य रखा गया था। • यह मनरेगा के साथ जुड़ने वाला पहला कार्यक्रम था।
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	• 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को पूरे देश में शुरू किया गया था। • इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करना था।
एसबीएम चरण II	• स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण 2024-25 तक दृश्य स्वच्छता लाने और सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलने के लिए वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था।

और सामाजिक मानदंड घर के सभी सदस्यों को एक ही शौचालय का उपयोग करने से रोकते हैं।
  - ✓ **अलग बाथरूम:** यदि किसी घर में अलग बाथरूम है तो शौचालय के उपयोग की संभावना भी कम हो जाती है।
  - ✓ **एसबीएम-जी का चरण II:** बड़े घरों में एकाधिक शौचालयों या संलग्न बाथरूमों के प्रावधानों का अभाव, संभावित रूप से पूर्ण रूप से उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- **सीमित जल पहुंच**

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 107 3/27/2024 1:16:24 PM

✓ **पानी की कम पहुंच:** शौचालय उपलब्ध होने पर भी, उचित स्वच्छता के लिए अपर्याप्त पानी इसके उपयोग में बाधा डालता है।

- **सामाजिक प्रणाली और जातिगत गतिशीलता**
  ✓ **सामाजिक प्रभाव:** सामाजिक प्रणाली स्वच्छता उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ मामलों में, ऊंची जातियां निचली जातियों पर स्वच्छता मानदंडों को लागू करनेवाले «बिचौलिये" के रूप में कार्य करती हैं, जिससे शक्ति असंतुलन पैदा होता है।
  ✓ **प्रणाली विशेषताएँ:** स्वच्छता प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं। कुछ गांवों में सामूहिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य में व्यक्तिगत निर्णय लेने की अनुमति होती है।
  ✓ **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ:** अनुसूचित जातियों की तुलना में ऊंची जातियों में शौचालय की पहुंच और उपयोग अधिक है, जो लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था**
  ✓ **निर्माण से परे:** शौचालय के निरंतर उपयोग के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान महत्वपूर्ण हैं। एसबीएम-जी के दूसरे चरण में प्रतिगामी मानदंडों और जातिगत पदानुक्रमों को दूर करने हेतु सामाजिक व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान देने की कमी हो सकती है।
  ✓ **समग्र दृष्टिकोण:** स्वच्छता व्यवहार आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सहित समग्र जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। इन क्षेत्रों में असंगठित कार्यक्रम प्रगति में बाधक होते हैं।

आगे की राह

- **नागरिक समाज की भागीदारी:** समग्र नदी और पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए **नमामि गंगे** और **स्वच्छता पखवाड़ा जैसे** कार्यक्रमों के साथ जुड़कर, स्वच्छता पहल में नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **व्यवहार परिवर्तन और स्वच्छता की संस्कृति:** स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक प्रणाली का लाभ उठाते हुए लक्षित अभियान लागू करना। अपशिष्ट-से-ऊर्जा समाधान और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु **गोबरधन योजना** को एकीकृत करना।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** स्वच्छता बुनियादी ढांचे में दायरे की पहचान करने के लिए व्यापक स्थिति विश्लेषण और आकलन करना। स्वच्छता सुविधाओं तक समावेशी पहुंच हेतु **जल जीवन मिशन** और **स्वच्छ भारत जैसे** कार्यक्रमों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना।
- **अपशिष्ट निपटान और जल का पुन: उपयोग:** अपशिष्ट रूपांतरण विधियों को शामिल करते हुए अपशिष्ट निपटान रणनीतियों पर जोर देना। जल के पुन: उपयोग और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति पहल को स्वच्छ भारत से जोड़ना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** प्रगति पर नज़र रखने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र (स्वच्छ सर्वेक्षण) स्थापित करना। स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करना और निरंतर सुधार हेतु रणनीतियों को अपनाना।

9.4. मानसिक स्वास्थ्य

संदर्भ

आईआईटी जोधपुर के एक नवीनतम अध्ययन में पाया गया है कि भारत में मानसिक विकारों को एक विशेष आर्थिक बोझ के रूप में लिया जाता है, और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्वघोषणा की स्थिति उल्लेखनीय रुप से कम है।

अध्ययन की मुख्य बातें

- **75वें दौर के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) 2017-2018** पर आधारित अध्ययन से पता चला कि भारत में **मानसिक बीमारी की स्वघोषणा का दर 1% से भी कम थी।**
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के एक प्रमुख प्रदाता के रूप में निजी क्षेत्र उभरकर सामने आया है, जिसका **बाह्य रोगी देखभाल में 66.1% और आंतरिक रोगी देखभाल में 59.2% योगदान है।**
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा तक पहुंच के लिए निजी क्षेत्र पर भारी निर्भरता के कारण **बजट से अधिक व्यय की स्थिति बनी हुई है।**
- अध्ययन से पता चला कि उच्च आय वाले व्यक्ति कम आय वाले लोगों की तुलना में स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी देने में 1.73 गुना अधिक मुखर थे, जो एक **सामाजिक आर्थिक विभाजन को उजागर करता है।**
- **केवल** 23% व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय स्तर पर **स्वास्थ्य बीमा सुविधा** था।

मानसिक स्वास्थ्य

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं का एहसास करने, अच्छी तरह से सीखने और अच्छी तरह से काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाता है।
- यह स्वास्थ्य और कल्याण का एक अभिन्न अंग है जो निर्णय लेने, रिश्ते बनाने और हमारी दुनिया को आकार देने की हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं को रेखांकित करता है।

मानसिक स्वास्थ्य विकार बढ़ने के कारण

- **शहरी तनाव:** तेजी से शहरीकरण और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन से भीड़-भाड़ वाली जीवन स्थितियों, संसाधन प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक समायोजन के कारण तनाव बढ़ जाता है।
- **आर्थिक दबाव:** आय असमानता वित्तीय तनाव, बेरोजगारी और अल्परोजगार में योगदान करती है, जो मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हैं।
- **उच्च शैक्षणिक अपेक्षाएँ:** तीव्र शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव छात्रों पर भारी बोझ डालता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर चिंता और अवसाद जैसे तनाव संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 108 3/27/2024 1:16:24 PM

- **तकनीकी प्रगति:** प्रौद्योगिकी कई लाभ प्रदान करती है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग लत को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ा सकता है।
- **पर्यावरणीय कारक:** शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, भीड़-भाड़ और हरे-भरे स्थानों की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे तनाव, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य बोझ से निपटने में चुनौतियाँ

- **उच्च बोझ:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS) ने वर्ष 2017 में संकेत दिया कि लगभग 150 मिलियन व्यक्तियों को मानसिक बीमारियाँ थीं जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा।
- **मानव संसाधनों की कमी:** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 1,00,000 लोगों के लिए, भारत में 0.3 मनोचिकित्सक, 0.12 नर्स, 0.07 मनोवैज्ञानिक और 0.07 स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। ये आंकड़े मानव संसाधनों की चिंताजनक कमी को दर्शाते हैं।
- **वित्तीय बाधाएँ:** भारत अपने कुल स्वास्थ्य बजट का 1% से भी कम राशि मानसिक स्वास्थ्य सुविधा पर खर्च करता है। ये वित्तीय सीमाएं किफायती मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करती हैं, जिससे जेब पर बोझ बढ़ जाता है।
- **जागरूकता की कमी और उच्च लागत:** भारत में 80% से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी, प्रचलित कलंक और देखभाल की उच्च लागत है।

- **उपचार के बाद का अंतर:** उपचार के बाद पर्याप्त पुनर्वास सेवाओं का अभाव की वजह से मानसिक स्वास्थ्य दखल की प्रभावकारिता कम हो जाती है, जिससे मरीज को ठीक होने में आवश्यक मदद नहीं मिल पाता है।
- **अर्थव्यवस्था को नुकसान:** मानसिक बीमारी का इलाज देर से होने या इलाज न कराने से मानव पूंजी और उत्पादकता का नुकसान होता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मानसिक विकार की समस्याओं से निपटने हेतु किये गये उपाय

राष्ट्रीय स्तर पर

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMCH):** इसका उद्देश्य मानसिक विकारों के बोझ और योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करना है। इसमें राज्य मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोरोग विभागों को अद्यतन करने की योजनाएं शामिल हैं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 109
3/27/2024 1:16:25 PM

- **मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017:** यह प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच की गारंटी देता है। यह आईपीसी की **धारा 309** के उपयोग को कम करता है और आत्महत्या के प्रयास के लिए सजा के बजाय सहायता प्रदान करता है।
- **टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग (Tele MANAS):** इसका लक्ष्य पूरे देश में चौबीसों घंटे निःशुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, विशेष रूप से **दूरदराज या कम सेवा पहुंच वाले क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं प्रदान करना**।
- **किरण हेल्पलाइन:** यह चिंता, तनाव, अवसाद और आत्मघाती विचारों के लिए सहायता प्रदान करने वाली **24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन** है।
- **मनोदर्पण पहल:** यह कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए **शिक्षा मंत्रालय** की एक पहल है।

वैश्विक स्तर पर

- **विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस:** यह **प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर** को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य समस्या में सहायता प्रयासों को एकसाथ लाना है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन की व्यापक मानसिक कार्य योजना:** 66वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई, इस योजना (वर्ष 2013-2020) के द्वारा वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य नीतियों, सेवाओं और देखभाल में सुधार हेतु रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गयी है।
- **मानसिक स्वास्थ्य एटलस:** इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2001 में शुरू किया गया और इसे त्रिवार्षिक (हर तीन साल में) जारी किया जाता है, जो दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य नीतियों, कानून, वित्तपोषण, मानव संसाधन और सेवा उपलब्धता पर डेटा प्रदान करता है।
- **आत्महत्या की रोकथाम:** यह **सतत विकास लक्ष्यों (SDG 3.4)** में शामिल है और इसे वैश्विक प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय कार्य योजना: मानसिक स्वास्थ्य पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना** विकसित और कार्यान्वित करना, जिसमें गतिविधि घटकों, वित्तीय प्रावधानों और सुविधा-मजबूतीकरण उपायों को निर्दिष्ट किया जाए।
- **हस्तक्षेप का न्यूनतम प्रयास:** मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन, देखभाल और पुनर्वास हेतु न्यूनतम हस्तक्षेप प्रयासों का विकास करना।
- **सुविधाओं का उन्नयन: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों** के अनुसार मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज और पुनर्वास हेतु मौजूदा सुविधाओं में और सुधार की आवश्यकता है।
- **ड्रग लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना**: राज्य स्तर पर ड्रग लॉजिस्टिक्स प्रणाली (औषधि परिवहन प्रणाली) को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें खरीद, वितरण और सभी सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता रणनीति:** सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) पहल सहित मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित और कार्यान्वित करना।

9.5. वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट, 2023

संदर्भ

हाल ही में, प्रोजेक्ट 39A द्वारा वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट, 2023 जारी की गई।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मिलकर **वर्ष 2023 में सिर्फ एक मृत्युदंड** दिया और अन्य मामलों में या तो सजा कम कर दिया गया या पूरी तरह से बरी कर दिया गया।
- एकमात्र मौत की पुष्टि कर्नाटक उच्च न्यायालय से हुई, जबकि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2023 में किसी भी मौत की सजा की पुष्टि नहीं की (वर्ष 2021 के बाद से दूसरी बार)।
- रिपोर्ट के मुताबिक, **वर्ष 2023 में निचली अदालतों ने 120 कैदियों को मौत की सजा सुनाई**, जिससे दिसंबर 2023 के अंत में **मौत की सजा पाने वाले कुल कैदियों की संख्या 561 हो गई।**
  - ✓ एनसीआरबी की जेल सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, यह **लगभग दो दशकों में सबसे अधिक संख्या है और वर्ष 2000 के बाद से दूसरी सबसे अधिक संख्या है।**
- हालाँकि, निचली अदालतों द्वारा सुनाई गई कुल मौत की सज़ाओं में पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, वर्ष 2022 में 167 से बढ़कर वर्ष 2023 में 120 हो गई।

प्रोजेक्ट 39ए

- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से जुड़ा एक आपराधिक न्याय कार्यक्रम।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए से प्रेरित है एवं एक ऐसा प्रावधान है जो आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करके समान न्याय और समान अवसर के परस्पर जुड़े मूल्यों को आगे बढ़ाता है।

- उच्च न्यायालयों में मृत्युदंड की पुष्टि की कार्यवाही के निपटान दर में 15% की कमी आई, वर्ष 2022 में 68 की तुलना में वर्ष 2023 में 57 मृत्युदंड के मामलों का निपटारा किया गया।
  - ✓ दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 366 के तहत, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सभी मौत की सजा की पुष्टि संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा की जानी है।
- मौत की सज़ा के मामलों में यौन अपराधों की संख्या अधिक थी, निचली अदालतों द्वारा दिए गए 120 मौत की सज़ाओं में से 50% से अधिक मामले यौन अपराधों के थे।
- रिपोर्ट के अनुसार, **मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद**, निचली अदालत ने 87% मामलों में आरोपियों के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना मौत की सजा दे दी।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 110 3/27/2024 1:16:25 PM

- रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि **भारतीय न्याय संहिता, 2023** के पारित होने से भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत मौत की सजा वाले अपराधों की संख्या 12 से बढ़कर 18 हो जाएगी।

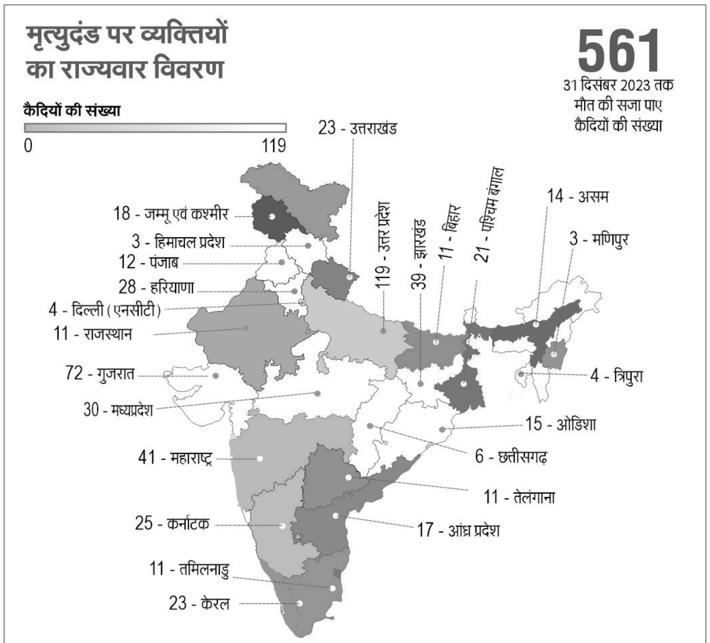

यह आंकड़ा मौत की सजा पाए कैदियों की संख्या को दर्शाता है। किसी कैदी को कई मौत की सजा और मौत की सजा की कार्यवाही के विभिन्न चरणों में मामले लंबित हो सकते हैं।

मृत्युदंड

- मृत्युदंड, आपराधिक कृत्यों के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा पाए अपराधी को फांसी देने की सजा है।
- मृत्युदंड शब्द का उपयोग कभी-कभी सजा ए मौत के साथ किया जाता है, हालांकि जुर्माना लगाने के बाद हमेशा फांसी नहीं दी जाती (भले ही इसे अपील पर बरकरार रखा गया हो), क्योंकि इसे आजीवन कारावास में बदलने की संभावना होती है।
- **भारत ने कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड को बरकरार रखा है**, जिससे यह वैश्विक स्तर पर उन देशों में से एक बन गया है जहां अभी भी मृत्युदंड दिया जाता है।
  - ✓ विश्व के 70% से अधिक देशों ने कानून या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है।

नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय विकास

- मलेशिया ने अनिवार्य मृत्युदंड और प्राकृतिक जीवन कारावास को समाप्त कर दिया।
- **घाना की संसद ने आपराधिक अपराध (संशोधन) विधेयक पारित किया:** इसे हत्या, नरसंहार, समुद्री डकैती और तस्करी के अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने और आजीवन कारावास में बदलने के लिए पारित किया गया।
- वाशिंगटन राज्य के गवर्नर ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया, जिससे राज्य द्वारा स्वीकृत सजा के रूप में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया।

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में **मृत्युदंड के इस्तेमाल पर एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।** भारत ने दावा किया कि यह प्रस्ताव उसके वैधानिक कानून का खंडन करता है, जो केवल **"दुर्लभतम"** मामलों में ही फांसी की अनुमति देता है।

भारत में मृत्युदंड की स्थिति

विकास

- भारत ने सीआरपीसी (1898) और भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित औपनिवेशिक कानूनों को बरकरार रखा, जो मौत सहित छह दंडों की अनुमति देता था।
- **वर्ष 1955:** संसद ने धारा 367(5), सीआरपीसी 1898 को निरस्त कर दिया, जिससे मृत्युदंड अब प्रतिमान नहीं रहा और अदालतों को उन मामलों (जहां यह एक निर्धारित सजा थी) में मृत्युदंड क्यों नहीं देने के लिए विशेष कारणों की आवश्यकता नहीं थी।
- **वर्ष 1973:** दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को फिर से अधिनियमित किया गया, धारा 354(3) में बदलाव किए गए, अर्थात न्यायाधीशों को अब मृत्युदंड देने हेतु विशेष कारण बताने के लिए बाध्य किया गया।

मृत्युदंड की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के विचार

- **जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973):** उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अनुसार, जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है यदि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
- **राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979):** उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि अपराधी योजनाबद्ध, तरीके से सामाजिक सुरक्षा को लगातार खतरे में डालता है, तो उसके मौलिक अधिकार नष्ट हो सकते हैं।
- **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980):** उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने दुर्लभतम मामलों का फैसला सुनाया, जिसके अनुसार दुर्लभतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड नहीं दिया जाता है।
- **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983):** उच्चतम न्यायालय ने इस पर कुछ दिशानिर्देश दिए कि मामला दुर्लभतम मामलों में आता है या नहीं।
- **दीना बनाम भारत संघ (1983):** उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा देने की एक विधि के रूप में फांसी की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
- **ऋषि मल्होत्रा बनाम भारत संघ (2017):** उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निष्पादन के वैकल्पिक तरीकों (जिससे मृत्यु अधिक तेजी से और कम दर्दनाक हो सकती है) की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 111 3/27/2024 1:16:25 PM

मृत्युदंड की समाप्ति पर बहस

समापन के विरोध में तर्क	समापन के पक्ष में तर्क
• निवारक प्रभाव ✓ यह संभावित अपराधियों को फांसी के डर से हत्या या आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध करने से रोकता है। ✓ 35वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (1962) कानून और व्यवस्था बनाए रखने में निवारकों के महत्व पर जोर देती है। • दुर्लभतम मामले ✓ बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने मौत की सजा को बरकरार रखा लेकिन दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों तक सीमित कर दिया। • अपील करने का अधिकार (अनुच्छेद 21) ✓ यह कई अपीलों की अनुमति देता है, एक संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और गलत निष्पादन के जोखिम को कम करता है।	• प्रतिकार बनाम सुधार ✓ यह अपराधी के पुनर्वास या सुधार के बजाय राज्य द्वारा प्रतिशोध (प्रतिकार) पर ध्यान केंद्रित करता है। • मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ ✓ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का विरोध करता है। • अप्रभावी निवारण ✓ फांसी की कम संख्या और देशों में जघन्य अपराधों की निरंतर घटना के कारण निवारक के रूप में इसकी उपयोगिता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। • सामाजिक रूप से अनुपातहीन ✓ यह भारत में गरीबों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहनेवाले समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
• एजेंसियों द्वारा समर्थन ✓ आतंकवाद से निपटने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जैसी कुछ एजेंसियां, विशेष रूप से जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा का समर्थन कर सकती हैं। ✓ यह इस विश्वास को दर्शाता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक माने जानेवाले कृत्यों पर कड़ा प्रहार करता है।	• दुख में कोई कमी नहीं ✓ यह अपराध से होने वाली पीड़ा को कम नहीं करता. इसके बजाय, यह पीड़ित और अपराधी दोनों के परिवारों के लिए पीड़ा की एक और परत जोड़ देता है, जिससे हिंसा का चक्र कायम हो जाता है। • वैश्विक रुझान और संवैधानिक चिंताएँ ✓ भारत मृत्युदंड को समाप्त करने की वैश्विक प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ा है, जबकि 100 से अधिक देशों ने इसे समाप्त कर दिया है।

आगे की राह

- **सख्त नजर:** बचन सिंह मामले में निर्धारित "दुर्लभतम" मानदंडों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- **गैर-घातक तरीके:** वैकल्पिक निष्पादन विधियों का उपयोग, जैसे- इलेक्ट्रोक्यूशन, गैस चैंबर, फायरिंग स्क्वाड और घातक इंजेक्शन (नैतिक और मानवीय प्रथाओं को सुनिश्चित करना)।
- **गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति:** भारतीय न्याय संहिता 2023 पर इसकी 246वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड को खत्म करने या इसके बरकरार रहने पर प्रणालीगत बदलावों की आवश्यकता पर विभिन्न विशेषज्ञों की दलीलों पर ध्यान दिया गया।
- **विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट:** इसने आतंकवाद से संबंधित अपराधों को छोड़कर सभी के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की।
- **मानवाधिकार संवाद:** नैतिक चिंताओं को दूर करने और वैश्विक सहमति को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों के साथ जुड़ना।

निष्कर्ष

मृत्युदंड को दुनिया भर में आपराधिक न्याय प्रणाली में नवीनतम बदलावों के अनुरूप ढालने की जरूरत है। यह दृष्टिकोण न्याय और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकसित मानकों के अनुरूप है।

9.6. WHO ने अकेलेपन को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में मान्यता दी

सन्दर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने **'अकेलेपन'** को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में पहचान की है, जिसका मृत्यु दर प्रभाव प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है।

मुख्य विवरण

- अनुमानतः **चार में से एक वृद्ध व्यक्ति सामाजिक अलगाव का अनुभव करता है और लगभग 6% से 15% किशोर अकेलेपन का अनुभव करते हैं।**
- अकेलेपन का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- अकेलेपन का खतरा बढ़ने के कई कारण हैं, **जैसे- मोटापा, धूम्रपान और शारीरिक गतिविधि की कमी।**
- लगभग **15% किशोर और 25% वृद्धजन अकेलेपन का अनुभव** करते हैं, जिनके आंकड़े संभावित रूप से कम आंके गए हैं।

परिभाषा

लोगों से घिरा होने पर भी अकेलापन और दूसरों से कटा हुआ महसूस करना अकेलापन कहलाता है। यह ख़ालीपन या अलगाव की भावना है।

प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव**
  - ✓ अकेलापन गंभीर स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ा है, **जिसमें दौरे (stroke), चिंता, मनोभ्रंश (dementia), अवसाद और आत्महत्या** का उच्च जोखिम शामिल है।
  - ✓ अकेलापन वृद्ध वयस्कों में **मनोभ्रंश के 50% बढ़ते जोखिम और चक्रीय धमनी रोग या दौरे के 30% बढ़ते जोखिम** से जुड़ा है।
  - ✓ अकेलापन **मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे- आत्मविश्वास में कमी, निराशा, चिंता, थकान और प्रेरणा की कमी** को बढ़ाता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** अकेलेपन के कारण शिक्षा और नौकरी की संतुष्टि पर संभावित दुष्परिणाम पड़ सकते हैं, जिसका परिणाम प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव के रूप में सामने आ सकता है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 112 3/27/2024 1:16:26 PM

चुनौतियाँ

- **सांस्कृतिक कलंक:** भारत में अकेलेपन को अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है या एक गुज़रते चरण के रूप में देखा जाता है और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा को गलत नजरों से देखा जाता है, जिससे समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करना मुश्किल हो जाता है।
- भारत में शिक्षित युवा, अपनी शिक्षा के बावजूद, बेरोजगारी और अकेलेपन के उच्च दर का सामना करते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक समस्या का संकेत देता है।
- **बीमारियों का बढ़ता बोझ:** अकेलेपन से विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे भारत में संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है।
- **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचा:** भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कर्मचारियों, बुनियादी ढाँचे और बजट की कमी है, जिससे अकेलेपन की महामारी की प्रतिक्रिया जटिल हो गई है।

अकेलेपन से निपटना: आगे की राह

- **स्व-देखभाल:** मन, शरीर और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत स्व-देखभाल प्रक्रिया को विकसित करना।
- **अवचेतन मन को पुन: गतिमान करना:** अवचेतन मन को पुन: गतिमान करने हेतु सचेत रहें और ध्यान को अपनाएं। जरूरत पड़ने पर सक्रिय रूप से पेशेवर मदद लेना।
- **शौक में व्यस्त रहना:** पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, फोटोग्राफी या ट्रैकिंग जैसे शौक के लिए निर्धारित समय देते हुए, खुशी देनेवाली गतिविधियों की पहचान करें और उनमें भाग लेना।
- **स्वयंसेवी गतिविधियाँ:** सामाजिक कार्यों के लिए समय दें, मन की तृप्ति हेतु वृद्धाश्रमों, अनाथालयों या गैर सरकारी संगठनों में स्वयंसेवा करना।
- **रिश्तों को पुनर्जीवित करना:** सार्थक रिश्तों को बढ़ावा दें और अकेलेपन से निपटने के लिए एक सहायता प्रणाली का गठन करना।
- **समुदाय-आधारित समाधान:**का शीर्ष : अकेलेपन से निपटने के लिए केवल नैदानिक दृष्टिकोणों के बजाय संरचनात्मक असमानताओं को दूर करनेवाली समुदाय-केंद्रित रणनीतियाँ बनायी जा सकती है।
- **समग्र दृष्टिकोण:** भारत में अकेलेपन से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना शामिल है।

जैसे-जैसे अकेलापन एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पैर पसार रहा है, भारत को इस मूक महामारी से प्रभावित लोगों को प्रभावी ढंग से सहायता देने के लिए अपनी रणनीतियों को लगातार अपनाना चाहिए। अकेलेपन को दूर करने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर समाधान लागू करने हेतु एक आयोग का गठन किया है।

9.7. वरिष्ठ नागरिक देखभाल

संदर्भ

हाल ही में नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल सुधारों पर एक पेपर जारी किया है।

विवरण

बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या

- भारत में, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग) की संख्या देश की आबादी का 10% से थोड़ा अधिक है। वर्ष 2050 तक, इनकी आबादी बढ़कर 319 मिलियन (कुल आबादी का 19.5%) होने का अनुमान है।
- कुल निर्भरता अनुपात, जो वर्ष 2020 में 56.92 था, वर्ष **2050 तक बढ़कर 61.22** हो जाने की उम्मीद है, जिसकी वजह निम्न हैं:
  - ✓ **टीएफआर में गिरावट:** वर्ष 2000 में कुल प्रजनन दर (TFR) 3.4 थी और नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) डेटा के अनुसार घटकर 2 हो गई है।
  - ✓ **जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 1950 में 35.8 से बढ़कर वर्ष 2000 में 62.5 हो गई और वर्ष 2050 तक इसके बढ़कर 75 हो जाने का अनुमान है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की वैश्विक आबादी का अनुपात दोगुना बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2015 में 12% से बढ़कर वर्ष 2050 तक 22% हो जाएगा।

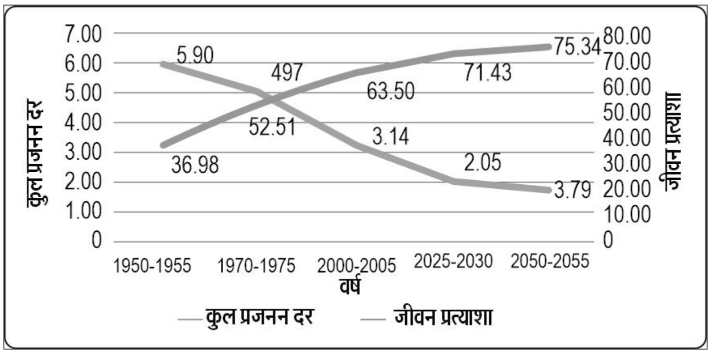

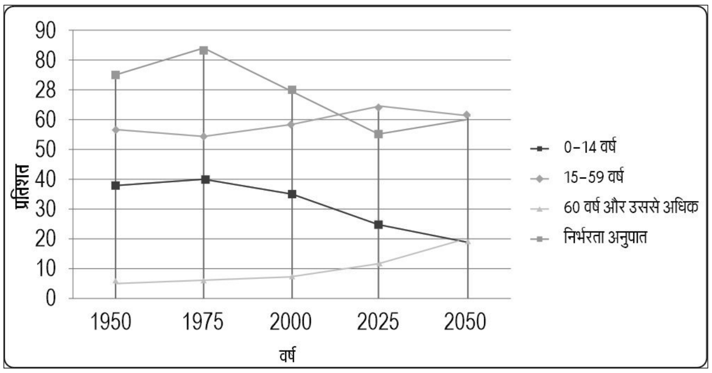

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 113 3/27/2024 1:16:26 PM

परिमाण	समस्या/चुनौतियाँ	समाधान
स्वास्थ्य क्षेत्र	**शारीरिक:** 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर चौथा भारतीय व्यक्ति स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहा है एवं 75% बुज़ुर्गों को एक या अधिक दीर्घकालिक बीमारियाँ हैं। **मानसिक:** भारत में लगभग 20% बुज़ुर्गों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** देश में अनुकूलित आपातकालीन सुविधा प्रणाली और बुज़ुर्गों के लिए वृद्धाश्रमों का अभाव है।	**स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाना:** वरिष्ठ नागरिकों और देखभाल करने वालों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में सुधार करना। **मानसिक स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएँ:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानसिक कल्याण और आपातकालीन सुविधाओं को प्राथमिकता देना।
सामाजिक क्षेत्र	**सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों/उपायों से संबंधित जागरूकता:** एक तिहाई से अधिक (35%) बुज़ुर्ग व्यक्ति जानकारी के अभाव में विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। **जीवन शैली:** वैश्वीकरण, प्रवासन और पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्थाओं के विघटन की वजह से पारिवारिक सहायता और दिन-प्रतिदिन के मनोसामाजिक सहायता में कमी आ गई है। **अधिक आयु:** 54% बुज़ुर्ग महिलाएं विधवा हैं और सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा की कमी के कारण उनका सामाजिक बहिष्कार का खतरा अधिक रहता है।	**सहकर्मी सहायता समूहों की स्थापना:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुभव साझा करने और एक-दूसरे की सहायता करने के लिए नेटवर्क बनाना। **कानूनी और कल्याण जागरूकता:** वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों, कानूनी सुरक्षा उपायों और उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना। **कानूनी सुधार:** बुज़ुर्गों के कल्याण हेतु कानूनों को मजबूत करना और भरण-पोषण न्यायाधिकरणों में मामलों का कुशल (दक्षतापूर्ण) समाधान सुनिश्चित करना।
आर्थिक क्षेत्र	**रोज़गार:** भारत में वरिष्ठ नागरिकों में पुरुषों के लिए रोज़गार दर लगभग 50% और महिलाओं के लिए 22% है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर अधिक देखी गई है। **वित्तीय स्थिति:** 70% बुज़ुर्ग रोजमर्रा के भरण-पोषण हेतु परिवार या पेंशन पर निर्भर हैं, 78% को कोई पेंशन लाभ नहीं है। **वित्तीय दुरुपयोग और धोखाधड़ी:** विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6.8% लोग वित्तीय दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं, जिसमें नकली निवेश के अवसर, धोखाधड़ी आदि शामिल हैं।	**पुनर्कौशल कार्यक्रम:** बुज़ुर्गों के बीच बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए कौशल सुधार की व्यवस्था। **उन्नत सार्वजनिक निधि सहायता:** सार्वजनिक निधि का विस्तार करना और बुज़ुर्गों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत योजनाएं लागू करना। **कर सुधार और वृद्धावस्था स्वास्थ्य बीमा:** कर नीतियों को समायोजित करना और वरिष्ठ-विशिष्ट बीमा उत्पादों के निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना।
डिजिटल क्षेत्र	**डिजिटल विभाजन:** लगभग 85.8% बुज़ुर्ग को डिजिटल और कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, जिसको कोविड ने और बढ़ा दिया।	**डिजिटल साक्षरता अभियान:** डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने और नियमित वरिष्ठ देखभाल प्रक्रियाओं हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और मशीन लर्निंग का उपयोग करने के लिए कार्यशालाएँ शुरु करना।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के विभिन्न उपाय

- **संवैधानिक प्रावधान**
  - ✓ **अनुच्छेद 41:** बुज़ुर्गों हेतु काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को प्रोत्साहित करता है।
  - ✓ **अनुच्छेद 46:** बुज़ुर्गों सहित कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है।
- कानूनी उपाय
  - ✓ **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम:** हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 में वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण करना एक दायित्व की तरह निर्धारित किया गया है।
  - ✓ **आपराधिक प्रक्रिया संहिता:** आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत, वृद्ध माता-पिता अपने बच्चों से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।
  - ✓ **आयकर अधिनियम:** आयकर अधिनियम की धाराएं वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट का दावा करने की सुविधा देती हैं।
  - ✓ **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007:** इसमें वृद्धजनों के भरण-पोषण और कल्याण को सुनिश्चित किया गया है।
- **नीति समर्थन**
  - ✓ **वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (1999):** यह वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक व्यापक ढांचे की रूपरेखा है।
- **कल्याणकारी योजनाएँ और कार्यक्रम**
  - ✓ **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** इसमें वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है।
- **अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY):** यह योजना बुज़ुर्गों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता करती है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):** इसमें बुज़ुर्गों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

बढ़ती रजत अर्थव्यवस्था

- **गृह देखभाल सेवाएँ**
  - ✓ भारत में घरेलू स्वास्थ्य सेवा बाजार का आकार वर्ष 2020 में 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (50840 करोड़) होने का अनुमान लगाया गया था और वर्ष 2027 तक इसके 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.74 लाख करोड़) तक पहुंचने का अनुमान है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 114 3/27/2024 1:16:26 PM

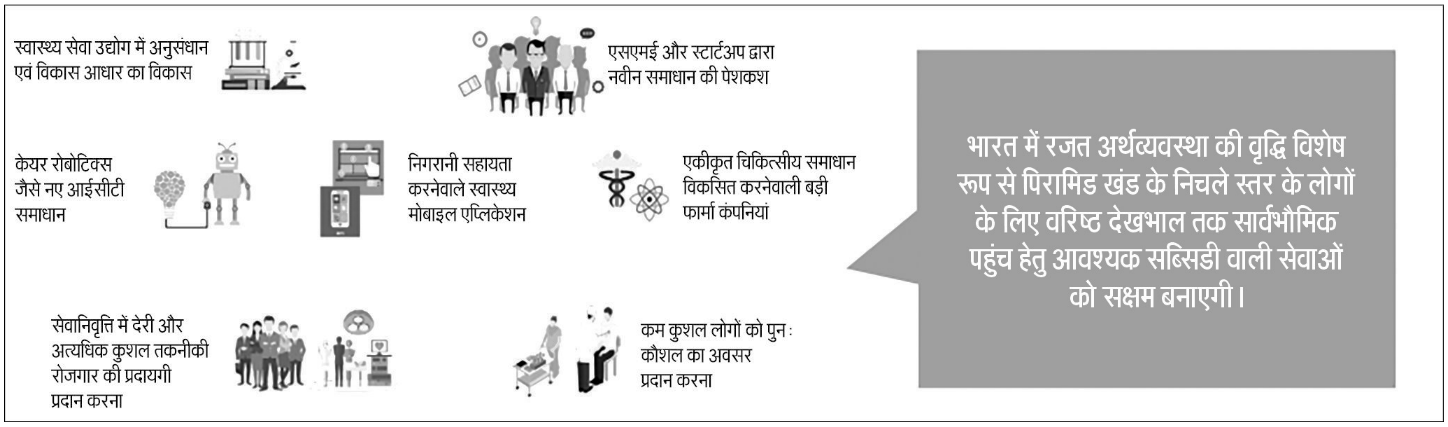

- ✓ घरेलू स्वास्थ्य सेवा बाजार वस्तुएं उपचार के लिए अस्पताल के खर्च की तुलना में बुनियादी ढांचे और परिचालन लागत में 15-30% की कमी ला सकती है।

रजत अर्थव्यवस्था (Silver Economy)

- वह आर्थिक क्षेत्र जो बुजुर्गों के लिए तैयार की गई गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है उसे "रजत अर्थव्यवस्था" कहा जाता है।
- वर्तमान में, भारत की रजत अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग ₹73,082 करोड़ रुपये है और निकट भविष्य में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान है।

- **स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी**
  - ✓ स्वास्थ्य-तकनीक बाजार वर्ष 2027 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (41,000 करोड़) तक पहुंच जाएगा।
- रजत अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाने के सरकारी उपायों में निम्न शामिल हैं
  - ✓ **SACRED पोर्टल:** इस पोर्टल का उद्देश्य पुन: रोजगार के अवसरों हेतु वरिष्ठ नागरिकों और निजी क्षेत्र के रोजगार प्रदाताओं के बीच संबंध को सुविधाजनक बनाना है।
  - ✓ **SAGE:** इसका उद्देश्य वरिष्ठजन देखभाल उत्पादों और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 115 3/27/2024 1:16:26 PM

बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न

Q 1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय केवल व्यक्तियों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रों और व्यक्तियों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है।
2. जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नहीं है।
3. दोनों अदालतें नीदरलैंड के हेग में स्थित हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 2. पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्य सरकार द्वारा धन का हस्तांतरण, पंचायतों के लिए धन का सबसे बड़ा स्रोत है।
2. पंचायतों के कार्य संविधान की 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
3. पंचायतें अपने कुल राजस्व का दसवें हिस्से से भी कम आय स्वयं सृजित करती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 3. भारत में राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2003 के एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार वर्ष 2008-09 तक 3% का राजकोषीय घाटा हासिल करना अनिवार्य।
2. एफआरबीएम समीक्षा समिति ने वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% राजकोषीय घाटा हासिल करने का वार्षिक लक्ष्य प्रस्तावित किया।
3. अंतरिम बजट 2024-2025 में सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक लाने के अपने इरादे की घोषणा की।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 4. निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए:

1. नगालैंड
2. मिजोरम
3. त्रिपुरा
4. असम

उपरोक्त में से कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 5. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सीबीआई एक वैधानिक निकाय है जो वर्ष 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से जांच करने की शक्ति प्राप्त करती है।
2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवकों की जांच के लिए सीबीआई को सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
3. सीवीसी अधिनियम, 2003 के तहत, सीबीआई के निदेशक का दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

Q 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्य का सार्वजनिक ऋण संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय है।
2. राज्य सरकार को बाज़ार से कोई भी ऋण जुटाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है।
3. केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों पर शुद्ध उधार सीमा (NBC) लगा सकती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

Q 7. 'ऑपरेशन मेघ चक्र' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) यह लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन का कोडनेम था।
(b) यह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का एक अखिल भारतीय अभियान है।
(c) यह राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग हेतु दिल्ली सरकार की एक पहल है।
(d) यह क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने हेतु केंद्र सरकार की एक पहल है।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 116 3/27/2024 1:16:27 PM

Q 8. चुनाव चिन्ह विवादों को सुलझाने में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।

1. चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की पहचान करने और चिह्न आवंटित करने की शक्ति मिलती है।
2. चिह्न आदेश का अनुच्छेद 15 प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच विवाद को सुलझाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था प्रदान करता है।
3. प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की वैधता निर्धारित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग "तीन परीक्षण सिद्धांत" पर निर्भर करता है।
4. यदि भारत निर्वाचन आयोग किसी प्रतिद्वंद्वी दावेदार के लिए स्पष्ट बहुमत का समर्थन निर्धारित नहीं कर पाता है तो वह किसी पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q 9. भारत में 'डीप टेक' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डीप टेक स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
2. नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP) का लक्ष्य आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हेतु डीप टेक का लाभ उठाना है।
3. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय वैश्विक औसत से अधिक है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q 10. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत संसद को अनुसूचित जाति की पहचान करने का अधिकार है।
2. जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता (2018) मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण से संबंधित है।
3. 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा अनुसूचित जाति पर लागू नहीं होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 11. मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) शुरू किया।
2. मानसिक स्वास्थ्य एटलस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है।
3. चिंता, तनाव, अवसाद और आत्मघाती विचारों के लिए 24/7 टोल-फ्री सहायता प्रदान करने हेतु किरण हेल्पलाइन शुरू की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 12. भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) ग्रामीण स्वच्छता हेतु पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था।
2. निर्मल भारत अभियान मनरेगा के साथ जुड़ने वाला पहला कार्यक्रम था।
3. स्वच्छ भारत मिशन (SBM) चरण- II खुले में शौच मुक्त प्लस (ODF Plus) एवं ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q 13. वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए:

1. इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी किया जाता है।
2. रिपोर्ट के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मिलकर वर्ष 2023 में सिर्फ एक मृत्युदंड दिया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न 1 न 2

Q 14. हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां आयोजन बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था।
2. इसका उद्घाटन सत्र वर्ष 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था।
3. यह सम्मेलन प्रतिवर्ष भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 117 3/27/2024 1:16:34 PM

Q 15. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

जलडमरूमध्य	जुड़े क्षेत्र
1. मलक्का जलडमरूमध्य	दक्षिणी चिली के पास अटलांटिक और प्रशांत महासागर
2. होर्मुज जलडमरूमध्य	अदन की खाड़ी के साथ लाल सागर और हिंद महासागर
3. बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य	ओमान की खाड़ी के साथ फारस की खाड़ी और अरब सागर

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक जोड़ी (b) केवल दो जोड़े
(c) तीनों जोड़े (d) कोई भी जोड़ा नहीं

Q 16. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

1. ऑस्ट्रेलिया
2. चीन
3. भारत
4. जापान
5. संयुक्त राज्य अमेरिका

उपरोक्त में से कौन से देश खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के सदस्य हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2, 4 और 5
(c) केवल 1, 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q 17. खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के उद्देश्यों पर विचार कीजिए:

1. महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
2. महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में देशों को सैन्य सहायता प्रदान करना।
3. जिम्मेदार खनन प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q 18. प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डॉ. अम्बेडकर ने मूल प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को शामिल करने का समर्थन किया।
2. समाजवाद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में दिए गए प्रमुख मान्यताओं में से एक है।
3. प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है।
4. प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

Q 19. भारत के संविधान की प्रस्तावना:

(a) संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।
(b) संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है।
(c) यह संविधान का एक भाग है और इसका कानूनी प्रभाव किसी भी अन्य भाग के समान ही है।
(d) यह संविधान का एक भाग है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

Q 20. हाल ही में चर्चित थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है।
2. यह पेरियार नदी के जलग्रहण क्षेत्र के भीतर है।
3. इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे के रूप में की जाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 21. हाल ही में चर्चित स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अपने 100% लक्ष्य हासिल करने वाला एकमात्र शहर मदुरै है।
2. लक्ष्य हासिल करने में उत्तर-पूर्वी राज्यों के शहर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों शहरों में शामिल हैं।
3. स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की अवधि जून 2024 तक बढ़ा दी गई है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 22. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए:

1. यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा घोषित किया गया है।
2. कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन की लागत निर्धारित करने हेतु A2 पद्धति का उपयोग करता है।
3. फिलहाल 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 23. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. सुपारी 2. जौ
3. कॉफी 4. रागी
5. मूंगफली 6. तिल
7. हल्दी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति उपरोक्त में से किसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है?

(a) केवल 1, 2, 3 और 7 (b) केवल 2, 4, 5 और 6
(c) केवल 1, 3, 4, 5 और 6 (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 118 3/27/2024 1:16:40 PM

Q 24. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस अधिनियम के तहत प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का गठन किया गया था।
2. अधिनियम की अनुसूची V में नाशक जीव (vermin) घोषित किए गए जानवरों के नाम सूचीबद्ध हैं।
3. जंगली सूअर को अधिनियम की अनुसूची V के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 25. चुनावी बॉन्ड योजना (EBS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनावी बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट के समान ब्याज मुक्त धारक साधन हैं।
2. यह केवल उन राजनीतिक दलों को दान किया जा सकता है जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा या विधान सभा चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल किए हों।
3. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने ईबीएस को असंवैधानिक और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन घोषित किया।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 26. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आनुपातिकता का परीक्षण एक कानूनी दृष्टिकोण है, जिसे आम तौर पर दो अधिकारों या दावों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर संवैधानिक अदालतों द्वारा लागू किया जाता है।
2. यह परीक्षण केशवानंद भारती मामले में उच्चतन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न 1 न 2

Q 27. नए राज्यों के निर्माण/राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों/नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
2. सरकार को संसद में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुशंसा प्राप्त करनी होगी।
3. विधेयक की सिफारिश करने से पहले, राष्ट्रपति को अपने विचार व्यक्त करने हेतु इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजना आवश्यक है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना करके आदिवासी समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है।
2. वर्तमान में, चार राज्यों नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं।
3. लद्दाख क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और पर्यावरण की रक्षा के लिए 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की भी मांग कर रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 29. दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत वैश्विक स्तर पर दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और साथ ही आयातक देश है।
2. उड़द (काला चना) की खेती खरीफ और रबी दोनों फसल के रूप में की जा सकती है।
3. दलहन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा अकेले तुर (अरहर) से होता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 30. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक त्रिराज्यीय परियोजना है।
2. इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र को फायदा होगा।
3. इसमें कालीसिंध, बाणगंगा, पारबती, लूनी और बेतवा जैसी नदियाँ शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 31. हिम तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की संख्या भारत में है।
2. इसे आईयूसीएन-संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
3. भारत में हिमाचल प्रदेश के हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं की संख्या अधिक है

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 32. एशिया प्रशांत में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।
2. न्यूजीलैंड और सिंगापुर विश्व स्तर पर सूचकांक के शीर्ष पर अपना स्थान बनाए हुए हैं।
3. एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए औसत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक स्कोर 45 पर स्थिर है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 119 3/27/2024 1:16:40 PM

Q 33. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

रामसर स्थल	राज्य
1. कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
2. मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व	केरल
3. लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट	कर्नाटक

उपर्युक्त में से कितने जोड़े सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 34. सुबिका पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुबिका पेंटिंग शैली मैतेई समुदाय से जटिल रूप से जुड़ी हुई है।
2. इसके सृजनकर्ता का नाम चेइथारोल कुंबाबा में उल्लिखित है।
3. इसे दृश्य चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) इनमे से कोई भी नहीं

Q 35. हाल ही में, "वोल्ट टाइफून" शब्द चर्चा में था, यह है:
(a) चक्रवात जो पूरे दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में बनते हैं।
(b) बैरोमीटर ग्रेडिएंट का संतुलन
(c) प्रायोजित हैकिंग संगठन
(d) पर्यावरण नियंत्रण उपकरण

Q 36. डीप टेक नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नीति एक ओपन साइंस और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने पर जोर देती है।
2. यह स्टार्टअप के लिए अनुकूलित एकीकृत आईपी फ्रेमवर्क के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का गठन किया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई भी नहीं

Q 37. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विधेयक 1986 के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन करना चाहता है।
2. प्रस्तावित कानून के तहत, राज्य सरकारें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को परिभाषित करेंगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q 38. वायुमंडलीय नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए:
1. वायुमंडलीय नदियाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती हैं।
2. वायुमंडलीय नदियाँ मिसिसिपी नदी के आयतन से 15 गुना तक अपवाहन कर सकती हैं।

उपर्युक्त में कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और 2

Q 39. काली गर्दन वाली क्रेन (सारस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है।
2. इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में अतिसंवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 40. किलकारी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
2. इसका उद्देश्य नई और गर्भवती माताओं तक गर्भावस्था के बारे में ऑडियो संदेश पहुंचाना है।
3. वर्तमान में यह भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 41. महर्षि दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया।
2. उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का कड़ा विरोध किया।
3. उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 42. स्वाति पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य STEM क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को दूर करना है।
2. इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
3. इसमें हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों का डेटाबेस शामिल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

Q 43. ढोकरा शिल्पकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गोंड आदिवासी समुदाय द्वारा प्रयुक्त होता है।
2. इस कला में जटिल धातु की मूर्तियां बनाने के लिए खोई हुई मोम ढलाई विधि का उपयोग किया जाता है।
3. ढोकरा शिल्पकला के कारीगर हिंदू पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेते हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 120 3/27/2024 1:16:40 PM

Q 44. वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट (2023) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे विधि एवं लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
2. मौत की सज़ा पाने वाली सर्वाधिक संख्या के मामले में बिहार का स्थान पहला है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Q 45. 'स्मार्ट ग्राम पंचायत' परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने और स्थानीय स्वशासन में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
2. इस पहल को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत वित्तपोषित किया गया है।
3. इसका उद्देश्य पीएम-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) सेवा का विस्तार करना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 46. उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रहों (HAPS) के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे मानव रहित हवाई वाहन हैं जो उपग्रहों की गति के साथ अलग-अलग स्थिति में भिन्न हो सकते हैं।
2. वे जमीन से 20-18 किमी की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जो वाणिज्यिक हवाई जहाजों द्वारा प्राप्त ऊंचाई से लगभग दोगुना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Q 47. बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) के बारे में कौन से कथन सही हैं?

(a) यह हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर देनेवाला एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन है।
(b) यह एक सामाजिक-आध्यात्मिक हिंदू आस्था है, जो व्यावहारिक आध्यात्मिकता और सामाजिक कल्याण पर जोर देती है।
(c) यह एक सामाजिक-आर्थिक संगठन है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
(d) यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में विशेषज्ञता वाला एक व्यावसायिक उद्यम है।

Q 48. हाल ही में चर्चित 'टीके विश्वनाथन' पैनल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है?

(a) बैंकिंग क्षेत्र में सुधार
(b) बीमा क्षेत्र में सुधार
(c) दिवाला और दिवालियापन संहिता में सुधार
(d) बाह्य व्यापार में सुधार

Q 49. संगम: डिजिटल ट्विन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग करना है।
2. इस पहल की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है।
3. यह प्रमुख उद्योगों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 50. उत्तरी पिंटेल पक्षी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे उत्तर भारत के लिए स्थानिक हैं।
2. इन्हें आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरमाला

1.	b	6.	b	11.	b	16.	c	21.	c	26.	a	31.	d	36.	c	41.	b	46.	b
2.	b	7.	b	12.	b	17.	c	22.	a	27.	b	32.	b	37.	d	42.	b	47.	b
3.	c	8.	c	13.	b	18.	b	23.	b	28.	c	33.	a	38.	c	43.	b	48.	c
4.	b	9.	a	14.	a	19.	d	24.	a	29.	b	34.	b	39.	a	44.	b	49.	a
5.	a	10.	d	15.	d	20.	b	25.	d	30.	a	35.	c	40.	a	45.	b	50.	d

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 121 3/27/2024 1:16:41 PM

Q 1. भारत में राजकोषीय समेकन प्राप्त करने में शामिल चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, स्थायी राजकोषीय प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति का सुझाव दें। (10 अंक/150 शब्द)

Q 2. भारत के भूराजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 3. केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय संघवाद को कमजोर करने के संबंध में राज्यों के नवीनतम आरोपों के मद्देनजर भारत में राजकोषीय संघवाद के क्षरण में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों की जांच कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 4. आरक्षण नीति को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) का उपवर्गीकरण अनिवार्य है। विश्लेषण करें। (10 अंक/150 शब्द)

Q 5. हालांकि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) ग्रामीण भारत में "स्वच्छता चमत्कार" लेकर आया है, लेकिन कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। समीक्षात्मक मूल्यांकन करें। (10 अंक/150 शब्द)

Q 6. विश्व स्तर पर मृत्युदंड के क्रमिक उन्मूलन के मद्देनजर भारत में मृत्युदंड की उपयोगिता का आलोचनात्मक व्याख्या करें। साथ ही, एक न्यायपूर्ण और मानवीय आपराधिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा करें। (10 अंक/150 शब्द)

Q 7. खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) में भारत की सदस्यता के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीला बनाने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 8. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, चर्चा कीजिए कि कैसे प्रस्तावना भारतीय गणराज्य के मूल मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। (10 अंक/150 शब्द)

Q 9. स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM), हालांकि एक नया विचार है, पर संस्थागत चुनौतियों से मुक्त नहीं है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 10. वन अधिकार अधिनियम 2006 के पारित होने के लगभग दो दशक बाद भी, भारत में वनवासियों के अधिकारों की मान्यता और कार्यान्वयन एक अधूरा सपना बना हुआ है। विश्लेषण कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 11. नरसंहार को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इज़राइल-हमास संघर्ष पर इसके फैसले के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 12. भारत में पंचायतों के संदर्भ में वित्तीय विकेंद्रीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा, स्थानीय शासन और विकास के लिए उनकी आंतरिक संसाधन उत्पादन क्षमताओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 13. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की परिकल्पना भारत में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखनेवाले के रूप में की गई थी। हालाँकि, हाल के वर्षों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 14. शिव-सेना और एनसीपी विवादों में भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम फैसलों के कारण कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 15. भारत के अवसरों और चुनौतियों पर विचार करते हुए इसके आर्थिक विकास के लिए गहन तकनीक की क्षमता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP) जैसी मौजूदा सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 16. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी अधिकार बनाने की व्यवहार्यता पर चर्चा कीजिए। साथ ही, कृषि क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए किसानों की चिंताओं को दूर करने के उपाय भी सुझाएं। (15 अंक/250 शब्द)

Q 17. मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 18. लद्दाख में राज्य के दर्जे की हालिया मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में नए राज्यों के गठन में शामिल संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 122
3/27/2024 1:16:41 PM

Q 19. भारत के कृषि परिदृश्य में दलहन की खेती के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता में बाधक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 20. वैश्विक जलवायु कार्रवाई की जानकारी देने में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की मूल्यांकन रिपोर्ट से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। (15 अंक/250 शब्द)

लेखन शैली

Q 1. परिचय

- या तो राजकोषीय समेकन की अवधारणा से परिचय कराएं या प्रासंगिक आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत में वर्तमान राजकोषीय घाटे की स्थिति पर प्रकाश डालें।

मुख्य भूमिका

- भारत में राजकोषीय समेकन की चुनौतियों, जैसे- उच्च सब्सिडी बोझ, बुनियादी ढांचे और सामाजिक पूंजी विकास हेतु सीमित राजकोषीय स्थान आदि पर चर्चा करें।
- स्थायी राजकोषीय प्रबंधन, जैसे- पूंजीगत व्यय में वृद्धि, सब्सिडी का युक्तिकरण, कुशल कर संग्रह, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना, कर का दायरा बढ़ाना आदि हेतु रणनीतियों पर चर्चा करें।

आगे की राह

- भारत के राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता।

Q 2. परिचय

- म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ परिचय दीजिए।

मुख्य भूमिका

- भारत के लिए कुछ निहितार्थों, जैसे- रणनीतिक निहितार्थ, सुरक्षा निहितार्थ, आर्थिक निहितार्थ और सामाजिक निहितार्थ पर प्रकाश डालें।
- संक्षेप में कुछ समाधान, जैसे- रोहिंग्या मुद्दे पर बांग्लादेश और म्यांमार के हितों को संतुलित करना, मजबूत आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना आदि वर्णित करें।

निष्कर्ष

- यह सुझाव देते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत को अपने सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण को जन-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कैसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

Q 3. परिचय

- राजकोषीय संघवाद शब्द को परिभाषित करते हुए परिचय दीजिए।

मुख्य भूमिका

- राजकोषीय संघवाद के क्षरण के कारकों, जैसे- राज्य की स्वायत्तता पर जीएसटी का प्रभाव, उपकर और अधिभार की बढ़ती हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाएं आदि को सूचीबद्ध करें।
- विश्वास की कमी को कम करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा सकने वाले कुछ उपायों पर संक्षेप में प्रकाश डालें।

निष्कर्ष

- हुए निष्कर्ष निकालें कि संघवाद संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है और कैसे राजकोषीय संघवाद भारत के समावेशी विकास का आधार बन सकता है।

Q 4. परिचय

- उपवर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

मुख्य भूमिका

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें।
- उपवर्गीकरण के पक्ष में कुछ तर्क सूचीबद्ध करें:
- कुछ सशक्त लोगों द्वारा संसाधनों पर कब्ज़ा
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के भीतर विविधता
- उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण और नवीनतम संवैधानिक पीठ की टिप्पणियाँ

निष्कर्ष

- इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकालें कि आरक्षण नीति को बदलती सामाजिक गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।

Q 5. परिचय

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) को परिभाषित करते हुए संक्षेप में परिचय दें।

मुख्य भूमिका

- सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, जैसे- शौचालय सुविधा (पहुंच) में उल्लेखनीय वृद्धि और कई गांवों में ओडीएफ प्लस की स्थिति हासिल की गई।
- कुछ चुनौतियों पर भी चर्चा करें, जैसे- कि घरेलू आकार, सामाजिक मानदंड, सीमित जल पहुंच, व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देने की कमी आदि जैसे कारकों के कारण पहुंच और उपयोग के बीच का अंतर।

आगे की राह

- नमामि गंगे और गोबरधन जैसी योजनाओं के तहत नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना, लक्षित व्यवहार परिवर्तन अभियान, बेहतर बुनियादी ढांचे और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों जैसे संभावित समाधान सुझाएं।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 123 3/27/2024 1:16:41 PM

Q 6. **परिचय**
- भारत और विश्व स्तर पर मृत्युदंड की स्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डालें।

मुख्य भूमिका
- मृत्युदंड को समाप्त करने के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों पर चर्चा करें।
- मृत्युदंड की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के विचारों पर प्रकाश डालें।

आगे की राह
- भारत में न्यायसंगत और मानवीय आपराधिक न्याय प्रणाली हेतु कदमों का संक्षेप में सुझाव दें।

Q 7. **परिचय**
- खनिज सुरक्षा साझेदारी को परिभाषित करते हुए संक्षेप में परिचय दीजिए।

मुख्य भूमिका
- एमएसपी में भारत की भागीदारी के महत्व पर चर्चा करें, जैसे- सतत गतिशीलता की ओर बदलाव, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखला, चीन पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना, आदि।
- महत्वपूर्ण खनिजों की लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

आगे की राह
- स्थायी भविष्य के लिए विश्व की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में एमएसपी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दें।

Q 8. **परिचय**
- प्रस्तावना का संक्षिप्त अवलोकन

मुख्य भूमिका
- प्रस्तावना का निम्न महत्व बताएँ:
- संविधान निर्माताओं की मुख्य सोच।
- प्रस्तावना का प्रयोग मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में किया जाता है।
- बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है।
- इस बात पर प्रकाश डालें कि यह कैसे भारतीय गणराज्य के निम्न मूल मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है:
- न्याय (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक), लोकतांत्रिक, संप्रभु, आदि

निष्कर्ष
- संविधान की तर्कसंगत व्याख्या में प्रस्तावना कैसे मदद करती है, इस पर एक समीकृत निष्कर्ष लिखें।

Q 9. **परिचय**
- स्मार्ट सिटीज मिशन का उसके उद्देश्यों सहित संक्षेप में परिचय दीजिए।

मुख्य भूमिका
- मिशन के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालें।
- वित्त पोषण, निष्पादन आदि के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करें।
- चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ निम्न उपाय सुझाएँ:
- छोटे शहरों के लिए अनुकूलित योजनाएँ
- आईटी सुरक्षा उपाय
- शासन संरचना संवर्धन, आदि

निष्कर्ष
- यह लिखकर निष्कर्ष निकालें कि बढ़ते शहरीकरण के साथ भारत को ऐसे शहर उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन (जहां लोग स्थायी तरीके से विकास कर सकें) की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।

Q 10. **परिचय**
- एफआरए 2006 में दी गई वनवासी की अवधारणा का संक्षेप में परिचय दें।

मुख्य भूमिका
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 की समीक्षा करें, इसके उद्देश्यों और प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालें।
- वनवासी अधिकारों का महत्व:
- बताएं कि कैसे वनवासी अधिकारों को मान्यता देना हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।
- वनवासियों के पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं पर जोर देते हुए स्थायी वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण में इन अधिकारों की भूमिका पर चर्चा करें।
- मान्यता और कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:
- वनवासी अधिकारों को लागू करने में नौकरशाही की उदासीनता, राजनीतिक अवसरवादिता और वनवासियों के प्रतिरोध को प्रमुख चुनौतियों के रूप में पहचान करें।

निष्कर्ष
- अधिनियम के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकालें।

Q 11. **परिचय**
- संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है) पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत करें।

मुख्य भूमिका
- सबसे पहले, नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद IX के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और व्यक्तियों द्वारा किए गए नरसंहार से संबंधित मामलों में इसकी सीमाओं पर चर्चा करें।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किए गए अस्थायी (अंतरिम) उपायों

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 124 3/27/2024 1:16:41 PM

और इज़राइल-हमास संघर्ष पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालें।
- अपने आदेशों को लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीमाओं पर भी प्रकाश डालें।

निष्कर्ष
- इस बात पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकालें कि भले ही यह फैसला काफी हद तक प्रतीकात्मक हो लेकिन जमीनी स्तर पर इसके ठोस परिणाम हो सकते हैं।

Q 12. परिचय
- वर्ष 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण और इसके कार्यान्वयन को परिभाषित करें।

मुख्य भूमिका
- पंचायतों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण के महत्व पर चर्चा करें, जैसे बेहतर जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकास, आत्मनिर्भरता आदि।
- भारत में पंचायतों के लिए धन के स्रोतों पर प्रकाश डालें, जिसमें केंद्र और राज्यों द्वारा हस्तांतरण और अनुदान (अनुच्छेद 280, 243आई) और 11वीं अनुसूची के तहत उनके स्वयं के संसाधन सृजन शामिल हैं।
- कार्यों और पदाधिकारियों के प्रभावी हस्तांतरण की कमी के संदर्भ में आंतरिक संसाधन उत्पन्न करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

आगे की राह
- प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु कुछ बिंदुओं को सूचीबद्ध करें, जैसे द्वितीय एआरसी, एनसीआरडब्ल्यूसी आदि की सिफारिशें।

Q 13. परिचय
- भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई की स्थापना का वर्णन करते हुए संक्षेप में परिचय दें।

मुख्य भूमिका
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सीबीआई का गठन और वर्ष 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DSPE) अधिनियम के तहत इसकी शक्तियों पर संक्षेप में चर्चा करें।
- इसकी गिरती विश्वसनीयता, जैसे- राजनीतिक प्रतिशोध के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना, कई राज्यों द्वारा सामान्य सहमति को वापस लेना, डीएसपीई अधिनियम में नवीनतम संशोधन के कारण स्वायत्तता पर प्रभाव आदि के कारणों पर प्रकाश डालें।
- साथ ही, इसकी घटती विश्वसनीयता के प्रभाव, जैसे- जनता के विश्वास में कमी, जांच में देरी, शासन पर प्रतिकूल प्रभाव आदि पर प्रकाश डालें।

आगे की राह
- इस संबंध में कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाएं, जैसे- सीबीआई को नियंत्रित करने वाले मौजूदा डीएसपीई अधिनियम में सीमाओं को हटाने के लिए एक नया कानून बनाना।

Q 14. परिचय
- एनसीपी और शिवसेना विवादों में ईसीआई के नवीनतम फैसलों पर प्रकाश डालें।

मुख्य भूमिका
- चुनाव चिह्नों पर पार्टियों के बीच विवादों को सुलझाने में निर्वाचन आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संक्षेप में चर्चा करें।
- भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता के संबंध में कई राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं, जैसे- पार्टी के विधायी विंग में बहुमत के परीक्षण पर एकमात्र निर्भरता, स्पीकर के समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं को ध्यान में न रखना आदि पर प्रकाश डालें।
- अनियमित संगठनात्मक चुनावों, आंतरिक चुनावों को नियुक्तियों तक सीमित कर दिया जाना, बड़े पैमाने पर दलबदल और अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने में देरी आदि के कारण ऐसे विवादों पर निर्णय लेने में निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें।

आगे की राह
- पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र से संबंधित व्यापक कानून की आवश्यकता के संबंध में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट एनसीआरडब्ल्यूसी की सिफारिशों को अंकित करें।

Q 15. परिचय
- डीप टेक को संक्षेप में परिभाषित करते हुए परिचय दीजिए।

मुख्य भूमिका
- गहन तकनीक के विभिन्न अवसरों, जैसे- आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता आदि पर प्रकाश डालें।
- कुछ चुनौतियों, जैसे- फंडिंग की कमी, कुशल पेशेवरों की कमी, नियामक बाधाएं, बुनियादी ढांचे की कमी, डेटा गोपनीयता के बारे में चिंताएं और डीप-टेक का दुरुपयोग पर चर्चा करें।
- एनडीटीएसपी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों और ऊपर उल्लिखित चुनौतियों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता को संक्षेप में बताएं।

आगे की राह
- भारत में डीप टेक की पूरी क्षमता, जैसे- अनुसंधान एवं विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कौशल विकास कार्यक्रम आदि के लिए बढ़ी हुई फंडिंग को उजागर करने हेतु अतिरिक्त उपाय सुझाएं।

Q 16. परिचय
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित करते हुए संक्षेप में परिचय दीजिए।

मुख्य भूमिका
- एमएसपी को वैध बनाने के लिए तर्क: जैसे- बाजार विकृति, राजकोषीय बोझ, उपभोक्ता पूर्वाग्रह, अप्रभावीता, सीमित कवरेज, आदि।
- एमएसपी को वैध बनाने के खिलाफ तर्क: जैसे किसान सुरक्षा, स्थिरता और पूर्वानुमान, उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, आदि।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 125 3/27/2024 1:16:41 PM

आगे की राह

- बेहतर बाजार पहुंच, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के कार्यान्वयन जैसे वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाएं।

Q 17. परिचय

- मानव-वन्यजीव संघर्ष को परिभाषित करें तथा इसकी बढ़ती संख्या पर प्रकाश डालें।

मुख्य भूमिका

- मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियाँ:
- जीवन और आजीविका की हानि
- जैव विविधता संरक्षण को खतरा
- रोग संचरण का खतरा
- वर्ष 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) की भूमिका:
- डब्ल्यूपीए के प्रावधानों और उद्देश्यों का अवलोकन
- वन्यजीव संरक्षण के लिए नियामक उपाय
- लुप्तप्राय प्रजातियों और आवासों का संरक्षण
- संघर्ष समाधान तंत्र
- प्रभाव और प्रभावशीलता आंकलन:
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर डब्ल्यूपीए के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
- कार्यान्वयन और कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करें।

आगे की राह

- सुधार के लिए सिफारिशें, जैसे- प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, वैज्ञानिक अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना, आदि।

Q 18. परिचय

- लद्दाख में राज्य की मांग की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताएँ।

मुख्य भूमिका

- लद्दाख में राज्य की मांग के निम्न विशिष्ट कारणों को सूचीबद्ध करें:
- सामरिक अवस्थिति
- अनोखी संस्कृति
- विशिष्ट जनजातीय आबादी
- नाजुक पर्यावरण, आदि
- निम्न संवैधानिक प्रावधानों को समझायें:
- संविधान का अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दी गई प्रक्रियाएँ

निष्कर्ष

- केंद्र सरकार विश्वास की कमी को कम करने के लिए स्वायत्तता हेतु कुछ तत्काल उपाय प्रदान करते हुए राज्य की मांग के संबंध में सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है।

Q 19. परिचय

- भारत में दालों की स्थिति पर प्रकाश डालिए।

मुख्य भूमिका

- दलहन खेती का महत्व:
- खाद्य सुरक्षा का पालन करते हुए
- मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना
- सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना
- दलहन उत्पादन में चुनौतियाँ:
  - ✓ कम उत्पादकता
  - ✓ जलवायु भेद्यता
  - ✓ अवशिष्ट फसल स्थिति
  - ✓ नकदी फसलों को प्राथमिकता
  - ✓ फसल कटाई के बाद का नुकसान

निष्कर्ष

- वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य के बारे में लिखकर निष्कर्ष निकालें।

Q 20. परिचय

- आईपीसीसी और इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट के बारे में संक्षेप में परिचय दें।

मुख्य भूमिका

- वैश्विक जलवायु कार्रवाई की जानकारी देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालें।
- चुनौतियाँ: वैज्ञानिक कठोरता को संतुलित करना, समावेशिता सुनिश्चित करना और डेटा पहुंच संबंधी चिंताओं को दूर करना, निष्पक्षता बनाए रखना और पूर्वाग्रहों से बचना, नीति निर्माताओं और जनता के लिए जटिल निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना, आदि।
- अवसर: नीतिगत निर्णयों हेतु व्यापक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई के लिए आम सहमति बनाना, जानकारी की कमी की पहचान करना और आगे के अनुसंधान और नवाचार को प्रेरित करना।

आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के तरीकों का संक्षेप में सुझाव दें।

KGS CA Magzine Feb 2024 Hindi_UPSC_Final.indd 126 3/27/2024 1:16:41 PM

Our Other Programmes

- 1000+ घंटे की इंटरैक्टिव लाइव कक्षाएँ
- टेस्ट सीरीज़ (विषयवार + फुल लेंथ + करंट अफेयर्स)
- मासिक करंट अफेयर्स पीडीएफ
- अपडेटेड विषयवार अध्ययन सामग्री (e-PDF)

- 500+ Hours of live classes covering all Relevant NCERTs from 6th to 12th
- Detailed Analysis of Each Topic
- UPSC & State PSC PYQ Analysis & Discussion
- UPSC & State PSC Current Affairs Booklets

- Holistic Coverage of All Study Material & Sources
- Detailed Solution for all Questions PDF
- Time Bound, Disciplined & a Result Oriented Test
- Fundamental, Applied and Full-Length Test based on UPSC Syllabus

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

Read Daily Current Affairs

Our Other Offline Center's Now in:

Delhi

Prayagraj

Dehradun

Patna

Follow Us

YouTube

Website

Telegram

Whatsapp

For more informaiton: 8757354880 enquiry@khanglobalstudies.com